VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

July - August 2019

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

AHMEDABAD | DELHI | HYDERABAD | JAIPUR | LUCKNOW | PUNE

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity and Constitution) 4

1.1. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन 4

1.2. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन 6

1.3. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 7

1.4. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 10

1.5. संसदीय स्थायी समितियाँ 12

1.6. दल-परिवर्तन विरोधी कानून 14

1.7. राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण 17

1.8. भारत में निःशुल्क विधिक सहायता 18

1.9. भारत में माध्यस्थम 20

1.10. नौकरियों में स्थानीय कोटा नियत करने की मांग 22

1.11. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क 24

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 26

2.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी 26

2.2. भारत-चीन संबंध 29

2.3. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध 32

2.4. भारत को नाटो के सहयोगी का दर्जा 34

2.5. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध 36

2.6. भारत-फ्रांस 38

2.7. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन 40

2.8. भारत: जलवायु कूटनीति 43

2.9. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 45

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 49

3.1. प्रत्यक्ष कर संहिता 49

3.2. विदेशी मुद्रा उधारियाँ 51

3.3. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार 53

VISION IAS

3.4. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष 55
3.5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 57
3.6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 59
3.7. गिग अर्थव्यवस्था 61
3.8. विनिवेश 63
3.9. कोल इंडिया 65
3.10. बंदरगाह आधारित विकास 67
3.11. औद्योगिक गलियारे 71
3.12. सड़क सुरक्षा 73

4. सुरक्षा (Security) 76

4.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 76
4.2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 78
4.3. आतंकवाद का वित्तपोषण 80
4.4. पुलिस सुधार 82
4.5. भारत का रक्षा बाजार से निर्यात केंद्र की ओर संक्रमण 84
4.6. रक्षा वित्तपोषण 86
4.7. एकीकृत युद्धक समूह 87
4.8. चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ 90

5. पर्यावरण (Environment) 92

5.1. जलवायु परिवर्तन और भूमि 92
5.2. जल शक्ति अभियान 95
5.3. बाढ़ 98
5.3.1. शहरी बाढ़ 101
5.4. नदियों का अंतर्योजन 103
5.5. राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 105
5.6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क 107
5.7. कुसुम 109
5.8. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान 112
5.9. डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने की केंद्र की योजना 113

VISION IAS

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)..... 115

6.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019..... 115

6.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019..... 117

6.3. सरोगेसी विधेयक..... 119

6.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019..... 121

6.5. मॉब लिंचिंग..... 125

6.6. जनसंख्या नीति..... 126

6.7. भारत में बाल श्रम..... 129

6.8. क्या भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तत्पर है?..... 131

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)..... 135

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता..... 135

7.2. बिग डेटा..... 138

7.3. क्रिप्टोकरेंसी..... 141

7.4. गगनयान..... 145

7.5. चन्द्रयान 2..... 147

7.6. DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019..... 149

7.7. नवाचार पारितंत्र..... 151

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity and Constitution)

1.1. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन

(Removal of Article 370 and 35A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रपति ने "जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति" से **संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019** {The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019} प्रख्यापित किया है। इस आदेश में यह उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में प्रवर्तनीय होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर हेतु एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, अनुच्छेद 35A स्वत: निरसित हो गया है।
- इसके साथ ही, राष्ट्रपति के उक्त आदेश के प्रभाव से व्युत्पन्न प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक **सांविधिक संकल्प** को भी अनुमोदित किया गया, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (के अधिकांश प्रावधान) को निष्प्रभावी (abrogate) करते हैं।
- साथ ही, संसद द्वारा **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019)** को भी पारित किया गया है। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, यथा- जम्मू और कश्मीर डिवीज़न (विधानसभा युक्त) तथा लद्दाख (विधानसभा रहित)।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A : एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति उन परिस्थितियों का परिमाण थी, जिसमें राज्य का भारत में विलय हुआ। भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि जम्मू और कश्मीर की जनता अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए अपने संविधान और भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगी।
- जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में संविधान के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता (applicability) एक अंतरिम व्यवस्था की भांति थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में निहित प्रावधान का सार था।
- अनुच्छेद 370 **जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था,** जो राज्य को इसके पृथक संविधान होने की अनुमति के साथ-साथ विशिष्ट शक्तियाँ (special powers) भी प्रदान करता था।
- अनुच्छेद 370 के अनुसार **रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार** को छोड़कर अन्य सभी कानूनों के प्रवर्तन हेतु **संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता** होती थी।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 से ही व्युत्पन्न हुआ था, राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशेषाधिकारों तथा विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करने हेतु जम्मू और कश्मीर विधान सभा को शक्तियाँ प्रदान करता था।

अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन कैसे संभव हुआ?

- राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 370 (1) के अंतर्गत एक राष्ट्रपतीय आदेश (presidential order)** जारी किया था। यह खंड राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राज्य में प्रवर्तनीय मामलों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **इस आदेश** द्वारा **अनुच्छेद 367** में भी **संशोधन** किया गया। अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों के पठन अथवा उनकी व्याख्या संबंधी रीति का समावेश है। संशोधित अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370 (3) में उल्लिखित राज्य की **"संविधान सभा"** अभिव्यक्ति को राज्य की **"विधान सभा"** पढ़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि, अनुच्छेद 370 (3) में यह प्रावधानित था कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधान सभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। हालांकि, इस संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधान-मंडल की अनुशंसा के आधार पर भी सम्पादित किया जा सकता है।

VISION IAS

- दूसरे शब्दों में, सरकार ने संविधान के एक प्रावधान (अनुच्छेद 367) में संशोधन करने हेतु अनुच्छेद 370 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया तथा तत्पश्चात अनुच्छेद 370 (3) को संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप यह सांविधिक संकल्प (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन हेतु संकल्प) को प्रस्तुत करने का कारक बना। चूँकि, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था, इसलिए राज्यपाल की सहमति को ही "जम्मू और कश्मीर सरकार" की सहमति स्वीकार कर लिया गया।

उठाए गए कदम के संभावित निहितार्थ

- जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान की पूर्ण प्रवर्तनीयता।
- पृथक ध्वज के विशेषाधिकार का उन्मूलन।
- जम्मू और कश्मीर विधान सभा के पूर्ववर्ती छह वर्षीय कार्यकाल के स्थान पर पांच वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान।
- रणबीर दंड संहिता (जम्मू और कश्मीर हेतु पृथक दंड संहिता) का भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापन।
- अनुच्छेद 356, जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु भी प्रवर्तनीय होगा।
- विद्यालय-महाविद्यालयों में एडमिशन और राज्य की सरकारी नौकरियों में केन्द्रीय कोटा संबंधी कानून लागू होंगे।
- अन्य राज्यों के लोग सम्पत्ति और निवास अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवर्तनीय होगा।
- जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधान जो किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करने वाली राज्य की महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करते हैं, अवैध घोषित हो सकते हैं।

अनुच्छेद 370 का निरसन: संवैधानिक और विधायी चुनौतियाँ

जम्मू और कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार की हालिया कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित वैधानिक मुद्दे न्यायिक विवेचनाओं के दौरान चर्चा का विषय हो सकते हैं:

- **राष्ट्रपतीय आदेश की वैधानिकता (Legality of the Presidential order):** अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यद्यपि, यह आदेश अनुच्छेद 367 को संशोधित करता है, तथापि इन संशोधनों के विषय अनुच्छेद 370 में भी संशोधन करते हैं और जैसा कि विभिन्न अवसरों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि - जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उसे आप परोक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। इस प्रकार, इस आदेश की वैधानिकता - जहाँ तक यह अनुच्छेद 370 में संशोधन करता है - संदेहास्पद है।
- **राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग और राज्यपाल को निर्वाचित विधान सभा का एक प्रतिनिधि बनाना:** राज्यपाल, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार, वास्तव में इस मामले में केंद्र सरकार ने स्वयं से ही परामर्श किया है।
    - इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति शासन अस्थायी होता है तथा यह माना जाता है कि इसका अस्तित्व केवल निर्वाचित सरकार की पुनर्स्थापना से पहले तक ही है। ऐसे में, निर्वाचित विधान सभा की सहमति के बिना केवल राज्यपाल की सहमति से एक राज्य के सम्पूर्ण दर्जे में परिवर्तन जैसे स्थायी चरित्र के निर्णय अपने आप में संदिग्ध हैं।
- **राज्य विधान सभा की संविधान सभा के साथ साम्यता:** दोनों के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि, जहाँ विधान सभा को संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है, वहीं संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। यह विभेद, जो कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का मर्म है, इस आधार पर कुछ संवैधानिक संशोधनों को निषिद्ध करता है कि संसद जो प्रतिनिधित्व प्राधिकार का प्रयोग करती है, उसकी शक्तियाँ सीमित हैं तथा वह एक नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर सकती है और इसलिए संप्रभु प्राधिकार का प्रयोग करने में भी असक्षम है।
- **जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध उठाया गया कदम:** राष्ट्रपतीय आदेश (Presidential order) में यह स्वीकृत किया गया है कि विधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरसित करने की शक्ति प्राप्त है। जबकि, जम्मू और कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 147 इस तरह के कदम को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 147 यह स्पष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु विधान सभा के दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- ज्ञातव्य है कि, जब जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने कार्य करना बंद किया था, तब अनुच्छेद 370 की प्रकृति के संबंध में दीर्घकालिक वाद-विवाद आरम्भ हुए। विघटन से पूर्व संविधान सभा ने न तो अनुच्छेद 370 के उन्मूलन की अनुशंसा की थी तथा

VISION IAS

न ही इसके स्थायित्व का समर्थन किया था। अभी भी यह पर्यवेक्षण करना शेष है कि क्या वह रीति जिसके तहत अनुच्छेद 370 का निरसन किया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

- उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 राज्य के लोगों को शासन के विषयों में अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता था जोकि अपनी पहचान के मामलों में अत्यधिक सुभेद्य अनुभव करते हैं और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। हालांकि, ये चिंताएं भी प्रकट की गई हैं कि न तो यह कदम जम्मू और कश्मीर राज्य के सामान्य-जन के अनुकूल होगा तथा न ही यह शेष भारत के साथ राज्य के एकीकरण को सुविधाजनक बनाएगा। तथापि, यह अपेक्षा की गई है कि यह कदम जम्मू और कश्मीर हेतु विकास एवं समावेशन के एक नव प्रभात का सृजन करेगा, जो राज्य के वंचित व हाशिये पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा में सम्मिलित करेगा।

1.2. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

(Amendment To The RTI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019** पारित किया गया।

RTI अधिनियम में किए गए संशोधन

- **निश्चित कार्यकाल की समाप्ति:** RTI अधिनियम के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। हालिया संशोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा CIC और ICs की पदावधि को अधिसूचित किया जाएगा।
- **वेतन का निर्धारण:** RTI अधिनियम के अनुसार, CIC और ICs (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) के वेतन के समान होगा। इसी प्रकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः राज्य के निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य सचिव के समान होगा।
    - इस संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है।

संशोधन के पक्ष में तर्क

- उल्लेखनीय है कि **CEC** और **EC** के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं, इसलिए, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में **CIC, IC और राज्य CIC की स्थिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो जाती है।**
    - जबकि, भारत निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय व राज्य सूचना आयोगों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य पूर्णतः पृथक-पृथक हैं। ज्ञातव्य है कि ECI एक संवैधानिक निकाय है, वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग वैधानिक निकाय हैं।
    - चूंकि, सूचना आयुक्तों के निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, अतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष उनकी स्थिति वैधानिक अवरोधों का कारण बन रही थी।
    - इसलिए, उनकी स्थिति और सेवा शर्तों को तदनुरूप तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियमों के निर्माण करने हेतु RTI अधिनियम के तहत प्रावधान करना है। वर्तमान में, RTI अधिनियम, 2005 के तहत इस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

संशोधन के विपक्ष में तर्क

- **प्रदत्त तर्क अनुचित हैं:** कई विशेषज्ञों ने पद स्थिति के युक्ति-युक्तिकरण (rationalisation of status) के पक्ष में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किया है-
    - राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है तथा उनकी पद स्थिति इस प्रकार की चुनौतियों को न तो रोकती या न ही बाधित करती है।
    - RTI की उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों से हुई है जिनमें यह निहित है कि कैसे RTI सूचित मतदान के लिए एक पूर्व शर्त होती है और इसलिए, सूचना एवं निर्वाचन आयुक्तों के मध्य समानता की स्थिति, नियम विरोधी (anomaly) नहीं है।

VISION IAS

- **ये संशोधन CICs और ICs की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं:** क्योंकि, केंद्र सरकार द्वारा CICs और ICs के कार्यकाल और वेतन का निर्धारण किया जा सकता है।
    - कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से पदावधि और वेतन में अनिश्चित परिवर्तन करने का प्रावधान, CIC को एक आज्ञाकारी अधीनस्थ के रूप में पदस्थापित करेगा।
    - यह जवाबदेही को भी बाधित करता है, क्योंकि ये संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार को प्रश्नगत करते हैं।
    - एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां विभिन्न सूचना आयुक्तों के भिन्न-भिन्न कार्यकाल और वेतन हो सकते हैं।
    - यदि वेतन और कार्यकाल में कमी की जाती है, तो कई प्रख्यात लोग रिक्त पदों के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
- **ये संशोधन CICs की स्थिति को कमजोर करते हैं:** मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एवं राज्य स्तर के अधिकारियों) को एक ही स्तर पर रखा गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार RTI तथा मतदान का अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण अधिकार हैं। हालाँकि, संशोधन इस स्थिति को परिवर्तित करते हैं।
- **राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण:** क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, स्थिति और वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
- **परामर्श का अभाव:** नागरिक समाज और राज्य सरकारों के साथ परामर्श न करने के कारण अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि इसे न तो पब्लिक डोमेन में रखा गया था और न ही इन संशोधनों की अधिक संवीक्षा की गई थी।

आगे की राह

- विधि विशेषज्ञों के अनुसार, सूचना आयोग की स्थिति को कमजोर करने के बजाय इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।
- RTI के प्रयोगकर्ताओं पर हमलों की बढ़ती संख्या के आलोक में, सरकार सूचना के बेहतर अग्रसक्रिय प्रकटीकरण के संबंध में अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकती है तथा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यों के प्रकटीकरण के माध्यम से शासन में ईमानदारी रखने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

1.3. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

{Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC) की कार्यप्रणाली को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- **वर्ष 2017 में** जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय **"ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन (GANHRI)"** द्वारा NHRC को अपने कर्मचारियों के मध्य लैंगिक संतुलन और बहुलता सुनिश्चित करने में आयोग की विफलता तथा अपने सदस्यों के चयन में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण **A-ग्रेड प्रत्यायन प्रदान नहीं किया** गया था।
    - हालांकि, फरवरी 2018 में, GANHRI द्वारा NHRC (भारत में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था) को पुन: A-ग्रेड प्रत्यायन प्रदान किया गया था।
- **कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इस अधिनियम में संशोधन करने की मांग** की गई है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों (पद हेतु मौजूदा पात्रता संबंधी मानदंडों के कारण) का सामना करना पड़ रहा है।

हालिया संशोधन का महत्व

- प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्य आयोगों, दोनों को मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अपनी **स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद एवं व्यापक कार्यप्रणाली** के संबंध में पेरिस सिद्धांतों के अधिकाधिक अनुपालन में सक्षम बनाएंगे।
- **रिक्तियों को भरना: रिक्त पदों को भरने के लिए** पैनल में नियुक्ति हेतु **आयु सीमा कम कर** दी गई है। संशोधन द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
- **सिविल सोसायटी को शामिल करने संबंधी शर्तों को अनुकूल बनाना:** आयोग की संरचना में सिविल सोसाइटी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

VISION IAS

- **पहुँच को आसान बनाना:** केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक अब दिल्ली में अपील करने के बजाय आस-पास के राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील कर सकते हैं।

1993 के मूल अधिनियम में संशोधन

प्रावधान	1993 का मूल अधिनियम	2019 का संशोधित अधिनियम
NHRC की संरचना	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। • मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC के सदस्यों के रूप में **दो** वैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। • मूल अधिनियम के अनुसार, विभिन्न आयोगों, जैसे- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं।	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, **उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश** NHRC का अध्यक्ष होगा। • संशोधन के माध्यम से **तीन** सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, **जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।** • संशोधित अधिनियम के अनुसार, NHRC के पदेन सदस्यों के रूप में **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त** को भी शामिल किया गया है।
राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission: SHRC) का अध्यक्ष	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को SHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।	• इस संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि SHRC के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा।
पदावधि (Term of office)	• मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC और SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। • इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि, NHRC और SHRC के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति किया जा सकता है।	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, कार्यकाल की अवधि को कम करके **तीन वर्ष** या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर दी गई है। • संशोधित अधिनियम के द्वारा **पांच वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।**
केंद्र शासित प्रदेश		इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक SHRC के मानवाधिकार संबंधी कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। दिल्ली के मामले में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों का निपटारा NHRC द्वारा किया जाएगा।

एक संस्था के रूप में NHRC: एक विश्लेषण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को **कश्मीर में मानवाधिकारों के अत्यधिक उल्लंघन के मामलों की** आलोचना की पृष्ठभूमि में वर्ष 1993 में स्थापित किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के **अभिरक्षक (protector), परामर्शदाता (advisor), परिवीक्षक (monitor) और**

VISION IAS

शिक्षक (educator) के रूप में चार महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संपादन करता है। आयोग को विशेषतया सरकारी तंत्र द्वारा किए गए **अधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र रूप से जांच करने** का कार्य सौंपा गया है।

इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए, इसे सभी मानवाधिकारों **(नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक) को शामिल करते हुए** एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यापक-विस्तृत अधिदेश प्रदान किया गया है।

हालांकि आयोग के कार्यसंचालन के संदर्भ में, निम्नलिखित चिंताओं को व्यक्त किया गया है:

- **अवसंरचना का अभाव:** वर्ष 2017 में, NHRC ने स्वीकार किया कि 1995 से 2015 के मध्य शिकायतों में 1455 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, इसी अवधि में उसके कर्मचारियों की संख्या में 16.94 प्रतिशत की कमी हुई है। आयोग के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में स्वीकार किया है कि वर्तमान कार्मिक क्षमता के साथ, **यह एक वर्ष में 100 से अधिक मामलों की जांच नहीं कर सकता है।**
- **हित संघर्ष:** NHRC के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारी अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आते हैं, जिनके स्थानांतरित होने अथवा बदलते रहने से आयोग में कार्मिक अभाव निरंतर परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, जांच करने वाले अधिकारी सामान्यतया उन्हीं विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं जिन पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है तथा इन अधिकारियों को अनिवार्य रूप अपने मूल पद पर पुन: आसीन होना होता है, जिससे हित-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **इसके कार्यक्षेत्र का सीमित होना:** अतिरेक पुलिस कार्यवाही के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में, NHRC ने स्वयं को **पुलिस द्वारा हिरासत में मृत्यु, बलात्कार और यातना** तक ही सीमित किया है तथा आतंकवाद एवं उग्रवाद से संबंधित यातना के मामलों से संबद्ध होने से स्वयं को निरुद्ध किया है। सिविल सोसाइटी समूहों का तर्क है कि NHRC उच्च **राजनीतिक दावों** के मामलों को न उठाकर अपनी स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक प्रकट करने में विफल सिद्ध हुआ है।
- **स्वायत्तता और सरकार के हस्तक्षेप से संबंधित प्रश्न:** NHRC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की अनुशंसाओं पर **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है। ज्ञातव्य है कि इस व्यवस्था से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इसकी क्षमता के विषय में कई लोगों में संशय उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, **NHRC की अनुशंसाएं सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं हैं।**
  - NHRC केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामलों का संज्ञान लेता है, न कि जमीनी स्तर पर अपने कार्य के माध्यम से।
- **राज्यों से सहयोग में कमी:** NHRC का क्षेत्राधिकार सीमित है, क्योंकि राज्य सरकारें इसके साथ सहयोग नहीं करती हैं। वर्ष 2017 में, उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए एक शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया कि राज्यों द्वारा इसके निर्देशों का अनुपालन उदासीनता से किया जाता है, जिसमें कई कमियां दृष्टिगोचर होती हैं, **जैसे- अस्पष्टीकृत विलंब, अल्प गुणवत्तायुक्त रिपोर्ट और अस्पष्ट दस्तावेज।**
- **अभियुक्तों को सजा देने की कोई शक्ति नहीं:** यद्यपि NHRC द्वारा अनुशंसित 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में पीड़ितों को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, परन्तु आयोग को दोषियों को सजा दिलाने में अत्यल्प सफलता ही प्राप्त हुई है। हालाँकि, NHRC अपनी अनुशंसाएं स्वीकार न होने पर उच्चतम न्यायालय में **याचिका दायर** कर सकता है। उदाहरण के लिए: गुजरात के वर्ष 2002 के गोधरा दंगों के कुछ गंभीर मामलों की जांच के लिए एक **विशेष जांच दल (SIT)** का गठन किया गया था।
- **सीमित न्यायिक शक्तियां:**
  - **सशस्त्र बलों के संबंध में शक्तियां:** NHRC को **सशस्त्र बलों से संबद्ध मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।** NHRC एक उल्लंघन से संबंधित मामले की शिकायत प्राप्त होने अथवा मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए रक्षा मंत्रालय को केवल प्रश्न संप्रेषित कर सकता है तथा इसके आधार पर अनुशंसाएं कर सकता है।
  - इससे आयोग AFSPA {सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम) वाले राज्यों (जम्मू-कश्मीर और मणिपुर) में असक्षम हो जाता है। ज्ञातव्य है कि इन राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सर्वाधिक हैं। **NHRC का विचार है कि AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिए।**

NHRC की सफलताएं

आयोग ने गठन के पश्चात् से ही कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए हैं और अपनी समीक्षाओं, रिपोर्टों व अनुशंसाओं के माध्यम से **जेल के कैदियों, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के रोगियों, बंधुआ मजदूरों, नि:शक्त जनों, महिलाओं और बच्चों तथा देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित लोगो** से संबंधित मुद्दों को उठाया है।

VISION IAS

- **NHRC द्वारा राज्यों में न्यायिक और नैतिक जांच का संपादन:** उदाहरणार्थ- आयोग ने **'मुठभेड़ के दौरान हुई हत्याओं' और हिरासत में हुई मौतों की घटनाओं** पर निरंतर निगरानी रखी है। इसने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस की कार्रवाई में होने वाली प्रत्येक मृत्यु की सूचना **घटना के 48 घंटे के भीतर** NHRC को प्रेषित करनी अनिवार्य है।
- इसने आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (TADA) और आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA) जैसे **कानूनों के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया** क्योंकि इन अधिनियमों का दुरुपयोग होने और इनके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की संभावनाएं विद्यमान थीं।
- **विस्तृत पहुंच:** विगत वर्षों से NHRC के अस्तित्व और कार्य के बारे में जागरूकता बढ़ने से लोगों के मध्य इसकी पहुँच में वृद्धि हुई है। आयोग के अनुमान के अनुसार, वर्ष 1993-94 में प्राप्त 169 शिकायतों की तुलना में NHRC को वर्ष 2002-2003 में 68,713 वर्ष 2007-2008 में एक लाख और वर्ष 2015-16 में 1,17,808 शिकायतें प्राप्त हुईं।
- मीडिया रिपोर्टों अथवा सूचना के अन्य स्रोतों के आधार पर **मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वत: संज्ञान लेना** तथा उनकी जांच करना। उदाहरण के लिए, NHRC ने लगभग 40,000 रोहिंग्या प्रवासियों के नियोजित निर्वासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया तथा मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
- उल्लेखनीय है कि NHRC ने अपने गठन के तुरंत पश्चात्, वर्ष 1994 में **अरुणाचल प्रदेश में चकमा समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।**
- **अपने दायरे / जनादेश को बढ़ाना:** आयोग लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकारों के भौतिक उल्लंघन से भी आगे निकल गया है - जैसा कि **ओडिशा के कालाहांडी, बोलनगीर तथा कोरापुट क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धनता और भुखमरी** के मामलों में परिलक्षित हुआ है।

आगे की राह

- यद्यपि NHRC का सबसे महत्वपूर्ण योगदान देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में वार्ताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है, तथापि भविष्य में इसकी भूमिका व्यवसाय और मानवाधिकार, मानवाधिकारों पर पर्यावरणीय प्रभाव तथा LGBT अधिकारों जैसे नव उभरते मुद्दों के प्रति विविधिकृत हो जाएगी।
- इसलिए इस संशोधन को NHRC को एक स्वायत्त निकाय के रूप में सुदृढ़ करने के लक्ष्य की ओर एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
- मानवाधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व है, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों द्वारा रेखांकित किया गया है, जिनमें से अधिकांश का भारत हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है।

1.4. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

{The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित न्याय-निर्णयन को सुव्यवस्थित करने और वर्तमान विधिक एवं संस्थागत संरचना को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित विवाद लंबे समय से अनसुलझे बने हुए हैं।
  - गिरते भूजल स्तर, नदियों के सूखने और जल की बढ़ती मांग के कारण कई राज्यों के मध्य लंबे समय से कानूनी विवाद विद्यमान हैं।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम** के तहत, एक राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि वह अंतर्राज्यीय नदी विवाद को न्याय-निर्णयन हेतु एक अधिकरण को संदर्भित करे।
  - यदि केंद्र सरकार का यह मत है कि विवाद को परस्पर वार्ताओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर विवाद के न्याय-निर्णयन हेतु जल विवाद अधिकरण का गठन करना आवश्यक है।
- वर्षों से, राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे से संबंधित मामलों की सुनवाई करने हेतु कई जल विवाद अधिकरणों का गठन किया गया है। लेकिन ये अधिकरण विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं।

प्रमुख प्रावधान

- **विवाद समाधान समिति (Disputes Resolution Committee: DRC):** केंद्र सरकार द्वारा विवादों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व DRC की स्थापना की जाएगी। इस समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विवादों को एक वर्ष (हालांकि, इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर वार्ता के माध्यम से हल करे और इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
    - यदि किसी विवाद को DRC द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार इसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण को संदर्भित करेगी।
- **एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। इस अधिकरण के अलग-अलग खंडपीठ (bench) हो सकते हैं।
    - सभी मौजूदा अधिकरणों को भंग कर दिया जाएगा तथा ऐसे मौजूदा अधिकरणों के समक्ष लंबित जल विवादों को नए अधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **अधिकरण की संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे।
    - इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
    - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का होगा।
    - केंद्र सरकार, कार्यवाही के दौरान खंडपीठ को सलाह देने के लिए सेंट्रल वॉटर इंजीनियरिंग सर्विस के दो विशेषज्ञों को असेसर (assessors) के रूप में नियुक्त कर सकती है।
    - निर्धारक (असेसर) को उस राज्य से नहीं होना चाहिए, जो उस विवाद में शामिल एक पक्षकार है।
- **अधिकरण को निर्णय लेने के लिए प्रदत्त समय (Timeline):** प्रस्तावित अधिकरण को दो वर्ष के भीतर विवाद पर अपना निर्णय देना होगा। इस अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- **अधिकरण का निर्णय:** अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस विधेयक के द्वारा सरकारी गजट में फैसले के प्रकाशन की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह अधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना-निर्माण करना अनिवार्य बनाता है।
- **डाटा संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और अधिकृत एक एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक नदी बेसिन से संबंधित डाटा का संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव किया जाएगा।

संशोधन के लाभ

- **प्रक्रिया को गति प्रदान करना:** क्योंकि न्यायाधीशों, असेसर और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधी कार्यों में कमी आएगी, जिसके कारण पूर्व में अधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया विलंबित हो जाती थी। इसके अतिरिक्त, एक निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत न्याय-निर्णयन का कार्य संपन्न हो पाएगा।
- **सतत मूल्यांकन:** डाटाबैंक के रखरखाव के कारण नदी बेसिनों का सतत मूल्यांकन संभव हो सकता है। यह न केवल एक विशेष विवाद से संबंधित नदियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, बल्कि उनका उपयोग अन्य सभी नदी बेसिनों के संबंध में किया जा सकता है।

संशोधन से संबंधित मुद्दे

- **केंद्रीकरण का भय:** तमिलनाडु और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य विद्यमान जल विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु अधिक शक्तियों के विनियोग के संबंध में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्तियों को नामित (अधिकरण में नियुक्ति) करने के बजाय, अब केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के माध्यम से इस प्रकार की नियुक्तियां की जाएंगी।
- स्थायी अधिकरण की खंडपीठों का गठन आवश्यकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि ये अस्थायी खंडपीठ वर्तमान प्रणाली से किस प्रकार भिन्न होंगी।
- **निर्णय अभी भी अंतिम नहीं होंगे:** जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था कि वह ISWDA के तहत स्थापित जल अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है।
- **अधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु संस्थागत तंत्र अभी भी अस्पष्ट हैं।**

जल से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 262 (1):** संसद, विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के या उसके जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकती है।

VISION IAS

- **अनुच्छेद 262 (2):** संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 262 के तहत, निम्नलिखित दो अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं:
  - **नदी बोर्ड अधिनियम 1956:** इसे इस आधार पर अधिनियमित किया गया था कि केंद्र को लोक हित में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास को नियंत्रित करना चाहिए। हालांकि, अब तक एक भी नदी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
  - **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम):** यह अधिनियम ऐसे विवादों के समाधान हेतु अधिकरणों का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। यह ऐसे विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी इससे पृथक करता है।
- **अनुच्छेद 262** के बावजूद, जल विवादों का न्याय निर्णयन करना उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, बशर्ते कि पक्षकार द्वारा पहले जल अधिकरण के समक्ष अपील की गई हो और तत्पश्चात यदि उन्हें प्रतीत होता है कि निर्णय संतोषजनक नहीं है तो उनके द्वारा **अनुच्छेद 136** के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
  - यह अनुच्छेद भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित आदेश, डिक्री या निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

मौजूदा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 से संबंधित मुद्दे:

- प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक **पृथक अधिकरण** की स्थापना।
- ऐसे विवादों के निपटारे में लगने वाला अत्यधिक समय। कावेरी और रावी-ब्यास जैसे अधिकरण बिना किसी अंतिम निर्णय के क्रमशः 26 और 30 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में हैं।
  - न्याय-निर्णयन के लिए कोई **समय सीमा निर्धारित नहीं** है। वास्तव में, विलंब अधिकरणों के गठन के स्तर पर भी होता है।
- अधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु पर्याप्त तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है।
- **समान मानकों का अभाव:** जिन्हें इस प्रकार के विवादों को हल करने में लागू किया जा सकता है।
- **पर्याप्त संसाधनों का अभाव:** मामले के तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने हेतु भौतिक और मानव दोनों संसाधनों का अभाव।
- **सेवानिवृत्ति या पद संबंधी मुद्दा:** अधिकरणों के अध्यक्ष के संबंध में उल्लिखित।
- **अंतिम निर्णय से संबंधित मुद्दा (Issue of finality):** किसी भी पक्ष के विरुद्ध अधिकरण स्थापित करने की स्थिति में, उस पक्ष द्वारा शीघ्र ही मामले के निवारण हेतु उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। आठ अधिकरणों में से केवल तीन ने राज्यों द्वारा स्वीकार्य निर्णय प्रदान किए हैं।

आगे की राह

- **अंतर्राज्यीय परिषद (ISC)** विवादों के समाधान हेतु वार्ता और चर्चा को सुविधाजनक बनाने में एक उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
- **जल को समवर्ती सूची में शामिल करना:** जैसा कि मिहिर शाह रिपोर्ट द्वारा सिफारिश की गई है कि नदियों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। जल संसाधन पर एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था।
- **नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना:** यह कदम वैसे राज्यों की प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकता है, जो नदी जल को नियंत्रित करना अपना अधिकार मानते हैं। जल विवादों का **राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए** और इसे क्षेत्रीय प्रतिष्ठा से संबंधित भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जल कुशल फसलों और किस्मों को बढ़ावा देने वाले नीतिगत उपायों को अपनाकर फसल प्रतिरूप के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता है।
- **नदियों को परस्पर जोड़ना:** यह बेसिन क्षेत्रों में नदी जल के पर्याप्त वितरण में सहायता कर सकता है।

1.5. संसदीय स्थायी समितियाँ

(Parliamentary Standing Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के विगत सत्र में, सभी विधेयकों को संसदीय स्थायी समितियों की **संवीक्षा के बिना** ही पारित कर दिया गया था।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- **संसदीय समितियाँ,** विभिन्न संसदीय कार्यों में सहायता हेतु एक उपकरण के तौर पर गठित की जाती हैं। इन्हें **स्थायी समिति** और **तदर्थ समिति (अस्थायी)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्थायी समितियाँ प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं और नियमित रूप से कार्य करती हैं।
- हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के उपरांत अस्तित्व में आई 17वीं लोकसभा में अभी तक संसदीय स्थायी समितियों का **गठन नहीं हो पाया** है, क्योंकि इस हेतु राजनीतिक दलों के मध्य अभी भी परामर्श जारी है। इसके परिणामस्वरूप सभी विधेयक इन **समितियों की संवीक्षा के बिना ही पारित किए** गए हैं।
    - PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 16वीं लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयकों में से केवल 25% को ही समितियों को संदर्भित किया गया था, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में क्रमशः 71% और 60% विधेयकों को इन्हें संदर्भित किया गया था।

स्थायी समिति प्रणाली का महत्व

- **विस्तृत संवीक्षा और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना:** वर्तमान में आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जिम्मेदारी एवं जटिलता और संसद के सत्रों में समयाभाव आदि के कारण संसद, कार्यपालिका की जवाबदेही को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में असमर्थ सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रेरित विघटनकारी परिवर्तनों ने भी नीतिगत चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी और संस्थागत संरचनाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
    - ऐसे में, स्थायी समितियाँ सरकारी नीतियों की संवीक्षा कर संसद की क्षमता में वृद्धि करती हैं और विधायिका में सूचित वाद-विवाद के माध्यम से कार्यपालिका को इसके प्रति जवाबदेह बनाए रखती हैं।
    - साथ ही, ये सरकार के विभिन्न विभागों के लिए किए गए बजटीय आबंटन और नीतियों की भी संवीक्षा करती हैं।
    - कुछ **प्रमुख समितियाँ** निम्नलिखित हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, विभागीय स्थायी समितियाँ आदि।
- **गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना:** इन समितियों द्वारा "गुप्त" बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहाँ सदस्य दलीय व्हिप के निर्णयों हेतु बाध्य नहीं होते हैं। इसके कारण सदस्य विचारों का सार्थक तरीके से आदान-प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों सदनों में विपक्ष और अन्य सदस्यों को कार्यपालिका पर अधिकाधिक नियंत्रण बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती हैं।
- **संबंधित हितधारकों से संलग्नता:** ये समितियाँ जिन विषयों की संवीक्षा करती हैं, उनके संबंध में नियमित रूप से नागरिकों और विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए, विमुद्रीकरण के विषय पर वार्ता करने हेतु वित्तीय समिति ने RBI के गवर्नर को समन जारी किया था।
    - वे एक तरफ संसद और नागरिकों के मध्य, तो दूसरी तरफ प्रशासन और संसद के मध्य एक योजक कड़ी का कार्य करती हैं।
- **वित्तीय विवेक (Financial Prudence):** यह प्रणाली सार्वजानिक व्यय में मितव्ययिता और दक्षता सुनिश्चित करती है, क्योंकि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी मांगों को निरुपित करने में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना विधेयक पारित कराने के निहितार्थ

- स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना पारित विधेयकों में **समग्रता और दूरदर्शिता का अभाव** हो सकता है। ऐसे अधिनियमों को बारंबार संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है और मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
- ये विधायिका की **संवीक्षा से बचने वाले** अन्य तरीकों, यथा- गिलोटिन, अध्यादेशों का बारंबार प्रख्यापन आदि के प्रयोग को भी प्रेरित करती हैं।
- इस प्रकार, ये सभी कदम कार्यपालिका पर संसद **के विस्तृत, सतत, गहन और व्यापक नियंत्रण** की अनुमति नहीं देते हैं।

स्थायी समितियों से संबंधित अन्य मुद्दे

- **सदस्यों की मामूली उपस्थिति:** समिति की बैठकों में सदस्यों की कम उपस्थिति सदैव चिंता का विषय रहा है। ज्ञातव्य है कि यह उपस्थिति 2014-15 के उपरांत लगभग 50% ही रही है।
- **सदस्यों का लघु कार्यकाल:** एक वर्ष की अवधि के लिए DRSCs (विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां) का गठन, विशेषज्ञता अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **समिति की रिपोर्ट पर चर्चा का अभाव:** चूंकि इन समितियों की प्रकृति अनुशंसात्मक होती है, अतः इनकी रिपोर्ट्स पर संसद में चर्चा नहीं होती है। केवल विधेयकों पर चर्चा के दौरान इनका सन्दर्भ प्रस्तुत किए जाने की प्रथा बनी हुई है।

VISION IAS

- **विशेषज्ञता का अभाव:** समिति के सदस्यों के पास लेखांकन और प्रशासनिक सिद्धांतों जैसी आने वाले विशिष्ट विषयों की जटिलताओं को समझने हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है।
- **कार्यवाही का राजनीतिकरण:** कुछ मुद्दों पर अत्याधिक लीक हित प्रदर्शित करने के बावजूद भी सदस्यों द्वारा बैठकों में दलीय पूर्वाग्रहों के अनुसार व्यवहार किया जाता है।

आगे की राह

- मसौदा कानूनों की गुणवत्ता में सुधार करने और संभावित कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने हेतु समिति की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। कार्यपालिका पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने हेतु, संसदीय समितियों को एक सुविचारित निकाय के रूप में स्थापित करना समय की आवश्यकता है।
- संसदीय स्थायी समितियों के माध्यम से सभी विधानों की अनिवार्य संवीक्षा को एक परिपाटी (convention) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सरकार को समितियों द्वारा विचार नहीं किए गए विधेयकों पर मतदान नहीं करवाना चाहिए।

1.6. दल-परिवर्तन विरोधी कानून

(Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधान सभा के बागी विधायकों के मामले में दो महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दोनों दिशा-निर्देशों का दल-परिवर्तन विरोधी कानून पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

दल-परिवर्तन विरोधी कानून

- दल-परिवर्तन विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में समाविष्ट किया गया है। इसे संसद द्वारा वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया था।
- **कारण:** भारतीय राजनीतिक परिदृश्य विधायिका के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल -परिवर्तनों के कारण विकृत हो गया था। सांसद/विधायक निरंतर दल-परिवर्तन करने में संलग्न हो गए थे, जिससे प्रायः राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान हो जाती थी। इस प्रकार, यह देश के सुविज्ञ राजनीतिज्ञों के समक्ष एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था।
- इस कानून के अनुसार, संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदस्य को निरर्हित किया जा सकता है, यदि वह:
  - **अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग करता/करती है;**
  - अपने दल के व्हिप (सचेतक) के आदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता/करती है या मतदान से विरत/अनुपस्थित रहता/रहती है;
  - यह उन स्वतंत्र सदस्यों अथवा मनोनीत सदस्यों, जो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, पर भी लागू होता है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, इस कानून के अंतर्गत दो अन्य महत्वपूर्ण खंड भी हैं, यथा:
  - इस नियम के अंतर्गत एक अपवाद यह है कि, यदि सदन में एक विशिष्ट राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें इस कानून के तहत निरर्हित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में जिन्होंने दल परिवर्तन किया है और साथ ही जिन्होंने दल परिवर्तन नहीं किया है, दोनों को निरर्हता से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा अपवाद, एक मूल दल का किसी अन्य दल में विलय से संबंधित है।
- सदस्यों की निरर्हता के विषय में निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति में निहित है।

कर्नाटक का मामला

- सतारूढ़ जनता दल (सेक्युलर)-कांग्रेस गठबंधन के कुछ विधायकों ने जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह में अध्यक्ष के समक्ष अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया था। यदि उन विधायकों के त्याग-पत्रों को स्वीकृत कर लिया जाता, तो कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन सदन से बहुमत से वंचित हो जाता। इस कारण, यह आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्रों के स्वीकरण में विलंब किया जा रहा था।
- इस घटनाक्रम ने विधायकों को अपने त्याग-पत्रों के स्वीकरण में किए जा रहे विलंब के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर

VISION IAS

करने पर विवश किया था।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- प्रथम, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को 15 विधायकों के त्याग-पत्रों पर एक निर्धारित समयावधि में निर्णय लेने हेतु आदेश देने से मना कर दिया।
- द्वितीय, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त 15 विधायकों को सदन की प्रक्रियाओं में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि, विधायकों को उनके संबंधित दल के व्हिप (सचेतक) द्वारा विश्वास मत में भाग लेने हेतु विवश नहीं किया जा सकता।

दल परिवर्तन से संबद्ध हालिया मामलें

- हाल ही में, गोवा में कांग्रेस पार्टी के 15 विधायक BJP में शामिल हो गए थे। चूँकि, यह वस्तुत: दो-तिहाई सदस्यों का विलय था, अत: उन्हें दल-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत निरर्ह घोषित नहीं किया गया।
- हाल ही में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के 18 में से 12 विधायक (उपर्युक्त खंड के तहत) TRS (तेलंगाना राष्ट्र समिति) में शामिल हो गए थे।
- इसी प्रकार, राज्यसभा में TDP (तेलुगू देशम पार्टी) के छह में से चार सांसदों ने अपने दल का त्याग कर BJP की सदस्यता ग्रहण की।

दल-परिवर्तन विरोधी कानून के लाभ एवं हानि

लाभ	हानि
यह दल के प्रति निष्ठा के स्थानांतरण की रोकथाम के द्वारा सरकार को स्थायित्व प्रदान करता है।	सांसदों को दल-परिवर्तन से निरुद्ध कर यह संसद और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेहिता को कम करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि दल के समर्थन के कारण और दल के घोषणा-पत्रों के आधार पर निर्वाचित प्रत्याशी दल की नीतियों के प्रति निष्ठावान बने रहें। यह दलीय अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है।	यह दल की नीतियों के विरुद्ध मतभेदों को नियंत्रित करके सदस्यों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।

दल-परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे

- **क्या वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को दसवीं अनुसूची द्वारा संक्षिप्त किया गया है: किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद** (Kihota Hollohon vs. Zachilhu and Others) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ये प्रावधान संसद और राज्य विधान-मंडलों में लोकतांत्रिक अधिकारों को विनष्ट नहीं करते हैं। यह कानून सांसदों/विधायकों के अंत:करण की आवाज को ठेस नहीं पहुंचाता है। इस कानून के प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों 105 और 194 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते।
- **क्या केवल स्वेच्छा से दिए गए त्याग-पत्र से एक राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त हो जाती है:** इस कानून में यह प्रावधान है कि, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से सदस्यता का त्याग करता है तो उसे निरर्ह घोषित किया जाएगा। **रवि एस. नायक बनाम भारत संघ वाद** में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या की थी कि सदस्य द्वारा प्रदत्त एक औपचारिक त्याग-पत्र की अनुपस्थिति में, सदस्यता के इस प्रकार के परित्याग से उसके आचरण का अनुमान लगाया जा सकता है। **जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा वाद** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जिन सदस्यों ने अपने दल का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था या किसी अन्य दल हेतु सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त किया था, उनके इस आचरण को उनका त्याग-पत्र समझा जाए।
    - कर्नाटक मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिन विधायकों ने अपना त्याग-पत्र सौंपा है, उन्हें संबंधित दल के व्हिप द्वारा विश्वास मत में भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
- व्यक्तिगत दल परिवर्तन और सामूहिक दल-परिवर्तन के मध्य इसका विभेदन तर्कसंगत नहीं है। दूसरे शब्दों में 'यह क़ानून व्यक्तिगत दल परिवर्तन को तो प्रतिबंधित करता है, किन्तु सामूहिक (दो-तिहाई सदस्यों द्वारा) दल परिवर्तन को वैध घोषित करता है।

- निर्णय निर्माण हेतु पीठासीन अधिकारी को प्राधिकृत करने वाले इसके प्रावधान की निम्नलिखित दो आधारों पर आलोचना की गई है:
  - प्रथम, पीठासीन अधिकारी राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण अपने इस प्राधिकार का निष्पक्ष (impartial) और वस्तुनिष्ठ (objective) रीति में प्रयोग नहीं कर सकता।
  - द्वितीय, उसमें मामलों पर न्यायनिर्णयन हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा के पूर्ववर्ती दो अध्यक्षों (रबी राय- 1991 तथा शिवराज पाटिल- 1993) द्वारा दल-परिवर्तन से संबंधित मामलों पर अधिनिर्णयन हेतु अपनी उपयुक्तता पर स्वत: ही संदेह प्रकट किया गया था।
- एक स्वतंत्र और एक मनोनीत सदस्य के मध्य इसका विभेदन संदेहास्पद है। यदि स्वतंत्र सदस्य किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे निरर्ह घोषित कर दिया जाता है जबकि मनोनीत सदस्य को इस प्रावधान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।
- **क्या पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है?:** इस कानून में आरम्भ में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है। वर्ष 1992 में **किहोतो होलोहान वाद** में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को निरसित कर दिया गया था तथा यह निर्णय दिया गया था कि पीठासीन अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। परन्तु, यह भी कहा गया था कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश जारी नहीं करता तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
  - वर्ष 2015 में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के पश्चात् हस्तक्षेप करना अस्वीकृत कर दिया था। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा दल-परिवर्तन कानून के तहत एक सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब किया जा रहा था।
- **विनिश्चय हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए समय सीमा:** यह कानून निरर्हता संबंधी एक याचिका पर निर्णय लेने हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समयावधि निर्दिष्ट नहीं करता है। हालांकि, अनेक मामले मौजूद हैं जहां न्यायालयों द्वारा ऐसी याचिकाओं के मामले में निर्णय लेने पर अनावश्यक विलंब के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है।
  - हालिया कर्नाटक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को 15 विधायकों के त्याग-पत्रों पर एक निर्धारित समयावधि में निर्णय लेने हेतु आदेश देना अस्वीकृत कर दिया था।

विभिन्न समितियों द्वारा की गई अनुशंसाएं

विविध समितियों द्वारा दल-परिवर्तन कानून में निहित दोषों के निराकरण हेतु भिन्न-भिन्न अनुशंसाएं की गई हैं, यथा:

- **चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** ने यह सुझाव दिया था कि निरर्हता संबंधी मुद्दे का विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया कि निरर्हता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां एक सदस्य विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान से अनुपस्थित रहता है या दल के व्हिप के आदेश के विरुद्ध मतदान करता है।
- **दल-परिवर्तन विरोधी कानून पर हालिम समिति (1998)** द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि-
  - 'किसी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग' पद को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
  - निष्कासित सदस्यों पर किसी अन्य दल में शामिल होने या सरकार में कोई पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध जैसे निषेध आरोपित किए जाने चाहिए।
  - राजनीतिक दल पदावली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **विधि आयोग (1999)** के अनुसार विलय को निरर्हता से छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- **संविधान समीक्षा आयोग (2002)** ने यह सुझाव दिया था कि बागी सदस्यों को सार्वजनिक पद धारण करने से वंचित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में दल-परिवर्तन विरोधी कानूनों की विद्यमानता यह संकेत देती है कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी अपने विकास के चरण में है तथा सांसदों/विधायकों को लोकतंत्र के सिद्धांतों का अल्प ज्ञान है और वे मौद्रिक या राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की ओर अत्यधिक प्रवृत्त हैं।
- राजनीतिक दलों को अपने नेतृत्व के चयन में अधिक लोकतांत्रिक बनाने हेतु लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में अनिवार्य संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रावधान के समावेशन हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है कि केवल एक राजनीतिक दल द्वारा अंत:दलीय लोकतंत्र के अनुसरण में व्हिप द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन ही सांसद/विधायक की निरर्हता को अपरिहार्य बनाएगा।

VISION IAS

1.7. राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण

(State Funding of Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्यसभा में 'लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक' प्रस्तावित किया गया। यह एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक था, जिसमें उम्मीदवार के चुनावी व्यय पर आरोपित उच्चतम सीमा को हटाने और चुनावों को राज्य द्वारा वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण क्या है?

इसका अर्थ यह है कि, चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तिगत व्यय करने के स्थान पर सरकार द्वारा राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और चुनाव संबंधी अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण के पक्ष में तर्क

- यह कम संसाधनों वाले **दलों और उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर** सृजित करता है।
- यह **कॉर्पोरेट या निजी धन पर निर्भरता को कम** करने में सहायता करता है।
- सभी को 'एक समान न्यूनतम फंड (फ्लोर लेवल फंड)' प्रदान करने वाली राज्य वित्तपोषण योजना **छोटे और नए राजनीतिक प्रतिभागियों के लिए अत्यधिक सहायक** हो सकती है।
- जो उम्मीदवार निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएंगे, वे **अभिशासन प्रदान करने में भी पारदर्शी और जवाबदेह** होंगे।
- राज्य द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व की मांग को प्रोत्साहित** किया जा सकता है।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण के विपक्ष में तर्क

- **राज्य द्वारा वित्तपोषण, राजनीतिक नेताओं और सामान्य नागरिकों के मध्य अंतराल में वृद्धि करता है,** क्योंकि राजनीतिक दल धन जुटाने के लिए नागरिकों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
- यदि पूर्ण या आंशिक मात्रा में राजनीतिक दलों की आय स्वैच्छिक स्रोतों के बजाए सीधे राज्य से आती है, तो **राजनीतिक दलों पर उनकी स्वतंत्रता बाधित होने का जोखिम रहता है, क्योंकि वे राज्य के अंग बन जाते हैं**, जिससे नागरिक समाज से उनका संबंध टूट जाता है।
- राज्य द्वारा वित्तपोषण से **गैर-गंभीर उम्मीदवार** भी केवल राज्य निधियों का लाभ उठाने हेतु **राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश** करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण भी राजनीतिक दलों को पैरवी करने और अतिरिक्त रूप से अघोषित धन प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण पर विभिन्न समितियाँ

- **राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** इसके अनुसार राज्य द्वारा केवल पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य दलों का वित्तपोषण किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार यह वित्त-पोषण केवल गैर-मौद्रिक (in kind) रूप में दिया जाना चाहिए।
- **चुनावी कानूनों में सुधार पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट (1999):** इसने राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन किया। लेकिन इस समिति ने पहले आंतरिक चुनाव, लेखा प्रक्रिया आदि सुनिश्चित करने वाले एक सुदृढ़ नियामकीय ढांचे की सिफारिश की थी।
- **संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2001):** इसने राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन नहीं किया, लेकिन 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, राजनीतिक दलों के नियमन के लिए उपयुक्त ढांचे को राज्य वित्तपोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता व्यक्त की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008):** इसने भी चुनावों में "अवैध और अनावश्यक धन" के व्ययों को कम करने के उद्देश्य से चुनावों के राज्य द्वारा आंशिक वित्तपोषण की सिफारिश की।
- **निर्वाचन आयोग का मत:** निर्वाचन आयोग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि वह राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन नहीं करता है, हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा धन खर्च करने के तरीके में "मौलिक" सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्याशी का चुनावी खर्च

- भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवारों के लिए 70 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की थी।
- पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, सार्वजनिक बैठक, टेंट आदि से संबंधित व्ययों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। कानूनी सीमा के तहत उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्ययों का रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव के दौरान बनाए रखा जाता है।

VISION IAS

- सभी उम्मीदवारों को व्ययों के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है। सभी व्ययों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
    - गलत खाता संख्या के कारण अथवा उच्चतम सीमा से अधिक व्यय करने पर एक उम्मीदवार को तीन वर्षों के लिए निरर्ह घोषित किया जा सकता है।
- चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर परिणामों की घोषणा की तिथि तक, जिला प्रशासन द्वारा एक फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से राजनीतिक दलों के चुनावी व्ययों की निगरानी की जाती है।

उच्चतम सीमा के पक्ष में तर्क

- प्रचार अभियान में व्यय पर उच्चतम सीमा वस्तुतः चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करती है।
    - चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि अविनियमित या अल्प-विनियमित चुनावी वित्तपोषण के परिणामस्वरूप लॉबिंग और कैप्चर की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ बड़े दान दाताओं और राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के मध्य परस्पर गठजोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

उच्चतम सीमा के विपक्ष में तर्क

- **उम्मीदवार सही चुनावी व्यय की जानकारी प्रदान नहीं करते हैं:** कई उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले उच्चतम सीमा से भी अधिक व्यय के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
    - एक गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए व्ययों के विश्लेषण में पाया कि, भले ही उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा को बहुत कम और अवास्तविक बताते हुए शिकायत की हो, परन्तु 176 सांसदों (33%) द्वारा घोषित चुनावी व्यय उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के 50% से भी कम था।
- **राजनीतिक दलों को सम्मिलित नहीं किया जाता है:** हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने सरकार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में संशोधन करके लोक सभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के व्यय पर भी उच्चतम सीमा आरोपित करने की मांग की है।
- **उच्चतम सीमा का कोई विशेष महत्व नहीं है:** पारदर्शी तरीके से धन जुटाने वाले ईमानदार उम्मीदवार संसदीय चुनावों में 70 लाख रूपये से अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं, जबकि काले धन का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार अपने व्यय को सामान्यतः गुप्त ही रखते हैं।

निष्कर्ष

विश्व भर के कई सफल लोकतांत्रिक देशों द्वारा चुनावों के व्यापक या आंशिक राज्य वित्तपोषण को सफलतापूर्वक लागू किया है। भारत को भी काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण को लागू करना चाहिए। हालांकि, पूर्व में अधिकांश आयोगों द्वारा अनुशंसित, आंतरिक दलीय लोकतंत्र जैसे सुधारों को अपनाया जाना चाहिए।

1.8. भारत में निःशुल्क विधिक सहायता

(Free Legal Aid in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (NLUD) द्वारा **"विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता: भारत में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण (Quality of Legal Representation: An Empirical Analysis of Free Legal Aid Services in India)"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

नि:शुल्क विधिक सहायता क्या है?

- **नि:शुल्क विधिक सेवा** के माध्यम से उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने **दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिए** एक वकील की सेवाओं और न्यायिक प्रक्रिया की लागत का वहन करने में असक्षम होते हैं।
- विधिक सहायता सेवाओं को वैश्विक स्तर पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं, सम्मेलनों, संहिताओं और समझौतों के तहत **मूल मानवाधिकार के एक भाग के रूप में** मान्यता प्रदान की गई है।
    - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 7, 8 और 10 में विधिक सहायता की परिकल्पना एक मानव अधिकार के रूप में की गई है।

VISION IAS

विधिक सेवाएं दो प्रकार की होती हैं:

- **पूर्व-मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) विधिक सेवाए:** इसमें विधिक शिक्षा, विधिक परामर्श, विधिक जागरूकता, पूर्व-मुकदमेबाजी का निस्तारण आदि सेवाएँ शामिल हैं। पूर्व-मुकदमेबाजी सेवाएं प्रदान करने के क्रम में सरकार विधिक महाविद्यालयों की स्थापना और विधिक संकायों तथा विधिक सहायता केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **मुकदमेबाजी-उपरांत (पोस्ट-लिटिगेशन) विधिक सेवाएं:** मुकदमेबाजी-उपरांत विधिक सेवाओं के अंतर्गत निर्धनों के लिए वकील की नियुक्ति, प्रक्रिया शुल्क की प्रतिपूर्ति, गवाहों संबंधी व्यय, न्यायालय शुल्क आदि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता हैं।

नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महिलाएं और बच्चे।
- SC / ST के सदस्य।
- औद्योगिक कामगार।
- मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति से पीड़ित।
- बड़े पैमाने पर आपदा, बाढ़, सूखा, हिंसा, भूकंप,औद्योगिक आपदा आदि से पीड़ित लोग।
- दिव्यांग जन।
- हिरासत में लिया गया व्यक्ति।

भारत में विधिक सहायता

- भारत में, नि:शुल्क विधिक सहायता अथवा नि:शुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार संवैधानिक रूप से गारंटीकृत एक अनिवार्य मूल अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त युक्तियुक्त, निष्पक्ष और न्यायोचित स्वतंत्रता का आधार तैयार करता है।
- वर्ष 1976 में, सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39A को अंत:स्थापित किया था। यह अनुच्छेद राज्य को उपयुक्त कानून, योजनाओं अथवा किसी अन्य विकल्प के द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित करता है।
- विधिक सहायता कार्यक्रमों को सांविधिक आधार प्रदान करने हेतु, संसद ने वर्ष 1987 में **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम** पारित किया।

विधिक सेवा अधिनियम, 1987

- इस अधिनियम को समाज के कमजोर वर्गों को अवसर की समानता हेतु नि:शुल्क और पर्याप्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने हेतु 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था।
- इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority: NALSA)** का गठन किया है।
    - **इस केन्द्रीय प्राधिकरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधान संरक्षक होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामित,** उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश को इसका **कार्यकारी अध्यक्ष** नियुक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है।
    - लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने हेतु, जिला एवं तालुका स्तर पर क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

NALSA के कार्य

- विधिक सेवा अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्मित करना।
- विधिक सहायता के कार्यान्वयन की निगरानी और आवधिक मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त निधि से संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सबसे प्रभावी और वहनीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना।
- इसके निस्तारण के लिए धन का उपयोग करना और राज्य एवं जिला प्राधिकरणों को धनराशि का उचित आवंटन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों या श्रमिक अधिवासों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना।

VISION IAS

- उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के कमजोर वर्गों के हितों से संबंधित सामाजिक न्याय के विषय पर आधारित वादों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वार्तालाप, सुलह और मध्यस्थता के तरीकों से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।
- निर्धनों के मध्य ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में विधिक सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- विशेषकर SC, ST, महिला, ग्रामीण और शहरी श्रमिकों हेतु जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों को अनुदान प्रदान करना।

भारत में विधिक सहायता सेवा तक पहुँच से संबद्ध मुद्दे

- **जागरूकता का अभाव:** इसके अभाव में निर्धनों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन होता है।
- **जूरी में सूचीबद्ध वकीलों की अल्प संख्या (Less number of empanelled lawyers):** राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative: CHRI) की एक हालिया रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि विधिक सहायता सेवा के लिए प्रति लाख जनसंख्या पर केवल पांच वकील उपलब्ध हैं।
- **मामलों की दीर्घकालिक विलंबता:** विधिक सहायता के लिए आवेदन करने और इस हेतु वकील आवंटन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर औसत दिनों का समय लग जाता है। राजस्थान में यह अवधि 48 दिनों तक हो सकती है।
  - इस संबंध में आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ वकील आवंटन में एक दिन से भी कम का समय लगता है। विधिक सहायता हेतु सर्वाधिक वकीलों की संख्या केरल (प्रति जिला 234) में है।
- **प्रति व्यक्ति व्यय:** भारत में विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल 0.75 (0.008 डॉलर) रुपया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह 23 डॉलर और अर्जेंटीना में 17 डॉलर है।
- **सेवा की गुणवत्ता:** ऐसी धारणा रही हैं कि नि:शुल्क सेवाएं गुणवत्ता के मामले में असंगत होती हैं। NLUD की हालिया एक रिपोर्ट में पाया गया है कि नि:शुल्क विधिक सहायता से लाभान्वित लगभग 75% लाभार्थी ऐसे थे, जिनके पास निजी विधिक सेवा का भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं थे। जबकि, केवल 8% ने ही गुणवत्तायुक्त विधिक सेवा परामर्श दाताओं का विकल्प चुना।
- **सेवा शुल्क:** सरकार द्वारा वकीलों को किया जाने वाला भुगतान बाजार दरों से कम होता है।
- **पुलिस स्टेशन पर विधिक सहायता का अभाव:** संविधान का अनुच्छेद 22, एक गिरफ्तार व्यक्ति को वकील प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी करता है, लेकिन पुलिस स्टेशनों पर विधिक सहायता करने हेतु कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है तथा राज्यों के पास भी ऐसी योजनाओं का अभाव है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **जन जागरूकता:** भारत में सफल विधिक सहायता वितरण के लिए सरकार को एक अभियान शुरू करना चाहिए, जिसके द्वारा लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता के अपने अधिकार के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाए।
- **सभी नामित वरिष्ठ वकीलों को शामिल करना:** वरिष्ठ वकीलों को विधिक सहायता योजनाओं में शामिल करना और उनसे प्रत्येक वर्ष कुछ मामलों में नि:शुल्क सेवा प्रदान करने का अनुरोध करना।
- **बेहतर भुगतान:** विधिक सहायता सेवाएँ प्रदान करने वाले वकीलों को बेहतर मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए।
- **पैरालीगल वालंटियर्स और वकीलों का पैनल:** चयन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ नियुक्त वकीलों की निगरानी की प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **नवाचारी विधिक सशक्तीकरण पहलों का समर्थन करना:** सरकार को नागरिक समाज द्वारा संचालित विविध नवाचारी पहलों का समर्थन करना चाहिए तथा साथ ही, विभिन्न विधिक महाविद्यालयों द्वारा विशिष्ट कानूनों के तहत चलाए जा रहे विधिक सहायता केंद्रों को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **ग्राहक फीडबैक:** विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के मापन का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।

1.9. भारत में माध्यस्थम

(Arbitration in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम** {New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Act} तथा **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम** {Arbitration and Conciliation (Amendment) Act} पारित किया गया।

VISION IAS

NDIAC अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution: ICADR)** के स्थान पर, NDIAC की परिकल्पना करता है।
- यह पेशेवर, लागत प्रभावी और समयबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम (arbitration), मध्यस्थता (mediation) और सुलह (conciliation) की कार्यवाही आयोजित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा माध्यस्थम के मामले में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
- इस केंद्र (NDIAC) के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - एक चैंबर ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से मान्यता प्राप्त माध्यस्थों (arbitrators), सुलहकर्ताओं (conciliators) और मध्यस्थों (mediators) का **पैनल** को बनाए रखना।
  - माध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए एक **आर्बिट्रेटर अकादमी** की स्थापना करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में **अध्ययन एवं सुधार को बढ़ावा देना।**
  - वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के साथ **सहयोग को बढ़ावा** देना।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में

- इसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम से निपटने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है।
- इसके तहत, **भारतीय माध्यस्थम परिषद (Arbitration Council of India: ACI)** नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी। इस निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे:
  - वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना;
  - माध्यस्थ संस्थानों (arbitral institutions) की ग्रेडिंग और माध्यस्थों (arbitrators) को मान्यता प्रदान करने हेतु नीतियां बनाना;
  - भारत और विदेशों में हुए माध्यस्थ निर्णयों की एक डिपॉजिटरी का निर्माण करना; तथा
  - सभी वैकल्पिक विवाद निवारण मामलों के लिए समान पेशेवर मानकों को बनाए रखना।
- **माध्यस्थों की नियुक्ति** अब उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित माध्यस्थ संस्थानों द्वारा की जाएगी, जो पहले पक्षकारों द्वारा स्वयं की जाती थी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम (international commercial arbitrations) के लिए **समय प्रतिबंध को समाप्त करने** का प्रयास करता है। इसमें यह उल्लेख है कि अधिकरणों को 12 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
- माध्यस्थों की नियुक्ति के छह माह के भीतर **लिखित प्रस्तुतियों (written submissions) को पूर्ण कर** लिया जाना चाहिए। इससे पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

माध्यस्थम (Arbitration)

- यह अदालती कार्रवाई की शरण लिए बिना एक तटस्थ तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) द्वारा किसी अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षों के मध्य विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) का एक तरीका है। **अन्य तरीकों** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें।
- यह अदालतों की तुलना में गोपनीय, तीव्र और सस्ता होता है।
- इनके निर्णय (अर्थात् माध्यस्थम निर्णय) बाध्यकारी और अदालतों के माध्यम से प्रवर्तनीय होते हैं।

VISION IAS

अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution: ICADR)

- ADR सुविधाओं के प्रचार और विकास के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसे मई 1995 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने ICADR की एक बड़ी कमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह वैश्विक माध्यस्थम परिदृश्य में हुए विकासक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने में विफल रहा है।
- यह माध्यस्थम के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासक्रमों को शामिल नहीं कर पाया है, जैसे कि पक्षकारों के संयोजन के लिए प्रावधान, माध्यस्थम कार्यवाही का समेकन, आपातकालीन माध्यस्थम आदि।
- इसका एक अन्य दोष यह है कि इसकी शासी परिषद अत्यंत विस्तृत है, जिसके कारण संस्था के लिए अपने प्रशासन का समन्वय करना कठिन हो गया था।

संस्थागत माध्यस्थम के लाभ (Benefits of Institutionalised Arbitration)

यह अधिनियम भारत में माध्यस्थम के परिवेश को सुदृढ़ करेगा। इससे भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- इससे विवादों का समयबद्ध निपटान और माध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- भारत में **ईज ऑफ डूइंग बिजनस** (व्यापार करने में सुगमता) को बढ़ावा मिलेगा।
- **गुणवत्ता युक्त विशेषज्ञ** की नियुक्ति।
- **न्यायालयों के कार्यभार को कम** करने में सहायता मिलेगी।
- लंदन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे वर्तमान के वरीयता प्राप्त माध्यस्थम केंद्रों के बजाय भारत में अपने विवादों का समाधान करने हेतु **निवेशकों को प्रोत्साहित** करेगा।
- भारत को **संस्थागत माध्यस्थम के एक केंद्र** के रूप में विकसित होने की सुविधा प्रदान करेगा।

1.10. नौकरियों में स्थानीय कोटा नियत करने की मांग

(Demand for Local Job Quotas)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

पृष्ठभूमि

- अपने ही राज्यों में स्थानीय नौकरियों के संबंध में लोगों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है।
  - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा वर्ष 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि लगभग दो-तिहाई प्रत्यर्थी (respondents) इस पक्ष में थे कि राज्य द्वारा अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
  - यह भावना दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में अधिक प्रगाढ़ रही है।
- विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों ने आरक्षण को प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।
- इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा "**आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ़ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज़/फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 2019**" को पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के सभी कारखानों, संयुक्त उपक्रमों और राज्य स्थित उद्योगों तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित प्रणालियों में **स्थानीय आंध्र लोगों** के लिए 75% नौकरियां आरक्षित होंगी।
- इसी तरह की मांग कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अन्य राज्यों द्वारा भी उठाई जा रही है।
- हाल ही में, **मध्य प्रदेश सरकार** द्वारा यह घोषणा की गयी है कि वह स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 70 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी।

स्थानीय नौकरियों की मांग के कारण

- **कृषि संकट:** देश में कृषि क्षेत्र काफी संकटपूर्ण स्थिति में है, जिससे निराश होकर युवा इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य हुए हैं।
- **नौकरियों की कमी:** देश में नौकरियों (निजी और सरकारी) की गंभीर कमी है। इसके अतिरिक्त, न केवल नौकरियां बहुत कम हैं, अपितु वे अनिश्चित भी हैं और उनके लिए उचित भुगतान भी नहीं किया जाता है।

VISION IAS

- **भूस्वामियों का विस्थापन:** चूँकि निजी कृषि भूमि को अधिग्रहित करके भूमि से संबंधित अधिकांश आवश्यकता को पूरा किया जाता है, जिसके कारण भूस्वामी विस्थापित हो रहे हैं और वे अपने व्यवसाय से वंचित हो रहे हैं तथा इसके कारण उनको आर्थिक क्षति हो रही है।
- **कार्यबल में सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव:** कई रिपोर्टें (जैसे- सेंटर फ़ॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018) यह दर्शाती हैं कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में दलितों और मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का एक कारण भेदभाव है।
- **यह धारणा कि केंद्रीय हस्तांतरण (सहायता) अपर्याप्त है:** यह धारणा विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में अधिक प्रचलित है। दक्षिणी राज्यों का यह मानना है कि क्रमिक वित्त आयोगों ने केंद्रीय हस्तांतरण हेतु गरीबी और जनसंख्या को निरंतर उच्च भार प्रदान किया है, जिसके कारण केंद्रीय पूल का अधिकांश हिस्सा उत्तरी राज्यों की ओर स्थांतरित हो जाता है।

इस कदम का महत्व

- **समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है:** जैसे जर्मनी में प्रत्येक गाँव में एक कारखाना मौजूद है, वैसे ही भारत में भी गाँवों में उद्योग होने चाहिए तथा स्थानीय लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु रोज़गार प्राप्त होने चाहिए। हालांकि, इस तरह के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्तर पर एक व्यापक रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता होगी।
- यह भ्रष्टाचार में कमी और श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सहित **औद्योगीकरण के पारदर्शी प्रतिरूप को बढ़ावा** दे सकते हैं।

विश्लेषण

- **विधिक उपबंधों के अनुरूप नहीं: अनुच्छेद 16**, राज्य सरकार को ऐसे आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है, हालांकि, संसद इसे प्रावधानित करने हेतु अधिकृत है।
- **राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम: संरचनात्मक सुधारों, आधारभूत अवसंरचना** जैसी मुख्य चिंताओं का समाधान करने के बजाय, आरक्षण का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।
- **देश की एकता के लिए हानिकारक:** इस तरह के कदम आगे कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं तथा अन्य राज्य भी ऐसी नीतियों को लागू करना प्रारम्भ कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत की एकता प्रभावित हो सकती है।
- **उद्योगों की चिंताएँ:** हालाँकि, अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करते हैं, लेकिन उद्योगों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ स्थानीय लोगों को नियोजित करना कठिन हो सकता है, तब ऐसे प्रतिष्ठानों को राज्य से बाहर के लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
- **निवेश आकर्षित करने में कठिनाई:** विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश, पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस तरह के निर्णय से संभावित निवेशकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा निवेश की कमी से रोजगार सृजन में गिरावट आ सकती है।
- **विवरण का अभाव:** यह 'स्थानीय (Locals)' को उन उम्मीदवारों के रूप में परिभाषित करता है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अधिवासित है, लेकिन 'अधिवास (domicile)' की स्थिति से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करता है।
- **पूर्व के ऐसे प्रयास असफल रहे हैं:** महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इस आधार पर कुछ पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया।

आगे की राह

- इस तरह के कदमों के बजाय अधिक रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण द्वारा बेरोजगारी से संबंधित **प्रमुख मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता** है।
    - सरकारों को अधिक निवेश के लिए **उद्योगों को प्रोत्साहन** प्रदान करना चाहिए और इसके लिए अनुकूल परिवेश का सृजन करना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में भी नीति निर्माताओं को इस प्रकार की नीति के प्रति सतर्क किया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि ऐसी **नीतियाँ उद्योगों के लिए अनिश्चितताएँ उत्पन्न** करेंगी, जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।
    - सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में उचित निवेश के साथ राज्य के युवाओं को रोजगारपरक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** देश में किसी भी उद्योग को स्थानीय लोगों को नियुक्त करने हेतु बाध्य करने के बजाए, श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** ऐसे परिवेश को सृजित करने की आवश्यकता है, जहां लोग स्वयं के लिए आजीविका सृजित करने के लिए प्रेरित हो सके। राज्य सरकारें इस संबंध में प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में दलित उद्यमियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- **आर्थिक आधार पर आरक्षण को अपनाने की आवश्यकता:** आरक्षण नीतियों का और आगे विस्तारित करने के बजाए आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

1.11. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क

(India Enterprise Architecture Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (National Conference on e-Governance: NCeG) में **ई-गवर्नेंस पर शिलांग घोषणा-पत्र** को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र में **इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)** के विषय में उल्लेख किया गया है।

इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है?

- IndEA वस्तुतः एक समग्र संरचना के विकास के लिए एक ढांचा है। इसके तहत सरकार को कार्यात्मक रूप से अंतर-संबंधित उद्यमों के एक एकल उद्यम के रूप में स्वीकार किया गया है।
- IndEA एक **व्यापक ढांचा उपलब्ध कराता है**, जिसमें संरचना संदर्भ प्रतिमानों (architecture reference models) का एक समुच्चय शामिल है तथा जिसे एक एकीकृत संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है।
- IndEA के तहत, **प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकल व्यक्तिगत अकाउंट होगा** और वह उस अकाउंट से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यह सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न साइटों पर जाने और उन पर अलग-अलग लॉग इन करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा।

IndEA के मुख्य सिद्धांत

निम्नलिखित सिद्धांतों का समूह IndEA ढांचे को सूचित और निर्देशित करता है:

- **SDG लिंकेज:** प्रदर्शन परिमापन प्रणालियाँ (Performance Measurement Systems) सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त सतत विकास लक्ष्यों से संबद्ध हैं।
- **एकीकृत सेवाएं:** एकल सरकार (ONE Government) के विजन (दृष्टिकोण) को साकार करने हेतु एकीकृत सेवाओं (पृथक-पृथक सरकारी अभिकरणों से संबद्ध) को अभिनिर्धारित (identified), अभिकल्पित (designed) और सुपुर्द (delivered) किया गया है।
- **साझाकरण और पुन: प्रयोज्यता (Sharing & Reusability):** अर्थात्, सामान्य रूप से आवश्यक सभी एप्लिकेशन को एकबारगी विकसित करने हेतु संक्षिप्त किया गया है और पुनरुपयोग तथा साझाकरण के माध्यम से सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, अभिकरणों आदि में परिनियोजित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकीय स्वावलंबन:** एप्लिकेशन डिजाइन खुले मानक आधारित और प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष हैं।
- **डेटा-साझाकरण:** सरकार में सर्वत्र डेटा-साझाकरण, व्यक्ति के अधिकारों और विशेषाधिकारों के अधीन है, ताकि विभिन्न अभिकरणों द्वारा डेटा के प्रतिलिपित (duplicative) संग्रह के विकास तथा उपयोग को निरुद्ध किया जा सके।
- **मोबाइल अनिवार्य:** सभी सेवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्ति माध्यमों के बीच, मोबाइल चैनल्स का उपयोग अनिवार्य है।

परिकल्पित लाभ

- यह संपर्क रहित और बाधा रहित रीति से बहुविध चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाओं के प्रस्तुतिकरण द्वारा **नागरिकों तथा व्यवसायों को एकल सरकार (ONE Government) का अनुभव** प्रदान करता है।
- अत्यधिक उच्च क्रम के सेवा स्तरों को परिभाषित और प्रवर्तित कर, यह **सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि** करता है।
- यह समग्र प्रदर्शन प्रबंधन के माध्यम से विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की **प्रभावशीलता में सुधार** करता है।
- यह सूचना तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराते हुए **कर्मचारियों और अभिकरणों की उत्पादकता को बढ़ाता** है।
- यह संपूर्ण सरकारी तंत्र में निर्बाध अन्तरसंक्रियता (interoperability) के माध्यम से **एकीकृत और अंत:संबद्ध सेवाएं** प्रदान करता है।
- यह सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने तथा नवीतनम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु प्रणालियों (सिस्टम) में **परिवर्तन करने के लिए लोचशीलता एवं स्फूर्ति का समावेश** करता है।

VISION IAS

- साझी अवसंरचनाओं और सेवाओं के उपयोग के माध्यम से **लागत-प्रभावशीलता** सुनिश्चित करता है।
- समावेशी विकास के लिए कार्य करने वाली एक संबद्ध सरकार (Connected Government) की स्थापना करने में मदद करता है।
- **डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के मध्य उचित संतुलन** बनाए रखने में मदद करता है।

चुनौतियां

- **IndEA ढांचे की अभिकल्पना जेनेरिक है।** किसी भी उद्यम द्वारा इसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता। अत: व्यावसायिक दृष्टिकोण और उद्यम के उद्देश्यों की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस ढांचे को अनुकूलित करना होगा।
- **कार्यान्वयन की पद्धतियाँ उद्यमों में व्यापक रूप से विविधतापूर्ण होती हैं,** जो शासन के पारितंत्र और उद्यम में ई-गवर्नेंस के विकास के वर्तमान चरण पर निर्भर करती हैं। उदाहरणार्थ- कार्यान्वयन के चरण के दौरान किसी भी सिद्धांत या विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करना अत्यंत कठिन होता है।
- एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में कई भागों के मध्य जटिल निर्भरता और परस्पर संबद्धता विद्यमान होती है। व्यक्तिगत घटकों का निष्कर्षण और उन्हें पृथकत्व (isolation) में पुन:अभिकल्पित / क्रियान्वित करना संभव नहीं है, क्योंकि यह सरकार में सर्वत्र अन्तरसंक्रियता और एकीकरण क्षमताओं को गंभीर रूप से क्षीण करेगा।

निष्कर्ष

- IndEA को अपनाकर, भारत डिजिटल गवर्नेंस के करीब पहुंच जाएगा और डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत परिकल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए IndEA योजनाकारों द्वारा इसके महत्व की पहचान करनी चाहिए तथा नियोजन चरण में विशेषीकृत संसाधन उपलब्ध कराते हुए इस संदर्भ में पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

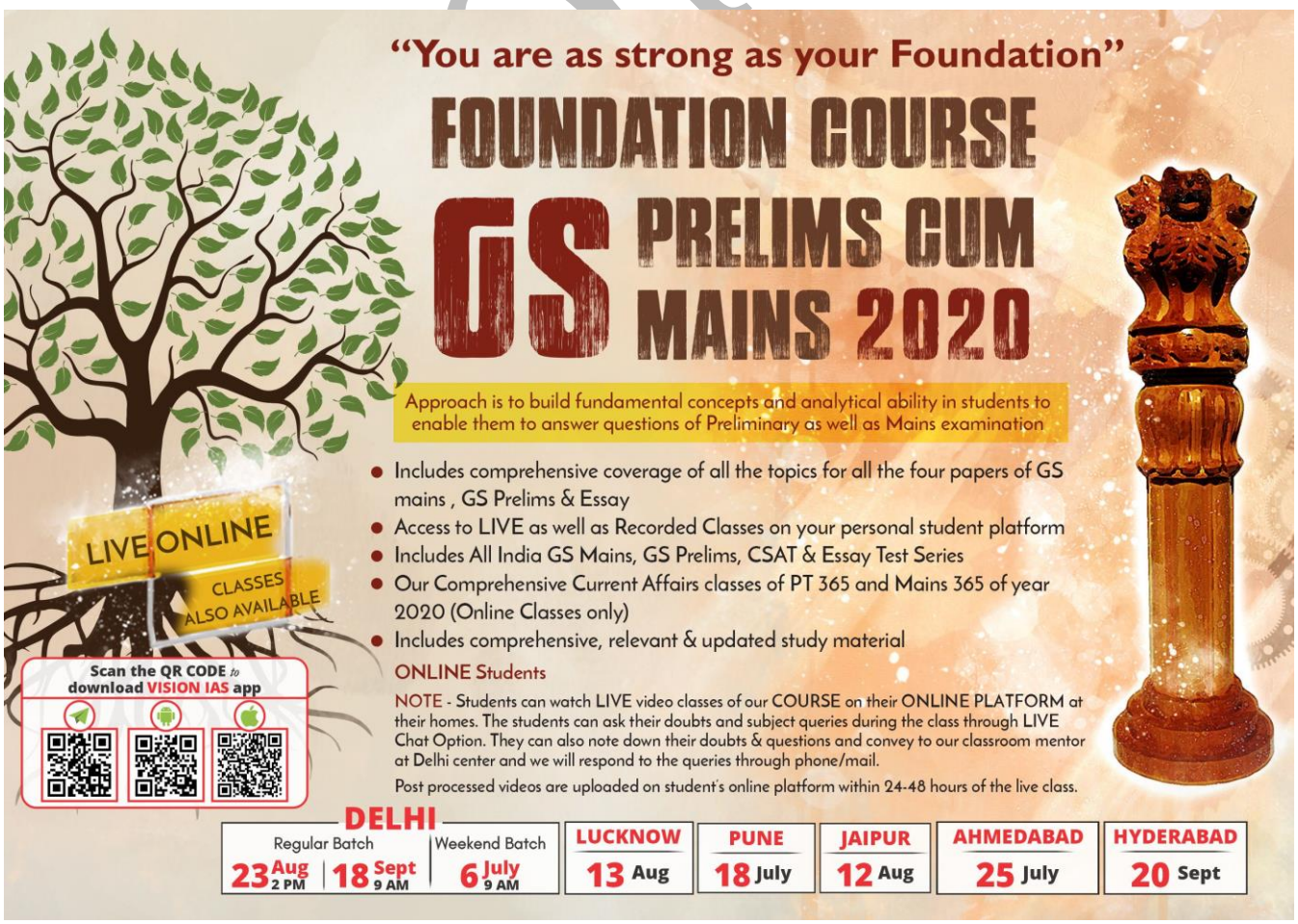

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में **RCEP के लिए 26वें दौर की वार्ता** आयोजित की गयी।

RCEP के बारे में

- **यह 10 आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्थाओं और इसके छः अन्य मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भागीदारों (यथा- न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया) के मध्य एक प्रस्तावित समझौता है।**
- **RCEP वार्ता शुरू करने का उद्देश्य** आसियान सदस्य राष्ट्रों और आसियान के FTA भागीदारों के मध्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च-गुणवत्तायुक्त तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौते को प्राप्त करना है।
- इसे प्रायः अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किए गए **ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के प्रति चीन संचालित प्रतिक्रिया** के रूप में जाना जाता है।

RCEP की क्षमता

- RCEP में पूर्वी-एशिया क्षेत्र में व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने की क्षमता है, जो इसे **विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बनाता है।**
- RCEP के 16 भागीदार राष्ट्रों में **विश्व की आबादी का लगभग आधा हिस्सा** निवास करता है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग **30 प्रतिशत** और वैश्विक निर्यात में योगदान **एक चौथाई** से अधिक है।
- RCEP के सभी भागीदार देशों में लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) **90 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण** करते हैं।

RCEP की ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से तुलना

- आरंभ में TPP वार्ता का नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया गया था, जबकि RCEP का नेतृत्व चीन द्वारा किया गया।
- TPP एक अधिक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए **बाजार तक पहुंच के साथ-साथ श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों** से संबंधित विनियम शामिल हैं।
- दूसरी ओर, RCEP संपूर्ण क्षेत्र में प्रशुल्क (टैरिफ) को **मानकीकृत करने के साथ-साथ सेवाओं एवं निवेश के लिए बाजार पहुंच को बेहतर** बनाने पर केंद्रित है।
- RCEP में **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान शामिल** हैं, जैसे- क्रमिक रूप से प्रशुल्कों का उदारीकरण और संक्रमण अवधि।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) के वर्ष 2016 के एक पूर्वानुमान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के (TPP से) बाहर निकलने से पूर्व TPP में वैश्विक आय लाभ में **लगभग 400 बिलियन** अमेरिकी डॉलर तक योगदान करने की क्षमता थी, जबकि RCEP का अनुमानित योगदान **260 बिलियन अमेरिकी डॉलर** निर्धारित किया गया था।

- निम्नलिखित के द्वारा **RCEP व्यापार बाधाओं को कम करने और क्षेत्र में व्यवसायों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु बेहतर बाजार पहुंच को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक ढांचा प्रदान करेगा:**
  - **उभरती क्षेत्रीय आर्थिक संरचना में आसियान केंद्रीयता और साझेदार** राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण बढ़ाने एवं आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में आसियान के FTA भागीदारों के हितों को मान्यता प्रदान करना।
  - साझेदार राष्ट्रों के मध्य **व्यापार एवं निवेश का सरलीकरण तथा वर्धित पारदर्शिता।**
  - वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में **लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) की संलग्नता का सरलीकरण।**
  - **अपने FTA भागीदारों के साथ आसियान की आर्थिक साझेदारी को व्यापक और सुदृढ़ करना।**

VISION IAS

- हालाँकि, इस समझौते के **16 अध्यायों में से 7 पर वार्ता** पूर्ण हो चुकी है, फिर भी वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता जारी है।
- जहाँ एक ओर, RCEP व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने का दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके सदस्यों के मध्य परस्पर मतभेद बने हुए हैं, जैसे- भारत-चीन व्यापार संबंध तथा श्रम एवं पर्यावरण संरक्षण आदि पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रों का कठोर रूख।
- RCEP पर **आगामी वर्ष के मध्य तक हस्ताक्षर होने की संभावना है।**

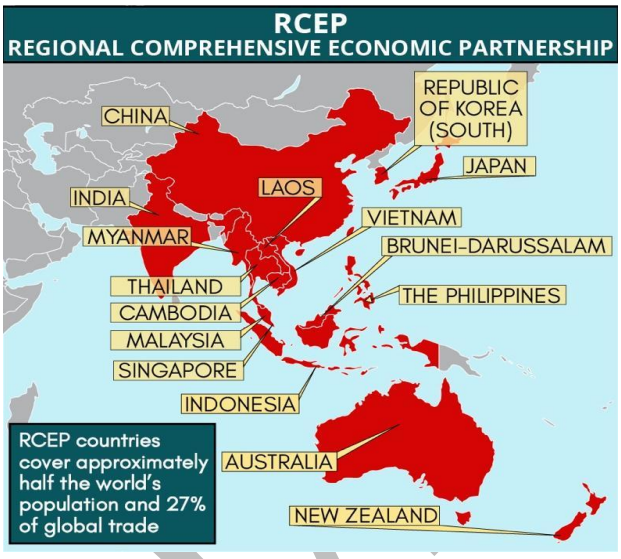

RCEP भारत के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है?

- **बाजार पहुंच:** इसके आकार के कारण, इसमें भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने और भारत में अधिक निवेश तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की संभावना है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र में वृद्धि:** RCEP समावेशी होने के महत्व को मान्यता देता है, विशेष रूप से यह समझौता SMEs को इससे लाभ उठाने और वैश्वीकरण तथा व्यापार उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसलिए, RCEP भारत के MSMEs को क्षेत्रीय मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में प्रभावी रूप से एकीकृत होने की सुविधा प्रदान करेगा।
- **APEC (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग) का विकल्प:** RCEP आर्थिक मोर्चे पर APEC का विकल्प प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि, भारत वर्ष 1993 से APEC में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, परन्तु अभी भी इसे सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है।
- **FDI संबंधी लाभ:** भारत का इस व्यवस्था से समूह के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार से संबंधित नियमों, निवेश और प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है। इससे आंतरिक और बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख FDI को बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार में वृद्धि:** RCEP राष्ट्रों के साथ भारत का इंजीनियरिंग व्यापार वर्ष 2014 के 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। (निर्यात 15.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 17.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 64.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।)
- **भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता दायरा:** यह भारत की एशियाई रणनीति को पुनर्संतुलित करने तथा हिन्द महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय राष्ट्रों के मध्य लिंकेज (जुड़ाव) की स्वीकृति हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत की पहल के साथ संरेखित**
  - भारत अपने **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना चाहता है। भारत को एशियाई मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला (जो या तो भारत से शुरू होती हैं या समाप्त) का हिस्सा बनने हेतु सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए।
  - यह **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के साथ भी संरेखित है, जो समझौते का हिस्सा बनने के लिए भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों प्रकार से उचित ठहराता है।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं की वृद्धि:**
  - RCEP संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश** करने में सक्षम होगा, क्योंकि यह 16 सदस्यों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा।
  - जिन उत्पादों के संदर्भ में इस क्षेत्र (BIMSTEC और ASEAN) को विशेषज्ञता प्राप्त है, उन्हें बढ़ावा देकर RCEP क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे- बांस एवं लकड़ी के उत्पाद, चमड़े का सामान, वस्त्र, रेशम, हस्तशिल्प और आभूषण।
- **श्रम बाजार के लिए लाभप्रद:** RCEP भारत को अधिक श्रम गहन विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी और RCEP सदस्यता उन्हें इसके (RCEP) वृहद् बाजार तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।

VISION IAS

RCEP से संबद्ध भारत की चिंताएँ

- **व्यापार घाटा:** राष्ट्रों के साथ मुक्त-व्यापार-समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् भारत के व्यापार घाटे में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत के आसियान, जापान, द. कोरिया और सिंगापुर देशों (अधिकांश RCEP के सदस्य हैं) के साथ FTAs के संबंध में भी यही स्थिति है।
  - वित्त वर्ष 2019 में RCEP समूह के साथ भारत का वस्तु व्यापार घाटा 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर (इसके कुल घाटे का 60%) था।
  - व्यापक व्यापार प्रवाह विश्लेषण इंगित करता है कि आयात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) 9.06 प्रतिशत (वर्ष 2014-2018 की अवधि के दौरान 2.90 प्रतिशत) थी। यह निर्यात की तुलना में आयात की उच्च वृद्धि को दर्शाती है।
- **घरेलू बाजार के लिए खतरा:** RCEP के सदस्य, विशेष रूप से चीन, 90 प्रतिशत वस्तुओं के लिए शून्य प्रशुल्क की मांग कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय घरेलू बाजार में कम लागत वाली चीनी विनिर्मित वस्तुओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी।
  - बड़ी संख्या में भारतीय उद्योगों (जिनमें लौह एवं इस्पात, डेयरी, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा वस्त्र उद्योग शामिल हैं) द्वारा चिंता व्यक्त की गयी है कि RCEP के तहत प्रस्तावित प्रशुल्क उन्मूलन उन्हें अप्रतिस्पर्द्धी बना देगा।
  - भारत के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अन्य गैर-FTA भागीदारों के साथ कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हितों से संबंधित कई संवेदनशील मुद्दें हैं।
- **नियमों के अनुपालन का अभाव:** भारत में वस्तुओं के आयात में हुई आकस्मिक वृद्धि, रूल्स ऑफ़ ओरिजिन के सिद्धांतों का अनुपालन न करने अथवा ऐसे उल्लंघनों की जांच करने वाली एजेंसी को जांच कार्यों में पूर्ण सहयोग न करने इत्यादि के कारण हुई है।
  - भारत ने RCEP वार्ताओं में सभी उत्पादों पर "कंट्री ऑफ ओरिजिन" के टैगिंग को एक बाधा के रूप में व्यक्त किया है।

उत्पत्ति के नियम (Rules of origin)

- किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए ये आवश्यक मानदंड हैं।
- इनका महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कई मामलों में शुल्क (duties) एवं प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** यह स्पष्ट है कि चीनी विनिर्माण उद्योग का आकार और पैमाना व्यापक वित्तीय एवं गैर-वित्तीय समर्थन पर आधारित हैं, जो चीनी विनिर्माण उत्पादकों को प्रत्यक्षत: बढ़त प्रदान करते हैं।
  - विद्युत मशीनरी और उपकरण एवं इनके पुर्जे, यांत्रिक उपकरण, परमाणु रिएक्टर आदि वस्तुएँ चीन के साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं में भारत के व्यापार घाटे के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- **निम्न श्रम उत्पादकता:** निम्न सापेक्ष श्रम लागत के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्रक में भारत की श्रम उत्पादकता अभी भी विश्व स्तर पर काफी कम है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय विद्यमान पृथक श्रम कानून लेन-देन की लागत को भी बढ़ाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय उद्योग एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में शायद ही समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाए।
- **कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति:** बौद्धिक संपदा से संबंधित कठोर प्रावधानों को कुछ समय के लिए इससे अलग किए जाने की मांग की जा रही है। भारत द्वारा इसे समझौते से बाहर रखने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं।
  - हालांकि, यदि प्रावधानों को अंगीकृत किया जाता है, तो घरेलू फार्मा कंपनियां विश्व भर में वहनीय जीवनरक्षक दवाओं को लॉन्च या निर्यात करने में सक्षम नहीं होंगी।
  - जबकि कृषि क्षेत्र में, किसान बौद्धिक संपदा का दर्जा प्राप्त पौधों के बीजों या फसल की उपज को बचाने या विक्रय के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
  - भारत द्वारा **'पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV)'** के तहत RCEP के मंच पर उच्च स्तरीय संरक्षण को अस्वीकार करने हेतु वार्ता की गई थी। ज्ञातव्य है कि यह प्रावधान विश्व व्यापार संगठन या WTO-प्लस के दायरे से भी बाहर है।

VISION IAS

आगे की राह

- **घरेलू उद्योग की सुरक्षा:** RCEP में लागत और लाभों को देखते हुए, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने घरेलू इंजीनियरिंग उद्योग पर RCEP के दुष्प्रभावों को सीमित करने के लिए घरेलू और बाह्य हितों के मध्य संतुलन स्थापित करे।
  - भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के लिए RCEP द्वारा प्रस्तावित संभावित अवसरों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि RCEP के कुछ देश, विशेष रूप से चीन, कुछ निम्न लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए मूल्य श्रृंखला के विस्तार और विकास हेतु अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।
- **कुशल श्रम का उपयोग:** भारत द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच से लाभ उठाने के लिए अपने 'कुशल' श्रम बल के पूल हेतु पूंजी निवेश पर बल दिया जा रहा है।
  - उदारीकरण के परिणामस्वरूप पेशेवरों की सुगमतापूर्वक आवाजाही में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गयी है। ज्ञातव्य है कि इसे सेवाओं के व्यापार के संबंध में **मोड 4 (Mode 4)** कहा जाता है।

सेवा व्यापार में मोड-4

- प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, सेवा संबंधी व्यापार के उन चार तरीकों में से एक है, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति की जा सकती है।
- "मोड-4" से तात्पर्य उन प्राकृतिक व्यक्तियों से है, जो या तो सेवा आपूर्तिकर्ता (जैसे- स्वतंत्र पेशेवर) हैं या जो सेवा आपूर्तिकर्ता के लिए कार्य करते हैं और जो सेवा की आपूर्ति के लिए किसी अन्य WTO सदस्य राष्ट्र में मौजूद हैं।

- **प्रशुल्क संरचना की सुरक्षा:** भारत को RCEP में प्रस्तावित दोहरी प्रशुल्क संरचना की अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को अपनी प्रशुल्क संरचनाओं की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी, जो चीन से सस्ते आयात के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।
  - इसे आर्थिक विकास के चरणों के आधार पर एक विशेष और विभेदित व्यवहार पर बल देना चाहिए।
- **निर्यात की सुविधा के लिए चीन के साथ "गैर-प्रशुल्क पारिस्थितिकी तंत्र" को प्रस्तावित करना:** भारत को सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी नियमों, तकनीकी नियमों, अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, क्षेत्रीय नियमों तथा उनके अनुपालन ढांचे पर वार्ता करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
  - प्रच्छन्न व्यापार बाधाओं के दायरे से बचने के लिए हमारे निर्यात हित की रक्षा हेतु चीन के साथ गैर-प्रशुल्क अवरोधों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान (annexure) के संबंध में वार्ता किए जाने की आवश्यकता है।
- **रूल्स ऑफ ओरिजिन (RoO) को प्रतिबंधित करना:** इसका उपयोग घरेलू बाजार में चीनी वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु RCEP में एक सुदृढ़ उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
  - भारत को सस्ती चीनी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए उच्च मूल्य-वृद्धि के लिए RoO को प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं हमारे मौजूदा FTA भागीदारों के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकती हैं।
  - RCEP के अधीन एक कठोर RoO व्यवस्था, सस्ते चीनी सामानों के विरुद्ध घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।
- **श्रम और बाजार सुधार:** घरेलू उद्योग के विकास हेतु सुरक्षा के साथ-साथ कारक और उत्पाद बाजार सुधारों द्वारा सृजित सक्षम परिस्थितियों की आवश्यकता है।
- **उपयुक्त सुरक्षा उपायों का निर्धारण:** FTA के भीतर, एंटी-डंपिंग आदि जैसे सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान किए जाने चाहिए, जिन्हें संबंधित उत्पादों की मात्रा या मूल्य के उच्चतम स्तर (ट्रिगर) पर पहुंचने पर लागू किया जाना चाहिए।

2.2. भारत-चीन संबंध

(India-China Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कश्मीर के संबंध में भारत की कार्रवाई** (जो कि भारत का आंतरिक मामला है) पर चीन द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी और साथ ही, इस संबंध में पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन भी किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के विदेश मंत्री द्वारा अपने चीनी समकक्ष को अवगत कराया गया है कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में भारत का निर्णय देश का एक **"आंतरिक मामला"** है और इसका भारत की बाह्य सीमाओं या चीन से संलग्न वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के संबंध में कोई निहितार्थ नहीं है।

VISION IAS

- साथ ही, यह विचार भी व्यक्त किया गया कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि द्विपक्षीय मतभेद, विवादों का कारण न बनें और इस बात पर बल दिया जाए कि संबंधों का भविष्य एक-दूसरे की "मुख्य चिंताओं" की पारस्परिक संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक संबंध:** भारत-चीन व्यापार वर्ष 2000 के 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 66.4 बिलियन डॉलर हो गया।
  - चीनी उत्पादों के लिए भारत 7वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थल है और चीन को निर्यात करने वाला यह 27वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
  - ये संबंध दोनों पक्षों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व वाले संयुक्त आर्थिक समूह जैसे विभिन्न संवाद तंत्रों के माध्यम से विकसित हुए हैं।
- **रणनीतिक सहयोग:** दोनों ही देश ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), रूस-भारत-चीन (RIC) जैसे समूहों का हिस्सा हैं।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **दोहा राउंड** के दौरान भारत और चीन ने कई मुद्दों के संबंध में आपसी समन्वय का रुख़ अपनाया था।
  - दोनों ने विश्व बैंक, IMF आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोकतंत्रीकरण की वकालत की है।
  - भारत 14 अन्य एशिया-प्रशांत देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) की चर्चा में शामिल है।
- **राजनीतिक संलग्नता (Political Engagement):** दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा नियमित रूप से यात्राएं की जाती हैं तथा विदेश मंत्रियों द्वारा नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाता रहा है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** ये संबंध ऐतिहासिक संबंधों (जैसे- सिल्क रूट) से लेकर चीन में हाल ही में आयोजित "कलर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल" जैसे आयोजनों तक विस्तृत हैं। इन संबंधों में योग, बॉलीवुड और बौद्ध समारोह जैसे तत्व शामिल हैं।
- **शिक्षा संबंध:** वर्ष 2006 में भारत और चीन ने शिक्षा विनिमय कार्यक्रम (EEP) पर हस्ताक्षर किए थे। इसे दोनों देशों के मध्य शैक्षिक सहयोग के लिए एक अम्ब्रेला समझौता माना जाता है।
- **बृहत् डायस्पोरा:** चीन में भारतीय समुदाय में वृद्धि हो रही है। वर्तमान आकलनों के अनुसार चीन में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 35,500 है।

चीन-पाक धुरी और भारत पर इसका प्रभाव

- **कश्मीर पर विवाद:** इस संबंध में चीन ने पाकिस्तान की स्थिति को दोहराया और कहा कि कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने वाला भारत का कदम "अस्वीकार्य" है और इसे गैर-बाध्यकारी बताया गया।
- **चीन-पाकिस्तान-आर्थिक-गलियारा (CPEC):** भारत CPEC परियोजना को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में चीन के हस्तक्षेप के रूप में देखता है। इस आपत्ति के बावजूद चीन निरंतर इस परियोजना की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- **आतंकवादियों को नामित करना:** चीन ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को निरंतर बाधित किया है।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group:NSG):** चीन ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन कर NSG में प्रवेश करने के भारत के प्रयासों को अवरुद्ध किया है।

भारत और चीन के मध्य विवादास्पद मुद्दे

- **सीमा विवाद:** भारत और चीन लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा के अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने के कारण दोनों देशों को सीमा पर घुसपैठ/अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश जैसे कई विवादित क्षेत्र भी विद्यमान हैं।
  - **अरुणाचल प्रदेश और स्टेपल वीज़ा:** चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए "मानकीकृत (standardised)" आधिकारिक नामों की भी घोषणा की है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है।
  - **दलाई लामा और तिब्बत:** दलाई लामा ने अपने निर्वासन के दौरान एक तिब्बती सरकार का गठन किया था, जो वर्तमान में भी लोगों पर बिना किसी वास्तविक अधिकार के शासन कर रही है। हाल ही में, भारत ने चीन की चिंताओं पर विचार करते हुए **"थैंक यू इंडिया" कार्यक्रमों** के आयोजन स्थल को भी परिवर्तित कर दिया है।

VISION IAS

- **व्यापार असंतुलन:** दोनों देशों के मध्य व्यापार असंतुलन विद्यमान है और द्विपक्षीय व्यापार चीन के पक्ष में है। विगत 9 माह में (दिसंबर 2019 तक) चीन का व्यापार अधिशेष 41.2 बिलियन डॉलर का रहा है।
    - **RCEP पर चिंता:** भारत को संदेह है कि इसके द्वारा चीनी आयात को बड़ी व्यापारिक रियायतें प्रदान की जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में और अधिक वृद्धि होगी।
- **चीन की पहलें:** चीन द्वारा प्रारम्भ की गयी विभिन्न पहलों पर भारत द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। ये पहलें निम्नलिखित हैं:
    - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव:** भारत द्वारा वर्ष 2017 में बीजिंग में आयोजित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था जबकि इसमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चीन के प्रतिद्वंदी देशों द्वारा भाग लिया गया था।
    - **स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स:** यह कोकोस द्वीप (म्यांमार), चटगांव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका), मारो एटॉल (मालदीव) और ग्वादर (पाकिस्तान) जैसे भारत की समुद्री पहुंच के निकट स्थित बंदरगाहों एवं नौसैनिक अड्डों के निर्माण के माध्यम से भारत को घेरने की एक चीनी नीति है। दूसरी ओर भारत जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ-साथ चीन के निकटवर्ती अन्य मध्य-एशियाई पड़ोसी देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित करने का प्रयास कर रहा है।
- **अमेरिका के साथ निकटता:** भारत वर्धित रक्षा भागीदारी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों में अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है। इन घटनाक्रमों से चीन चिंतित है।
    - **5G परीक्षण:** भारत द्वारा आगामी कुछ महीनों में अगली पीढ़ी के 5G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए परीक्षण किया जाएगा। भारत इन प्रयासों के लिए अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। चीन ने भारत से कहा है कि वह हुआवेई (Huawei) टेक्नोलॉजीज को अपने देश में कारोबार करने से न रोके तथा चेतावनी भी दी है कि इसके चीन में संचालित भारतीय फर्मों के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- **नदी जल विवाद:** चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी (तिब्बत में सांगपो) के ऊपरी क्षेत्रों में बांधों (जिक्सू, झांगमू और जियाचा) का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, भारत ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज की है परन्तु, ब्रह्मपुत्र के जल बँटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है।
- **भूटान और नेपाल:** चीन द्वारा भूटान और नेपाल के साथ भारत के संबंधों एवं इन देशों में भारत की भूमिका की आलोचना की जाती रही है, जबकि भारत के नेपाल और भूटान दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक आदान-प्रदान लम्बे समय से जारी हैं। इसके अतिरिक्त, भूटान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में डोकलाम में भारत की भूमिका ने दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया था।

संबंधों में सुधार हेतु हाल ही में उठाए गए कदम:

- **कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स (CBD):** दोनों देशों ने नियमित रक्षा विनिमय और नदियों आदि से संबंधित जानकारी साझा करने हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **ट्रैक II डिप्लोमेसी:** वर्ष 2005 से दोनों देशों के विभिन्न संगठनों के मध्य अनेक अनौपचारिक संवाद आयोजित होते रहे हैं। जैसे कि दोनों देशों के मध्य थिंक टैंक संवादों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी (Chinese Academy of Social Sciences) और भारत के विदेश मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **वुहान स्पिरिट (Wuhan Spirit):** यह अनौपचारिक शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य हुआ था। इसके तहत दोनों देश प्रत्येक विवादास्पद मुद्दे पर कार्य करने हेतु सहमत हुए थे।
- **स्ट्रेंथ (STRENGTH) रणनीति:** भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस रणनीति को प्रस्तुत किया गया है जो आध्यात्मिकता (**S**); परंपरा (**T**), व्यापार और प्रौद्योगिकी; संबंध (**R**); मनोरंजन (**E**); प्रकृति संरक्षण (**N**); खेल (**G**); पर्यटन (**T**) और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा (**H**) पर बल देती है।
    - (**S**pirituality; **T**radition, trade and Technology; **R**elationship; **E**ntertainment; **N**ature conservation; **G**ames; **T**ourism and **H**ealth and Healing.)

आगे की राह

- दोनों देशों के संबंधों के प्रति **नकारात्मक प्रचार को नियंत्रित** करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित और परस्पर क्रियात्मक संलग्नता के समय में, **वास्तविक सूचनाओं को व्यक्त** करना मीडिया की जिम्मेदारी है।
    - भविष्य में, दोनों देशों के मीडिया कर्मियों के मध्य गहन संलग्नता दोनों देशों की नकारात्मक छवियों को सुधारने हेतु आवश्यक है।

- **शैक्षणिक समुदाय** को अग्रसक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक दूसरे की राष्ट्रीय और सामाजिक परिस्थितियों का व्यापक एवं पर्याप्त रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- पर्यटन, मनोरंजन, प्रकाशन, इंटरनेट सेवा क्षेत्रों सहित **सांस्कृतिक उद्योग** को लक्षित करने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों को साझा दृष्टिकोण, बेहतर संचार, सुदृढ़ संबंध, साझा विचार प्रक्रिया और साझा संकल्प पर ध्यान देते हुए नए पंचशील सिद्धांतों पर कार्य करने की आवश्यकता है।

2.3. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

(US-China Trade War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में,अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ हेरफेर करने वाला देश (currency manipulator) घोषित किया है। इस कदम ने चीन के साथ USA के व्यापार युद्ध को और आगे बढ़ाया है।

मुद्रा में हेरफेर (Currency manipulation) क्या है?

करेंसी मैनिपुलेशन वह स्थिति है, जब सरकारें व्यापार में 'अनुचित लाभ' प्राप्त करने हेतु विनिमय दर को कृत्रिम रूप से परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1990 के दशक के पश्चात यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि उस समय भी चीन को लक्षित किया जा रहा था।
- यह कदम चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) द्वारा युआन के मूल्य में डॉलर के सापेक्ष आकस्मिक रूप से 1.9 प्रतिशत (एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट) की कमी करने (अवमूल्यन) की अनुमति प्रदान करने के पश्चात उठाया गया था।
- इससे यह संकेत परिलक्षित हुआ है कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य चल रहा व्यापार युद्ध अब करेंसी वार के रूप में परिवर्तित हो रहा है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- अमेरिका और चीन दोनों देशों के मध्य व्यापार चीन के अत्यधिक पक्ष में है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में, अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 419.2 बिलियन डॉलर का था।
- अगस्त 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों को चीनी वस्तुओं पर संभावित प्रशुल्क (टैरिफ) वृद्धि के संबंध में जांच शुरू करने का आदेश दिया था।
  - यह जनवरी 2018 के पश्चात से ही शुरू हो गया था, जब ट्रम्प ने विदेशी सौर पैनलों पर 30 प्रतिशत प्रशुल्क और उसी वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली प्रथम 1.2 मिलियन वाशिंग मशीनों पर 20 प्रतिशत प्रशुल्क आरोपित किए थे। दोनों कदम मुख्य रूप से चीनी हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
  - अमेरिका ने चीन से आयातित स्टील और एल्युमीनियम वस्तुओं पर अत्यधिक प्रशुल्क आरोपित किया है तथा इसी के प्रतिउत्तर में चीन द्वारा भी अमेरिका से आयातित अरबों डॉलर के सामान पर प्रशुल्क आरोपित किया गया है।
- व्यापार युद्ध से संबंधित विवादों में वृद्धि हुई है, जिसमें अमेरिका ने चीन से 375 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने की मांग की है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और चीनी बाजारों में अमेरिकी वस्तुओं की अधिक पहुंच के लिए "सत्यापन योग्य उपाय (verifiable measures)" शुरू किए हैं।
- चीन की 'मेड इन चाइना 2025' नीति ने भी अमेरिका की नाराज़गी को बढ़ाया है क्योंकि इस नीति का मुख्य बल चीन को प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के उभरते क्षेत्रों में प्रमुख अभिकर्ता बनाने के साथ-साथ घरेलू फर्मों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

व्यापार युद्ध का वैश्विक प्रभाव

- **वैश्विक GDP में गिरावट:** इस वर्ष की शुरुआत में IMF की रिपोर्ट में कहा गया था कि USA-चीन व्यापार तनाव एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने विगत वर्ष के अंत में "अत्यल्प वैश्विक व्यापार विस्तार" में योगदान दिया था, क्योंकि इस परिस्थिति के कारण वर्ष 2019 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कटौती की गयी थी।

VISION IAS

- **ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट** के अनुसार, व्यापार युद्ध रहित परिदृश्य की तुलना में व्यापार से संबंधित अनिश्चितता वर्ष 2021 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद को 0.6 प्रतिशत तक कम कर सकती है।
- यदि अमेरिका और चीन द्वारा प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाओं को निरंतर बढ़ाया जाता है, तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अपने सात वर्षों के 2.8% के निचले स्तर तक गिर सकती है तथा इससे भी गंभीर स्थिति यह उत्पन्न होगी कि निकट भविष्य में विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

- **मुद्राओं पर प्रभाव:** यह तनाव "प्रशुल्क वार" को संभावित "करेंसी वार" में परिवर्तित कर सकता है। यह न केवल अमेरिका और चीनी मुद्राओं या उनके शेयरों (वैश्विक वित्तीय निवेशकों के 60% से अधिक) का व्यापार करने वालों के लिए अधिक जोखिम उत्पन्न करेगा, बल्कि उभरते बाजारों में पूँजी प्रवाह के लिए भी नकारात्मक सिद्ध हो सकता है जो डॉलर के लिए अपनी मुद्राओं को स्थिर (peg) करते हैं।
- **ब्रेक्जिट (BREXIT) के साथ युग्मित:** अमेरिका एवं चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव तथा ब्रेक्जिट के कारण अनिश्चितताओं ने यूरोपीय देशों, विशेष रूप से जर्मनी, के निर्यात को प्रभावित किया है, जो (जर्मनी) अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है।
- **ग्लोबल वैल्यू चेन (GVCs) का पुनर्गठन:** अमेरिका द्वारा चीन से किए जाने वाले आयात में 60% हिस्सा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उपकरणों का है। इन्हें GVC के माध्यम से निर्मित किया जाता है जिन्हें दर्जन या अधिक देशों में उत्पादित किया जाता है। अमेरिका की कम मांग का आशय होगा कि चीन द्वारा जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड से कम कंपोनेंट्स और सब-असेंबली यूनिट्स की खरीद की जाएगी। यह व्यापार में कमी और GVC मॉडल को कमजोर करेगा।
- **दक्षिण-एशिया में कपड़ा उद्योगों के लिए लाभ:** अमेरिका द्वारा किए जाने वाले वस्त्र आयात अब चीन से दक्षिण-एशिया के अन्य देशों (वियतनाम और बांग्लादेश) की ओर स्थानांतरित हो गए हैं तथा इन देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
  - वैकल्पिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन द्वारा किए जाने वाले कपास के आयात में वर्ष 2019 की पहली छमाही में गिरावट आई है तथा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित अन्य देशों से किए जाने वाले आयात में वृद्धि हुई है।
- **WTO को कमजोर बनाएगा:** राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मार्च 2018 में स्टील एंड एल्यूमीनियम के आयात को लेकर अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम WTO की मूल भावना के विरुद्ध हैं।
  - WTO के दोहा एजेंडे को आगे बढ़ाने में अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके द्वारा अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति न किया जाना, WTO के विवाद निपटान पैनल को कमजोर कर रहा है।

भारत के लिए निहितार्थ

US-चीन व्यापार की तुलना में, वर्ष 2018 में अमेरिका के साथ भारत का कुल व्यापार 142 बिलियन डॉलर था। भारत-US व्यापार का आकार US-चीन व्यापार के पांचवें भाग से कम है। हालाँकि, यह भारत को लाभ पहुंचा सकता है क्योंकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने अन्य देशों के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं।

- **सकारात्मक प्रभाव**
  - **निर्यात में वृद्धि:** UNCTAD की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अमेरिका और चीन के मध्य विवाद के कारण, दीर्घकालिक रूप में अपने निर्यात में 11 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि उन वस्तुओं के संबंध में होगी जो वर्तमान में चीन से आयात की जा रही हैं जहां अमेरिकी कंपनियों के पास भारत से मुकाबले के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं है।
    - भारतीय निर्यात चीन में उन सामानों हेतु लाभ प्रदान करेगा जिन्हें वर्तमान में चीन, अमेरिका से आयात करता है।
    - दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार युद्ध के पश्चात भारत द्वारा चीन को किए जाने वाला निर्यात अमेरिका की तुलना में तेजी से बढ़ा है।
  - **कुछ घरेलू कंपनियों को लाभ:** प्लास्टिक, कपास, अकार्बनिक रसायनों और मछली जैसे उत्पादों को चीन को अधिक निर्यात करके, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत लाभान्वित हुआ है। इनमें से कुछ वस्तुओं में भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ है।
    - भारतीय निर्यातक तीन विविध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं: यथा- वस्त्र, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (ICT) तथा कुछ सीमा तक मोटर वाहन घटक।

- **FDI में वृद्धि:** भारत एवं अमेरिका तथा भारत एवं चीन के मध्य निवेश एवं पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है क्योंकि चीन और अमेरिका स्वयं को पृथक करना चाहते हैं।
  - चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत में निवेश के क्षेत्र में विशेष रूप से दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
- **इस्पात क्षेत्र के लिए लाभ:** अमेरिका विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा आयातक देश है और भारत ने वैश्विक इस्पात उद्योग में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है तथा वर्ष दर वर्ष इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही, भविष्य में इस क्षेत्र में विकास की संभावना भी अत्यधिक है।

- **नकारात्मक प्रभाव**
  - **रुपये का मूल्य:** अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के कारण (जो स्वतः भारत के व्यापार घाटे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है) क्रमिक रूप से एक श्रृंखला अभिक्रिया (चेन रिएक्सन) को बढ़ावा मिलता है।
  - **भारतीय शेयर बाजार:** वैश्विक व्यापार युद्ध से संबंधित चिंताओं के मध्य, भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांकों में गिरावट निवेशकों के आशंकित दृष्टिकोण के कारण हुई है।
  - **भारत-अमेरिकी शुल्क:** चूंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया है, अतः इसके कारण भारत को अब अमेरिका को लगभग 241 मिलियन डॉलर कर का भुगतान करना होगा।
    - जहां तक विनिर्माण उद्योग का संबंध है, आरोपित अतिरिक्त शुल्क के हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी।

निष्कर्ष

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के आलोक में, अवसरों और चुनौतियों दोनों का सृजन हुआ है। भारत को अमेरिका के साथ संलग्नता को सुदृढ़ करने और व्यापार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य उचित प्रयास किए गए हैं जिसमें भारत दोनों देशों में अपनी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने हेतु उत्सुक है और उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है जहां निर्यात बढ़ाने की संभावना विद्यमान है।

2.4. भारत को नाटो के सहयोगी का दर्जा

(NATO Ally-Like Status to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत को अपने अन्य नाटो सहयोगियों (दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के समान दर्जा देने हेतु एक बाध्यकारी कानून पारित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कानून चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए **राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorisation Act: NDAA)** का हिस्सा होगा।
- यह कानून दोनों राष्ट्रों के मध्य बेहतर समुद्री सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है।
- विगत कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका ने विभिन्न समझौतों के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है, जैसे:
  - लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट **(LEMOA)** पर हस्ताक्षर।
  - कम्युनिकेशंस कमपैटबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट **(COMCASA)** पर हस्ताक्षर।
  - वर्ष 2017 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण के आधार पर भारत को अमेरिका के एक **प्रमुख रक्षा साझेदार** का दर्जा प्राप्त हुआ।
- परन्तु, भारत का दर्जा अभी भी अमेरिका के **अन्य प्रमुख गैर-नाटो सहयोगियों (MNNA)** के समकक्ष बना हुआ था।
- NDAA के अधिनियमित होने के पश्चात् यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अमेरिकी विदेश विभाग शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के साथ एक गैर-सदस्यीय नाटो सहयोगी के समान व्यवहार करेगा।

नाटो (North Atlantic Treaty Organization: NATO) के बारे में

- यह **29** उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- यह 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित **नार्थ अटलांटिक ट्रिटी** को कार्यान्वित करता है।
- यह **सामूहिक सुरक्षा (collective defence)** की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश (अर्थात् नाटो राष्ट्र), किसी बाह्य पक्ष द्वारा किए जाने वाले आक्रमण की प्रतिक्रिया करने में पारस्परिक सुरक्षा में सहयोग करने हेतु सहमत हुए हैं।

VISION IAS

- विदेशी मोर्चों पर नाटो की रक्षा प्रतिबद्धताएं साम्यवाद से लेकर इस्लामी चरमपंथ का सामना करने पर केंद्रित रही हैं। विशेषकर 9/11 के पश्चात् अफगानिस्तान, इराक, भूमध्यसागरीय क्षेत्र आदि में इसकी सहभागिता देखी जा सकती है।
- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (Major Non-NATO Ally: MNNA):** MNNA वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन सहयोगी राष्ट्रों को परस्पर संगठित करने हेतु दिया गया एक पदनाम है, जिन देशों का अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कार्यवाही संबंध (strategic working relationships) हैं और **जो नाटो के सदस्य नहीं हैं।**

इस कदम का महत्व

- **भारत के लिए रक्षा लाभ, जैसे-**
  - यह अधिनियम भारत को अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) के साथ साझा-लागत के आधार पर **सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं** में साझेदार बनने हेतु सक्षम बनाता है।
  - यह डिप्लिटिड **यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स** की खरीद को सक्षम बनाता है।
  - यह अधिनियम जहाजों और सैन्य रसद की प्रदायगी के संदर्भ में भारत को प्राथमिकता प्रदान करता है।
  - अमेरिकी सैन्य अड्डों के बाहर रखे गए रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के युद्धक आरक्षित भंडार को अधिकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं:** NDDA द्वारा व्यापक रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों राष्ट्रों के मध्य वास्तव में निकट रक्षा सहयोग का क्या आशय है और क्या मांग करते हैं।
- **भारत के महत्व को रेखांकित करता है** और भविष्य में USA की योजनाओं में भारत के प्रति विश्वास और केंद्रीयता को दर्शाता है।
- यह भारत और USA के मध्य **स्थायी संबंध सुनिश्चित करता है,** जो भारत को जलवायु परिवर्तन, व्यापार आदि जैसे विभिन्न अन्य मुद्दों पर एक रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करता है।
- **पाकिस्तान पर बढ़त:** नाटो और अमेरिका के साथ संबंधों (जिनमें समय के साथ गिरावट हो रही है) के संदर्भ में पाकिस्तान पर बढ़त **(बॉक्स देखें)** प्रदान करता है। चूंकि, चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में नाटो के सहयोगी के रूप में भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा:** इस व्यवस्था के अमेरिकी कानून में समायोजन के परिणामस्वरूप भारत-अमेरिका साझेदारी को भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप विकसित होने में सहायता प्राप्त होगी।
- **भारत पर किसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं नहीं:** उल्लेखनीय है कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों को संगठन (नाटो) का वित्तपोषण करना पड़ता है। इसके विपरीत MNNA तथा नाटो सहयोगी राष्ट्र अमेरिका के साथ केवल रणनीतिक कार्यकारी साझेदारी (strategic working partnerships) में शामिल हैं।

नाटो के समक्ष चुनौतियाँ

- **US-रूस संघर्षों का समाधान:**
  - अमेरिका ने औपचारिक रूप से **इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF)** संधि से बाहर होने की घोषणा की है। यह संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली स्थल-आधारित मिसाइलों की तैनाती करने पर प्रतिबंध आरोपित करती है।
  - रूस ने यह आरोप लगाया है कि नाटो द्वारा इसके प्रभाव क्षेत्र में मिसाइलों की तैनाती की गई है, इसलिए रूस द्वारा भी अपनी कुछ मिसाइलों को तैनात किया गया है।
- **चीनी विस्तार को नियंत्रित करना:** विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसके विस्तार तथा अफ्रीका और मध्य-पूर्व में इसकी बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में।
- **अमेरिका की उत्सुकता को कम करना:**
  - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गठबंधन को "अप्रचलित" कहना, भविष्य में इस संगठन में अमेरिकी भागीदारी पर संदेह व्यक्त करता है।
  - अमेरिका द्वारा नाटो के बजट में अत्यधिक वित्तपोषण किए जाने के विषय में भी शिकायत की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप

VISION IAS

अमेरिका को संगठन से हटाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव अभी पारित नहीं हो सका है।

- **अमेरिका का अफगानिस्तान से हटने का निर्णय:** यह अन्य नाटो भागीदार राष्ट्रों के मध्य एक चिंता का विषय है।
- **सुरक्षा के नए तरीकों** और अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि जैसे नए क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

समय के साथ नाटो-पाक संबंध

- वर्ष 2001 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी** का दर्जा प्रदान किया गया था।
- वित्तपोषण और रक्षा उपकरण प्राप्त करने के अतिरिक्त पाकिस्तान ने नाटो की निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया है:
    - पाकिस्तानी सेना और नाटो द्वारा **ज्वाइंट इंटेलीजेंस ऑपरेशन सेंटर** की स्थापना की गई है।
    - पाकिस्तान ने नाटो मिशन के लिए भूमि और एयरलाइंस संचार पुन: उपलब्ध कराया है।
- हालाँकि, वर्ष 2017 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को शरण देने और आतंकवाद को वित्तपोषण प्रदान करने का हवाला देते हुए भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के MNNA दर्जे को कम कर दिया था। इसके अतिरिक्त, 1.66 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को भी निलंबित कर दिया गया था।

2.5. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध

(India-UK Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

13वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) की बैठक के दौरान भारत और UK (यूनाइटेड किंगडम) ने खाद्य एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य देखभाल और डेटा सेवाएं जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित व्यापार बाधाओं को समाप्त करने हेतु **तीन नए द्विपक्षीय कार्यकारी समूहों** को गठित करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

इस संबंध में अन्य तथ्य

- व्यवसाय-संघों के नेतृत्व वाले इन तीन नए कार्यकारी समूहों का संचालन **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के साथ UK-इंडिया बिजिनेस काउंसिल (UKIBC)** द्वारा किया जाएगा।
- ये तीनों समूह प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों से निपटने हेतु विभिन्न समाधानों की पहचान करेंगे तथा इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से UK एवं भारत के मंत्रियों को अनुशंसा करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि, इन तीनों नए द्विपक्षीय कार्यकारी समूहों की शुरुआत **13वीं JETCO बैठक** के भाग के रूप में की गयी है।

इंडिया-UK के मध्य द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र

- **JETCO:** भारत और UK के मध्य रणनीतिक आर्थिक संबंध विकसित करने हेतु 13 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना की गयी थी। दोनों राष्ट्रों के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के मध्य सितंबर 2004 में "*इंडिया-UK टुवर्ड्स अ न्यू एंड डायनामिक पार्टनरशिप*" नामक एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् इसकी स्थापना हुई थी।
- **इंडिया-UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग (EFD):** प्रत्येक देश की आर्थिक नीति के एजेंडे और वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के आलोक में इसका उद्देश्य भारत और UK के मध्य वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- **इंडिया-UK फाइनेंशियल पार्टनरशिप (IUKFP):** यह दोनों राष्ट्रों के वित्तीय सेवाओं से संबद्ध उद्योगों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करेगा और विश्व के दो प्रमुख वित्तीय केंद्रों लंदन एवं मुंबई के मध्य सहयोग को मजबूत बनाएगा।
- **इंडिया-UK सीईओ फोरम (India-UK CEO's Forum):** इस फोरम का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के स्तर में वृद्धि करने हेतु सरकारों को संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना है।

UK-इंडिया बिजनस काउंसिल (UKIBC):

- **UKIBC**, एक गैर-लाभकारी निकाय है, जिसे UK और भारत के मध्य आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह JETCO वार्ताओं के लिए एक सचिवालय की भूमिका का भी निर्वहन करता है तथा UK की कंपनियों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे कि वे अपने संबंधों (लिंक) को प्रोत्साहित कर सकें तथा भारतीय व्यवसायों के साथ नई साझेदारी विकसित कर सकें।

VISION IAS

भारत-UK संबंध

- **आर्थिक:**
  - 2015-2018 के मध्य विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-UK व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि इस अवधि के दौरान भारत और UK के मध्य कुल व्यापार में 27% की वृद्धि हुई है।
  - मारीशस, सिंगापुर और जापान के पश्चात् UK, भारत में निवेश करने वाला **चौथा सबसे बड़ा निवेशक** है। भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में UK की हिस्सेदारी लगभग 7% है।
  - भारत, UK में **तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। UK में भारतीय कंपनियों द्वारा 1,10,000 नौकरियों का सृजन** किया गया है। ये कंपनियां यहाँ दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौकरी सृजनकर्ता के रूप में उभरी हैं।
- **शिक्षा: इंडिया-UK एजुकेशन फोरम, UK-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (UKIERI), जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एजुकेशन, न्यूटन-भाभा फंड एंड स्कॉलरशिप स्कीम** जैसे द्विपक्षीय तंत्रों की शुरुआत के साथ-साथ विगत 10 वर्षों में, द्विपक्षीय संबंधों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** अनुसंधान के क्षेत्र में भारत एवं UK के संयुक्त निवेश में वृद्धि हुई है।
  - सौर ऊर्जा भण्डारण और ऊर्जा दक्ष भवन सामग्रियों में सहयोगी शोध एवं विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रण हेतु **भारत-UK स्वच्छ ऊर्जा शोध एवं विकास केंद्र** की घोषणा की गई है।
  - दोनों राष्ट्रों के मध्य 80 मिलियन पाउंड मूल्य वाली एक नई शोध साझेदारी स्थापित की गयी है। इसमें 13 मिलियन पाउंड मूल्य का एक संयुक्त निवेश **{रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर एक नया संयुक्त रणनीतिक समूह}** भी सम्मिलित है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारतीय पर्यटकों के लिए, UK पांचवां सर्वाधिक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है।

चुनौतियां

- **प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां:** भारत वीजा नियमों को सुगम बनाने की मांग कर रहा है, किन्तु UK द्वारा इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है।
  - हाल ही में, UK के गृह कार्यालय द्वारा उदार स्टूडेंट्स वीजा नियमों वाले निम्न जोखिम राष्ट्रों की नई सूची से भारत को बाहर रखा जाना चिंता का विषय है।
- **भारतीय छात्रों की संख्या में कमी:** UK जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2009-10 की लगभग 40,000 से घटकर 2017-18 में 20,000 हो गयी हैं। यह संख्या अध्ययन हेतु अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का चयन करने वालों की तुलना में कम है।
- **चीन के प्रति झुकाव:** चीन की तुलना में भारत के साथ कम अनुकूल व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 2016 में प्रारंभ की गई UK की पायलट योजना के द्वारा चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकों की तुलना में लगभग चार गुना सस्ती दर पर मल्टीपल एंट्री वीज़ा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **पूर्व उपनिवेशों के समान व्यवहार:** समस्या का केन्द्र बिंदु औपनिवेशिक मानसिकता है, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश विदेश नीति के तहत पूर्व उपनिवेशों को मुख्य रूप से एक बाजार समझा जा रहा है।
  - वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश स्वयं में अब प्रमुख आर्थिक शक्ति बन चुके हैं और अपनी नई स्थिति (जिसे पूर्ण रूप से वास्तविकता में परिवर्तित नहीं किया जा सका है) के अनुसार समान भागीदार के रूप में व्यवहार किए जाने की अपेक्षा रखते हैं।

हालिया विकास

- **UK-इंडिया टेक पार्टनरशिप:** यह UK के व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों को भारत के राज्यों के साथ संबद्ध करेगा।
- **एक्सेस इंडिया प्रोग्राम:** UK के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सितंबर 2017 में **'एक्सेस इंडिया प्रोग्राम (AIP)'** की शुरुआत की थी। .
  - AIP प्रोग्राम का प्राथमिक फोकस भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों पर है अर्थात् ऐसी कंपनियां जो 'मेक इन इंडिया' पहल के भाग के रूप में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने की इच्छुक हैं।

VISION IAS

- **रुपया मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड:** जुलाई 2016 से लंदन में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक के रुपए-मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड जारी किए जा चुके हैं। HDFS, NTPC, NHAI आदि ने ये बॉण्ड जारी किए हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड:** भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) ने ग्रीन बॉण्ड जारी कर 500 मिलियन डॉलर की राशि उगाही है। IRFC ने इन बॉण्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराया है।
- **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष:** राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के तहत इंडिया-UK सब फंड (भारत-UK उप-कोष) में प्रत्येक के द्वारा 120 मिलियन पाउंड का एंकर निवेश किया जाएगा।
- **वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान:** वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत वाराणसी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु नई तकनीकी सहायता को UK द्वारा विस्तारित किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल को समर्थन प्रदान करना:** एक 'स्टार्ट-अप इंडिया वेंचर कैपिटल फंड' हेतु अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड के निवेश के अलावा, UK द्वारा 75 स्टार्ट-अप उद्यमों में 160 मिलियन पाउंड का निवेश किया जाएगा।
- **फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज**: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए 22 सितंबर 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में भारत की फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज की शुरूआत की।

आगे की राह

- **निवेश और व्यवसाय के क्षेत्र में भारत व UK के मध्य सहयोग** वास्तविक रूप में दोनों राष्ट्रों के उद्यमशीलता के परिवेश को रूपांतरित कर सकता है।
- भारत और UK के **मध्य मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को पुनः जीवंत बनाने हेतु द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप प्रदान** करने के लिए दोनों पक्षों को अग्रसक्रिय होकर एवं उत्साहित रूप से कार्य करना आवश्यक है।
- द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों के समाधान, रक्षा संबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और अन्य **महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दोनों राष्ट्रों को निरंतर बैठकें और चर्चा** करनी चाहिए।
- **शिक्षा एवं कौशल विकास, स्मार्ट सिटीज एवं तकनीकी सहयोग, उन्नत विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग** जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं।
- यह ज्ञात करने हेतु कि UK और भारत के मध्य आयात/निर्यात में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है, **UK और भारतीय व्यवसायों के मध्य घनिष्ठ संबद्धता एवं परामर्श** {विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) जिनके द्वारा पहले से ही निर्यात किया जा रहा है} स्थापित करना।
- भारत-UK मुक्त व्यापार समझौता, निसंदेह, प्रशुल्कों को कम करके और मानकों को संरेखित करके व्यापार को बढ़ावा देगा। अतः UK और भारत की सरकारों द्वारा की जा रही **संयुक्त व्यापार समीक्षा (Joint Trade Review: JTR)** एक महत्वपूर्ण पहल है, जो UK द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने के पश्चात् एक घनिष्ठ एवं व्यापक व्यापार समझौते की नींव रखते हुए, त्वरित लाभ सुनिश्चित करेगी।
- **डिजिटल तकनीक का उपयोग** भारत के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रक्रिया के साथ आउटसोर्सिंग सेवाएं, जैसे- ट्रांसप्रिस्क्रिप्सन के साथ-साथ **टेलीमेडिसिन, टेली-सर्जरी और टेली-डायग्नोसिस** संबंधी सेवाओं के निर्यात का अवसर प्रदान कर सकता है।

2.6. भारत-फ्रांस

(India-France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा ने भारत-फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

हालिया विकास

- दोनों देशों ने **"म्युचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट"** पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को भारतीय तटों पर लौटने के लिए ऑपरेशनल टर्नअराउंड हेतु पुनः ईंधन भरने के लिए जिबूती स्थित फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

- दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी के "उपग्रह समूह (constellation)" के एक भाग के रूप में 8-10 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई है।
- **नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (CNES)** और इसरो ने वर्ष **2022 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान (गगनयान)** के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व बायो-एस्ट्रोनॉटिक्स हेतु एक समझौता किया है।
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) ने फ्रेंच नेशनल रेलवे (SNCF) और AFD (भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम की सहायता करने हेतु एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- इस चर्चा का व्यापक फोकस, भविष्य के रक्षा अधिग्रहण, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में प्रगति, अभिसरण, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक एवं राजनीतिक प्राथमिकताओं सहित फ्रांस और भारत को प्रमुख रणनीतिक तथा समान विचारधारा वाले भागीदार के रूप में पुन: पुष्टि करने एवं रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने पर रहा।
- डिजिटल स्पेस में, दोनों देशों ने **एक साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी रोड मैप** को अपनाया है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व एक्सास्केल सुपरकंप्यूटिंग** के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने हेतु सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग और एटोस (Atos) के मध्य एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

सहयोग के क्षेत्र

- **समुद्री सुरक्षा सहयोग / इंडो-पैसिफिक क्षेत्र:**
  - **द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन** और **समुद्री निगरानी के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान**।
  - **बहुपक्षीय निकायों में सहयोग को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** में फ्रांस की दावेदारी को भारत का समर्थन तथा वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS) में फ्रांस की अध्यक्षता, जैसे सहयोगात्मक कदम से फ्रांस की प्राथमिकताओं के साथ भारत के निकटता से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगे।
  - जिबूती, अबूधाबी और रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे भारत के लिए संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि भारत स्वयं ओमान (ड्यूक), मॉरीशस और सेशेल्स (अजंपशन आइलैंड) में नौसेना की सुविधाओं का निर्माण करना चाहता है।
- **अंतरिक्ष**
  - वर्ष 2015 में ही फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) के मध्य परियोजनाओं को संवर्द्धित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
    - इसने जलवायु मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग हेतु भारत के ओशनसैट-3 उपग्रह (जिसमें फ्रांस के आर्गोस सिस्टम की सहायता ली जा रही) के वर्ष 2019 में लांच संबंधी संयुक्त मिशन को अंतिम रूप देने में नेतृत्व प्रदान किया है।
    - इसके परिणामस्वरूप थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए संयुक्त रूप से विकसित तीसरे उपग्रह, 'तृष्णा' को प्रक्षेपित किया गया है।
    - फ्रांस, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो के, **मंगल (Mars) और शुक्र (Venus) पर भविष्य में भेजे जाने वाले अंतर-ग्रहीय मिशनों** में योगदान देने पर भी विचार कर रहा है।
  - अंतरिक्ष सहयोग के लिए वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित महत्वाकांक्षी संयुक्त विजन ने अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा समुद्री निगरानी हेतु सूक्ष्म उपग्रहों के एक समूह (constellation) पर कार्य शुरू करने में सक्षम बनाया।
- **राजनीतिक/विदेशी संबंध:** आतंकवाद एवं कश्मीर संबंधी मुद्दों पर भारत के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में फ्रांस का उदय हुआ है।
- फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है तथा इसने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कण्ट्रोल रिजीम) (जून 2016 में MTCR में, वर्ष 2017 में वासेनार अरेंजमेंट, जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में प्रवेश) में भारत के प्रवेश का समर्थन किया है।

VISION IAS

- **रक्षा संबंध:**
  - फ्रांस और इसके रक्षा उद्योग, रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।
  - प्रथम परंपरागत पनडुब्बी, स्कॉर्पीन {जिसका निर्माण वर्ष 2008 में DCNS (फ्रांस की एक नौसैन्य क्षेत्र की कंपनी) से प्रौद्योगिकी एवं सहयोग प्राप्त होने पर भारत में शुरू हुआ} का वर्ष 2015 में समुद्री परीक्षण शुरू किया गया और दूसरी स्कॉर्पीन पनडुब्बी का जलावतरण जनवरी 2017 में हुआ।
  - सितंबर 2016 में **36 राफेल लड़ाकू** विमानों के अधिग्रहण (भारत द्वारा) पर एक समझौता हुआ।
- **आतंकवाद का मुकाबला करना:** हाल के वर्षों में फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों ने साइबर सुरक्षा एवं चरमपंथ पर चर्चाओं सहित आतंकवाद का मुकाबले करने संबंधी सहयोग के दायरे को बढ़ा दिया है।
- **वस्तुओं से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार:** वर्ष 2018 में, भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार विगत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.60% वृद्धि के साथ 11.52 बिलियन यूरो रहा। इस अवधि के दौरान भारत का फ्रांस में निर्यात, 11.77% वृद्धि के साथ 5.99 बिलियन यूरो था।
- **भारत में फ्रांस द्वारा निवेश:** फ्रांस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। फ्रांस भारत में 10वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
  - फ्रांस, **फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ़ स्मार्ट सिटीज** के तहत चंडीगढ़, नागपुर और पुदुचेरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **परमाणु क्षेत्र:** परमाणु क्षेत्र में, छ: EPR (यूरोपियन प्रेशराइइज्ड रियक्टर) परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिए लगभग एक दशक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी कुल क्षमता 9.6 GW थी, जिसके लिए NPCIL (भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड) और अरेवा तथा अब ईडीएफ (EdF) के मध्य वार्ता चल रही है।
  - NPCILऔर EdF के मध्य औद्योगिक उपायों पर अग्रेसित समझौता, जिसके तहत जैतापुर में चल रहे कार्य को वर्ष 2018 के अंत से पूर्व पूरा करने की घोषणा की गयी।
- **शैक्षणिक संबंध:** संभावित रूप से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम युवा एवं विद्यार्थियों के आवागमन (student exchanges) पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रति वर्ष चीन से फ्रांस जाने वाले 2,50,000 से अधिक छात्रों की तुलना में लगभग 2,500 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं।
- **पर्यटन:** वर्ष 2020 के लिए एक लाख भारतीय पर्यटकों तथा 3,35,000 फ्रांसीसी पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** वर्ष 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत फ्रांस और भारत द्वारा सक्रिय रूप से अपने सहयोग को सुदृढ़ रूप प्रदान किया गया था। साथ ही, इन्होंने इस समझौते के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया है। इन्होंने संयुक्त रूप से **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** का शुभारंभ किया है।

निष्कर्ष

भारत और फ्रांस जैसे राष्ट्रों के लिए नेतृत्व करने तथा इतिहास बनाने के साथ-साथ उदयमान संस्थागत ढांचे को आकार देने हेतु यह उपयुक्त समय है। इस यात्रा के कारण भारत-फ्रांस की द्विपक्षीय भागीदारी में अपरिमित संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व उनका दोहन करने हेतु उत्सुक हैं।

2.7. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन

(No First Use Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत को भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर अपनी 'नो फर्स्ट यूज' (परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति) नीति को परिवर्तित करने का अधिकार है। ज्ञातव्य है कि यह सिद्धांत दशकों से भारत की परमाणु नीति का आधार रहा है।

पृष्ठभूमि

- **"नो फर्स्ट यूज़" (NFU) एक देश द्वारा किया गया एक संकल्प** है जिसके अनुसार वह देश तब तक अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग युद्ध के एक साधन के रूप में नहीं करेगा जब तक कि कोई प्रतिद्वंदी राष्ट्र पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है।
- इन नीतियों की प्रकृति सामान्यत: घोषणात्मक रही हैं और इसे सत्यापित करने या लागू करने हेतु कोई कूटनीतिक व्यवस्था मौजूद नहीं है।
  - वे राष्ट्र जिन्होंने इस प्रकार का संकल्प किया है वे अभी भी संघर्ष की स्थिति में पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं।

VISION IAS

- भारत ने **पोखरण II** परीक्षण के पश्चात वर्ष 1998 में "NFU" नीति को यह कहते हुए अपनाया था कि इसने हाल ही में परमाणु हथियार प्राप्त किए हैं और उसके द्वारा इसका प्रयोग केवल एक निवारक/भयादोहन (detterent) के रूप में किया जाएगा।
- हाल के दिनों में, कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस नीति को रद्द करने की मांग की है।
    - दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नवंबर 2016 में कहा था कि भारत को इस प्रकार के संकल्प का कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए"।
    - स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के पूर्व कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बी. एस. नागपाल ने हाल ही में इसे "फार्मूला फॉर डिजास्टर" के रूप में वर्णित किया है।

अन्य देशों में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी

- वर्ष 1964 में परमाणु शक्ति बनने के पश्चात **चीन** इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम देश बना था, जिसने इसे देश की परमाणु रणनीति के "विशुद्ध रूप से आत्मरक्षात्मक प्रकृति" के संकेत के रूप में वर्णित किया था।
- अमेरिका द्वारा कभी भी **NFU नीति घोषित नहीं** की गयी है।
- वर्ष 1982 में, सोवियत संघ ने संकल्प किया कि उसके द्वारा एक NFU नीति को अपनाया जाएगा और वह संघर्ष के दौरान परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि, वर्ष 1993 में रूस ने इस विचार से अपने को अलग करते हुए कहा कि अन्य राष्ट्रों के समान वह उन दूसरे देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है।
- पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है।
- वर्तमान में केवल **चीन** और **भारत** ही ऐसे परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं जिन्होंने शर्तरहित NFU संकल्प को अपनाया हुआ है।

भारत का परमाणु सिद्धांत

- **भारत का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत 4 जनवरी 2003 को जारी किया गया था।** इसमें दो आकस्मिक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था, जिसके तहत परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता था:
    - जब भारतीय राज्य क्षेत्र पर परमाणु हमला हुआ हो, या
    - भारत के बाहर भारतीय सेना पर हमला किया गया हो।
- भारतीय सिद्धांत में यह भी उल्लेख किया गया था कि भारत द्वारा **गैर-परमाणु-संपन्न राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा** और इस प्रकार के पदार्थों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कठोर नियंत्रण स्थापित करेगा।
- **जवाबी कार्रवाई में हमले करने का अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सिविलियन राजनीतिक नेतृत्व के पास** होता है।
- **हालांकि, इस सिद्धांत में एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण चेतावनी शामिल है:** "भारत के विरुद्ध या कहीं पर भी भारतीय बलों पर, जैविक या रासायनिक हथियारों से एक बड़े हमले की स्थिति में, भारत के पास परमाणु हथियारों के द्वारा जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प होगा"।
- भारत वैश्विक, सत्यापनीय और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से **परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है।**

भारत के लिए NFU का महत्व

- **यह जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की छवि का निर्माण करता है:** राजनयिकों ने प्राय: देश को एक 'उत्तरदायी' राज्य के तौर पर सिद्ध करते हुए पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करने की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया है और इस तरह वे किसी भी ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करने संबंधी दबाव का विरोध करते हैं जो इनके परमाणु हथियारों को प्रभावित करती हैं। इससे भारत को भी NSG में छूट प्राप्त करने तथा MTCR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे विशिष्ट परमाणु समूहों में प्रवेश करने में सहायता मिली है।
- **परंपरागत युद्ध से बचने हेतु:** पाकिस्तान की अस्पष्ट परमाणु नीति के विपरीत, भारत की NFU नीति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले तथा 2008 में मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के मध्य परंपरागत युद्ध को टाला गया है।

VISION IAS

- **फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता हेतु सुदृढ़ सेकंड स्ट्राइक क्षमता की आवश्यकता होती है:** फर्स्ट स्ट्राइक के लिए एक देश को सेकंड स्ट्राइक क्षमता की आवश्यकता होती है क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर ऐसी कोई "भयावह" स्थिति नहीं होती है जिसके द्वारा विरोधी देश की संपत्ति और नेतृत्व को 100% समाप्त कर दिया गया हो।
- **सिविलियन कंट्रोल (Civilian control):** यह सुनिश्चित करता है कि कमांड एंड कंट्रोल सिविलियन राजनीतिक नेतृत्व के पास दृढ़ता से रहना चाहिए।
- **ग्लोबल नो फर्स्ट यूज (GNFU) व्यवस्था:** भारत के लिए NFU, ग्लोबल नो फर्स्ट यूज (GNFU) व्यवस्था की ओर चीन के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सहयोग का अवसर भी प्रदान करती है। विशेषत: परमाणु हथियारों को राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रखने संबंधी विचारों में एकरूपता है।

दृष्टिकोण में बदलाव की मांग के कारण

- **चीन की परंपरागत शक्ति:** NFU नीति एक ऐसी शक्ति के अनुकूल है जो केवल परमाणु युद्धों को प्रतिबंधित करना चाहती है। यह एक ऐसे राज्य के अनुकूल नहीं है जो अपने शत्रु की तुलना में परंपरागत मोर्चे (या अधिक व्यापक तौर पर, गैर-परमाणु) पर अत्यधिक सुदृढ़ नहीं है। भारत और चीन के मध्य परंपरागत असमानता न केवल अधिक है, बल्कि यह अधिक सुस्पष्ट भी है। यह भारत की NFU नीति पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है।
- **पाकिस्तान के सामरिक परमाणु खतरे:** पाकिस्तान समय-समय पर यह चर्चा करता रहता है कि यदि भारतीय सैन्य बलों द्वारा उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई प्रयास किया गया तो वह उनके विरुद्ध सामरिक परमाणु हथियारों (TNW) का प्रयोग कर सकता है। साथ ही, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों जैसे सब-कन्वेंशनल साधनों के प्रयोग के माध्यम से भारत के परंपरागत लाभ को अवरुद्ध किया गया है।
- **भारत को जवाबी कार्रवाई (retaliated) करने से पूर्व फर्स्ट स्ट्राइक से प्रभावित होना पड़ेगा:** यह तर्क दिया जाता है कि जब भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ युद्ध की स्थिति में होने तथा दोनों के द्वारा एक साथ आक्रामक हमला किया जाता है तो ऐसी स्थिति में NFU सिद्धांत एक आदर्श नहीं हो सकता है।

बदलती परिस्थितियों के कारण भारत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **भारत की छवि:** NFU नीति पर पुनर्विचार करने से भारत द्वारा लंबे समय से जिम्मेदार राज्य के रूप में अर्जित प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं:** फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाने से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित होंगे क्योंकि इनमें भारत के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इनकी निकटता चीन के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक NFU की नीति के प्रति इसकी (चीन) प्रतिबद्धता के कारण चीन उनका एक वैकल्पिक संरक्षक बन सकता है।
- **मौजूदा परमाणु संरचना:** यदि भारत को NFU नीति में अकस्मात परिवर्तन करना पड़ा, तो भारत को इसके लिए मौजूदा परमाणु संरचनाओं, चेतावनी संबंधी व्यवस्था, तैनाती और कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन करने होंगे। साथ ही, वितरण प्रणाली और युद्धक सामग्री में भी अत्यधिक वृद्धि करनी होगी।
- **चीन भी अपनी NFU नीति को संशोधित कर सकता है:** यदि भारत अपनी NFU नीति में परिवर्तन करता है, तो इससे दक्षिण एशिया में अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तथा साथ ही यह चीन को भी अपनी NFU नीति को संशोधित करने का अवसर प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

- सभी सिद्धांतों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता होती है और भारत का परमाणु सिद्धांत कोई अपवाद नहीं हैं। तेजी से परिवर्तित हो रहे सामरिक परिवेश में यदि भारत के नीति निर्माताओं को राष्ट्र के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें इसमें शामिल लागतों को ध्यान में रखना चाहिए। एक सुदृढ़ नीतिगत वाद-विवाद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक तथाकथित नीतिगत स्थानांतरण की लागत और लाभों पर व्यापक रूप से चर्चा एवं वाद-विवाद किया गया है।

VISION IAS

2.8. भारत: जलवायु कूटनीति

(India: Climate Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने साओ पाउलो (ब्राजील) में BRICS एवं BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक पर्यावरण नीति के मामले में भारत की भूमिका इन नीतियों का विरोध करने वाले से वैश्विक पर्यावरण प्रयासों को आकार एवं सहयोग देने के रूप में परिवर्तित हुई है।
- आर्थिक वृद्धि के सापेक्ष उत्सर्जन न्यूनीकरण के सन्दर्भ में भारत के प्रयास, अत्यधिक सकारात्मक रहे हैं। यहां तक कि विश्व बैंक ने भी नवीकरणीय ऊर्जा की नीलामी में भारत की सफलता की प्रशंसा की है, जिसमें भारत ने सौर ऊर्जा के लिए अब तक की सर्वाधिक न्यूनतम कीमत के रूप में रिकॉर्ड स्थापित किया है।

ग्रीन गुड डीड के बारे में

2018 में, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा **देशव्यापी सामाजिक आंदोलन** शुरू किया गया था। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा 500 से अधिक 'ग्रीन गुड डीड' की सूची तैयार की गयी थी तथा लोगों से अपने हरित सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार में हरित वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा गया था।

जलवायु कूटनीति के बारे में

- राजनीतिक पारिस्थितिकी और पर्यावरण नीति के तहत जलवायु अभिशासन वस्तुतः कूटनीति, क्रियाविधि तथा प्रतिक्रियात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है "जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न जोखिमों की रोकथाम, शमन व अनुकूलन के लिए सामाजिक प्रणालियों को संचालित करना है।"
- वर्तमान में जलवायु नीति **वैश्विक पर्यावरणीय अभिशासन प्रयासों का केंद्र बन** गई है।

जलवायु कूटनीति के संबंध में भारत का बढ़ता प्रभाव

- **वैश्विक प्रयासों में अग्रणी:** सयुंक्त राज्य अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) के अनुसार भारत अपने अधिकांश पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक दशक पूर्व ही अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर एक वैश्विक जलवायु अग्रणी देश बन गया है।
  - इसी प्रकार, पर्यावरण पर हाल ही में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों द्वारा अपने आधिकारिक एजेंडे के रूप में, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन **"ग्रीन गुड डीड्स"** को शामिल करने के लिए सहमति प्रदान की गई है।
  - संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) के 14वें COP (कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज) की अध्यक्षता हेतु भारत की सराहना की जा रही है। ज्ञातव्य है कि जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - हाल ही में, भारत द्वारा 15 मिलियन डॉलर के वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के नए निवेश चक्र में अपने योगदान में 25 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी है।
  - राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष सयुंक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान **"चैंपियंस ऑफ़ अर्थ अवार्ड"** के लिए चुना गया था।
- **नीतिगत समर्थन और योजनाएं:** शहरी पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वच्छ भारत मिशन, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs), राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, विद्युत गतिशीलता, समुद्री कचरा, शहरी वानिकी योजना, संसाधन दक्षता नीति का विकास इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण पहलों को ब्रिक्स देशों सहित विभिन्न मंचों द्वारा अभिस्वीकृति प्रदान की गयी है।
  - हाल ही में, सरकार द्वारा "मानव स्वास्थ्य मिशन (Mission on Human Health)" और "तटवर्ती क्षेत्रों के लिए मिशन (Mission for Coastal Areas)" जैसे नए मिशनों को जोड़कर निरंतर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के दायरे को विस्तृत किया गया है।

VISION IAS

- **अन्य देशों के साथ 'व्यावहारिक' और 'परिणाम-उन्मुख' जलवायु कूटनीति पहलों में संलग्नता:** 14वें भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों द्वारा न केवल स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त वक्तव्य को स्वीकृति प्रदान की गई, अपितु "अनुसंधान व नवाचार के लिए भारत और यूरोपीय संघ के फ्रेमवर्क कार्यक्रम **'होराइजन (Horizon) 2020'** के तहत दोनों देशों के मध्य शोध सम्बन्धी सहयोग को तीव्र करने एवं पारस्परिक सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए भी सहमति प्रदान की गई।"
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के समान बहुपक्षीय सहयोगात्मक ढांचे का निर्माण।
- **काटोवाइस में संपन्न COP-24 में भूमिका:** इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के दृढ़तापूर्वक समाधान के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक रोडमैप विकसित करने में भारत की बहुपक्षीय कूटनीति सफल रही है। इसके साथ, नवीकरणीय ऊर्जा की नीलामी में भारत की सफलता, उत्सर्जन को कम करने के अतिरिक्त, वर्ष 2022 तक देश में सभी एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने जैसी बड़ी प्रतिबद्धताओं के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की गई है।
  - COP-24 वार्ता में अपने सुरक्षित अधिकार का प्रयोग करते हुए, भारत द्वारा वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने वाली नियमावली में ग्लोबल स्टॉकटेकिंग से संबंधित नियमों में असमानता के कारण विरोध किया गया था।
- **निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना:** भारतीय निजी क्षेत्र भी उन प्रमुख वैश्विक कंपनियों की श्रेणी में शामिल है जो कार्बन ऋणात्मक बने रहने के लिए वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वर्ष 2040 तक कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है।

भारतीय जलवायु नीति का इतिहास

- **वैश्विक जलवायु राजनीति में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है:** भारत बढ़ते उत्सर्जन के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, अतः जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण है। हालांकि, भारत की स्थिति में निहित द्वंद्व, अर्थात् जहाँ एक ओर भारत वर्तमान में एक बड़ा उत्सर्जक देश है, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन (जिसके कारण यह अत्यधिक सुभेद्य स्थिति में भी है) के लिए यह ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी भी नहीं है, भारत को एक विचित्र स्थिति में ला खड़ा करता है। जलवायु परिवर्तन से संबद्ध आरंभिक वार्ताओं में भारत की स्थिति के मूल सिद्धांत के रूप में, उत्तर (मुख्यतः पश्चिमी राष्ट्र) की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और वैश्विक कार्बन बजट में प्रति व्यक्ति अधिकारों (per capita rights) को भारत के जलवायु वार्ताकारों द्वारा तीव्रता से अपनाया गया था।
- रियो सम्मेलन के उपरांत, भारत द्वारा वैश्विक जलवायु वार्ताओं में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया गया है और इस संबंध में किए गए प्रयासों को वार्ताओं के संबंध में महत्वपूर्ण माना गया, जो अंततः वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में परिणत हुई। भारत अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपने हितों को सफलतापूर्वक संरक्षित करने में सक्षम रहा है तथा इसके साथ-साथ विकसित देश को और अधिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करने पर भी बल देता रहा है।
- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित COP 15 के दौरान अन्य उभरते देशों के साथ भारत की जलवायु नीति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में बाली में आयोजित COP 13 में ही भारत ने स्वीकार किया था कि कम से कम अपनी क्षमताओं के अनुरूप स्वैच्छिक आधार पर विकासशील देशों को भी वैश्विक शमन प्रयासों में भाग लेना चाहिए।
  - **घरेलू स्तर पर, वर्ष 2008 में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change : NAPCC)** को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 के अंत में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन से पूर्व, **अन्य BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों के साथ** भारत ने अपने उत्सर्जन की गहनता को वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक 20-25 प्रतिशत कम करने हेतु स्वैच्छिक लक्ष्यों की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, यह भी स्वीकार किया गया था कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को एनेक्स-I देशों हेतु निर्धारित उत्सर्जन से अधिक नहीं होने दिया जाएगा।
- COP-17 के दौरान डरबन में विभिन्न देशों द्वारा **बाली एक्शन प्लान** को समाप्त करने पर सहमति प्रदान की गई और इसे एक नई प्रक्रिया **'डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस्ड एक्शन'** से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसके सहयोग से जलवायु कार्रवाई हेतु उत्तर

VISION IAS

और दक्षिण के मध्य व्याप्त असहमति का समाधान किया गया। समता और CBDR (सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व) के महत्व पर बल देने वाले कोपेनहेगन समझौते तथा कानकुन समझौतों के विपरीत, डरबन प्लेटफॉर्म द्वारा इन संस्थापक सिद्धांतों को महत्व प्रदान करने के स्थान पर वर्ष 2015 तक सभी पर लागू किए जा सकने वाले एक नए वैश्विक समझौते के संबंध में वार्ता का आह्वान किया गया। यह वैश्विक जलवायु राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत था।

- **COP 21 और पेरिस समझौता:** वर्ष 2013 में वारसॉ में आयोजित COP 19 के दौरान NDCs का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) को अंतिम स्वरुप प्रदान किया गया, जिसे वर्ष 2014 में लिमा में आयोजित COP 20 में भारत सहित अन्य देशों द्वारा अपनाया गया। पेरिस वार्ता के दौरान ही, भारत द्वारा जलवायु नीति के संदर्भ में 1.5 डिग्री के लक्ष्य को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। भारत का मानना था कि ऐसा नहीं करने पर इसे संभावित रूप से कठोर उत्सर्जन मानकों का पालन करना पड़ सकता है जो देर से औद्योगिकीकरण हासिल करने वाले देशों (यथा- भारत) के लिए प्रतिकूल हो सकता है।
    - भारत द्वारा COP 21 के अनुरूप **वैश्विक सौर गठबंधन** की भी शुरुआत की गई थी। यह अपने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार हेतु अत्यधिक बल भी दे रहा है।
    - इन कार्यवाईयों के परिणामस्वरूप तथा COP 21 वार्ताओं और इसके शीघ्र अनुसमर्थन के पश्चात्, **वैश्विक जलवायु नीति में भारत के "नेतृत्व" की विभिन्न टीकाकारों द्वारा सराहना** की गई है। (PTI 2016)

आगे की राह

- **नेतृत्वकारी भूमिका से संबंधित अंतराल को कम करना:** जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका का संशयवादी दृष्टिकोण, भारत व चीन जैसे देशों को अपने सामान्य हितों की पूर्ति हेतु अवसर प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला क्षेत्र का रूपांतरण, नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक वाहनों का शीघ्र विकास एवं प्रयोग, संधारणीय शहरी अवसंरचना का निर्माण और अनुसंधान एवं विकास तथा जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के सीमा पार हस्तांतरण पर सहयोग करना शामिल है।
- **जलवायु कूटनीति का भविष्य** एक व्यापक नॉलेज-एक्शन नेटवर्क के निर्माण पर निर्भर करता है जो सहयोगात्मक, ट्रांस-डिसिप्लिनरी, नवाचार और समाधान-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देता हो तथा संधारणीयता को प्रोत्साहित करने वाली दीर्घकालिक रणनीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता करता हो।
- **जलवायु कूटनीति को अन्य एजेंडों के साथ सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता** है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों (SDG), जैव-विविधता, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, भूमि विकास आदि। भारत द्वारा तीव्र गति से महत्वपूर्ण सुधार करने और सार्वजनिक नीति एवं निवेश संबंधी निर्णयों में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने की आवश्यकता है।

2.9. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

(International Labour Organization: ILO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization: ILO) की **100वीं** वर्षगांठ का सूचक है।

ILO के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने, नीतियों को विकसित करने तथा सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्माननीय कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु अपने 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं व श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मंच प्रदान करती है।
- प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्ष 1919 की वर्साय की संधि के एक हिस्से के रूप में इसे स्थापित किया गया था।
- वर्ष 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट एजेंसी के रूप मे नामित किया गया था तथा इसे वर्ष 1969 में **नोबेल शांति पुरस्कार** प्रदान किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।

- ILO के तीन अंग निम्नलिखित हैं:
  - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conferences):** ILO की जनरल असेम्बली की बैठक प्रत्येक वर्ष जून माह में आयोजित की जाती है।
  - **शासी निकाय (Governing Body):** ILO की कार्यकारी परिषद की बैठक एक वर्ष में तीन बार (मार्च, जून और नवंबर) आयोजित की जाती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office):** यह एक स्थायी सचिवालय है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक

- ILO द्वारा **कन्वेंशनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण** किया जाता है, जो सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एवं अनुशंसित हैं तथा इसकी प्रकृति **गैर-बाध्यकारी** है।
- सरकार, श्रमिक और नियोक्ताओं के समूह की अनुशंसाओं के आधार पर कन्वेंशनों को तैयार किया जाता है।
- ILO कन्वेंशन की पुष्टि कर कोई सदस्य देश इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना सकता है।
- कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनाने हेतु एक उपकरण के रूप में इन कन्वेंशनों का उपयोग करते हैं।

ILO का कार्य

- अपने मिशन के हिस्से के रूप में, ILO का उद्देश्य **सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करते हुए सभी के लिए सम्माननीय कार्य उपलब्ध** करने के साथ-साथ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा** देना है।
- **ILO के मुख्य कार्य निम्नलिखित** हैं:
  - सामाजिक तथा श्रम संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु **समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों** का निर्माण करना।
  - समझौतों एवं अनुशंसाओं के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों** को स्वीकार करना और उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना।
  - सामाजिक और श्रम समस्याओं का समाधान करने हेतु **सदस्य देशों की सहायता करना**।
  - **मानवाधिकार संरक्षण** (कार्य करने का अधिकार, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाज़ी, बालात श्रम एवं भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण आदि)।
  - सामाजिक एवं श्रम मुद्दों से संबंधित **शोध और प्रकाशन**।

ILO का योगदान

- **श्रमिक अधिकार: कार्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों से संबंधित ILO घोषणा-पत्र** को वर्ष 1998 में अपनाया गया था जिसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकार सार्वभौमिक हैं तथा ये सभी राज्यों (किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर को शामिल किए बिना) के सभी लोगों पर लागू होते हैं।
- **बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन और न्यूनतम वेतन का प्रबंध करना:** ILO बंधुआ श्रम के उन्मूलन और न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के लागू करने के संबंध में कार्य करता हैं। इसके द्वारा निगमों के लिए समान तथा सार्वभौमिक मानकों का निर्धारण किया गया है। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 1998 में इस संदर्भ में कार्य संबंधी मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के घोषणा-पत्र को अपनाया गया था।
- **रोजगार:** ILO ने रोजगार सृजन के विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया है अर्थात सरकारी नीतिगत परामर्श से लेकर निर्धन वर्गों को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने तक।
- **प्रवासी श्रमिक:** प्रवासन पर ILO के मानकों के माध्यम से प्रवास के प्रबंधन के संबंध में मूल और गंतव्य दोनों देशों को उपाय प्रदान किए गए हैं, ताकि सुभेद्य श्रेणी के श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा सके।
- **बाल श्रम में कमी करना:** बाल श्रम ILO की प्रमुख चिंताओं में से एक है। संगठन सभी कार्य क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहा है।
  - बाल श्रम के उन्मूलन हेतु ILO द्वारा वर्ष 1992 में **बाल श्रम के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (IPEC)** शुरू किया गया था।
  - संगठन द्वारा कई अभिसमयों का आयोजन किया गया है जहाँ **आदिवासी और मूल निवासी परिवारों के बच्चों को इस तरह से शिक्षित** किया जाता है कि वे अपने परिवार के सभी आंतरिक परंपरागत कार्यों को सीख सकें।
- **HIV/AIDS:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कार्य-स्थल पर HIV संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। इस मुद्दे के लिए समर्पित ILOAIDS, ILO की एक शाखा है।

VISION IAS

ILO की विफलता

- श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए ILO द्वारा कई अभिसमयों को अपनाया गया है। दुर्भाग्य से, अभी भी ये अभिसमय विवादास्पद बने हुए हैं क्योंकि कई देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि नहीं की गई है या इन्हें स्वीकार नहीं किया है।
  - विशेष रूप से मध्य पूर्व एशिया और अरब देश जैसे: लीबिया, सऊदी अरब, इराक द्वारा ILO अभिसमयों द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
- हालांकि बाल श्रम, घरेलू कामगार और यौनकर्मियों की परिभाषाएं विवादास्पद हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में बाल श्रम को रोकने में ILO विफल रहा है।
- घरेलू कामगारों के संबंध में ILO का मत स्पष्ट नहीं है। कुवैत, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, भारत जैसे देशों में घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- प्रवासी श्रमिकों के संबंध में ILO द्वारा कोई स्पष्ट अधिकारिक व्यक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विकसित देशों जैसे: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, कुवैत, ब्रुनेई और मलेशिया में प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत द्वारा निम्नलिखित प्रमुख अभिसमयों की अभिपुष्टि (अनुसमर्थन) की गई है:

- बाल श्रम अभिसमय (Child Labour Convention);
- न्यूनतम आयु अभिसमय (Minimum Age Convention);
- बलात श्रम अभिसमय (Forced Labour Convention);
- बलात श्रम उन्मूलन अभिसमय (Abolition of Forced Labour Convention);
- समान पारिश्रमिक अभिसमय (Equal Remuneration Convention); और
- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय {Discrimination (Employment and Occupation) Convention}।

ILO और भारत

- **भारत और ILO के मध्य संबंध:** भारत ILO का संस्थापक सदस्य देश है और यह वर्ष 1922 से ILO शासी निकाय का स्थायी सदस्य भी है।
  - ILO के कई सिद्धांत भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) में भी परिलक्षित होते हैं।
- **भारत द्वारा ILO मानकों की अभिपुष्टि:** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाए गए 185 अभिसमयों में से 39 की अभिपुष्टि की है।
- **भारत में श्रम कानून:** वर्ष 1920 से भारत में पारित किए गए कई श्रम कानून, ILO के जिनेवा अभिसमय में उल्लिखित प्रावधानों से अभिप्रेत हैं। इन श्रम कानूनों में शामिल हैं: कारखाना अधिनियम, 1881; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; व्यापार विवाद अधिनियम, 1929; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; मातृत्व लाभ अधिनियम आदि।

निष्कर्ष

- 100वें वर्ष प्रवेश करने के अवसर पर, ILO द्वारा एक **"टेकिंग ILO टू द पीपल"** नामक वैश्विक अभियान की घोषणा की गई है, जो समकालीन चुनौतियों और सभी के लिए न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण में सहायता करने में इसकी केंद्रीय भूमिका के संदर्भ में इसके संस्थापक अधिदेश की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है।
- तैयारी के भाग के रूप में, ILO द्वारा अपने कार्य और अधिदेश के संदर्भ में रणनीतिक दिशा, उद्देश्य एवं विषयवस्तु प्रदान करने हेतु सात शतवार्षिकी पहलों (seven centenary initiatives) की शुरूआत की गई है:
  - **फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव (Future of Work Initiative):** कार्य के भविष्य के संबंध में सलाहकार पैनल की स्थापना करना।
  - **वीमेन एट वर्क इनिशिएटिव (Women at Work Initiative):** कार्य के संदर्भ में महिलाओं के कार्य स्थलों और परिस्थितियों का सर्वेक्षण करना तथा अवसरों की समानता एवं समान व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कार्रवाई हेतु त्रिपक्षीय घटकों को शामिल करना।
  - **द स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव (The Standards Initiative):** इसके तहत एक प्राधिकृत पर्यवेक्षी प्रणाली हेतु त्रिपक्षीय सहमति को सुदृढ़ करना तथा एक मानक समीक्षा तंत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की प्रासंगिकता को बढ़ावा देना शामिल है।

VISION IAS

- **एंड टू पावर्टी इनिशिएटिव (End to Poverty Initiative):** वर्ष 2015 के पश्चात् के विकास एजेंडे के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा घटकों सहित सभी श्रमिकों के लिए एक पर्याप्त निर्वाह मजदूरी की तत्काल आवश्यकता को पूरा करते हुए निर्धनता को समाप्त करना।
- **द गवर्नेंस इनिशिएटिव (The Governance Initiative):** इसके अंतर्गत, ILO की शासन संरचनाओं में पूर्ण सुधार करने हेतु वर्ष 2008 की घोषणा (जैसा कि इसके अंतिम प्रावधानों में निर्धारित किया गया था) के प्रभावों का मूल्यांकन करना तथा इसके निष्कर्षों के अनुरूप कार्य करना शामिल है।
- **द ग्रीन इनिशिएटिव (The Green Initiative):** निम्न कार्बन, संधारणीय विकास मार्ग की ओर स्थानांतरण के लिए सम्मानजनक कार्य के व्यावहारिक प्रयोग हेतु और त्रिपक्षीय योगदान को सुविधाजनक बनाने हेतु हरित पहल प्रारम्भ की गई थी।
- **द इंटरप्राइज़ेज़ इनिशिएटिव (The Enterprises Initiative):** इसके अंतर्गत उद्यमों के साथ ILO की संलग्नता के लिए एक मंच स्थापित करना है जो उद्यमों को सतत बनाए रखने एवं ILO के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगा।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. प्रत्यक्ष कर संहिता

(Direct Tax Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अखिलेश रंजन** की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा नए प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) कानून का प्रारूप भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **DTC** वस्तुतः भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर क़ानूनों को सरलीकृत करने का एक प्रयास है।
  - यह भारत में एकल कानून के तहत प्रत्यक्ष कर क़ानूनों की संरचना को संशोधित, समेकित और सरलीकृत करेगा।
  - इसे क्रियान्वित किए जाने पर, यह **आयकर अधिनियम, 1961** और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों, जैसे- सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा।
- इस प्रस्तावित DTC के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने और मौजूदा आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नवंबर 2017 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

अन्य जानकारी

- **प्रत्यक्ष कर क्या है?**
  - ये ऐसे कर हैं, जो करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत, कराघात (incidence) और कराधान का प्रभाव (impact of taxation) एक ही इकाई/व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
  - प्रायः इसे एक प्रगतिशील कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि कर देयता का अनुपात एक व्यक्ति या इकाई की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
  - **उदाहरण:** आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स), पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स), प्रतिभूति लेन-देन कर (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) आदि।
- प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes: CBDT)** द्वारा शासित होती है। यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (Department of Revenue) का एक अंग है।

आवश्यकता

1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर और करदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संसाधनों को प्राप्त करने हेतु 700 से अधिक धाराओं वाले आयकर अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया गया था।

- हालांकि, इन 58 वर्षों में, निम्नलिखित विकास हुए हैं-
  - उदारीकरण और निजीकरण की दिशा में **भारतीय अर्थव्यवस्था** में परिवर्तन।
  - अधिक एकीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में **वैश्विक अर्थव्यवस्था** में परिवर्तन।
  - **व्यवसाय करने के मॉडल** में हुए परिवर्तन, जैसे-ई-कॉमर्स ।
  - प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन, जिसके माध्यम से बेहतर कर प्रशासन की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं, जिसने इसे जटिल बना दिया है तथा कर संबंधी याचिकाओं में वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के रुझान

- विगत चार वित्तीय वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्नों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात बढ़कर 5.98% हो गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।
- इसके अतिरिक्त, 2014-2018 की अवधि के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी लगभग 65% की वृद्धि हुई है।
- कर-GDP अनुपात का बढ़ना (5.98%), अर्थव्यवस्था में कर-उत्प्लावकता (Tax-Buoyancy) में सुधार के संकेत को दर्शाता है।

VISION IAS

DTC प्रारूप के प्रमुख प्रावधान

- **टैक्स ब्रैकेट्स में परिवर्तन:** इनमें विस्तार से मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक राहत मिलेगी।
  - 25% की एक सामान्य कॉर्पोरेट दर स्थानीय के साथ-साथ, भारत में बिना सहायक कंपनी (subsidiary) के मौजूद विदेशी कंपनियों, दोनों के लिए लागू होगी।
- **अधिभार और उपकर को हटाना (Removal of Surcharges and Cesses):** वर्तमान में इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक निश्चित स्तर से ऊपर की आय वालों पर अधिरोपित किया जाता है।
- **समझौतावादी व्यवस्था (Negotiated Settlements):** इस मसौदे में करदाताओं और **अधिकारियों के एक कॉलेजियम** के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटान की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। यहां, कर-निर्धारिती (assessee) को केवल कर और ब्याज का भुगतान करना होगा तथा समझौता वार्ता के मामले में कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
- **मूल्यांकन प्रणाली:** एक आकलन अधिकारी के स्थान पर एक आकलन इकाई (assessment unit) का निर्माण तथा एक पृथक याचिका इकाई (litigation unit) का सृजन करना। वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ इसमें क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्राधिकार-मुक्त तथा गोपनीय मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु विचार किया गया है।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन:** इनके साथ एक सामान्य कंपनी से भिन्न व्यवहार किया जाए। यह प्रस्तावित किया गया है कि स्टार्ट-अप द्वारा एकत्रित किए गए धन के मामले में किसी भी तरह की संवीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

लाभ

- **करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** आधारभूत कर स्लैब जैसी व्यवस्थाओं और कर फाइल करने हेतु न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता के कारण।
  - उदाहरण के लिए, अधिभार और उपकर विशेष रूप से कर-कटौती उद्देश्यों हेतु कर गणना को जटिल बनाते हैं तथा अनावश्यक विवादों को बढ़ावा देते हैं।
- **कर आधार का प्रसार:** क्योंकि निम्नतम कर स्लैब में अत्यधिक संख्या में लोग सम्मिलित होंगे, जो स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देगा।
  - 1.3 बिलियन से अधिक जनसंख्या के बावजूद, अंतिम आकलन के अनुसार भारत में केवल 74 मिलियन लोग प्रभावी करदाता हैं।
- **समकालिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है:** जैसे कि पूंजी की अत्यधिक गतिशीलता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, देशों के मध्य कर प्रतिस्पर्धा आदि।
  - इसके अतिरिक्त, यह एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए व्यवसाय मॉडल से निपटने में सक्षम होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ने कंपनियों को किसी देश में भौतिक उपस्थिति नहीं होने के बावजूद अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी है।
- **कर संरचना में वस्तुनिष्ठता:** इस मसौदे में कराधान के स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो सभी सरकारों को भविष्य के कर प्रस्तावों हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
- **दुर्व्यवहारों में कमी:** इसके द्वारा गोपनीय मूल्यांकन (faceless assessment) का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ निर्धारिती (कर दाता) की भौतिक उपस्थिति अथवा मूल्यांकनकर्ता (कर अधिकारी) द्वारा पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
  - इसमें याचिकाओं को कम करने और उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए करदाताओं के साथ विभाग का इंटरफ़ेस निर्मित करने पर जोर दिया गया है।
- **बचत और निवेश को बढ़ावा देना:** निगम कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा। यह व्यक्तियों और उद्यमियों के द्वारा पूर्वानुमान लगाने में सरल होगा।
  - DTC, कराधान के कारण तनावग्रस्त स्थिति वाले स्टार्ट-अप पर विशेष ध्यान देगा।
  - इस टास्क फ़ोर्स द्वारा पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था, न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर की भी समीक्षा की गई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्व

- **अधिक कर उत्प्लावकता (Tax-Buoyancy):** यह ऋण बाजार से सरकारी उधारी (ऋण) के अपेक्षित स्तर को जानने का एक महत्वपूर्ण मापक है। अधिक कर उत्प्लावकता का आशय है कि, सरकार ब्याज दरों को कम रखेगी व बाज़ार से अल्प ऋण लेगी। इससे अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट (crowding out) प्रभाव कम हो जाता और निगमों के लिए निम्न ब्याज दरों पर उधार लेना संभव होता है।
- **राजकोषीय सुदृढ़ता:** अर्थव्यवस्था में राजकोषीय विवेक (prudence) से समझौता किए बिना, प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर,

VISION IAS

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाती है।

- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम ब्याज दर को बनाए रखने में सहायता करती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित रखने में सहायक होता है।
- **अप्रत्यक्ष कर को कम करने में सहायक:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह से राजकोषीय क्षमता सुदृढ़ होती है। यह स्थिति GST दरों में कमी ला सकती है, जिससे गरीबों पर कर का बोझ कम हो सकता है।

आगे की राह

- हालांकि, कर विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता सहित एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने के विगत प्रयासों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है, किन्तु DTC के माध्यम से इसे निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है-
  - **न्याय** प्रदान करने हेतु एक **सुदृढ़ डेटाबेस** की आवश्यकता है और याचिकाओं के निपटान के लिए एक उचित, प्रभावी और निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु कर अधिकारियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य पेशेवरों को **समुचित प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए।
  - समय-समय पर आंतरिक नियमावली जारी करनी होगी, जिसमें अदालती निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग द्वारा प्रावधानों की व्याख्या सम्मिलित होगी।
- इसके अतिरिक्त, एक **संस्थागत तंत्र** होना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी हो, जो आवधिक तौर पर बदलती आवश्यकताओं की निगरानी करें तथा आवश्यकतानुसार DTC में संशोधन करें।

3.2. विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(Foreign Currency Borrowings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019-20 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपने सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को उगाहना आरंभ करेगी।

पृष्ठभूमि

- **सरकारी बॉण्ड या सॉवरेन बॉण्ड** वस्तुतः सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण लिखत होता है। ऐसे बॉण्ड्स सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जहाँ वह (सरकार) आवधिक ब्याज का भुगतान करने के साथ-साथ परिपक्वता तिथि पर बॉण्ड पर उल्लिखित संपूर्ण फेस वैल्यू (अंकित मूल्य) को चुकाने का वादा करती है। अभी तक, सरकार ने **केवल घरेलू बाज़ार** में ही ऐसे बॉण्ड्स जारी किए हैं।
  - सॉवरेन बॉण्ड विदेशी और घरेलू दोनों मुद्राओं के मूल्यवर्ग में हो सकते हैं।
- भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने के मुद्दे पर 1990 के दशक में और 2000 के दशक के आरंभ में कई बार चर्चा हो चुकी है।
  - जब भी सॉवरेन विदेशी मुद्रा बॉण्ड की संभावना को विचारपटल पर रखा गया, तो इससे संबद्ध सुभेद्यता भी सामने आई।
  - विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने या रुपये का समर्थन करने की आवश्यकता के संदर्भ में इस सुभेद्यता को समझा जा सकता है।
- हालांकि, वर्तमान समय में यह सुभेद्यता एक अलग प्रकार की है, जिसने सरकार को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है कि वह विदेशों से उधार लेने पर विचार करेगी।
  - राजकोषीय दबाव और सार्वजनिक क्षेत्रक की उच्च उधार आवश्यकताओं ने निजी उधारकर्ताओं के समक्ष क्राउडिंग आउट (अल्प या शून्य ऋण की स्थिति) की समस्या व्युत्पन्न की है और ब्याज दरों को ऊँचा बनाए रखा है।
  - सरकार का मानना है कि, अपने उधारी का एक भाग विदेशों से लेकर, वह निजी क्षेत्रक के लिए घरेलू वित्तीय बचत पूल (अर्थात् घेरलू ऋण) को उपलब्ध करा पाएगी और इससे ब्याज दरों में कमी आएगी।
- अपनी कुल उधारी का 10-15 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से उगाहने की सरकार की योजना है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इसके माध्यम से सरकार कम से कम 70,000 करोड़ रुपये जुटा पाने में सक्षम हो सकती है।
- ऐसी सूचना है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सितंबर तक सॉवरेन बॉण्ड के विदेशी निर्गमन की योजनाओं को अंतिम रूप देंगे।

VISION IAS

विदेशी मुद्रा उधारियों की ओर रूख़ करने के लिए अन्य कारक

- **वैश्विक स्तर पर भारत की विदेशी उधारियाँ निम्नतम हैं:** मार्च 2019 के अंत में, कुल सॉवरेन डेब्ट (संप्रभु ऋण) 103.8 बिलियन डॉलर था। यह GDP का 3.8 प्रतिशत था।
- **निम्न चालू खाता घाटा:** यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में GDP का 2.1 प्रतिशत था। पूँजी प्रवाह (ऋण और इक्विटी दोनों) द्वारा इसे सरलता से वित्तपोषित (अर्थात् प्रबंधित) किया गया था।
- **अधिकांश बाह्य क्षेत्रक सुभेद्यता संकेतक स्थिर हैं:** जैसे- ऋण-GDP अनुपात (19.7 प्रतिशत), विदेशी मुद्रा भंडार-ऋण अनुपात (76 प्रतिशत), ऋण सेवा अनुपात (6.4 प्रतिशत) और विदेशी मुद्रा भंडार के सापेक्ष आयात कवर (आठ माह)। इसके अतिरिक्त, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय रुपये की अस्थिरता बहुत ही कम है। यह बाह्य क्षेत्रक में लचीलेपन की मात्रा को प्रदर्शित करता है।
- **सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक संकेतक:** यद्यपि, आर्थिक संवृद्धि की रफ़्तार धीमी हुई है, तथापि यह वैश्विक संदर्भ में सर्वाधिक {सौम्य मुद्रास्फीति (benign inflation) परिदृश्य के साथ} है।
- **राजकोषीय समेकन के लिए सरकार द्वारा व्यक्त की गई मजबूत वचनबद्धता:** इसके कारण वैश्विक बाजार द्वारा भारतीय संप्रभु बॉण्ड को सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, भले ही सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के ऋण (GDP का 68 प्रतिशत) का स्तर उच्च है।

पक्ष

- **भारत में विद्यमान बॉण्ड बाजार के सतहीपन (shallowness) की समस्या को दूर करेगा:** विशेषकर ऐसे समय में जब सरकार चाहती है कि बॉण्ड बाजार उसकी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) जैसी कई प्रतिबद्धताओं का वित्तपोषण करे। निर्गमनकर्ता के रूप में, सरकार को वैश्विक उपस्थिति वाले निवेशक आधार के विविधीकरण का लाभ मिलेगा और घरेलू बॉण्ड दरों पर दबाव में कुछ कमी आ सकती है।
- **घरेलू बचत और उत्पादन के लिए संसाधनों को मुक्त करता है:** यह कदम देश में निजी निवेश को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इससे निजी क्षेत्र के पास अपनी क्रेडिट और निवेश आवश्यकताओं को पर्याप्त ढंग से पूरा करने के लिए अब सरलता से वित्त उपलब्ध हो पाएगा। जब सरकार द्वारा कम घरेलू फंड की मांग की जाएगी, तो इससे बैंकों को अपने उधारकर्ताओं को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ हस्तांतरित करने में सहायता मिलेगी।
- **संसाधनों का कम महंगा स्रोतीकरण (Less expensive sourcing of resources):** यह देखते हुए कि विदेशी प्रतिफल कम है और कुछ यूरोपीय बॉण्ड भी ऋणात्मक दायरे में आ गए हैं, ऐसे में फण्ड जुटाने का यह सही समय है। अत:, एक अनुमान के अनुसार, घरेलू दर से आधे से भी कम दर पर (अर्थात् सस्ते में) विदेशी मुद्रा उगाही जा सकती है।
- **यह भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों से पैसा जुटाने का बेंचमार्क सृजित करता है।** साथ ही, यदि भारतीय सॉवरेन बॉण्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार सूचकांकों का भाग बन जाते हैं, तो उनकी कीमतें भारतीय फर्मों द्वारा चाहे गए विदेशी ऋण के लिए विश्वसनीय ब्याज दर बेंचमार्क स्थापित करेंगी, जिससे विदेशी ऋणों तक उनकी पहुंच आसान होगी।
- **सरकार पर वित्तीय अनुशासन का दबाव:** चूंकि, विदेशी मुद्रा उधारी व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय विचलन को सही नहीं माना जाता है, अतः ऐसे में यह कदम सरकारों पर वित्तीय अनुशासन संबंधी दबाव डालता है। साथ ही, विदेशी उधारी कार्यक्रम सरकार के लिए राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी बनाए रखना संभव बनाता है।

विपक्ष

- **वैश्विक सुभेद्यताओं से संबद्ध करेगा:** अतीत में, भारत 6.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के बावजूद अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपने अनुसार बनाये रखने में सफल रहा है। सॉवरेन बॉण्ड के मामले में भारत को कभी साख संकट का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि अभी तक भारत के सॉवरेन बॉण्ड विदेशी निवेशकों द्वारा धारित नहीं किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे निवेशकों के पास बॉण्ड की शॉर्ट सेलिंग कर घरेलू बाजार को खतरे की स्थिति में पहुँचाने की क्षमता होती है। ओवरसीज बॉण्ड निर्गमन के कारण, सरकार अपने आपको परेशानी से बाहर नहीं निकाल पाएगी।
- यदि बॉण्ड की परिपक्वता अवधि के दौरान रुपया कमजोर होता है, तो सरकार पर पुनर्भुगतान संबंधी बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक डॉलर, यूरो, येन इत्यादि को खरीदने के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना होगा।
- **महंगा सिद्ध हो सकता है:** भारत की सरकारी-प्रतिभूतियों (G-Secs) की ब्याज दरों में अस्थिरता की तुलना में भारत की विनिमय दर में अस्थिरता बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह है कि भले ही सरकार घरेलू दरों की तुलना में सस्ती दरों पर उधार ले रही होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी का समावेश करने के बाद अंतिम दरें सौदे को महंगा बना सकती हैं।

VISION IAS

- **निर्यात को अल्प प्रतिस्पर्धी बना सकता है:** विदेशी उधारी से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्रता से वृद्धि होगी, जिससे रूपया मजबूत होगा। ऐसे में मजबूत रुपया आयात को प्रोत्साहित करेगा, जबकि वर्तमान समय में सरकार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। यह निर्यात-संचालित आर्थिक विस्तार को कठिन बना देगा।
- **घरेलू बाजार पर दबाव में शायद कमी न आए:** यह आवश्यक नहीं है कि बाह्य बाजार से उधारी लेने से सरकारी बॉण्डों की संख्या कम होगी, जिन्हें घरेलू बाजारों को अवशोषित करना पड़ता है।
- जब अर्थव्यवस्था में नई विदेशी मुद्रा का समावेश होता है, तो RBI को मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से इसके प्रभाव को कम करना पड़ता है। इसके लिए अधिक बॉण्ड बेचने की आवश्यकता होगी।
- यदि RBI यह कदम नहीं उठाता है, तो अतिरिक्त धन की आपूर्ति से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और इस प्रकार निजी लिखत (instruments) हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** कई अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि इस कदम से भारत मैक्सिको, ब्राजील एवं कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों के रास्ते पर निकल सकता है। 1970 के दशक में, जब वैश्विक बाजार तरलता से भरा हुआ था तो इनमें से कई देशों ने विदेशों में भारी मात्रा में उधार लिया था। लेकिन, जब एक दशक बाद उनकी मुद्राओं में तेजी से गिरावट आई, तब ये देश बड़ी मुसीबत में आ गए, क्योंकि वे अपना ऋण नहीं चुका पाए थे।

आगे की राह

- भारत को अपनी कुल बाह्य उधारी की सीमा को इतना रखना चाहिए जिससे स्थिति हमेशा इसके नियंत्रण में रहे। विदेशी उधारी से निपटने के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- बॉण्ड जारी करने पर, सरकार को अपनी नीतियों का भलीभांति प्रबंधन करना होगा। इसके लिए राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी प्रकार के निवेशक भारत के राजकोषीय घाटे के प्रतिशत को निकटता से अवलोकित कर रहे होंगे।
- ऐसे देशों में निर्गमन प्रारंभ करना उपयुक्त होगा, जहां अनिवासी भारतीयों की संख्या अधिक है, जैसे कि उत्तर अमेरिका और मध्य-पूर्व। इसके अतिरिक्त, मजबूत राजनीतिक जुड़ाव और जापान-भारत के मध्य विगत वर्षों में हुए स्वैप व्यवस्था को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि, इसे प्रारंभ करने के लिए जापान एक बेहतर बाजार है।

3.3. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार

(Corporate Bond Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 2019-2020 बजट में भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को विकसित करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की।

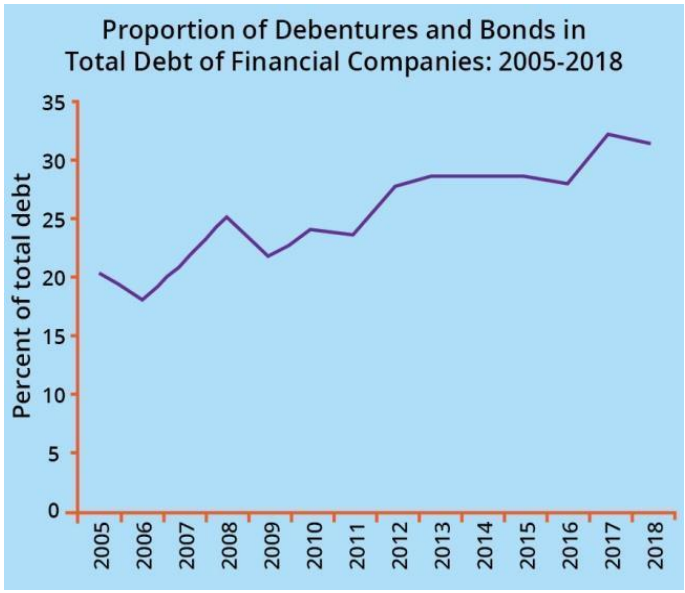

पृष्ठभूमि

- कॉर्पोरेट बॉण्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गयीं ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। कंपनियां कई उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करती हैं, जैसे कि एक नया संयंत्र निर्मित करना, उपकरण खरीदना, या व्यवसाय को बढ़ाना।
- उल्लेखनीय है कि, क्रमिक बजट और सरकार द्वारा अधिदेशित अनेक समितियां, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) आदि इस बाजार को विकसित करने के उपायों पर काम करने के संदर्भ में काफी हद तक विफल रहे हैं।
    - कॉर्पोरेट बॉण्ड की वृद्धि दर 2017 के बाद से सामान्यतः मंद रही है और मई 2019 में इसने एक दशक के दौरान 9.7% की सबसे कम दर चिन्हित की है। दूसरी ओर, बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण में पिछले वर्ष 12.7% की बढ़ोतरी हुई।

VISION IAS

- **दीर्घावधिक बॉण्ड (long term bonds) बाजार को सुदृढ़ करने के लिए बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी:**
  - अवसंरचना क्षेत्रक पर विशिष्ट बल देते हुए कॉर्पोरेट बॉण्ड रेपो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आदि के लिए बाजार को सुदृढ़ता प्रदान करना।
  - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors: FPIs) को भी अवसंरचना ऋण निधियों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
  - 2019-20 में ऋण गारंटी संवर्धन निगम (Credit Guarantee Enhancement Corporation) की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया है।
  - म्यूचुअल फंड्स की तरह इक्विटी, ऋण या यूनिट्स के तौर पर पूंजी जुटाने हेतु सोशल एंटरप्राइजेज और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापना।
  - कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के समक्ष समस्याएँ

- **अविकसित:** जहाँ, भारत में घरेलू ऋण बाजार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 67 प्रतिशत है, वहीं भारत के कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार का आकार GDP का सिर्फ 16 प्रतिशत है, जबकि मलेशिया में यह 46 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 73 प्रतिशत है।
- **सीमित निवेशक आधार:** इनके निवेशक आधार काफी सीमित हैं। इनका अधिकांश वित्तीयन बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा होता है।
  - कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले अधिकाश बॉण्ड सार्वजनिक रूप से जारी (public issue) किए जाने के स्थान पर कुछ चुने हुए निवेशकों के लिए निजी स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि, समय की बचत तथा अधिकाधिक प्रकटीकरण से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।
  - रुपये की मजबूत स्थिति के कारण व आकर्षक प्रतिफल की संभावना को देखते हुए FPIs अब टॉप-रेटेड बॉण्ड्स के प्रमुख खरीदार हैं। इनमें से अधिकांश निवेशक इन बॉण्ड्स का व्यापार नहीं करते हैं, अपितु परिपक्वता अवधि तक इन्हें धारित करते हैं।
- **कम तरलता:** बाजार में खरीदारों अथवा बाजार निर्माताओं (जो इसमें निरंतर भाग लेते हैं) की कम संख्या के कारण अल्प तरलता की स्थिति विद्यमान होती है। इसके कारण से बाजार निर्माण हेतु बहुत कम या कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है।
- **व्यापार प्लेटफॉर्म का अभाव:** ऐसे व्यापार प्लेटफॉर्म का अभाव है जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है, परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट बॉण्ड की उपलब्धता और उनका व्यापार सीमित हो जाता है।
- **निम्नलिखित के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड में विश्वास की कमी देखी गयी है:**
  - भारत में कंपनियों का निर्बल होता तुलन-पत्र उनकी विकास क्षमता के विषय में संदेह उत्पन्न करता है।
  - क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) जैसे क्रेडिट जोखिम सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्तता।
- **राज्यों के मध्य ऐसे मानकीकरण का अभाव है** जिससे उन्हें एक समान स्वरूप प्राप्त हो सके, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉण्ड पर स्टांप शुल्क।

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की आवश्यकता

- **बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव:** एक सुस्थापित कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट की अनुपस्थिति में, असंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण का बोझ **बैंकों और सरकार पर अधिक पड़ता है,** जिससे ऋणदाताओं (जैसे- बैंक) पर दबाव बढ़ जाता है। बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से यह भली-भांति परिलक्षित होता है।
  - अंततोगत्वा, इससे न केवल संसाधनों का अक्षम आवंटन होता है, अपितु बैंकों का तुलन-पत्र भी बिगड़ जाता है।
- **अधिक विकल्प:** एक परिपक्व कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, कंपनियों को लंबी अवधि के दौरान विभिन्न परिपक्वता वाले बॉण्ड्स (अवसंरना परियोजनाओं सहित) के बदले में धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इससे खुदरा निवेशकों को भी ऋण निधियों के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा।
- किसी देश की वित्तीय प्रणाली की दक्षता व स्थिरता और उसकी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक सुविकसित कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार आवश्यक है।

VISION IAS

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट के विकास पर एच. आर. खान समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ:

- **कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने का मानकीकरण:** सेबी जैसे नियामकों द्वारा प्रतिफल परिकलन (yield calculation) के आधार जैसे मापदंडों के संदर्भ में।
- **निवेशकों के दायरे को व्यापक करना:** जैसे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों में संशोधन करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देना।
- **निवेशकों की सुरक्षा:** भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य नियामकों को क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और अन्य सुरक्षा साधनों के विषय में समय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चूक के समय पर शेयर बाजारों और अपनी स्वयं की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियामक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
- **बॉण्ड व्यापार आरंभ करना:** स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार निर्माण योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। साथ ही, स्टॉक एक्सचेंज / अन्य संस्थाओं द्वारा एक कॉर्पोरेट बॉण्ड सूचकांक का भी आरम्भ किया जा सकता है।
- **अवसंरचना:** ऋण प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखा तंत्र की परिधि का विस्तार करके।
- **पूंजी बाजार का दोहन करने के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित करना:** बैंकिंग प्रणाली से एक निश्चित स्तर (कट-ऑफ स्तर) से अधिक उधार लेने वाली बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों को अपनी कार्यशील पूंजी के एक अंश हेतु और सावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस बाजार का दोहन करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट विवाद समाधान तंत्र, बॉण्ड बाजार में निवेशकों का विश्वास उत्पन्न करने में अत्यधिक सहायक होगा। यदि निवेशकों को यह विश्वास हो जाए कि विरोधाभाषी स्थितियों का समाधान शीघ्र और निष्पक्ष रूप से किया जाएगा तो वे कॉर्पोरेट बॉण्ड को एक आकर्षक परिसंपत्ति की श्रेणी के रूप में देखेंगे।
- कॉर्पोरेट्स को विभिन्न तंत्रों (यथा- प्रतिभूतिकरण, ऋण संवर्द्धन आदि) का उपयोग करके अपने ऋण उपकरणों में नवोन्मेषकारी दृष्टिकोण का समावेश करना होगा।
- कॉर्पोरेट बॉण्ड्स की उपलब्धता, उससे जुड़े जोखिमों और निवेशों को सुरक्षित करने के लिए विद्यमान सुरक्षा उपायों के विषय में निवेशकों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म को एक साथ कई निर्गम किए जाने की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए और निर्गम अवधि (जो अभी लगभग चार दिनों की है) को छोटा किया जाना चाहिए।

3.4. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष

(50 Years of Bank Nationalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

19 जुलाई 2019 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ मनायी गयी।

पृष्ठभूमि

- 19 जुलाई 1969 को, भारत सरकार ने **'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अध्यादेश, 1969 {Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969}** जारी कर 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।
- यह **अध्यादेश इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया** गया था। इस अध्यादेश के माध्यम से **75% से अधिक बैंकिंग क्षेत्रक (अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों और संपूर्ण पेड-अप-कैपिटल के साथ) राज्य के नियंत्रण** में आ गए।
- हालांकि, इस प्रयोजन के लिए, **केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की** आशा की गई थी।
- **इस क्षतिपूर्ति की कुल राशि बैंकों और सरकार के मध्य आम सहमति से निर्धारित** की जानी थी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रकरण

- उस **समय क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु एक स्पष्ट विधिक सिद्धांत** का अभाव मुख्य चुनौती थी।
- उल्लेखनीय है कि 10:1 के बहुमत से, **भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1969' को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द (strike down) कर दिया कि, 14 बैंकों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित क्षतिपूर्ति अनुच्छेद 31(2) की कसौटी पर विफल** रही है।

VISION IAS

- अनुच्छेद 31(2) में यह प्रावधान था कि यदि सरकार द्वारा कोई संपत्ति अधिगृहीत की जाती है तो उसे संपत्ति के स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। चूंकि इस प्रकरण में उक्त प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा था, इसलिए न्यायालय ने उक्त अधिनियम को रद्द कर दिया।

- इसके पश्चात्, सभी 14 बैंकों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपर्ति की विशिष्ट राशि का समावेश करते हुए संसद द्वारा 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970' को अधिनियमित किया गया।
- आगे चलकर, **25वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971)** के माध्यम से **"संपत्ति के अधिकार"** को सीमित कर दिया गया। इस संशोधन अधिनियम ने **सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति को अधिगृहित करने हेतु सरकार को सशक्त** बनाया। इसमें यह भी प्रावधान शामिल किया गया कि क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में संसद द्वारा निर्णय लिया जाएगा, न कि न्यायालयों द्वारा इसे निर्धारित किया जाएगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण

- **निजी बैंक अविश्वसनीय थे:** वर्ष 1944 से 1955 की अवधि में संपूर्ण देश में "विफल" होने वाली निजी बैंकों की कुल संख्या 361 थी; अर्थात् इस अवधि में प्रति वर्ष औसतन 40 से अधिक बैंक विफल रहे थे। इससे जमाकर्ताओं को अपना सारा पैसा गंवाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने संबंधित बैंकों द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई थी।
- **राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के साथ अनुरूपता:** बैंकों का राष्ट्रीयकरण वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए समाजवाद के लक्ष्यों से सुसंगत था।
- **बैंकों और बड़े व्यवसायों के मध्य व्याप्त सांठगांठ को समाप्त करना:** इन वाणिज्यिक बैंकों को बड़े उद्योगों और व्यवसायों की आवश्यकता पूरा करने वाले बैंकों के रूप में देखा जाता था, जो अननुपातिक (disproportionately) रूप से बैंक वित्त पर एकाधिकार जमाए बैठे थे।
- **ऋण का संतुलित प्रवाह:** इसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के मध्य सभी उत्पादक क्षेत्रकों में ऋण का संतुलित प्रवाह सुनिश्चित करना था। इन बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (priority sector) को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था।
- **अर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध विकास:** यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीयकरण के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश का अनुपात बढ़ जाएगा। इससे देश के नियोजित विकास के लिए पर्याप्त विकास निधि सुनिश्चित होगी।

1948 के आरंभ में ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक रिपोर्ट में बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार व्यक्त किया गया था।

- **1 जनवरी 1949** को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी स्वामित्व में अंतरण), अधिनियम, 1948' {Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership) Act, 1948} के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, बैंक की पूंजी के सभी शेयरों को केंद्र सरकार को अंतरित माना गया, जिसके लिए एक उचित मुआवजे की रकम का भुगतान किया गया।
- वर्ष 1955 में, भारत सरकार ने **इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया** का राष्ट्रीयकरण किया और इसका व्यवसाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया।
- वर्ष 1956 में बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर, भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया।
- वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वर्ष 1980 में, छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि:** जुलाई 1969 में, देश में मात्र 8,262 बैंक शाखाएँ थीं, जो जून 1979 में बढ़कर 30,303 हो गईं।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण:** सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, आवास, शिक्षा एवं "कमजोर" वर्गों के लिए अपने निवल बैंक ऋण का 40% भाग अलग रखना पड़ा।
- **मौद्रिक नीति की उपयोगिता का प्रदर्शन किया:** बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने यह प्रदर्शित किया है कि मौद्रिक नीति और ब्याज दर जैसे उपकरणों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर बैंकों को ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों और अल्प-सेवित (under-served) क्षेत्रकों में ले जाया जा सकता है। यह कदम आगे एक अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरणात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है।

VISION IAS

- **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश:** हाल के वर्षों में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **रोजगार के अवसर:** बैंक शाखाओं के विशाल विस्तार ने रोजगर के व्यापक अवसर सृजित किए हैं, जिससे देश में एक बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबद्ध समस्याएँ

- **जटिल ब्याज दर संरचना:** विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए ब्याज की अलग-अलग दरें थीं। इसने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को विफल किया है, क्योंकि ब्याज दर की जटिल संरचना के कारण कभी भी ऋण जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है।
- **अल्प-ऋणयन (Under-lending):** बैंक जोखिम-विमुख हो गए और कदाचित ही ये नई फर्मों को ऋण देते थे।
- **कम लाभप्रदता:** राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के साथ एक प्रमुख समस्या यह जुड़ गयी है कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक या तो घाटे में चल रहे हैं या उनका लाभांश कम रहा है।
- **निम्न दक्षता:** राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही की प्रवृत्ति का सृजन किया है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुचारू कामकाज में व्यवधान डालते हैं।

निष्कर्ष

बैंक के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में आह्वान करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। सैद्धांतिक रूप से बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक अच्छा विचार है, यदि यह वित्तीय समावेशन को उपयुक्त गति प्रदान कर पाए। साथ ही, इसकी दक्षता में सुधार लाने और बढ़ते बैड एसेट्स (अशोध्य परिसंपत्ति) को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

3.5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

(Corporate Social Responsibility: CSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों का पालन न करने** की स्थिति में **विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान** वाले **कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019** को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- कंपनी अधिनियम, 2013 एक ऐतिहासिक कानून है। इसने भारत को CSR व्यय अनिवार्य बनाने और परिमाण निर्धारित करने वाला पहला देश बनाया है। CSR का समावेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ व्यवसायों को संबद्ध करने का प्रयास है।
- **इस अधिनियम की धारा 135 भारत में CSR गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित करती है।**
    - यह **500 करोड़ रुपये निवल मूल्य (net worth) या 1,000 करोड़ रुपये टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपये निवल लाभ (net profit) वाली प्रत्येक कंपनी** (चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी) को अपने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का **कम से कम 2%** CSR गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है।
    - भारत में व्यापार के सामान्य क्रम में CSR गतिविधियां आरंभ नहीं की जानी चाहिए और अनिवार्यत: **अधिनियम की अनुसूची VII** में उल्लिखित 17 CSR गतिविधियों में से किसी से संबंधित होनी चाहिए।

CSR एक अवधारणा है जो यह प्रस्तावित करती है कि समाज के भीतर संचालित निगमों का उत्तरदायित्व है कि वे समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में योगदान करें।

CSR का प्राथमिक उद्देश्य: व्यापक स्तर पर उत्तरदायित्वपूर्ण और संधारणीय व्यवसाय दर्शन को बढ़ावा देना तथा कंपनियों को **अभिनव विचारों** और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

संशोधन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं

- यह अधिनियम अधिदेशित करता है कि कंपनियां किसी वित्तीय वर्ष में अव्ययित CSR धनराशि तीन वर्षों तक CSR के लिए निर्धारित **एस्क्रो खाते** में हस्तांतरित करेंगी, जिसके पश्चात् अव्ययित कोई भी धनराशि सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित की जानी चाहिए।
- इसके माध्यम से प्रवर्तन संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ किया है। ये नवीन प्रावधान SFIO (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को

VISION IAS

वापसी कार्यवाही (disgorgement) सहित त्वरित और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाते हैं।

- यह **अधिनियम सत्यापन योग्य पंजीकृत भौतिक पतों वाली कंपनियों** के महत्व पर भी प्रकाश डालता है और यह अनिवार्य बनाता है कि कंपनियों का भौतिक पता हो।
- इस अधिनियम का उद्देश्य नियमित मामलों को NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के माध्यम से NCLT को अवरोधमुक्त (declogging) बनाना है।
- यह अधिनियम **16 प्रशमनीय (compoundable) अपराधों** को सिविल डिफॉल्ट के रूप में पुन: वर्गीकृत करता है, जैसे रिटर्न फाइल करने में विफलता और छूट पर शेयरों का निर्गमन, जहां केंद्र सरकार के न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं।

CSR: भारत में उदाहरण

- **भारत में टाटा समूह** विभिन्न CSR परियोजनाओं को संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश **सामुदायिक सुधार और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम** से संबंधित हैं। स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से, यह **महिला सशक्तीकरण गतिविधियों, आय सृजन, ग्रामीण समुदाय के विकास और अन्य सामाजिक कल्याण** कार्यक्रमों में संलग्न है।
- भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट देश के 407 गांवों में सामाजिक कार्यों में शामिल है, जिनका उद्देश्य संधारणीयता और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना है।
- **ITC का e-चौपाल कार्यक्रम,** जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की खरीद करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों को संबद्ध करना है, यह 40,000 गांवों और चार मिलियन से अधिक किसानों को कवर करता है। इसका सामाजिक और कृषि वानिकी कार्यक्रम **बंजर भूमि को लुगदी-काष्ठ के बागानों में परिवर्तित** करने में किसानों की सहायता करता है।

- हाल ही में, वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2018 में **इन्जेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में गठित **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर उच्च-स्तरीय समिति (HLC)** ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

HLC के निष्कर्ष

- **कंपनियों द्वारा CSR व्यय:** कंपनियों द्वारा कुल CSR व्यय में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 के मध्य 44% तक अत्यधिक वृद्धि हुई और तत्पश्चात वर्ष 2016-17 में इसमे मामूली गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में इसमें 6.9% की और गिरावट आई।
- **CSR अनुपालन:** अनुपालन प्रतिशत वर्ष 2016-17 के 72% से कम होकर वर्ष 2017-18 में 57% हो गया। CSR पर निर्धारित राशि से कम व्यय के लिए उत्तरदायी कुछ **प्रमुख कारण** इस प्रकार हैं:
  - उपयुक्त परियोजना की पहचान करने में समस्याएं;
  - उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन;
  - बहुवर्षीय परियोजनाएं, आदि।
- **सभी क्षेत्रों अथवा विषयों में CSR व्यय:** CSR गतिविधियों पर कुल व्यय में से, वर्ष 2014-15 के पश्चात् से **शिक्षा और स्वास्थ्य** से संबंधित परियोजनाओं को लगभग प्रति वर्ष अधिकतम CSR वित्त प्राप्त हुआ है, इसके बाद **ग्रामीण विकास** से संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्राप्त हुआ है।
- **केंद्र सरकार की निधियों में योगदान:** वर्तमान में, CSR फंड का **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष** और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य कोष में अंशदान दिया जा सकता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक इन कोषों में अंशदान कुल CSR व्यय के एक कम अनुपात (लगभग 5.6%) रहा है।
- **CSR में स्थानीय क्षेत्र व्यय और भौगोलिक विषमता:** किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध कुल CSR वित्त का एक बड़ा भाग मुख्य रूप से कंपनियों की अवस्थिति के कारण, **केवल कुछ राज्यों** में वितरित हुआ।
  - CSR व्यय का राज्यवार विश्लेषण यह इंगित करता है कि **महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली** जैसे राज्यों को CSR के कुल व्यय का लगभग 40% भाग प्राप्त हुआ है, जबकि **झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों को CSR के कुल व्यय का केवल 9% भाग प्राप्त हुआ है।
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों** को कुल CSR व्यय का अत्यंत अल्प अनुपात प्राप्त हो रहा है।

VISION IAS

HLC की मुख्य अनुशंसाएं-2018

CSR प्रावधानों की प्रयोज्यता (Applicability):	CSR के प्रावधान सभी व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू होने चाहिए और इसमें समानता होनी चाहिए।
स्थानीय क्षेत्रों में CSR गतिविधियां:	इस अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र पर बल प्रदान करने संबंधी प्रावधान को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र की वरीयता को संतुलित करके CSR गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
अधिनियम की अनुसूची VII	इसे SDG के साथ बड़े पैमाने पर रेखांकित और संरेखित किया जाना चाहिए तथा कुछ महत्वपूर्ण मदों जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, आपदा प्रबंधन और विरासत को शामिल कर इसे SDG+ फ्रेमवर्क के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार के कोषों में अंशदान	CSR व्यय के रूप में यह प्रावधान समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रस्तावित 3-5 वर्ष की समय सीमा से परे कंपनी के पास विद्यमान अव्ययित CSR फंड के हस्तांतरण के लिए एक निर्दिष्ट फंड सृजित किया जा सकता है।
CSR के लिए रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दे:	बेहतर निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं, स्थानों और कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के संबंध में बेहतर सूचना प्रसार के लिए संवर्धित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए।
CSR लेखापरीक्षा:	CSR संबंधी व्यय को कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग बनाकर इसे (CSR) सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है।
'सामाजिक प्रभाव वाली कंपनियों' का निर्माण	सशर्त लाभ (जिसे वितरित किया जा सकता है) प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर, सामाजिक परिणामों को आगे बढ़ाने हेतु ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जा सकता है।
CSR गतिविधियों के लिए कर लाभ:	अनुसूची VII के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी गतिविधियों के लिए समान कर लाभ होना चाहिए।
CSR परियोजनाओं का तृतीय पक्ष आकलन:	प्रायोगिक आधार पर तृतीय पक्ष आकलन के लिए यादृच्छिक आधार पर 5% CSR अधिदेशित कंपनियों की पहचान की जाए।

3.6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(Consumer Protection Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की है।

संबंधित तथ्य

- यह नवीन अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। **इस प्रकार, यह वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act: CPA) को संशोधित नहीं करता है, अपितु यह एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है।**
- इसका उद्देश्य तीव्र गति से परिवर्तित होने वाली वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था में अनुचित व्यापार और अनैतिक व्यापार व्यवहारों के नए रूपों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **एक उपभोक्ता** को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने उपयोग के लिए किसी वस्तु को खरीदता है अथवा सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल हैं।
- इस अधिनियम के अनुसार **"उपभोक्ता अधिकारों"** में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - जीवन और संपत्ति को खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किया जाना;
  - वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किया जाना;
  - प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाना;

- इसमें सुनवाई का अधिकार तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी शामिल है कि उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त मंच पर पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाएगा; और
- उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार।

- उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA)** की स्थापना की जाएगी। यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा संबंधी नोटिस जारी कर सकता है, मूल्य वापसी का आदेश दे सकता है, वस्तुओं को वापस मंगवा सकता है और भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्णय दे सकता है।
  - CCPA के पास एक महानिदेशक के नेतृत्व में एक **अन्वेषण शाखा (investigation wing)** होगी, जो इस तरह के उल्लंघन की जांच या अन्वेषण कर सकती है।
- उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commissions)** गठित किए जाएंगे। जिला एवं राज्य आयोगों के निर्णयों के विरुद्ध अपील क्रमशः राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग में की जा सकेगी और राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
- उपभोक्ता संरक्षण पर सलाह देने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (Consumer Protection Councils)** की स्थापना की जाएगी।
- **उत्पाद दायित्व का अर्थ** किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के दायित्व से है, जो उपभोक्ता को किसी दोषपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण हुई किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - संपत्ति की क्षति;
  - व्यक्तिगत चोट, बीमारी, या मृत्यु; तथा
  - इन स्थितियों के साथ मानसिक पीड़ा या भावनात्मक क्षति।

इस अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- इस अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक न्यायिक सदस्य शामिल होगा। यदि आयोग में केवल कार्यपालिका के सदस्य होंगे तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
- विधेयक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद किसे सलाह देगी। यदि परिषद सरकार को सलाह देती है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी सलाह किस क्षेत्राधिकार के तहत दी जाएगी।
- विधेयक में 'उपभोक्ता अधिकारों' की परिभाषा सरल और स्पष्ट नहीं है, जिस कारण उपभोक्ता को उनके अधिकारों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

	CPA, 1986	CPA, 2019
कानून का विस्तार	सभी वस्तुएं और सेवाएं विचारणीय हैं, जबकि निःशुल्क एवं व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया है।	दूरसंचार एवं आवास निर्माण सहित सभी वस्तुएं और सेवाएं तथा सभी प्रकार के लेन-देन (ऑनलाइन, टेलिशॉपिंग, आदि) विचारणीय हैं। निः शुल्क और व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया है।
अनुचित व्यापारिक व्यवहार	इसमें छह प्रकार के ऐसे व्यवहार शामिल हैं, जैसे- झूठे प्रतिनिधित्व, भ्रामक विज्ञापन आदि।	अधिनियम सूची में केवल तीन प्रकार के ऐसे व्यवहारों को समाविष्ट करता है, जैसे- • बिल या रसीद जारी करने में विफलता; • 30 दिनों के भीतर वापस की गई वस्तु को स्वीकार करने से मना करना; तथा • गोपनीय रूप से प्रदत्त व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण, जब तक कि कानून द्वारा अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करना

VISION IAS

		आवश्यक न हो। अनुचित व्यापार व्यवहारों के दायरे में नहीं आने के कारण प्रतियोगिताएं / लॉटरी को अधिसूचित किया जा सकता है।
उत्पाद दायित्व	कोई प्रावधान नहीं। उपभोक्ता सिविल कोर्ट में अपील कर सकता था लेकिन उपभोक्ता अदालत में नहीं।	उत्पाद दायित्व के लिए निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता के विरुद्ध दावा किया जा सकता है।
अनुचित अनुबंध	कोई प्रावधान नहीं।	अधिनियम **एकतरफा और अनुचित अनुबंधों** के जोखिम की पहचान करता है और समाधान प्रस्तुत करता है।
नियामक	कोई पृथक नियामक नहीं।	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है।
आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार	**जिला:** 20 लाख रुपये तक; **राज्य:** 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक; **राष्ट्रीय:** एक करोड़ रुपये से ऊपर।	**जिला:** एक करोड़ रुपये तक; **राज्य:** एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक; **राष्ट्रीय:** 10 करोड़ रुपये से ऊपर।
उपभोक्ता अदालत	शिकायतें एक उपभोक्ता न्यायालय में दायर की जा सकती थीं, जहां पर विक्रेता (प्रतिवादी) का कार्यालय स्थित हो।	शिकायतें उपभोक्ता न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, जहां उपभोक्ता निवास करता हो या कार्य करता हो।
ई-कॉमर्स	कोई प्रावधान नहीं।	प्रत्यक्ष बिक्री, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को परिभाषित करता है। केंद्र सरकार ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित करने के लिए नियम निर्धारित कर सकती है।
मध्यस्थता प्रकोष्ठ	कोई कानूनी प्रावधान नहीं।	न्यायालय मध्यस्थता के माध्यम से समाधान प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

यह अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून को समाप्त करने के लिए एक अत्यावश्यक कदम है, जोकि डिजिटलीकरण के इस युग में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए निरंतर निरर्थक होता जा रहा था। यह अधिनियम बाजार में तकनीकी प्रगति से उत्पन्न उपभोक्ता चिंताओं का समाधान करता है, कार्रवाई आरंभ करते समय उपभोक्ताओं के लिए लॉजिस्टिकल बाधाओं को समाप्त करता है और उन आधारों के दायरे को व्यापक बनाता है जिसके लिए कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

3.7. गिग अर्थव्यवस्था

(GIG Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्य की अवधारणा बदल रही है। कार्य की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में, गिग अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण और बढ़ती प्रवृत्तियों में से एक के रूप में उभरी है।

गिग इकॉनमी क्या है?

- एक गिग अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक मुक्त बाजार प्रणाली है, जहाँ अस्थायी पद/रोजगार सामान्य सी चीज होती है और संगठन अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
- यह लागत, गुणवत्ता और लोचशीलता (flexibility) संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक बार कार्य पूरा होने के बाद, कार्मिक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- गिग कर्मियों के उदाहरणों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, प्रोजेक्ट आधारित श्रमिक और अस्थायी या अंशकालिक कामगार आदि शामिल हैं।
- मैकिन्से की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विकसित देशों के कार्यबल का 20-30 प्रतिशत हिस्सा आज स्वतंत्र रूप से कार्यरत है।

VISION IAS

गिग अर्थव्यवस्था की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कारण

- **प्रौद्योगिकी:** केंद्रीकृत संचार, वास्तविक-समय कार्य निर्धारण (real-time scheduling) और निगरानी, डैशबोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि को सक्षम करने वाली तकनीक ने गिग के लिए एक बाजार निर्मित किया, जैसा कि ई-कॉमर्स ने वस्तुओं के लिए किया है।
- **स्टार्ट-अप संस्कृति का उद्भव:** संसाधनों को दक्षता से अनुकूलित करने के लिए, आमतौर पर स्टार्ट-अप परियोजनाओं द्वारा अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रीलांसरों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **अनिश्चित कारोबारी माहौल:** क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, संगठनात्मक गिरावट और लागत में कटौती ने लचीली व्यवस्था के लिए पेशेवरों के उदय में योगदान दिया है।
- **फ्रीलांसिंग प्लैटफॉर्म का उदय:** कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंच दुनिया भर के ब्रांडों और फ्रीलांसरों के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं और इस प्रकार व्यवसायों के लिए अपने कार्यों की लागत प्रभावी ऑउटसोर्सिंग का विकल्प प्रदान करते हैं तथा फ्रीलांसरों को अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करने में मदद करते हैं।

गिग अर्थव्यवस्था के लाभ

संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य

- **कौशल अंतराल की पूर्ति:** मैकिन्से के हालिया शोध से पता चलता है कि लगभग 40% कंपनियों को आवश्यक योग्यता युक्त प्रतिभा खोजने में परेशानी होती है। ऐसे में फ्री एजेंट IT, इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइन जैसे कठिन क्षेत्रों में प्रतिभा का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **समय:** प्रतिभा प्रबंधकों को पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों द्वारा अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होता है और बाहरी संसाधनों तक पहुँच आसान हो जाती है।
- **कम श्रम लागत:** गिग प्रणाली के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण और कार्यालय लागतों में बचत होती है। एक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक स्तर पर, गिग श्रमिकों के साथ 43 प्रतिशत कंपनियों ने श्रम लागत में 20 प्रतिशत की बचत की है।
- **समाधान प्रदायगी में सुधार:** गिग श्रमिक उत्पाद के विकास में तेजी लाते हैं और ग्राहकों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं।

गिग कार्मिक परिप्रेक्ष्य

- **लचीलापन:** यह व्यक्ति को उनके काम, व्यक्तिगत जीवन और जुनून का प्रबंधन करने का अवसर देता है।
- **कई स्रोतों से आय अर्जित करना:** यह फ्रीलांसरों को उन परियोजनाओं को चुनने के लिए अवसर देता है जो उनके लक्ष्यों और रुचियों के साथ सर्वोत्तम रूप से संरेखित होते हैं और कई स्रोतों से आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान करता है।
- **विविध ज्ञान और अनुभव:** यह विभिन्न संगठनों में गिग कर्मियों के माध्यम से, विविध ज्ञान के साथ अधिक अद्यतन कार्यबल निर्मित करता है। यह कर्मियों को अपनी रुचि के नए क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान करता है।
- **महिलाओं के लिए फायदेमंद:** जब महिलाएं शादी या बच्चे के जन्म के कारण अपने काम को जारी नहीं रख सकती हैं, तब इस अवधारणा के तहत वो घर से कार्य करके कार्यालय से ब्रेक ले सकती हैं।
- **यात्रा की लागत:** कार्यस्थल की यात्रा करने के लिए यात्रा की लागत और ऊर्जा कम हो जाती है।

गिग अर्थव्यवस्था से संबधित मुद्दे

- **कंपनी के कार्य संस्कृति को प्रभावित करती हैं:** चूंकि इसके कारण कंपनियां अपनी पारंपरिक शैली का परित्याग कर देती हैं, अतः इससे उनकी रणनीतिक दृष्टि अस्पष्ट हो सकती है। प्रायः कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, ऐसे में अस्थायी कर्मचारी के होने से टीम भावना में कमी आती है।
- **दस्तावेज़ की गोपनीयता:** ऐसी स्थिति हो सकती है, जब कोई गिग कार्मिक दूसरों के लिए भी कार्य कर रहा हो, जिसमें प्रतिद्वंदी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में नियोक्ता उस चीज़ से सावधान रहता है कि वह गिग कार्मिक के साथ क्या साझा कर रहा है, जो कि हमेशा ही संदिग्ध रहता है।
- **श्रमिक अधिकार:** गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वालों को नियोजित श्रमिकों के समान अधिकार और सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ, ओवरटाइम वेतन और बीमार होने पर अवकाश वेतन। इसके अलावा, गिग अर्थव्यवस्था में कार्मिक को कभी भी हटाया जा सकता हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भेदभाव:** यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ नहीं है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत अभी भी एक सपना बना हुआ है। इसलिए, वे इस अवसर से वंचित हो सकते हैं तथा इससे व्याप्त असमानता में और वृद्धि हो सकती है।

VISION IAS

आगे की राह

- सरकार को गिग कार्मिकों को श्रम कानूनों का लाभ उपलब्ध कराना चाहिए, भले ही उक्त लाभ किसी संगठन के नियमित या संविदा कर्मचारियों के बराबर न हो।
- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि बाहरी ठेकेदारों के साथ कंपनियों द्वारा उचित और नैतिक व्यवहार किया जाता है।
- शिक्षक और उद्योग समूह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रत्यय पत्र (credentials) का निर्माण कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कर्मियों को सक्षम करने हेतु लचीले पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं।

3.8. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2019-2020 में वित्त मंत्री ने यह रेखांकित किया कि सरकार न केवल एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेगी, अपितु अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में निजी क्षेत्रक द्वारा रणनीतिक भागीदारी के लिए का प्रस्ताव भी आमंत्रित करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **2019-2020 के बजट की घोषणाएँ:**
  - इस वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत अंतरिम बजट में 90,000 करोड़ रूपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर **वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 1.05 ट्रिलियन रुपया** निर्धारित किया गया है।
  - गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों (Public Sector Units: PSUs) में सरकार की अधिकांश हिस्सेदारी 51 प्रतिशत के से कम हो सकती है। सरकार द्वारा PSUs में 51 प्रतिशत की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने के स्थान पर, "सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान" शेष राशि में निवेश कर सकते हैं।
- सरकार भूमि और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की **सम्पत्ति का मौद्रीकरण** करना चाहती है। 'निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग' छह लेनदेन सलाहकारों के एक पैनल को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है, जो PSUs की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विक्रय में सहायता करेगा।

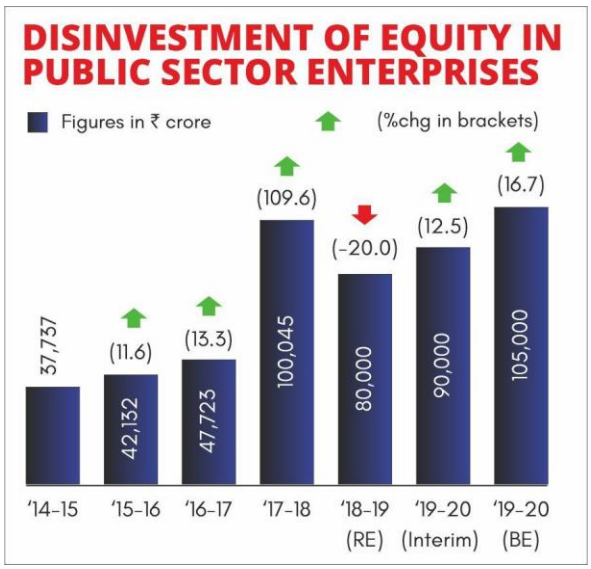

विनिवेश के तरीके

- **शेयर बाजार (Stock market):** शेयर बाजारों के माध्यम से किए जाने वाले कुछ उपाय निम्नलिखित हैं: प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offering: IPO) और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (Further Public Offering: FPO) और बिक्री के लिए प्रस्ताव (Offer for sale: OFS)।
- **संस्थागत स्थानन कार्यक्रम (Institutional Placement Program: IPP):** केवल संस्थान ही प्रस्ताव (Offering) में भाग ले सकते हैं।
- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** यह एकल प्रस्ताव के माध्यम से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी के एक-साथ विक्रय को संभव बनाता है। यह उन CPSEs में अपनी शेयरधारिता के मुद्रीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जो एक ETF समूह के भाग का निर्माण करते हैं। वर्तमान में इसमें (i) **CPSE-ETF और (ii) भारत-22 ETF** शामिल हैं।
- **रणनीतिक विनिवेश:**
  - जब केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) में सरकारी शेयरधारिता के 50% तक के हिस्से को या उच्च शेयरधारिता (जिसमें प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण शामिल हो) की बिक्री की जाती है, तो उसे रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- इसका प्रमुख उद्देश्य CPSEs में सरकारी निवेश का कुशल प्रबंधन करना है। विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- पूँजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सभी को इस नीति का भाग बनाया गया है।
- सरकार द्वारा अनुमोदित 28 रणनीतिक विनिवेश के मामलों में प्रगति हुई, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रणनीतिक रूप से विक्रय की जाने वाली तीन कंपनियों के साथ विभिन्न चरणों में हैं।

विनिवेश के बारे में

- **विनिवेश** का अर्थ सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों या सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय अथवा समापन करना है।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग **(DIPAM)** विनिवेश संबंधी प्रमुख एजेंसी है।
- वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में यह इंगित किया था कि **PSU का निम्नलिखित कारणों से नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक रहा है:**
  - सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की सब्सिडीकृत मूल्य नीति;
  - क्षमता का न्यून उपयोग;
  - योजनाओं और परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित समस्याएं;
  - श्रमिकों, कर्मियों और प्रबंधन की समस्याएं; तथा
  - स्वायत्तता का अभाव।

इस दिशा में सरकार ने 'विनिवेश नीति' को अपनाया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- सरकार के वित्तीय भार को कम करना;
- सार्वजनिक वित्त में सुधार करना;
- प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करना;
- विकास के लिए धन जुटाना;
- स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना; और
- गैर-आवश्यक सेवाओं का गैर-राजनीतिकरण।

विनिवेश के पक्ष में तर्क	विनिवेश के विपक्ष में तर्क
• **विनिवेश से कर राजस्व अंतराल के कम होने की संभावना है।** • **ट्रेड यूनियनों के बढ़ने और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रायः PSUs के प्रबंधन में अवरोध का कारण बनते हैं जिससे दीर्घकालिक रूप से दक्षता में कमी आती है।** • **PSU में अक्षमता का प्रमुख कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी और अप्रचलित कौशल है।** • **निजी अभिकर्ता लालफीताशाही और नौकरशाही की मानसकिता से मुक्त होते हैं और वे निष्पादन प्रेरित संस्कृति और प्रभावकारिता पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।** • **अधिक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, निजी क्षेत्रकों को सार्वजनिक उपक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।** • **इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सेवा पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी विकास/अधिग्रहण के माध्यम से समकालीन बना रहे।**	• यह जनसंख्या के मध्य संसाधनों के समान वितरण की समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध है। • इससे कॉर्पोरेट्स के एकाधिकार और अल्पाधिकार प्रथाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। • जब विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे अस्वास्थकर राजकोषीय समेकन को बढ़ावा मिलता है। • निजी स्वामित्व से दक्षता में वृद्धि की कोई गारंटी नहीं है। (रंगराजन समिति 1993)। • प्रायः विनिवेश प्रक्रिया सार्वजनिक संपत्तियों के कम मूल्यांकन और पक्षपातपूर्ण बोली द्वारा सम्पन्न होती हैं, जिसके कारण सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचता है। • परिचालन की लागत में कमी लाने के लिए निजी स्वामित्व, विकास की क्षेत्रीय असमानताओं की उपेक्षा कर सकता है।

विनिवेश से संबंधित कुछ मुद्दे

- **लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति परन्तु एकल PSU के लिए खराब अनुक्रिया:** उदाहरण के लिए वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 85,000 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई। हालाँकि, सरकार को भारत अर्थ मूवर्स (BEML), पवन हंस (PHL) इत्यादि के विनिवेश को टालना पड़ा।
- **विभिन्न उपायों में संतुलन का अभाव:** IPO से 1,900 करोड़ की अत्यंत कम राशि ही प्राप्त हुई, वहीं ETF इंडेक्स फंड से 45,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।
- **निजी अभिकर्ताओं में रूचि का अभाव:** PSU द्वारा बड़े पैमाने पर लिए गए ऋण इन्हें संभावित खरीददारों के लिए अनाकर्षक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया के विनिवेश के प्रयास विफल सिद्ध हुए हैं।
- **श्रमिक संघों द्वारा विरोध:** बढ़ते निजीकरण से अपनी नौकरियों को खोने के संभावित संकट के कारण श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है।

विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

- **अनुमोदन और प्रक्रियाओं का तीव्र क्रियान्वयन:** CPSE के लिए प्रस्तावों को सूचीबद्ध करना, जो अभी अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं।
- **परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण** पर ध्यान केन्द्रित करना:
  - रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करना।
  - वैकल्पिक तंत्र, अंतर-मंत्रालयी तंत्र और परामर्शी समूहों को अधिसूचित किया गया है।
  - परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए मध्यस्थों को नियुक्त करना।
- **ऋण-ETF**
  - इसकी घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई थी।
  - CPSEs को ऋण / बॉण्ड बाजार तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु DIPAM द्वारा एक ऋण-ETF का सृजन किया जाएगा। यह उनकी समग्र क्षमता का लाभ उठा कर पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करेगा।

3.9. कोल इंडिया

(Coal India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार, कोल इंडिया की परिचालन गुणवत्ता में सुधार के लिए, इसे (अर्थात् इसकी अनुषंगी कंपनियों को) अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने का विचार कर रही है।

पृष्ठभूमि

- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (The Department of Investment & Public Asset Management :DIPAM) ने कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों और इसके अन्वेषण शाखा में से चार को सूचीबद्ध करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।
- **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** भारत की एक प्रमुख कोयला खनन कंपनी है। इसने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए घरेलू उत्पादन के 83% का उत्पादन किया तथा कुल कोयला आपूर्ति के 63% (टन में) की आपूर्ति की है।
  - **चार इकाइयां:** ये चार इकाईयां निम्नलिखित हैं: महानदी कोलफील्ड्स, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स और सेंट्रल कोलफील्ड्स। **कंपनी के कुल उत्पादन में इनकी तीन-चौथाई से अधिक** हिस्सेदारी हैं, जबकि इनमें कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों के आधे से भी कम है।
  - हालांकि, भारत में कोयला खनन के क्षेत्र में निम्नलिखित कमियों की पहचान की गयी है: कोयला खनन में कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार, एक प्रभावी नियामक तंत्र का अभाव, खराब अन्वेषण प्रयास और सुरक्षा के निम्न उपाय।
- भारत में लगभग 70 फीसदी विद्युत उत्पादन कोयला पर आधारित है। भारत, विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, किन्तु कोयले का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। अतः सरकार स्थानीय कोयला उत्पादन को बढ़ावा देकर इसी स्थिति को परिवर्तित करना चाहती है।

VISION IAS

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में

- कोल इंडिया लिमिटेड का गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वर्ष 1975 से पहले, भारतीय कोयला उद्योग निम्न उत्पादकता, रणनीतिक योजना व वित्त के अभाव, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और विनियमन की कमी जैसे कई मुद्दों से ग्रस्त था।
- सरकारी एकाधिकार के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है।
    - हालांकि, अभी भी देश में बड़े पैमाने पर उच्च कोटि के कोयले का खनन नहीं किया जा सका है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इसका आयात करना पड़ता है।

अन्य संबंधित तथ्य

एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के सृजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित करने में सहायता करने के लिए कोयला खनन के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा कोयले की बिक्री के साथ संबंधित अवसंरचना गतिविधि की अनुमति दी गई है।

कोल इंडिया के समक्ष चिंता

- **प्रचुर संसाधनों के बावजूद बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ:** यद्यपि, कोल इंडिया ने रिकॉर्ड 607 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया, तथापि यह वर्ष 2017 में प्रस्तावित लक्ष्य से 22% कम था। तब से लक्ष्य को कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन उत्पादन अभी भी संशोधित लक्ष्य के नीचे रहा।
    - **घटता उत्पादन:** पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में जुलाई 2019 में 5.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है।
- **क्षमता उपयोग में गिरावट:** परिवहन की अड़चनें, प्रबंधन में रिक्तियां, खरीद में देरी और हड़ताल तथा बंद के कारण।
- **अकुशल संगठन:** कोल इंडिया लिमिटेड का प्रति व्यक्ति उत्पादन, दुनिया की सबसे बड़ी निजी कोयला उत्पादक कंपनी पीबॉडी एनर्जी (Peabody Energy) के एक/आठवें हिस्से के बराबर है।
- **परियोजनाओं में विलंब:** CIL की 54 कोयला-खनन परियोजनाओं को विभिन्न कारणों से विलंब का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि संविदात्मक मुद्दे, मंजूरी मिलने में विलंब आदि।
- **धन का अल्प-उपयोग:** कोयला संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee on Coal) ने यह अवलोकित किया कि CIL ने 2016 तक उसे आबंटित फंड में से केवल 62% का ही उपयोग किया था।
- **पूंजी बाजार में गिरती हिस्सेदारी:** CIL का बाजार पूंजीकरण लगभग 28 बिलियन डॉलर है, जो लगातार पांचवें वर्ष गिरावट की तरफ बढ़ रहा है।
- अति गहराई वाले कोयला खनन के लिए नवीनतम तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता में कमी।
    - CIL के पास उपलब्ध मशीनरी जिसे ओपन-कास्ट माइनिंग कहा जाता है, ज्यादातर पृथ्वी की सतह से 300 मीटर नीचे ड्रिलिंग की अनुमति देती है, लेकिन कुल कोयला भंडार का लगभग 40% हिस्सा इससे भी अधिक गहराई में स्थित है, जिसे ओपन-कास्ट माइनिंग का उपयोग करके नहीं निकाला जा सकता है।
    - दूसरी ओर, ओपन कास्ट माइनिंग को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि यह नई प्रौद्योगिकी विधियों की तुलना में आसान, सस्ता और सुरक्षित है।
    - ऐसे में, कोयले का 40% भंडार अभी तक अछूता है, जिसके कारण स्टील कंपनियों को कोयला आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- देश में कोयला भंडारों के वितरण का एक सटीक आंकलन और मूल्यांकन प्रणाली का अभाव है।
    - CIL के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी और प्रणालियाँ कोयले के भंडार का सटीक विवरण नहीं दिखाती हैं, जिसके कारण वे त्रुटिपूर्ण ढंग से से खनन करते हैं।

कोयला खनन से संम्बधित अन्य मुद्दे

- **पूर्वी भारत में प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिवेश:** ओपन कास्ट माइनिंग से होने वाली क्षति अपूरणीय है, जिससे भूमि बेकार हो जाती है।
    - इन क्षेत्रों में अनियंत्रित वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचा रही है।
    - बंजर भूमि और जल की अनुपलब्धता के कारण लोगों का विस्थापन भी बढ़ा है।

VISION IAS

- **नागरिक असंतोष** कुशल खनन नहीं होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। कोयला भंडार सबसे अधिक उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां माओवादी सक्रिय हैं, जिससे क्षेत्र में खनन दशाएँ प्रतिकूल स्थिति में हैं।
- **अवैध खनन में वृद्धि और कोयले का निर्यात:** जब देश में अधिक कोयले के लिए मांग हो रही है, ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपने निजी लाभ के लिए कोयले की अवैध बिक्री की गतिविधियों में संलग्न हैं। उनके खिलाफ मुकदमेबाजी अक्सर वर्षों तक चलती रहती है, इसलिए अवैध खनन को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है।
- **बढ़ता आयात:** इस अवधि में कोयले के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
  - इसके कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: दूरस्थ स्थानों के चलते घरेलू कोयले की उच्च परिवहन लागत (उच्च रेलवे परिवहन लागत भी इसमें जुड़ जाती है), आयातित कोयले की बेहतर गुणवत्ता और कम राख सामग्री, कुछ बिजली संयंत्र बॉयलरों को आयातित कोयले की एक विशेष गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन (इस्पात क्षेत्र के लिए) की कमी आदि।
- **अवसंरचना:** उदाहरणस्वरूप -बोझिल रेलवे नेटवर्क ने ईंधन के परिवहन में बाधा उत्पन्न की है।

कोयला पर कार्यदल (Working Group) की कुछ सिफारिशें:

- कोयला कंपनियों को भूमि अधिग्रहण में विलंब से बचने के लिए परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का एकबारगी ही पूरे क्षेत्र पर कब्जा प्राप्त कर लेना चाहिए।
- खनन पट्टा, वन और पर्यावरण मंजूरी तथा भूमि अधिग्रहण जैसी आवश्यक मंजूरी देने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में स्तरों और चरणों की संख्या कम होनी चाहिए।
- अधिक निजी भागीदारी के लिए क्षेत्र को खोलना, विशेष रूप से कैप्टिव खनन के संबंध में।
- एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, जिसके पास कोयला संसाधन विकास और इसके निष्कर्षण एवंम उपयोग के विनियमन को व्यापक रूप से संभालने की शक्तियां हो।

CIL को विभाजित करने के लाभ (Advantages of breaking up CIL)	CIL को विभाजित करने से संबद्ध चुनौतियां (Challenges of breaking up CIL)
• प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा; • मांग-आपूर्ति की स्थिति को दूर करने और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके अपनाने के संदर्भ में; • इससे वर्ष 2020 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जबकि वित्त वर्ष में उत्पादन लगभग 539 मिलियन टन था; • सरकार अपने कुछ शेयरों की बिक्री कर सकती है, जो अधिक निजी भागीदारी और अधिक प्रबंधकीय विशेषज्ञता ला सकती है।	• श्रमिक संघों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सामना करना; • सहायक कंपनियों के बीच संरचनात्मक अंतर हैं, जिन्हें प्रबंधन के केवल परिवर्तन द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है। • अंतर-सहायक कर्मचारियों की आवाजाही (प्रबंधन स्तर), लाभांश भुगतानों में अंतर आदि से लेकर सूक्ष्म क्रॉस-लिंकेज की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो इसका विभाजन मुश्किल बनाती है।

आगे की राह

विभिन्न उत्पादन इकाइयों में मौजूद आपसी निर्भरता और स्थान विशिष्ट क्रॉस-लिंकेज के कारण कोल इंडिया जैसे बड़े निगम को छोटे भागो में विभाजित करने का एक उपरी दृष्टिकोण व्यवहार्य नहीं हो सकता है। दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के बजाय निजी प्रतिभागियों में वृद्धि करने, वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने और उत्पादन का अनुकूलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

3.10. बंदरगाह आधारित विकास

(Port-Led Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने **सागरमाला परियोजना के माध्यम से बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने** के साथ-साथ सड़क और रेल नेटवर्क के अत्याधिक बोझ को कम करने, परिवहन की लागत को कम करने एवं तेल के आयात बिल में कटौती करने हेतु कार्गो संचालन के लिए नदियों का उपयोग करने हेतु **अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने** पर बल दिया है।

VISION IAS

भारत में बंदरगाह क्षेत्र

- **बंदरगाह-आधारित विकास** वस्तुतः बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs), बंदरगाह-आधारित स्मार्ट शहरों, औद्योगिक पार्कों, गोदामों, लॉजिस्टिक पार्कों तथा परिवहन गलियारों के साथ समेकित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है।
- भारत, लगभग 7517 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा और 200 से अधिक बंदरगाहों के साथ **वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- विश्व के शिपिंग (नौ-परिवहन) मार्ग पर **रणनीतिक रूप से स्थित** होने के कारण, भारतीय बंदरगाह और नौवहन उद्योग देश के व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि करने में सहायता करते हैं।
- भारत में **मूल्य की दृष्टि** से 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- मार्च 2017 में आरंभ महत्वाकांक्षी **सागरमाला कार्यक्रम** के साथ-साथ भारत सरकार ने बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और जहाज निर्माण को विकसित, अनुरक्षित व संचालित करने वाले उद्यमों के लिए विभिन्न राजकोषीय एवं गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं।

सागरमाला परियोजना

- इसका मुख्य उद्देश्य **बंदरगाह-आधारित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा** व प्रोत्साहन प्रदान करना है तथा बंदरगाहों तक तीव्र, दक्षता और किफायती ढंग से **वस्तुओं के आवागमन के लिए बुनियादी ढांचा** उपलब्ध कराना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - घरेलू कार्गो की लागत को कम करने के लिए मल्टी-मॉडल परिवहन को अनुकूलतम बनाना।
  - कार्गो लॉजिस्टिक्स के निर्यात-आयात के समय और लागत को कम करना।
  - वृहद् उद्योगों को समुद्र-तट के निकट स्थापित करके उनकी लागत को कम करना।
  - बंदरगाहों के पास विभिन्न विनिर्माण समूहों को स्थापित करके निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करना।

सागरमाला कार्यक्रम के घटक

- **बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास:** मौजूदा बंदरगाहों का संवर्धन एवं क्षमता विस्तार तथा नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास।
- **बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन:** घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय नौ-परिवहन) सहित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो परिवहन की लागत और समय को अनुकूलतम बनाना, बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को पृष्ठ क्षेत्रों (hinterland) तक बढ़ाना।
- **बंदरगाह-संबद्ध औद्योगीकरण:** लॉजिस्टिक की लागत में कमी और आयात-निर्यात (EXIM) एवं घरेलू कार्गो के समय को कम करने के लिए बंदरगाह-संबद्ध औद्योगिक संकुलों और तटीय आर्थिक क्षेत्र को विकसित करना।
- **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास और आजीविका सृजन के माध्यम से तटीय समुदायों के संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करना।

सागरमाला कार्यक्रम का प्रभाव

- 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अवसंरचना संबंधी निवेश की प्राप्ति।
- मिश्रित रूप से अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग की हिस्सेदारी में दोगुनी वृद्धि।
- प्रति वर्ष लॉजिस्टिक में 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की उत्पाद लागत की बचत।
- वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि।
- 4 मिलियन नए प्रत्यक्ष रोजगार और 6 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन।

बंदरगाह-आधारित विकास भारत के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा?

- **बंदरगाह अवसंरचना का विकास:** यह बंदरगाह कनेक्टिविटी, आधुनिकीकरण और बंदरगाह-संबद्ध औद्योगीकरण का संवर्धन करेगा।
- **तटीय समुदायों को लाभ:** यह तटीय समुदायों के विकास में सहायक होगा। विदित है कि भारत की 42 प्रतिशत जनसंख्या तटीय राज्यों में निवास करती है। यह 500 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग:** बंदरगाह-आधारित विकास के लिए सागरमाला जैसे कार्यक्रम और 111 अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास राज्यों पर भी व्यापक प्रभाव उत्पन्न करेगा।
  - **जल मार्ग विकास परियोजना** के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे सघन जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

VISION IAS

- **पर्यटन:** मुंबई, चेन्नई और कोचीन सहित कई स्थानों पर क्रूज पर्यटन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। ये भारत में पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण वृद्धि में सहायक होंगे।
- **निर्यात और आयात:** भारतीय बंदरगाह भारत के कुल EXIM व्यापार की मात्रा के 90 प्रतिशत से अधिक भाग का संचालन करते हैं। भारत के निर्यात और आयात को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाह-आधारित विकास महत्वपूर्ण है।
- **कार्गो का सुगम संचलन:** प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों, औद्योगिक संकुलों और निकासी संरचना (evacuation infrastructure) को क्षेत्रीय स्तर पर एक वृहत एकल प्रणाली से संबद्ध कर, यह गेटवे के माध्यम से कार्गो के निर्बाध और कुशल आवागमन को सक्षम बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप बंदरगाहों को प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और ग्राहकों को माल ढुलाई के अनेक विकल्प उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त होगी।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करना और 'मेक इन इंडिया' को सक्षम बनाना:** लॉजिस्टिक्स लागत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। बंदरगाह-आधारित विकास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्गो के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।
    - जल-आधारित परिवहन व्यवस्था का विकास करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सकता हैं, जो कि भारत में 16 से 18 प्रतिशत के मध्य है, लेकिन आगामी दो-तीन वर्षों में सागरमाला और भारतमाला कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से इसके कम होकर वैश्विक औसत के समान होने की संभावना है।

संबंधित तथ्य

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग

- भारत में लगभग **14,500 किमी लंबा नौवहन योग्य अंतर्देशीय जलमार्ग विद्यमान** है, जिनमें से 5,200 किमी (36 प्रतिशत) प्रमुख नदियाँ और 485 किमी (3 प्रतिशत) नहरें मशीनीकृत जलयानों के आवागमन के लिए अनुकूलित हैं।
- भारत में लगभग 4,400 किमी में विस्तारित **पांच राष्ट्रीय जलमार्गों** को क्रमशः गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तट नहर (West Coast Canal), गोदावरी व कृष्णा नदियों और पूर्वी तट नहर (East Coast Canal) के अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में उल्लिखित किया जाता है।
- **लॉजिस्टिक्स बाजार में अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा माल ढुलाई में भारत की हिस्सेदारी** चीन के 8.7 प्रतिशत और यूरोप के 7 प्रतिशत की तुलना में **अत्यंत न्यून (0.5 प्रतिशत) है।**
- वर्ष 2014 में RITES द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड के संबंध में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार **वर्ष 2022 तक इन जलमार्गों पर अनुमानित कार्गो संचालन 159 मिलियन टन** होने का अनुमान है।
- अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में **कम परिवहन लागत, पूंजी बचत, अवसंरचना विकास, आर्थिक अवसरों में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल होने आदि के संदर्भ में सहायता प्रदान करते हैं।**

बंदरगाह क्षेत्रक के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **मल्टी मॉडल टर्मिनल:** अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के प्रथम मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा **वाराणसी** में किया गया था।
- **तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZs):** सभी समुद्र तटवर्ती राज्यों को शामिल करते हुए सागरमाला पहल के अंतर्गत 14 CEZs विकसित किए जा रहे हैं।
    - CEZs एक या अधिक तटीय जिलों के समूह वाले स्थानिक आर्थिक क्षेत्र हैं, जिनकी उस क्षेत्र के बंदरगाहों के साथ एक सुदृढ़ संबद्धता होती है।
    - CEZ नियोजित आर्थिक गलियारों की सहक्रियाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगा।
- **जल मार्ग विकास परियोजना:** यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौ-परिवहन की क्षमता वृद्धि करने हेतु आरंभ की गई है।
- **शुष्क पत्तन:** वाणिज्य मंत्रालय ने शुष्क पत्तनो अथवा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD's) से संबंधित अवसंरचना मानकों में सुधार की घोषणा की है।
    - शुष्क पत्तन अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं, जो प्रत्यक्षत: रेल या सड़क मार्ग से एक बंदरगाह से जुड़े होते हैं। इनके द्वारा एक बंदरगाह के समान ही सेवाएं प्रदान जाती हैं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण, निरीक्षण

VISION IAS

और सीमा शुल्क भुगतान आदि।

- **नदी सूचना प्रणाली:** जहाजरानी मंत्रालय ने फरक्का और पटना (410 किमी) के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है।
- **विभिन्न विधान:** प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2016, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 और नई जहाज निर्माण नीति।
- तटीय नियमन जोन (CRZ) अधिसूचना, 2018
- विदेशी जहाजों की आवाजाही पर तटीय व्यापार प्रतिबंध (Cabotage) से छूट प्रदान की गई है।
- सेतुसमुद्रम परियोजना।
- नौ-परिवहन क्षेत्र में 100% FDI
- बंदरगाहों और पोताश्रयों के निर्माण एवं रखरखाव से संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI का प्रावधान।
- परिचालन बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों को विकसित करने, बनाए रखने एवं परिचालन के व्यवसाय में संलग्न उद्यमों के लिए 10 वर्षों की कर छुट (tax holiday) को विस्तारित किया गया है।
- बंदरगाहों के निकट SEZs का निर्माण।

संबंधित चुनौतियां

- **सरकारी बंदरगाहों का खराब प्रदर्शन:** जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर एक कार्गो जहाज में माल ढुलाई में निजी क्षेत्र के प्रतियोगी की तुलना में चार गुना तक का अधिक समय लगता है।
  - अधिकांश प्रमुख बंदरगाहों पर अकुशल और अप्रशिक्षित श्रमिक के साथ आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा निरंतर श्रमिक हड़तालों, अक्षमता एवं निम्न श्रम उत्पादकता के कारण बंदरगाहों का विकास प्रभावित हो सकता है।
- **प्रक्रियात्मक और नीति संबंधी चुनौतियां:** एक दोहरी संस्थागत संरचना की उपस्थिति जिसके कारण प्रमुख बंदरगाहों (केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली) और छोटे बंदरगाहों (राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली) को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है।
  - देश भर में औद्योगीकरण, व्यापार, पर्यटन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास में विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी का होना एक अन्य बाधा है।
- **निजी भागीदारी का अभाव:** बंदरगाह परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता निजी विकासकर्ताओं के साथ-साथ वित्तप्रदाताओं के लिए एक प्रमुख बाधा है। ग्रीनफील्ड पत्तन परियोजनाएं आमतौर पर दूरस्थ स्थानों पर विकसित की जाती है और साईट तक पहुँच स्थापित करने हेतु आधारभूत अवसंरचना विकसित करने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** प्रमुख और छोटे बंदरगाहों पर माल की आवाजाही के लिए एक सब-ऑप्टीमल ट्रासपोर्ट मॉडल मिक्स का अभाव।
- **सीमित पृष्ठ क्षेत्र संपर्क,** जिसके कारण परिवहन लागत में वृद्धि होती है।
- **सामान की अधिक मात्रा का प्रबंधन (हैंडलिंग) करने वाले उपकरणों की कमी।**

आगे की राह

- **तटीय व्यापार (cabotage) की पूर्ण छूट:** तटीय आवाजाही के लिए नौ-परिवहन क्षमता बढ़ाने और कम लागत पर पर्याप्त जहाजों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने हेतु।
- **भारतीय बंदरगाह क्षेत्र हेतु एक स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए निवेश और कार्गो यातायात केंद्र (कार्गो ट्रैफिक पॉइंट) में वृद्धि करना:** संचालन एवं रखरखाव (O&M), जहाज संचालन एवं पोताश्रय और समुद्री संपत्ति जैसे कि मालवाहक जहाज एवं निकर्षण पोत (barges and dredgers) जैसी सेवाओं के प्रदाता इन निवेशों से लाभान्वित हो रहे हैं।
- **नौ-परिवहन में डिजिटल रूपांतरण:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एनालिटिक्स तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों के माध्यम से नौ-परिवहन में डिजिटल रूपांतरण को बढ़ावा देना।
- **विशेष नीतिगत सुधार:** इस तरह के सुधारों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों से संबंधित अवसंरचना को उन्नत करना, प्रमुख बंदरगाहों के लिए नई भू नीति को लागू करना, सेवाओं एवं तकनीकी और प्रदर्शन मानकों की निगरानी एवं विनियमन के लिए सभी बंदरगाहों पर एक बंदरगाह नियामक की स्थापना करना, बंदरगाह परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना, बंदरगाहों में निवेश करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) की स्थापना, प्रमुख नए बंदरगाहों का विकास करना तथा इसी तरह के अन्य कार्य करना है।

VISION IAS

3.11. औद्योगिक गलियारे

(Industrial Corridors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र** (Dholera Special Investment Region) की स्थापना की गई है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे पर नियोजित कई ग्रीनफ़ील्ड शहरों में से एक है।

पृष्ठभूमि

- विशेष निवेश क्षेत्र लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ एक विशेष रूप से निरूपित औद्योगिक क्षेत्र होता है।
- **दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (Delhi Mumbai Industrial Corridor: DMIC)**, वर्तमान समय में विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र का पर्याय बन चुका है। इस गलियारे के साथ पांच शहरों को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।
- **दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DMICDC)** ने पांच इन्फ्रा वर्टिकल (infra-verticals) और पांच सोशल सेक्टर वर्टिकल (social sector verticals) की पहचान की है, जो संयुक्त होकर ग्रीनफील्ड शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे।
- अन्य चार हैं: शेंद्रा-बिडकिन (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी टाउनशिप (उज्जैन), एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप (ग्रेटर नोएडा) और ग्लोबल सिटी (गुड़गांव)।

औद्योगिक गलियारों के बारे में

- एक औद्योगिक गलियारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्मित एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें निवेश के माध्यम से अवसंरचना को विकसित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य विनिर्माण या अन्य प्रकार के उद्योग हेतु क्लस्टर के एक क्षेत्र का सृजन करना है।
- ऐसे गलियारे प्राय: उन क्षेत्रों में निर्मित किए जाते हैं जहां पहले से ही अवसंरचना विद्यमान होती है, जैसे- बंदरगाह, राजमार्ग और रेलमार्ग आदि।
- सरकार देश में 5 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने की योजना बना रही है, जो निम्नलिखित हैं:
    - **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC):** यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करता है।
    - **चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC):** यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को कवर करता है।
    - **बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC):** यह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को कवर करता है।
    - **अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC):** यह पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है।
    - **पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा (ECEC):** यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को कवर करता है।

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DMICDC) के बारे में

- इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् **DMICDC** में प्रमुख हिस्सेदारी भारत सरकार (49 प्रतिशत), जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (26 प्रतिशत) और सरकारी वित्तीय संस्थानों (शेष हिस्सेदारी) के मध्य विभाजित है।
- जापान द्वारा परियोजना के लिए अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसके द्वारा इसके पहले चरण में 0.1 प्रतिशत की निम्न दर पर 4.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक गलियारों का महत्व

- **अर्थव्यवस्था का एकीकरण:** औद्योगिक गलियारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अंतर-निर्भरता की पहचान करते हैं और उद्योग एवं अवसंरचना के मध्य प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करते हैं जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **विकास को बढ़ावा:** ये गलियारे संपूर्ण भारत में विस्तृत हैं, जिसमें औद्योगिकीकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने हेतु समावेशी विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - इन गलियारों के साथ-साथ स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ ये शहर विनिर्माण के लिए आवश्यक नए कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जो बदले में नियोजित शहरीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

VISION IAS

- **इन परियोजनाओं में विनिर्माण का महत्वपूर्ण आर्थिक चालक के रूप में होना:** वर्ष 2025 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्रक के योगदान को 16% से बढ़ाकर 25% तक करने में इन परियोजनाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।
- **अवसंरचना का विकास:** औद्योगिक गलियारों के निम्नलिखित प्रमुख घटक अवसंरचनात्मक विकास में सहायक होते हैं: उच्च गति वाले परिवहन नेटवर्क (रेल, सड़क आदि), अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों वाले बंदरगाह, आधुनिक हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क आदि। इसके अतिरिक्त, टाउनशिप/रियल एस्टेट और अन्य शहरी अवसंरचना जैसी पूरक अवसंरचना का भी निर्माण होता है।
    - लगभग 1,500 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाला समर्पित माल गलियारा (Dedicated Freight Corridor: DFC) हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और यह दिल्ली-मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग समानांतर होगा।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन:** औद्योगिक गलियारा विभिन्न अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के प्रावधान के संबंध में निजी क्षेत्र को निवेश के अवसर प्रदान करता है।
- **गलियारे के आस-पास के व्यापार और उद्योग के लिए दीर्घकालिक लाभ:** जैसे- औद्योगिक उत्पादन इकाइयों के लिए सुगम पहुंच, परिवहन और संचार लागत में कमी, वितरण समय में सुधार, इन्वेंट्री लागत में कमी आदि।
- **निवेश को आकर्षित करना:** एक औद्योगिक गलियारे की रणनीति का उद्देश्य एक प्रभावशाली औद्योगिक आधार विकसित करना है, जो विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी अवसंरचना द्वारा निर्यात-उन्मुख उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में कार्य करता है।
- DMIC (विनिर्माण/प्रसंस्करण क्षेत्रों में दो मिलियन रोजगार) के द्वारा स्थानीय आबादी का कौशल विकास और तीन मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा।

चिंताएं:

- **असमानताओं को बढ़ावा दे सकता है:** भले ही ये लघु उद्योगों (जो अत्यधिक रोजगार सृजन करते हैं) या छोटे अभिकर्ताओं (जिनकी पूंजी और संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है) के लिए अधिक अनुकूलित सिद्ध हो पाएं, फिर भी इसके द्वारा लघु उद्योगों की कीमत पर बड़े उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **स्मार्ट शहर:** ये DMIC जैसे औद्योगिक गलियारों को आकर्षण कारक (glam factor) प्रदान करते हैं, जबकि इनकी स्वयं आलोचना की जा रही है। उदाहरणार्थ, 78,000 करोड़ रुपये की लागत वाली **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT-सिटी)** का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि स्मार्ट सिटी सदैव एक स्मार्ट रणनीति नहीं हो सकती है। ज्ञातव्य है कि इसके द्वारा एक मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की अपेक्षा की गई थी, लेकिन इस शहर में स्थित 29 मंजिला दो इमारतों में 50 प्रतिशत मंजिलों का भी उपयोग नहीं किया जा सका है।
    - **सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE)** के अनुसार, इन नए शहरों के संबंध स्पष्ट बेंचमार्क, कार्यान्वयन रणनीति अथवा सुदृढ़ नियामक सुरक्षा उपाय नहीं गए हैं। देश के भविष्य के लिए स्मार्ट सिटी का आशय स्मार्ट निवेश नहीं है।
- **शासन संबंधी मुद्दे:** ये औद्योगिक गलियारे एक निर्वाचित पंचायत अथवा नगरपालिकाओं के विपरीत, निजी कंपनियों और व्यक्तियों के निकायों द्वारा शासित हो सकते हैं। एक व्यापक चिंता यह भी है कि गैर-निर्वाचित कर्मियों और संस्थाओं के शासन के पदों पर पहुंचने से, मौजूदा नियमों के साथ-साथ लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही और विवाद समाधान अत्यधिक कठिन हो जाएगा।
    - उदाहरण के लिए: धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां छोटे किसानों के घर स्थित हैं और बाढ़ का निरंतर खतरा बना रहता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आजीविका और भूमिहीन किसानों पर प्रभाव, दोषपूर्ण प्रभाव आकलन और प्रस्तावित शहरीकरण के व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव का हवाला देते हुए महीनों तक इसके कार्यान्वयन का विरोध किया गया है।
- **भूमि-अधिग्रहण संबंधी खतरा:** भूमि मालिकों, किसानों और ऐसे लोगों द्वारा जिनकी आजीविका इस भूमि पर निर्भर है, उनके द्वारा दायर कई वाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
- **नागरिक समाज की भागीदारी का अभाव:** एक ऐसी परियोजना जिसका नागरिकों (जिनके लिए इसका डिज़ाइन किया गया है) सहित कई हितधारकों पर गहरा और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है, उसके लिए नागरिक समाज समूहों और निर्वाचित निकायों के साथ इसकी समग्र संरचना और नीति के संबंध में न्यूनतम परामर्श किया गया है।

VISION IAS

निष्कर्ष

- जहाँ एक ओर कनेक्टिविटी, विद्युत और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अवसंरचना स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर, ये परियोजनाएँ किस प्रकार से अन्य मूलभूत सुविधाओं (भूमि और जल) के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं, इसकी सफलता के आधार पर ही ऐसे मेगा औद्योगिक परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता को मूल्यांकित किया जा सकता है।

3.12. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

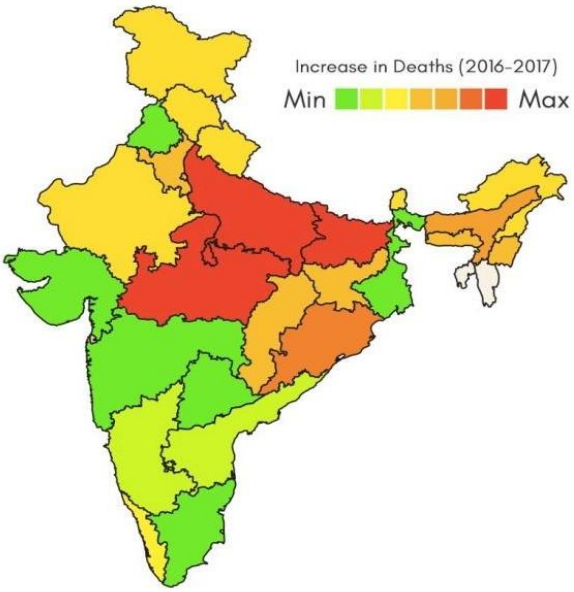

सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से 2017 के मध्य सड़क हादसों में भारत में प्रति दिन लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई हैं।

सड़क सुरक्षा : एक परिचय

- सड़क हादसों में हताहत होने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा भारत में **सार्वजनिक स्वास्थ्य** का एक गंभीर मामला बन गया है।
- सड़क हादसों से गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है और इससे कई प्रकार की लागतें भी संबद्ध हैं, यथा-
  - **आर्थिक लागत:** भारतीय योजना आयोग के अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारत की GDP का 3% सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाता है तथा यह 2016 में 3.8 लाख करोड़ रूपए तक पहुँच गया था।
  - **सामाजिक लागत:**
    - भारत में सड़क हादसों में होने वाली कुल मृत्यु के मामले में पैदल यात्रियों की संख्या 19 प्रतिशत है। पैदल यात्री सर्वाधिक सुभेद्य सड़क प्रयोक्ता हैं, क्योंकि सड़क हादसों के मामलों में उन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्राप्त होती है।
    - परिवार के सदस्यों, मुख्यतः अर्थोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु निर्धनता तथा सामाजिक परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त, इन हादसों के परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता के कारण मानव उत्पादकता में कमी आती है तथा सामाजिक कलंक का शिकार भी होना पड़ता है।
    - **प्रशासकीय लागत:** इसमें यातायात प्रबंधन, विधि का प्रवर्तन, संसाधनों पर आने वाली लागत (क्षतिग्रस्त संपत्ति की पुनर्बहाली) तथा बीमा प्रबंधन सम्मिलित होते हैं।

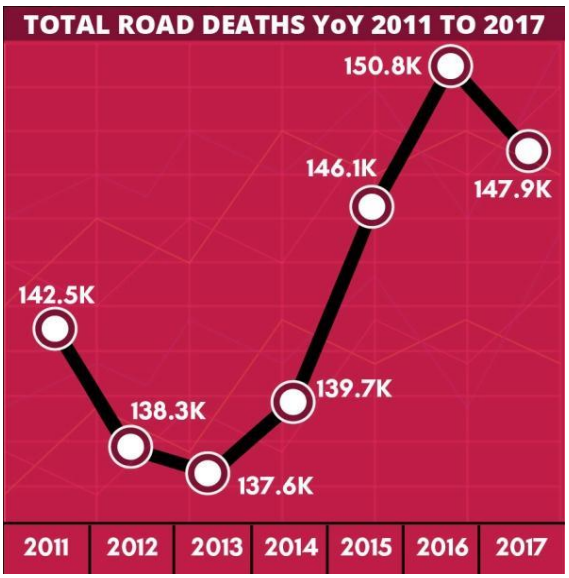

- इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि सड़क सुरक्षा के मामलों को तात्कालिक आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बहुत से बड़े राज्यों में, हाल में सड़क हादसों के कारण जान हानि के मामलों में बहुत बढ़ोतरी हुई है।

सड़क सुरक्षा के समाधान के मार्ग में आने वाली अड़चनें

- **सड़कों पर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या:** देश में शहरीकरण तथा प्रवासन के बढ़ने के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
- **निम्नलिखित कारकों से पैदल यात्रियों की सुभेद्यता में वृद्धि:**
  - विशेषतः शहरी क्षेत्रों में वाहनों की गलत पार्किंग तथा दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अवैध अतिक्रमण के कारण नियमित रूप से निर्दिष्ट फुटपाथ पर अवैध कब्ज़ा देखने को मिलता है, जिससे पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने को विवश होना पड़ता है।
- **परोपकारिता (Good Samaritan) के दृष्टिकोण के प्रति उदासीनता:** प्रायः दुर्घटना के समय लोगों में सहायता करने की प्रवृत्ति का अभाव दिखता है। दुर्घटना के पश्चात् कानूनी सुनवाई तथा जाँच हेतु बार-बार पुलिस थाने का चक्कर लगाए जाने की बाध्यता के कारण यह देखने को मिलता है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल
VISION

- **विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता है:** चूंकि भारत में एक संघीय ढाँचा मौजूद है, अतः इनसे निपटने हेतु राज्य सरकारों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** इस बात की अनुशंसा करता है कि भारत जैसे देश में **50 किमी/घंटा की राष्ट्रीय शहरी गति सीमा** तय होनी चाहिए। किन्तु कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश 40 किमी/घंटा की गति सीमा के साथ इस अनुशंसित सीमा से पीछे रह जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में यह गति सीमा 65 किमी प्रति घंटा तक ठहरती है।
- **सड़क कानून से संबंधित प्रावधानों का अपर्याप्त क्रियान्वयन:** प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सड़क कानून से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह लागू नहीं किए जाने से क़ानून तोड़ने वाले बहुत कम व्यक्तियों पर ही कार्रवाई हो पाती है। इससे उल्लंघनकर्ताओं के मन में प्रभावी निषेध की भावना नहीं आ पाती।
- **अनुपयुक्त सड़क अभियांत्रिकी:** इसके चलते भारत में सड़क संबंधी अवसंरचना निकृष्ट डिज़ाइन गुणवत्ता व ख़राब दृश्यता से ग्रसित होतीं है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना में वृद्धि हो जाती है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 {Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019}

संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित कर सड़क सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए क्षति-पूर्ति राशि:** केंद्र सरकार गोल्डन ऑवर (Golden Hour) के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की नकदी रहित उपचार के लिए एक योजना विकसित करेगी। इस विधेयक में गोल्डन ऑवर उस अवधि को कहा गया है जिसमें किसी आघात से आहत व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इस अवधि में उचित स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने से मृत्यु से संघर्षरत घायल व्यक्ति को ठीक करने की संभावना सर्वाधिक होती है।
- **अनिवार्य बीमा:** इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए सभी सड़क प्रयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का निर्माण करना आवश्यक है।
- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड:** यह अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करेगा, जो सरकार को सड़क डिज़ाइन तथा मोटर वाहन सुरक्षा के मुद्दे पर परामर्श देगा।
- **परोपकारी व्यक्ति (Good Samaritans):** इस अधिनियम में परोपकारी व्यक्ति की संज्ञा उस व्यक्ति को दी गयी है, जो सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को चिकित्सकीय या अचिकित्सकीय सहायता प्रदान करता है।
- **अपराध तथा अर्थदण्ड:** इस अधिनियम के द्वारा किए जाने वाले कई अपराधों के लिए दण्ड की सीमा को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, मदिरा या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी चलाने के लिए अधिकतम अर्थदण्ड की सीमा को 2,000 रूपये से बढ़ा कर 10,000 रूपये किया गया है।
- **वाहनों को वापस लिया जाना:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को उस मोटर वाहन को वापस लिए जाने संबंधी आदेश पारित करने की अनुमति प्रदान करता है जो खराबी या गड़बड़ी के कारण पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को क्षति पहुंचा सकता है।

भारत में सड़क सुरक्षा की दशा में सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना:** इसे 2,000 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक कोष के साथ आरम्भ किया गया है। इसके माध्यम से राजमार्गों पर खतरनाक बिन्दुओं (dangerous spot) को समाप्त किया जा सकेगा।
- हाल ही में, सरकार ने दोपहिया वाहनों में अप्रैल 2019 से **एंटी ब्रेक लॉक प्रणाली** का होना अनिवार्य कर दिया, ताकि आपात स्थिति में ब्रेक का प्रयोग करते समय वाहनों पर नियंत्रण बेहतर किया जा सके।
- सरकार ने वर्ष **2015 में ब्राज़ीलिया घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए,** जिसका संकल्प सड़क हादसों तथा इससे होने वाली जान-माल की हानि को आधा करना था।
- भारत सरकार ने दिशा-निर्देश ज़ारी करके अस्पतालों, पुलिस तथा सभी अधिकारियों को **परोपकारी व्यक्तियों** की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- **राष्ट्रीय कार्य योजना** के मसौदे में वर्ष 2020 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** को पारित किया जाना।

सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

- सड़कों की लम्बाई और चौड़ाई को बढ़ाने की अपेक्षा सड़कों के लिए व्यावहारिक वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में ध्यान केंद्रित करना सर्वाधिक आवश्यक है। सड़क हादसों की वैज्ञानिक जाँच, आंकड़ों का गंभीर विश्लेषण तथा अभियान्त्रिकी में हस्तक्षेप, प्रवर्तन, शिक्षा तथा ट्रॉमा केयर जैसी चीज़ों का मेल भारत में सड़क सुरक्षा के सूत्राधार हैं।
    - सड़क सुरक्षा पर गठित **एस. सुन्दर समिति (2007)** ने सड़क अवसंरचना के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को उजागर किया, जिसमें डिज़ाइन के स्तर पर प्रभावी सड़क अभियांत्रिकी समाधान, दुर्घटना बिन्दुओं में सुधार लाया जाना आदि सम्मिलित थे।

VISION IAS

- इस समिति ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव के लिए प्रतिपालन हेतु सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की भी अनुशंसा की।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की **सुरक्षा प्रणाली दृष्टिकोण** में इस बात पर बल दिया गया है कि केवल दण्ड विधि के आधार पर सड़क सुरक्षा में लोगों की भूमिका को पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। इसकी अपेक्षा नीतिगत दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा तथा जागरूकता में वृद्धि हो।
- अर्द्ध-स्वचालित वाहन, टक्कर से बचाव की प्रणालियाँ, स्थिरता पर नियंत्रण, सड़क के साथ वाहनों का बेहतर ताल-मेल, स्वचालित ब्रेकिंग प्रणालियाँ, एयर कुशन तकनीक (air cushion technology) तथा फ्लीट व्हीकल के लिए गति नियंत्रक जैसे उपायों के द्वारा **वाहन प्रौद्योगिकी** को आधुनिक बनाया जाना आवश्यक है।
- यात्री गाड़ियों पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए **कुशल परिवहन एवं राष्ट्रीय फ्रेट नीति** का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- किसी सड़क दुर्घटना के स्थान पर एकत्रित लोगों को **जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार** का प्रशिक्षण दिया जाना बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है।
    - WHO के अनुसार, कम्बोडिया के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी इराक़ में लोगों को प्राथमिक उपचार कौशल में प्रशिक्षित किए जाने से लैंडमाइन से संबंधित मौतों के मामले में उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं। केवल आधारभूत आपूर्तियों तथा एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के बाद भी मृत्यु दर 40% से कम हो कर 9% तक आ गयी।
- देश में प्रभावी सड़क सुरक्षा के लिए नवीन नीतियों तथा कार्यविधियों को **2015 की ब्राजीलिया घोषणा-पत्र** पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए अधिक संधारणीय पद्धतियों एवं परिवहन के साधनों के पक्ष में परिवहन नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

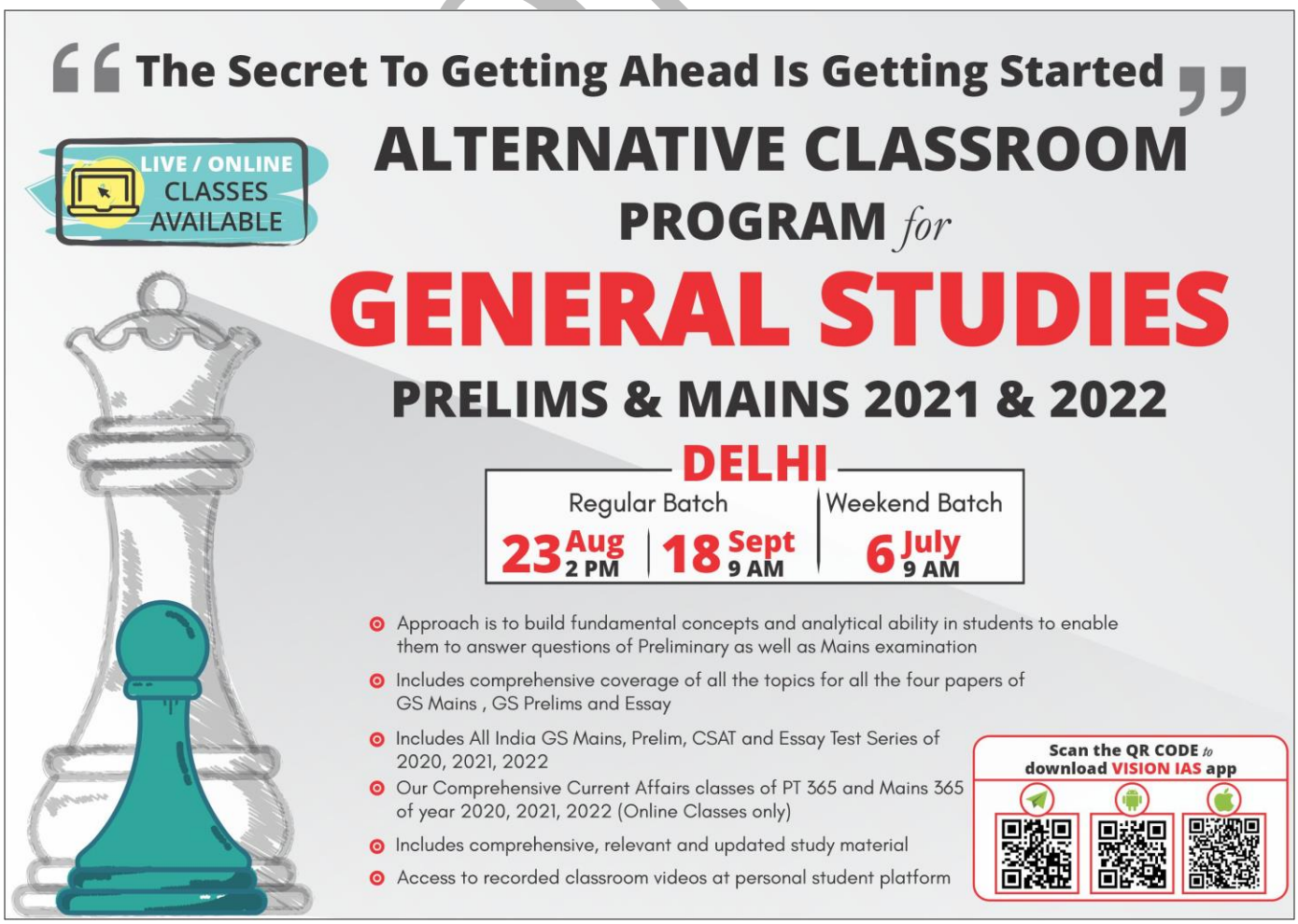

4. सुरक्षा (Security)

4.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

{Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019: UAPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय संसद द्वारा **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019** को पारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों तथा इससे संबंधित मामलों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - भारत-चीन युद्ध और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने वाले दल DMK द्वारा अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भारत से अलगाव को सम्मिलित किए जाने के कारण भारतीय अखंडता के समक्ष उत्पन्न संकट को देखते हुए, इसे अधिनियमित किया गया था।
- अपराधों की परिवर्तित प्रकृति और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता के आलोक में, इन संशोधनों की आवश्यकता थी।
  - इसके दायरे का विस्तार किया गया है और इस दायरे को विभिन्न संशोधनों (बॉक्स देखें) के माध्यम से विकसित किया गया है।
- वर्ष 2019 के इस संशोधन अधिनियम में ऐसे ही कुछ अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है।

UAPA, 1967 का विकास

- **वर्ष 2004 में हुए संशोधन:** इसके तहत किसी आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन जुटाने, आतंकवादी कार्यवाहियों को संचालित करने, आतंकवादी संगठनों में शामिल होने और विशिष्ट खंडों को शामिल करके आतंकवादी संगठन को सहयोग प्रदान करने आदि को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया गया।
- **वर्ष 2008 में हुए संशोधन:** इसके तहत आतंकवादी घटनाओं के वित्तपोषण की व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने हेतु "निधियों (Funds)" से संबंधित प्रावधान के दायरे को विस्तृत किया गया।
  - **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सप्रेशन फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (CFT)** की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून निर्माण हेतु **संपत्ति** की परिभाषा को विस्तृत किया गया।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1267 और 1373 को प्रभावी बनाने तथा "निधियों को फ्रीज (freezing), जब्त (seizing) अथवा कुर्क करने हेतु" एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक नया **खंड 51A** जोड़ा गया।
  - मुंबई हमलों के पश्चात् अत्यधिक संशोधन किए गए, जिसमें पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि, चार्जशीट के बिना बन्दीकरण और जमानत पर प्रतिबंध के संबंध में POTA और TADA के समान प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- **वर्ष 2012 में हुए संशोधन:** देश की आर्थिक सुरक्षा के समक्ष खतरे में डालने वाले अपराध को शामिल कर, "आतंकवादी गतिविधि" की पहले से अस्पष्ट परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया।

इस अधिनियम में हुए प्रमुख संशोधन

- **आतंकी संस्था घोषित करने के दायरे को विस्तृत किया गया है:** पूर्व में केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती थी; यदि वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित या संचालित करता है अथवा उसमें संलग्न है या बढ़ावा दे अथवा आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरीके से शामिल होता है।
  - अब सरकार को उन्हीं आधारों पर किसी भी **व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने** का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संपत्ति जब्त करने की मंजूरी:** इससे पूर्व एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
  - अब, यदि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की सहमति की आवश्यकता होगी।
- **NIA को सशक्त बनाया गया है:** इससे पूर्व, मामलों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों द्वारा या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती थी।
  - इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले NIA के अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

VISION IAS

- **संधियों की अनुसूची को शामिल करना:** इस अधिनियम की एक अनुसूची में नौ संधियाँ सूचीबद्ध थीं {जैसे- कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ़ टेररिस्ट (1997), कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ़ होस्टेज़ (1979) आदि}, जिसके अनुसार यह अधिनियम उन संधियों के तहत किए गए कृत्यों को शामिल करने हेतु आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है।
    - इस विधेयक के अंतर्गत **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ़ एक्ट्स ऑफ़ न्यूक्लियर टेररिज्म (2005)** को भी सूची में शामिल किया गया है।

आतंकी गतिविधियों के निवारण हेतु कुछ अन्य कानून

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA),1980;
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA),1958;
- **कई राज्यों के अपने स्वयं के आतंक विरोधी कानून हैं,** जैसे- महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999; छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005; जम्मू और कश्मीर जनसुरक्षा अधिनियम, 1978; तथा आंध्र प्रदेश जनसुरक्षा अधिनियम, 1992 आदि।

इन संशोधनों की आवश्यकता और लाभ

- **आतंकवाद के बढ़ते खतरे:** विशेष रूप से सीमा पार घुसपैठ के परिणामस्वरूप भारत में अनेक नागरिकों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों को भी क्षति का सामना करना पड़ा है।
- **अनेक लोगों का निगरानी प्रणाली से बचे रहना:** व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं करना, उन्हें कानून के दायरे से बचे रहने का अवसर प्रदान करता है और वे आसानी से एक अलग पहचान के साथ अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
    - कई अन्य राष्ट्रों सहित संयुक्त राष्ट्र के कानूनों में भी व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत स्वयं **मसूद अजहर** को आतंकवादी के रूप में नामित करने में असमर्थ रहा है, यद्यपि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस हेतु पैरवी की थी।
    - इसके अतिरिक्त, कई व्यक्ति **लोन वुल्फ** के रूप में कार्यरत हैं, जो किसी संगठन से संबंधित नहीं होते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। उन्हें अब इस अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा।
- **मौजूदा प्रक्रिया में विलंब:** वर्तमान कानून के अनुसार NIA को संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक से आतंकवादी घटनाओं को रोकने संबंधी कार्यवाही करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिसके कारण प्रक्रिया में विलंब होता है, क्योंकि प्राय: ऐसी संपत्तियां विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होती हैं।
    - जब NIA अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाले मामलों की जांच करती है, तब उस मामले से संबंधित सभी तथ्यों के निरीक्षण का अधिकार राज्य पुलिस के अधीन न होकर NIA के पास होता है।
- **मानव संसाधनों की आवश्यकता:** यह संशोधन निरीक्षकों (इंस्पेक्टर्स) और उनसे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को जांच हेतु अधिकार प्रदान कर, NIA में मानव संसाधन संबंधी अभावों को कम करने का प्रयास करता है।
    - इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने समय के साथ UAPA संबंधित मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त दक्षता प्राप्त की है।
    - इस कदम से UAPA से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय प्राप्त हो सकेगा, जिसकी समीक्षा विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

संशोधन से संबंधित चिंताएं

- **कठोर प्रावधान (Draconian Provisions):** इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार होगा, जो संभवतः जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित करने का अधिकार प्रदान करेगा।
    - उक्त मामले में संलग्न व्यक्ति को उपलब्ध एकमात्र निवारण हेतु केंद्र सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी समीक्षा भी सरकार द्वारा ही गठित एक समिति द्वारा की जाएगी।
    - उक्त मामले में संलग्न व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार, नौकरी से निष्कासन, मीडिया द्वारा आलोचना और शायद स्वघोषित सतर्कता समूहों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** आतंकी प्रचार, आतंकवादी साहित्य आदि ऐसे अस्पष्ट शब्द हैं जिनका प्राधिकारी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। जब कोई कानून इस तरह की कमजोर अवधारणाओं पर आधारित होता है, तो अधिकारियों द्वारा उसे किसी के भी विरुद्ध आसानी से आरोपित किया जा सकता है।

VISION IAS

- केवल क्रांतिकारी साहित्य रखने के आधार पर लोगों के विरुद्ध UAPA को आरोपित करने के भी उदाहरण मौजूद हैं (जैसे- आनंद तेलतुम्बडे का मामला)।
- ऐसी आशंका है कि इससे अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों को आतंकवादी के रूप में प्रचारित किया जा सकता है।

- **न्यायिक विवेक के विरुद्ध:** यदि किसी व्यक्ति को केवल भाषण और विचार के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो यह न्यायिक विवेक के विरुद्ध होगा। इसके बजाए, इसे केवल तभी आरोपित किया जाना चाहिए जब कोई भाषण प्रत्यक्ष एवं आसन्न हिंसा को बढ़ावा देता हो।
  - **केरल राज्य बनाम रनीफ़ वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि व्यक्ति की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है तो केवल किसी गैर-कानूनी संगठन से संबंधित होने पर ही किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
  - हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ द्वारा एक व्यक्ति को माओवादी साहित्य रखने के आधार पर अवैध रूप से गिरफ्तार किए पर दिए जाने वाले 10 लाख रुपये के मुआवजे को यथावत रखा है।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:** अधिनियम में किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किए जाने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व **चार स्तरीय जांच** के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करने के लिए उचित कानूनी और ठोस सबूतों के साथ प्रत्येक स्तर पर गहन जाँच की जानी चाहिए।
  - राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा **विधि की सम्यक् प्रक्रिया** के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **अत्याधुनिक प्रशिक्षण:** युवा अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जटिल मामलों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।
- **साक्ष्य संग्रह की देखरेख हेतु एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता:** ताकि जांच प्रक्रिया में सहायता मिल सके, विशेषकर उन मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबद्ध हैं।
- राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों के **जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना** है और यह संशोधन राज्य को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है।

4.2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019

{NIA (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया है, जिसका लक्ष्य NIA की शक्तियों एवं अधिकार-क्षेत्र में विस्तार करना है।

पृष्ठभूमि

- **NIA अधिनियम, 2008,** भारत की प्रमुख आतंकरोधी एजेंसी (अर्थात् NIA) की कार्यप्रणाली को शासित करता है, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (FBI) की तर्ज पर यह अधिनियम देश में NIA को एकमात्र वास्तविक संघीय एजेंसी के रूप में स्थापित करता है तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तुलना में इसे अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है।
  - **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** जैसी अन्य जांच एजेंसियों की तुलना में इसे कई अधिकार प्रदान किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि CBI को किसी राज्य में पदस्थापित एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले की जांच करने से पूर्व उस राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि, NIA के पास भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधि के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही एवं मुकदमा दर्ज करने तथा किसी भी राज्य में संबंधित सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश करने एवं जांच करने और संलग्न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है।
- NIA का प्रदर्शन रिकॉर्ड बेहतर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा पंजीकृत 272 मामलों में से 199 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं तथा 51 मामलों में अभियोजन पूर्ण कर लिया गया है एवं 46 मामलों में आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
- हालाँकि, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्होंने NIA की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया हैं, जैसे-

VISION IAS

- NIA केवल उन मामलों की जांच कर सकता है, जो **अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं** और जो व्यापक रूप से देश की सुरक्षा एवं अखंडता से संबंधित हैं। इसका तात्पर्य है कि NIA हत्या एवं बलात्कार के मामलों की जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मामलें भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आते हैं।
- NIA भारत से बाहर किए गए अपराधों की जांच नहीं कर सकती है।

- इन चिंताओं के समाधान हेतु, इस संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

प्रमुख संशोधन

- **अपराधों के दायरे को विस्तृत किया गया है:** जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में किया गया हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (1967)।
  - इस संशोधन के माध्यम से मानव तस्करी; नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध; प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री; साइबर आतंकवाद; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत किए जाने वाले अपराधों जैसे अन्य अपराधों को सम्मिलित करने हेतु इसके दायरे को विस्तृत किया गया है।
- **NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि:** NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य राष्ट्रों के घरेलू कानूनों के अधीन, भारत से बाहर किए गए अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त होगी।
  - केंद्र सरकार उन मामलों की जांच करने के लिए NIA को निर्देश दे सकती है, जिनमें अपराध भारत में किया गया हो।
  - नई दिल्ली स्थित **विशेष न्यायालय** को इन मामलों से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- **विशेष न्यायालयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:** NIA अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराधों के ट्रायल (जांच) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
  - अब केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए **सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित** कर सकती है, किन्तु ऐसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा, जिसके तहत उक्त सत्र न्यायालय कार्यरत है।
  - जब किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किए गए हों, तो उक्त स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा न्यायालयों के मध्य वादों का आवंटन किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अधिसूचित अपराधों के ट्रॉयल हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

इन संशोधनों के पक्ष में तर्क

- **आतंकी हमलों में वृद्धि:** आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act: POTA) को निरस्त किए जाने और NIA अधिनियम में इन कमियों के बने रहने के कारण, अन्य एजेंसियां ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं।
- **अस्पष्टता की स्थिति मामलों को कमजोर बनाती है:** इससे पूर्व, इन धाराओं के तहत NIA अभियुक्तों को केवल तभी दोषी ठहरा सकती थी, जब मूल अपराध उसकी अनुसूची में सम्मिलित हो। किन्तु, संशोधन अधिनियम के तहत अब NIA स्टैंडअलोन मामलों में लोगों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही कर सकती है। उदाहरण के लिए, गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट की धाराएँ आरोपित की जा सकती हैं, किन्तु अभी तक NIA उस पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं कर सकती थी।
- **विश्व की सभी प्रमुख एजेंसियों (जैसे- अमेरिका की FBI) के पास इस प्रकार की शक्ति का होना:** 26/11 हमलों में डेविड कोलमैन हेडली के विरुद्ध मुकदमा चलाने में यह (FBI) सक्षम थी, क्योंकि उसके पास विदेश में घटित हुए आतंकवादी हमले में मामला दर्ज करने की शक्ति प्राप्त थी।
  - दूसरी तरफ, इन खामियों के बने रहने के कारण जब वर्ष 2012 में केरल के तट पर इटली के कुछ नौसैना अधिकारियों द्वारा एक भारतीय मछुआरे को गोली मार दी गयी थी, तब उन अधिकारियों के विरुद्ध मामले की जांच उपयुक्त तरीके से नहीं हो पायी थी। हालाँकि अपराध, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घटित हुआ था किन्तु उस समय NIA के पास इससे संबंधित कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।
- **तीव्र अधिनिर्णयन में सहायता:** इससे पूर्व, किसी भी राज्य में विशेष न्यायालयों को स्थापित करने में छह से नौ माह का समय लगता था, क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव निर्मित करना होता था, उच्च न्यायालयों की सहमति प्राप्त करनी होती थी, एक न्यायाधीश

VISION IAS

को नामित करना होता था तथा एक न्यायालय स्थापित करना होता था। किन्तु अब मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से, मुकदमे की सुनवाई शीघ्र प्रारंभ हो सकती है।

इन संशोधनों के विपक्ष में तर्क

- **दुरुपयोग की संभावना:** कई विपक्षी नेताओं द्वारा इन संशोधनों की आलोचना की गई है और सरकार पर **"राजनीतिक प्रतिशोध"** के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। कुछ सांसदों ने इस तथ्य को भी संदर्भित किया है कि किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को लक्षित करने के लिए कई बार आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है।
- **न्यायपालिका पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार बना हुआ है** और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने से न्यायालयों की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित होगी।

आगे की राह

- NIA की कार्यप्रणाली राजनीतिक अधिदेश पर नहीं, बल्कि विधि के शासन पर निर्भर होनी चाहिए। इसे मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।

4.3. आतंकवाद का वित्तपोषण

(Terror Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में G20 ओसाका (जापान) शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित **अनौपचारिक ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन** में अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत ने **अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन प्रणाली को आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रति पूर्णतया प्रतिरोधी** बनाने हेतु अपने संकल्प को रेखांकित किया है।

पृष्ठभूमि

आतंकवाद के वित्तपोषण में इस उद्देश्य के साथ फंड की प्राप्ति, संग्रहण अथवा व्यवस्थापन किया जाता है कि इनका उपयोग आतकंवादी गतिविधियों या संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु किया जा सके।

- आतंकवादी संगठन विकेंद्रित और स्वत: निर्देशित नेटवर्क की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से अपने संगठनात्मक व्ययों की पूर्ति हेतु धन की उगाही करते हैं।
- धन की प्राप्ति **वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के स्रोतों** से की जाती है।
- वर्ष 2015 में इस्लामिक स्टेट (IS) लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के बजट के साथ विश्व के सर्वाधिक समृद्ध आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा था।

आतंकवादी संगठनों द्वारा निधियों के सृजन के स्रोत

- **राज्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहयोग-** ये फंड की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।
- **स्व-वित्तपोषण-** स्थानीय योगदानों, अनुदानों, ज़कात, विदेशी उगाहियों इत्यादि के माध्यम से।
- **निधियों का दिक्परिवर्तन (Diversion of funds) -** गैर-सरकारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा।
- **राजस्व सृजक गतिविधियाँ-**
  - छोटे स्तर की धोखाधड़ी से लेकर सुनियोजित अपराधों तक, जबरन वसूली, प्रोटेक्शन मनी, मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार, जालसाजी इत्यादि तक की **आपराधिक गतिविधियां।** उदाहरणार्थ- अल-शबाब (सोमालिया) समूह द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार और हाथीदांत के अवैध व्यापार से धन अर्जित किया जाता है।
  - **वैध व्यवसाय** जैसे कि स्थानीय व्यवसायों, फ्रंट कंपनियों के रूप में कार्यशील वाणिज्यिक उद्यमों, रियल एस्टेट सौदों आदि में निवेश।
- **आतंकवाद का विकेंद्रीकरण-**
  - उदाहरणार्थ, अल-कायदा ने अपने समर्थकों को घर पर ही बम निर्माण हेतु प्रेरित किया है।

भारतीय परिदृश्य

- आतंकवाद के वित्तपोषण में **अपराध और धन शोधन** के मध्य एक लिंकेज (सम्पर्क) भारतीय परिदृश्य की विशेषता है।
- भारत में यह देखने को मिला है कि यहाँ **आतंकी वित्तपोषण के त्रि-स्तरीय अनुक्रम (three stage progression of terror financing)**, यथा- राज्य प्रायोजित आतंकवाद तथा आतंकवाद के व्यक्तिगत और वैश्विक वित्तपोषण, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने एवं बनाए रखने में सहायक हैं।

VISION IAS

- **नागा विद्रोह-** ज्ञातव्य है कि 60 और 70 के दशक के मध्य में नागा विद्रोहियों को चीन द्वारा प्रशिक्षण, हथियार तथा वित्तीयन के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही थी।
- **इंडियन मुजाहिदीन-** इन्हें पाकिस्तान द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इनके द्वारा क्रमबद्ध रूप से वैश्वीकरण, निजीकरण और आपराधिक गतिविधियों के 'त्रि-स्तरीय' नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है।
- इस प्रकार, अपनी जटिल प्रकृति के कारण आतंकवाद का वित्तपोषण भारत के नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अभिकरणों के लिए एक अत्यंत जटिल चुनौती के रूप में उभरा है।

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में विद्यमान विभिन्न चुनौतियां

- **वित्तपोषण की अवैधता के निर्धारण में कठिनाई-** आतंकवाद अंतर्निहित रूप से एक गैर-कानूनी गतिविधि होती है, जबकि आतंकवाद के वित्तपोषण को जब तक सिद्ध न किया जाए और इसका आतंकवाद से संबंध स्थापित न किया जाए तब तक यह निरंतर एक पूर्णतया वैध प्रक्रिया बना रह सकता है।
- **विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं का सम्मिलित होना-** इन प्रक्रियाओं में आतंकवाद के लिए सृजित निधि और विभिन्न स्रोतों से अंतिम गंतव्य तक इसका संचलन शामिल है।
  - **विविध अभिकर्ताओं का शामिल होना-** इसमें आंतरिक के साथ-साथ बाह्य राज्य तथा गैर-राज्य अभिकर्ता सम्मिलित होते हैं।
- **अबाध एकीकरण-** आतंकवाद का वित्तपोषण एक वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जो अबाध रूप से कार्य करता है और भौगौलिक सीमाओं के पार संचालित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशों में विविध कानून लागू होते हैं, जो प्राय: अभियोजन प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं तथा उनकी व्याख्या से संबंधित जटिलता उत्पन्न करते हैं।
- **कुछ संग्रहणों की संवेदनशीलता-** धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु निधियों का संग्रहण प्राय: एक संवेदनशील मुद्दा होता है तथा इसका धार्मिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, विगत वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों में धर्मार्थ संग्रहण के एक साधन के रूप में **ज़कात** का व्यापक दुरुप्रयोग हुआ है तथा आतंकवाद के वित्तपोषण हेतु इसे एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है।
- अधिकांश मौद्रिक प्रणालियों और विनियामकीय तंत्रों की तुलना में **आतंकी वित्तपोषण के तरीकों का तीव्र विकास** हुआ है। मुख्यतया, साइबर तंत्र में ई-कॉमर्स के माध्यम से धन के अंतरण के लिए प्राधिकारी हवाला जैसी पुरानी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यद्यपि, आतंकी वित्तपोषण के नए तरीकों के प्रचलन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि **"डिजिटल लॉन्डरिंग"**।
  - आतंकी वित्तपोषण के निधियन के स्रोतों और पारगमन के साधनों में निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे इसका पता लगाना अत्यधिक कठिन हो जाता है।
- **लघु स्तर के वित्तपोषण का पता लगाने में कठिनाई-** अधिकांश आतंकी गतिविधियों के संपादन हेतु अत्यल्प वित्तीयन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार के हमलों को रोकने के उद्देश्य से वृहद् और असाधारण निधि अंतरण का अनुसरण करना संभवत: विफलता में परिणित हो सकता है।

भारत में आतंकी वित्तपोषण से निपटने हेतु किए गए उपाय

- आतंकी वित्तपोषण से निपटने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा के सृजन या तस्करी या संचरण को आतंकी कृत्य के रूप में अपराध घोषित करने तथा आतंकवाद के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सम्पत्ति को शामिल करने हेतु आतंकवाद से संबंधित प्राप्तियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया है।**
- आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों की केन्द्रित जांच के संचालन हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के तहत एक **टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल** का गठन किया गया है।
- अवैध निधियों के अंतरराष्ट्रीय संचलन से निपटने हेतु एक **वित्तीय आसूचना इकाई** की स्थापना की गई है।
- अप्रैल 2018 में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को **आतंकी वित्तपोषण** पर एक **परामर्श-पत्र** जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 में उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा के नोटों के मामलों की जाँच हेतु राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।
- राज्य पुलिस कर्मियों हेतु आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने से संबंधित मुद्दों पर **प्रशिक्षण कार्यक्रमों** का नियमित संचालन किया जा रहा है।
- जाली करेंसी नोट्स के संचरण की समस्या से निटपने हेतु राज्यों/केंद्र के सुरक्षा अभिकरणों के मध्य खुफ़िया सूचना साझा करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा **जाली भारतीय करेंसी नोट (FICN) समन्वय समूह (FICN Coordination Group: FCORD)** का गठन किया गया है।

VISION IAS

- नवीन निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग, दिन-रात निगरानी हेतु अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जाँच चौकियों की स्थापना, सीमा की बाड़बंदी तथा गहन गश्ती गतिविधियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- तस्करी और जाली करेंसी नोट्स के संचरण को रोकने एवं अवरुद्ध करने हेतु भारत तथा बांग्लादेश के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों को भारतीय मुद्रा की तस्करी और जालसाजी के संबंध में संवेदनशील बनाने हेतु उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों में संलिप्त तत्वों की गहन निगरानी तथा कानून के अनुसार कार्रवाही करने हेतु केंद्र व राज्य के खुफ़िया एवं सुरक्षा अभिकरण द्वारा क्रमबद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही है।

वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्रयास

- **भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता-** यह वार्ता दोनों देशों के 'विनियामकीय अभिकरणों' के मध्य सूचनाओं के साझाकरण हेतु प्रावधान करती है।
- भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से एक वैश्विक आतंकवाद रोधी संधि **-अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय-** को अपनाने हेतु निरंतर आग्रह किया जा रहा है।
- **सार्क (SAARC) देशों** द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ़ फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म ऑफ़ 1999 तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (UNSCR) 1267 को अपनाया गया है।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF)-** यह वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह सम्पूर्ण विश्व में आतंकी कृत्यों से प्रयत्क्ष रूप से संबद्ध धन शोधन व अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने हेतु वैश्विक प्रोटोकॉल और मानक निर्धारित करने के लिए अधिदेशित है।
- **धन शोधन पर एशिया / प्रशांत समूह (APG)-** यह 41 सदस्य राष्ट्रों (member jurisdictions) को शामिल करने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है कि इसके सदस्यों ने धन शोधन, आतंकी वित्तपोषण और व्यापक जनसंहार के हथियारों से संबंधित वित्तपोषण के प्रसार (proliferation financing) के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया है।

आगे की राह

- आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने हेतु एक **विस्तृत और प्रभावी विधिक ढांचे** के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। कानून के दुरुपयोग को रोकने हेतु इसमें पर्याप्त रक्षोपाय के प्रावधान होने चाहिए।
- सभी अभिकरणों की SWOT (स्ट्रेंग्थ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट) विश्लेषण के एक भाग के रूप में पहचान की जानी चाहिए तथा तत्पश्चात काउन्टर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत नीति निर्माण और प्रवर्तन स्तर पर प्रत्येक अभिकरण की समन्वयकारी व प्रतिनिधित्वपूर्ण उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए।
- सरकार को आतंकी वित्तपोषण से निपटने, वित्तीय क्षेत्र से अपने ध्यान को हटाने तथा एक **व्यापक रणनीति** (जिसमें सैन्य, राजनीतिक और कानून प्रवर्तन उपाय सम्मिलित हों) पर केंद्रित करने हेतु अपने व्यापक दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए।

4.4. पुलिस सुधार

(Police Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2006 के ऐतिहासिक **प्रकाश सिंह वाद** में **उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों** के अनुसार, जांच और कानून एवं व्यवस्था के आधार पर **बिहार पुलिस द्वारा** अपने पुलिस बलों के दायित्वों को पृथक किया जा रहा है।

भारत में तत्काल पुलिस सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **निरंतर बढ़ते खतरे:** आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना मुख्यतः पुलिस का दायित्व होता है तथा इससे संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक कुशल पुलिस तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, साइबर हमलों, बैंक धोखाधड़ी और संगठित अपराध जैसे खतरों के नए रूप निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे अति विशिष्ट तरीकों से निपटने की आवश्यकता है। इन सभी सुरक्षा संबंधी खतरों के विरुद्ध पुलिस प्रणाली, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का निर्माण करती है।

VISION IAS

- **पुलिस जांच में अनेक कमियां:** अपराध जांच के लिए कौशल और प्रशिक्षण, समय एवं संसाधन तथा पर्याप्त फोरेंसिक क्षमता एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। विधि आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि पुलिस कर्मियों की अपर्याप्त संख्या और विभिन्न प्रकार के कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रायः इन उत्तरदायित्वों की उपेक्षा की जाती हैं।
  - इनके पास प्रशिक्षण और व्यावसायिक जांच करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का भी अभाव होता है।
- **सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप:** पुलिस कानूनों के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों पुलिस बल राजनीतिक कार्यकारिणी के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। यह राजनीतिक कार्यकारिणी को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु पुलिस को राजनीतिक नेताओं के नियंत्रण तक सीमित करता है।
- **अपर्याप्त पुलिस अवसंरचना:**
  - **कार्मिकों की कमी:** पुलिस विभाग में कार्मिकों की अत्यधिक कमी है। भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात कम है। वर्तमान में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित (प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी) अनुपात की तुलना में कम है।
  - **अत्यधिक कार्यभार:** यह पुलिस बल के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिससे न केवल पुलिस कर्मियों की **प्रभावशीलता और दक्षता में कमी** आती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव भी उत्पन्न होता है।
  - **अपर्याप्त हथियार:** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया है कि पुलिस बल **अप्रचलित, प्राचीन और अनुपयोगी हथियारों पर निर्भर** है। जिसका प्रमुख कारण **आयुध कारखानों से हथियार अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया** का बने रहना है।
- **पुलिस-जनसंपर्क:** अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को समाज के विश्वास, सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होती है।
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेखांकित किया है कि पुलिस-जनसंपर्क की स्थिति असंतोषजनक है क्योंकि लोग पुलिस को **भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गैर-जिम्मेदार** मानते हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त सात निर्देश

- **निम्नलिखित कार्यों हेतु राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission: SSC) का गठन:**
  - यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न बना पाए;
  - व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देशों का निर्धारण; और
  - राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस महानिदेशक को योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है और उसका कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि परिचालन दायित्वों हेतु एक पुलिस अधिकारी (एक जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित) के लिए भी दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल हो।
- **पुलिस के जांच और कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रकार्यों को पृथक करना।**
- **पुलिस उप-अधीक्षक** की रैंक और उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निर्णय करने के लिए एक **पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board: PEB)** का गठन करना।
- गंभीर दुराचार के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक और प्रवर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक **पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority: PCA)** की स्थापना करना।
- **केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO)** के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन करने के लिए केंद्र स्तर पर एक **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (National Security Commission: NSC)** की स्थापना करना।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति

- **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** के हालिया अध्ययन में निर्दिष्ट किया गया है कि **उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों** के एक दशक से अधिक समय के पश्चात् भी केंद्र और सभी राज्यों द्वारा **अभी भी इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा।**
- **वर्ष 2006** के बाद से केवल 18 राज्यों ने **नए पुलिस अधिनियम** पारित किए हैं, जबकि अन्य राज्यों द्वारा सरकारी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। हालांकि, **किसी भी राज्य** ने न्यायालय की योजना के अनुसार निर्देशों को पूर्णतः शामिल नहीं किया है।

VISION IAS

- उदाहरण के लिए:
  - **SSC के गठन संबंधी निर्देश के अनुपालन में**, 29 में से 27 राज्यों ने SSC का गठन किया है, परन्तु इन राज्यों ने भी निर्देशों के तहत निर्धारित विभिन्न शर्तों का पालन नहीं किया है।
  - 23 राज्यों द्वारा **DGP की नियुक्ति** संबंधी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की गई है।
  - 10 से अधिक राज्यों ने अभी तक **जांच और कानून एवं व्यवस्था को पृथक** नहीं किया है।
  - **किसी भी राज्य ने** निर्देशों के अनुसार **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** का गठन **नहीं** किया।

निष्कर्ष

पुलिस बलों को निम्न स्तरीय प्रदर्शन या प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता रहा है, जबकि **पेशेवर रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु उन्हें परिचालन संबंधी स्वतंत्रता** की भी आवश्यकता होती है। यह उचित समय है, जिसमें पुलिस को राजनीतिक कार्यकारिणी के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए और इसे **'रुलर्स पुलिस' से 'पीपुल्स पुलिस'** में परिवर्तित किया जाए।

4.5. भारत का रक्षा बाजार से निर्यात केंद्र की ओर संक्रमण

(India's Transitions from Defence Market to Export Hub)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board: OFB) द्वारा अपने अब तक के सबसे बड़े एकल निर्यात ऑर्डर के तहत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को बोफोर्स तोपों में प्रयुक्त 50,000 आर्टिलरी शेल्स (तोप के गोले) की आपूर्ति की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- भारत, रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भर होने की अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। ज्ञातव्य है कि भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्व में आयात केन्द्रित था, तत्पश्चात 1970 के दशक से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की ओर प्रगति हुई, जिसमें 1980 और 1990 के दशक में पर्याप्त उन्नति परिलक्षित हुई तथा वर्तमान में स्वदेशी डिजाईन, विकास, विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। अत: वर्तमान में प्रमुख रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित उत्पाद, अपतटीय गश्ती वाहन, हेलीकॉप्टर्स और रेडियो सेट्स शामिल हैं।
- **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट** के अनुसार भारत वर्ष 2012-16 के मध्य कुल वैश्विक हथियार आयात के 13% आयात के साथ विश्व का सबसे बड़ा सैन्य उपकरण आयातक देश था। यह चीन और पाकिस्तान दोनों की तुलना में अधिक है। रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि भारत ने वर्ष 2007-11 और 2012-16 के मध्य अपने हथियार आयात में 43% तक की वृद्धि की है।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 5,000 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का भारतीय निर्यात में सबसे बड़ा योगदान है। इसके बाद क्रमशः इजराइल और यूरोपीय संघ का स्थान आता है।
- **प्रारूप रक्षा उत्पादन नीति, 2018** ने वर्ष 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर (35,000 करोड़ रूपए) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रक्षा निर्यात क्षेत्र

- **रक्षा निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई है-** उदारीकरण नीति के पश्चात् भारत का रक्षा उत्पाद निर्यात वर्ष 2017-18 के 4,682 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10,745 करोड़ रूपए हो गया है। हालिया वर्षों में शिपमेंट की वर्धित प्रवृत्ति के साथ रक्षा उत्पादों का निर्यात वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रूपए से अधिक का हो जाएगा।
- वर्तमान वित्त वर्ष में, 5,600 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात पहले से ही प्रक्रियागत हैं तथा जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी **निजी क्षेत्र** की है। विगत वर्ष के 11,000 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात में निजी क्षेत्र द्वारा 9812 करोड़ रूपए का योगदान किया गया।
- भारत सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2025 तक **1 ट्रिलियन डॉलर होने वाली भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था में रक्षा क्षेत्र को 25 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी** प्रदान करना है।

VISION IAS

रक्षा निर्यात: एक अवलोकन

- **आत्म-निर्भरता में वृद्धि:** हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2015-16 में रक्षा खरीद हेतु कुल पूँजी व्यय 62,341.86 करोड़ रूपए था। इस राशि की 62% खरीद घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से की गई थी। विदेशी विक्रेताओं से खरीद पर केवल 23,192.22 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे।
- **बजट में वृद्धि:** प्रदर्शनियों, बाजार अध्ययनों के संचालनों, सेमिनार के आयोजनों तथा प्रचार सामग्रियों के वितरण में भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु रक्षा संबंधी प्रत्येक सौदे के लिए प्रति वर्ष 50,000 डॉलर तक का एक वार्षिक बजट निर्धारित किया जा रहा है।
- **स्रोतों का विविधिकरण:** वैश्विक बाजार में भारत की पहुंच को और अधिक स्थापित करने हेतु **'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस'** के लिए एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई है। यह भारतीय कंपनियों को अभिज्ञात राष्ट्रों को कुछ उपकरण निर्यात करने में सक्षम बनाएगी। वे राष्ट्र जिन पर भारत को यह विश्वास है कि उनमें सैन्य उपकरणों की खरीद करने की अधिकतम क्षमता विद्यमान है, इन राष्ट्रों में शामिल हैं- वियतनाम, थाईलैंड, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया।

ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (सैन्य वस्तुएँ, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी) निम्न जोखिम क्षेत्रों हेतु सैन्य उपकरणों की एक व्यापक श्रृंखला के निर्यात के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

- ये लाइसेंस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा निर्यातकों द्वारा इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
- इन लाइसेंसों का उपयोग एक व्यक्तिगत निर्यात नियंत्रण लाइसेंस हेतु आवेदन की आवश्यकता का निवारण करता है।

- **उत्पाद विविधिकरण:** भारत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को उपकरणों के निर्यात से परे एक ऐसे मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है जहां वृहद् पैमाने पर मूल्य वर्धन किया जा सकता है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक निर्यात छोटे हथियारों के पुर्जों के साथ उपकरणों का किया जाता है जो रक्षा निर्यात सूची में शीर्ष पर हैं।
- **निर्यात हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ:** भारत में उत्पादन की निम्न लागत के माध्यम से निर्यात वृद्धि में तेजी लाई गई है तथा ऑफसेट देयताओं का निर्वहन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि हालिया नीतिगत परिवर्तनों के पश्चात् निर्यात में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि इन नीतियों ने कंपनियों के लिए आधिकारिक अनुमति प्राप्त करना सुगम बना दिया था।
- **क्षेत्र में नीतिगत सुधारों की शुरुआत: रक्षा मंत्रालय के प्रमुख नीतिगत सुधारों में** शामिल हैं- **रक्षा निर्यातों हेतु रणनीति,** रक्षा खरीद प्रक्रिया **(DPP 2016),** सरलीकृत मेक-2 (Make-II) प्रक्रिया, **रक्षा समायोजन नीति,** 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधार, **लाइसेंसिंग प्रक्रिया में संशोधन** (विशेष रूप से उपकरण पक्ष की लगभग दो-तिहाई मदें लाइसेंस मुक्त की गई हैं), **नवीन रणनीतिक भागीदार नीति** इत्यादि। इन सभी क्रियाकलापों के भारत की रक्षा विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं पर दीर्घकालिक निहितार्थ होंगे।
  - **रक्षा क्षेत्र का उदारीकरण:** सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदारीकृत करने के पश्चात् से इस क्षेत्र में लगभग 4,000 करोड़ रूपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।
- **निजी भागीदारी और MSMEs को प्रोत्साहन:** विगत 4.5 वर्षों में रक्षा उत्पादन में लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान में 200% तक की वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने मौजूदा उत्पादन नीति के अंतर्गत रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र (विशेषतया MSMEs) को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा हालिया नीति में कुछ "उल्लेखनीय परिवर्तन" भी किए हैं।
  - आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) और रक्षा PSUs लगभग 300 मदों को **बाह्य स्रोतों से प्राप्त करने (आउटसोर्स)** की योजना बना रहे हैं जिससे MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
  - सरकार ने **स्वप्रेरण से रक्षा उत्पादों के विकास** और उत्पादन की अनुमति भी प्रदान की है।
  - सरकार द्वारा **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ** नामक एक ऑनलाइन प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है जो सूचना एकत्रित करने, मुद्दों को समझने आदि हेतु एक मार्ग-निर्देशक के रूप में कार्य करता है। MSMEs को विगत 10 माह में प्रकोष्ठ से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है।

निर्यात वृद्धि हेतु रक्षा क्षेत्र में किए गए हालिया सुधार:

- निर्यात हेतु **"सैद्धांतिक अनुमोदन"** के प्रावधान को मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) में समाविष्ट कर दिया गया है ताकि **घरेलू अभिकर्ता** विदेशी बाजारों में अवसरों की खोज कर सके।
- निर्यात अनुमतियों विशेषतया स्वदेशी रूप से विकसित संवेदनशील रक्षा उपकरणों के निर्यात से संबंधित अनुमोदनों के प्रस्तावों पर निर्णय लेने तथा रक्षा निर्यातों की **समग्र प्रगति की निगरानी करने** हेतु **"रक्षा निर्यात संचालन समिति" (DESC)** की स्थापना की गई है।

VISION IAS

- **रक्षा निवेश प्रकोष्ठ,** भारतीय रक्षा स्टार्ट-अप्स हेतु सोसाइटी, इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस प्लेटफार्म (iDEX), विविध स्टार्ट-अप चुनौतियों, हैकेथन्स आदि की स्थापना की गई है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में **रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है।
- **रक्षा उत्पादन विभाग** द्वारा उद्योग जगत (लॉबी) को 51 मदों की एक सूची उपलब्ध करवाई गई है ताकि वे यह पहचान कर सकें कि इनमें से वे कितनी मदों का भारत में निर्माण कर सकते हैं तथा कितनी निर्यात हेतु उपलब्ध हो सकती हैं।
- विदेशी विक्रेताओं द्वारा ओफ़सेट देयताओं के निर्वहन हेतु **नवीन मार्गों के प्रशस्तीकरण** के लिए **रक्षा ओफ़सेट दिशा-निर्देशों** में संशोधनों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की गई है। **नए क्षेत्रों** में शामिल हैं: रक्षा क्षेत्र, एयरोस्पेस और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं में निवेश जैसे कि परीक्षण प्रयोगशालाएं, परीक्षण रेंज तथा कौशल केंद्र।

आगे की राह

- रक्षा निर्यात को दीर्घकालिक रूप से निरंतर सफल बनाने हेतु सुदृढ़ निर्यात अनुपालन कार्यक्रमों और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण उपायों के साथ युग्मित वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन सुविधाओं तथा गुणवत्ता मानकों में निवेश करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था के आगामी पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना व्यक्त की गई है तथा यह अपेक्षा भी की गई है कि इसमें से 25 बिलियन डॉलर की प्राप्ति रक्षा क्षेत्र से होगी और अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर निर्यात द्वारा सृजित होंगे।
- एक बेहतर रक्षा निर्यातक बनने के अनेक आर्थिक लाभों के साथ-साथ रणनीतिक लाभ भी हैं तथा पहली बार भारत ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं।
- एक निरंतर नीतिगत प्रोत्साह, महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार तथा उद्योग जनित प्रतिक्रियाएँ इस अपेक्षा का सृजन करती हैं कि भारत एक ऐसे अनुकूल परिवेश का निर्माण कर सकता है, जो रक्षा क्षेत्र के विकास और संधारणीयता हेतु अत्यावश्यक है।

4.6. रक्षा वित्तपोषण

(Defence Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को विस्तारित किया है** तथा इसे एक नया **विचारार्थ विषय (Term of reference: ToR)** सौंपा है, जिसमें आयोग को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण हेतु एक पृथक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में परीक्षण करने के लिए कहा गया है।

पृष्ठभूमि

- **रक्षा बजट में कमी:** हालांकि सरकार द्वारा रक्षा पर व्यय के लिए 4.31 ट्रिलियन रुपये (1.12 ट्रिलियन रुपये की सैन्य पेंशन सहित) आवंटित किए गए हैं, किन्तु सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इस आवंटन में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2014-15 में, रक्षा आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 17.1% अथवा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.28% था। इस वर्ष, रक्षा बजट सरकारी व्यय का 15.5% और सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.04 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- इसलिए, 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) का नवीनतम संकलन वित्त आयोग से यह मांग करता है कि वह भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं गैर-व्यपगत निधि के आवंटन की संभावना की परीक्षण करे।

भारत का रक्षा बजट: चिंताएं और व्यापकता

- **भारत का चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिवेश:** हाल ही में, भारतीय सेना ने अपना **लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन (नया युद्ध सिद्धांत)** जारी किया है, जो भारतीय सेना को **दो-मोर्चों के खतरे के परिदृश्य** (चीन-पाकिस्तान) के लिए तैयार रहने पर बल प्रदान करता है।
    - **CAG की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत के पास आपातकालीन आवश्यक खरीद के लिए **पर्याप्त धन** का अभाव है तथा सेना के पास दस दिनों से अधिक समय तक गहन युद्ध लड़ने के लिए **पर्याप्त गोला-बारूद रिजर्व नहीं हैं।**
- **आधुनिक समय के खतरों से निपटने हेतु सशस्त्र बलों को शीघ्र अपग्रेड करने की आवश्यकता:** आधुनिकीकरण के अंतर्गत रक्षा क्षमताओं को उन्नत और संवर्धित करने के लिए नए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स, प्रौद्योगिकियों तथा हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण सम्मिलित है। वर्तमान रक्षा आबंटन इस संबंध में किसी भी प्रकार की सार्थक प्रगति के लिए अत्यल्प है।
    - **पाकिस्तान और चीन दोनों राष्ट्रों की सेनाओं का त्वरित आधुनिकीकरण** हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों देशों के संदर्भ में हम निवारक (deterrent) बने रहें।

VISION IAS

- **पूँजीगत व्यय/संसाधनों का अभाव:** हालिया वर्षों में भारत का रक्षा बजट कम हुआ है, किन्तु अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस निधि के बढ़ते घटक को वेतन, पेंशन और अन्य परिचालन लागतों के लिए आवंटित किया जा रहा है। जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के आलोक में, देश का पेंशन बिल अधिक हो रहा है, यहां तक कि यह वेतन बिल से भी अधिक हो गया है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय का केवल एक-तिहाई (1.03 ट्रिलियन रूपये) आबंटन सेना के आधुनिकीकरण में योगदान करता है।
- **अधिक स्वदेशीकरण को प्राप्त करना: वर्ष 2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया** में अधिक स्वदेशीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में प्रणालीगत परिवर्तन किए गए हैं और इस दृष्टि से, मेक इन इंडिया के लिए सेना ने **25 परियोजनाओं की पहचान भी की है।** हालाँकि, इसका समर्थन करने के लिए **पर्याप्त बजट उपलब्ध** नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ को बंद करना पड़ सकता है।

वित्त आयोग की विचारार्थ विषयों में नवीनतम संशोधन/सुधार की आलोचना क्यों की जा रही है?

- **राज्यों के निधीयन में कमी की आशंकाओं पर राज्यों द्वारा संभाव्य विरोध प्रदर्शन:** केंद्र के सकल कर राजस्व से रक्षा के लिए धनराशि के आबंटन से आशय है कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले समग्र कर धन राशि में कमी होगी। अत: राज्यों द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना है, जिनमें से कई राज्यों द्वारा संग्रहीत करों में अपने हिस्से को मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए तर्क दिया जा रहा है।
- **केंद्र सरकार के राजकोषीय विवेक पर प्रश्न उठाता है:** चूंकि रक्षा संघ सूची का एक विषय है, ऐसे में वित्त आयोग से अधिक संसाधनों के आबंटन के बारे में केंद्र के उक्त अनुरोध से यह समझा जा रहा है कि संघ सूची के विषयों पर व्यय को बढ़ाने के संदर्भ में इसकी (केंद्र) क्षमता सीमित है। वहीं, दूसरी ओर राज्य और समवर्ती सूची के मदों पर केंद्र का व्यय पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने वर्ष 1949 के पश्चात् से सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी पुनर्गठन आरंभ किया है, जिसमें 3,00,000 सैनिकों की छंटनी करके PLA के आकार को कम करना, उसकी नौसेना और वायु सेना के आकार को बढ़ाना तथा सात सैन्य क्षेत्रों को पांच थिएटर कमांड में परिवर्तित करना शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य PLA द्वारा भूमि पर, समुद्र में, वायु में और अंतरिक्ष तथा साइबर डोमेन में संयुक्त संचालन करने की क्षमता को बढ़ाना है।

आगे की राह

भारत की अधिक दबाव वाली सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को अपने घटते संसाधनों का प्रबंधन करने के तरीकों को अधिक बेहतर बनाना होगा। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:

- **रणनीतिक रक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना:** भारतीय रक्षा नीति आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सशस्त्र बलों को मौलिक रूप से पुनर्गठित करने की असमर्थता के कारण अक्षम है। रक्षा सुधारों और वार्षिक बजटों में रक्षा क्षेत्र में वित्त आबंटन में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। पुलवामा हमले के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों में उन्नयन की कमी के कारण आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच और प्रभावी निष्पादन के संबंध में इसकी घातक मारक क्षमता में कमी थी।
- **बजटीय बाधाओं के अंतर्गत छोटे आकार वाले व संयमित युद्धक शक्ति के रूप में सशस्त्र बलों की आवश्यकता:** सशस्त्र बलों में मानव शक्ति को तार्किक संख्या में बनाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाल ही में, भारतीय सेना ने 1,00,000 सैनिकों की छंटनी करने और अपने राजस्व बजट को कम करने के उद्देश्य से एक पुनर्गठन अभ्यास आरंभ किया, जिसके आगामी वर्षों में कुल 90% से अधिक होना अनुमानित है।
    - केंद्रीय सुधार डिवीजन-आकार की सेनाओं को एकीकृत युद्धक समूहों अथवा IBGs नामक बल्क-अप ब्रिगेड में प्रतिस्थापित करने को अपरिहार्य बनाता है।

4.7. एकीकृत युद्धक समूह

(Integrated Battle Groups)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन के साथ संलग्न सीमाओं पर सेना के त्वरित संचलन और ठोस कार्रवाही करने में (mobilize fast and strike hard) सक्षम नए एकीकृत युद्धक समूहों (IBG) के निर्माण की योजना की परिकल्पना की है। ज्ञातव्य है कि यह सेना के संपूर्ण युद्ध लड़ने की प्रणाली में सुधार करने और "कोल्ड स्टार्ट" सिद्धांत को तीव्र करने हेतु संचालित प्रयास का एक भाग है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- संसद पर हुए आतंकवादी हमले के पश्चात्, भारतीय सेना की व्यापक लामबंदी की गई थी, किन्तु सेना की आंतरिक भागों में स्थित टुकड़ियों के संचलन में अत्यधिक समय लग गया, जिसके कारण तीव्र कार्यवाही करने का अप्रत्याशित कदम नहीं उठाया जा सका था।
- दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के लगभग एक माह पश्चात्, **ऑपरेशन पराक्रम** के तहत सीमाओं पर स्थित लॉन्च पैड्स द्वारा **अपनी "प्रहार संरचनाओं" के धीमे संचलन के पश्चात्, सेना द्वारा अपनी "अग्रसक्रिय पारंपरिक युद्ध रणनीति" की योजना निर्मित की गई, जिसे सामान्य भाषा में कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत कहा जाता है।**
- सेना प्रमुख द्वारा सेना के समग्र रूपांतरण हेतु चार प्रमुख पहलें आरम्भ की गई थीं। जिसके अंतर्गत **सेना मुख्यालय का पुनर्गठन; सेना का पुनर्गठन जिसमें एकीकृत युद्धक समूहों (IBG) का निर्माण शामिल है; अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा तथा जूनियर कमीशंड अधिकारियों और अन्य रैंकों के अधिकारियों की सेवा के नियमों व शर्तों की समीक्षा शामिल है।**
- इसका उद्देश्य **परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने, इष्टतम बजट व्यय सुनिश्चित करने, सेना के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने** और आकांक्षाओं की पूर्ति का समग्र एकीकरण करना है।

एकीकृत युद्धक समूह (IBGs) के बारे में

- IBGs वस्तुतः **ब्रिगेड के आकार की दक्ष और आत्मनिर्भर युद्धक संरचनाएं (combat formations)** हैं, जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होते हैं।
- प्रत्येक IBG का गठन **खतरों, भू-भागों और कार्यों** (Three **Ts**-Threat, Terrain and Task) के आधार पर **आवश्यकतानुसार** किया जाएगा तथा इन्हीं तीन आधारों (three Ts-Threat, Terrain and Task) पर IBG को संसाधनों का आबंटन भी किया जाएगा।
- प्रत्येक IBG में छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियाँ होंगी ताकि रसद (logistics) आपूर्ति पर अतिभार की स्थिति उत्पन्न न हो सके। ये कार्यवाही करने हेतु 12 से 48 घंटों के भीतर (अवस्थिति के आधार पर) अपनी पहुँच सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।
- ये अत्यधिक गोलाबारी वाली युद्धक संरचनाएं (battle formations) होती हैं जो युद्ध लड़ने हेतु **सभी आवश्यकताओं को एक-साथ उपलब्ध कराती हैं, जिनमें पैदल सेना, बख्तर (Armour), तोपें, अभियंता, रसद आपूर्ति और सहायता प्रदान करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं।**
- अक्टूबर, नवंबर में **पाकिस्तान सीमा से संलग्न** जम्मू, पंजाब और राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में **प्रथम तीन IBGs** को तैनात किया जाएगा, जिनमें पश्चिमी कमान की विभिन्न इकाइयों के घटक शामिल होंगे।
- निर्णय लिए जाने से पूर्व IBG के दो प्रकार के विन्यासों (configurations) का परीक्षण किया गया। जिसमें प्रथम **आक्रमणकारी भूमिकाओं (स्ट्राइक कोर्प्स) का संपादन करेगा** अर्थात् शत्रु देश के क्षेत्र में हमला करने जैसी सीमा पार कार्रवाइयों के संचालन में सक्षम होगा और द्वितीय **रक्षात्मक भूमिका (होल्डिंग कोर्प्स)** में होगा, जो शत्रु देश के हमले को रोकने में सक्षम होगा।
  - **स्ट्राइक कॉर्प्स** सीमा पार आक्रमणों हेतु अधिक हथियारबंद (टैंक) होंगे तथा होल्डिंग कोर्प्स भूमि पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए पैदल सेना के रूप में उपलब्ध होंगे।
- इन समूहों की स्थापना **सैन्य दलों के उन पूर्ववर्ती संरचनाओं को समाप्त करेंगी**, जिसमें लगभग 8 से 10 ब्रिगेड शामिल होते थे और प्रत्येक की तीन से चार बटालियन होती थी। इसके विपरीत, एक IBG में लगभग छह बटालियन होंगी।
- **प्रत्येक IBG में लगभग 5,000 सैनिक होंगे।**

इस कदम का महत्व

- **सेना का त्वरित संचलन:** भारतीय सेना का उद्देश्य अल्प अवधि में शत्रु देश के क्षेत्रों में सैन्य दलों और उपकरणों के गुप्त और त्वरित संचलन करने में सेना को सक्षम बनाना है ताकि शत्रु पक्ष को IBGs का सामना करने का पर्याप्त समय प्राप्त न हो सके।
- **सेना का बेहतर एकीकरण और आत्मनिर्भरता:** ये विशिष्ट समूह मौजूदा संरचनाओं की तुलना में बेहतर एकीकरण और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेंगे। युद्धस्थिति के दौरान, वर्तमान संरचना के अंतर्गत एक ब्रिगेड को तोपखाना और रसद आपूर्ति जैसी चीजों के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे इसके लामबंद होने के समय में वृद्धि हो जाती है। किन्तु IBGs के संदर्भ में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि IBGs आत्मनिर्भर होगा और इस प्रकार की सभी इकाइयां इसमें सन्निहित होंगी, इसलिए इन्हें लामबंद करना सुगम होगा।
- **लीन एंड मीन आर्मी:** ये समूह सेना को लीन एंड मीन (आवश्यक दक्षता एवं प्रभावी संचलन) के रूप में परिवर्तित करने हेतु उठाए गए समग्र कदम का एक भाग हैं जो विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक व्यय नीति, बेहतर सिंक्रोनाइजेशन, दक्षतापूर्ण तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे।

VISION IAS

भारतीय सेना द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- **प्रभावी रक्षा योजना की आवश्यकता-** ताकि सेना को रक्षा योजना निर्माण हेतु संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्य न करना पड़े।
- **सेना के पुनर्गठन की आवश्यकता-** एक बेहतर 'टीथ टू टेल अनुपात' (सीमा पर तैनात प्रत्येक सैनिक तक आवश्यक रसद पहुंचाने अथवा उसके सहयोग के लिए तैनात अन्य सैन्य कर्मियों का अनुपात) प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए आगामी छह से सात वर्षों में 12.5 लाख से अधिक की सशक्त सेना में से लगभग 1.5 लाख कर्मियों को कम करने की आवश्यकता है।
- **युद्धक क्षमताओं में सुधार की आवश्यकता-** जिसमें कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, हॉट परस्यूट एक्टिविटीज (त्वरित अनुसरण गतिविधियाँ), आतंकवाद-विरोधी अभियानों आदि के तहत पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध करने की क्षमता सम्मिलित है।
- **सीमित पूंजीगत बजट-** युद्ध की परिवर्तित प्रकृति के कारण भविष्य के युद्धों में जनशक्ति के स्थान पर तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी। केवल सेना के लिए, **पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात 81:19** है; जिसमें से **73 प्रतिशत** राजस्व व्यय वेतन और भत्तों के लिए है। वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के कारण सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण अथवा पूंजी अधिग्रहण के लिए अत्यंत कम संभावनाएं रह गई हैं।
- **अनावश्यक लॉजिस्टिक इकाइयों को हटाने की आवश्यकता-** जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदलाव के कारण सिग्नल रेजिमेंट्स परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, उसी प्रकार, सेना को अब सैन्य फार्म्स (जो कि ब्रिटिश काल से प्रचलित अवधारणा है) जैसी अवसंरचनाओं की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय सेना में संरचनाएं

- एक **कमान, (command)** किसी सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत सेना की **सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई होती है,** जबकि एक सैन्य दल (corps) सबसे बड़ी गतिशील इकाई होती है।
- सामान्यतः, **प्रत्येक कॉर्प्स में लगभग तीन ब्रिगेड होते हैं।** भारतीय सेना में ब्रिगेड सबसे छोटी युद्धक इकाई होती है।
- **IBGs ब्रिगेड की तुलना में अधिक छोटे होंगे**, ताकि उन्हें अधिक लचीला बनाया जा सके और सैन्य टुकड़ियों को अधिक तीव्रता से संचालित किया जा सके।
    - इस विचार द्वारा उन्हें IBGs के रूप में पुनर्गठित करना है जो ब्रिगेड के आकार की इकाइयाँ होती हैं। जिनमें तीन Ts (three Ts) आधारों पर युद्ध हेतु आवश्यक सभी घटक, जैसे- पैदल सेना, बख्तर, तोपें और वायु रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।

हाल ही में लागू किए गए सुधार

- **सेना के अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन-** जिसमें प्रमुख कमानों की आयु सीमा कम करना, कर्मियों की उच्च जीवन प्रत्याशा और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखना सम्मिलित है।
- **'सैन्य अभियानों और सामरिक योजना निर्माण के लिए उप सेना प्रमुख' का एक नया पद सृजित करना-** सैन्य अभियानों, सैन्य आसूचना, सामरिक योजना निर्माण और परिचालन संबंधी कार्यों से निपटने के लिए।
- DCOAS (नियोजन एवं रणनीति) और मास्टर जनरल ऑर्डनेन्स (MGO) के **अलग-अलग विभागों का DCOAS (कैपबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टीनेन्स) के एक पद में विलय।**
- **सतर्कता और मानवाधिकार के मुद्दों के लिए नई शाखाओं का गठन-** मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की कमान में सतर्कता और मानवाधिकार के मुद्दों के लिए नई शाखाओं की स्थापना। यह सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- **नवीन इन्फॉर्मेशन वारफेयर विंग (सूचना युद्ध शाखा) की स्थापना-** भविष्य के युद्धों, हाइब्रिड युद्ध और सोशल मीडिया संबंधी वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए नवीन इन्फॉर्मेशन वारफेयर विंग की स्थापना की गई है। हाइब्रिड युद्ध वह सैन्य रणनीति है जिसमें राजनीतिक युद्ध को नियोजित किया जाता है तथा पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध तथा साइबर युद्ध को अन्य प्रभावोत्पादक विधियों, जैसे- फेक न्यूज़, कूटनीति, विधि सम्मत युद्ध और विदेशी चुनावी हस्तक्षेप के साथ मिश्रित कर दिया जाता है।

VISION IAS

4.8. चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ

(Chief of Defence staff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन की घोषणा की गई।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2001 में कारगिल समीक्षा समिति और मंत्रिमंडलीय समूह दोनों द्वारा तीनों-सशस्त्र सेनाओं में समन्वय प्रकिया को बढ़ावा देने हेतु एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद के गठन की अनुशंसा की गई थी। यह फाइव स्टार रैंक वाला सैन्य अधिकारी होगा।
- हालांकि, राजनीतिक सहमति के अभाव और भारतीय वायु सेना (IAF) एवं नौकरशाही के विरोध के कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन नहीं किया जा सका।
- पद की संरचना के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2002 के अंत में एक एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) के पद का सृजन किया गया, जिसे अंततः CDS के सचिवालय के रूप में कार्य करना था।
- वर्ष 2012 में, नरेश चंद्र समिति द्वारा रक्षा संरचना के भीतर (शामिल अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा) हो रहे विरोध के मद्देनजर CDS की नियुक्ति प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और इसके स्थान पर चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष पद के सृजन का सुझाव दिया गया।
- CDS पद सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल **डी. बी. शेकटकर समिति** द्वारा की गई अनुशंसाओं में से एक है। जिसने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC)

- इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं।
- इसकी अध्यक्षता तीनों सेना प्रमुखों में से वरिष्ठतम प्रमुख द्वारा चक्रानुक्रम (रोटेशन) में जाती है। ये वरिष्ठतम प्रमुख सेवानिवृत होने तक अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं।
- यह एक मंच है जहाँ तीनों सेना प्रमुखों द्वारा महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- CoSC व्यवस्था असंतोषजनक बनी हुई है तथा इसके अध्यक्ष को नाममात्र का प्रमुख माना जाता है।

चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (CDS)

- यद्यपि, CDS को प्रदत्त शक्तियों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तथापि यह परिकल्पित किया गया है कि CDS भारतीय थल सेना, वायु सेना और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त प्रमुख होगा जो भारत के रक्षा मंत्री के एकल प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
- CDS रक्षा योजना समिति अथवा सामरिक नीति समूह जैसी सुरक्षा संबंधी समितियों में सेनाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
- चीफ ऑफ़ इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (CIDC) द्वारा नियंत्रित सभी उत्तरदायित्वों, यथा- रक्षा आसूचना अभिकरण, संयुक्त कार्यवाही, प्रशिक्षण और बचाव एवं राहत कार्य, को CDS द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- सभी प्रमुख देशों, विशेष रूप से परमाणु हथियार संपन्न राज्यों में एक CDS पद विद्यमान है।

चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ का महत्व

- **एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार:** इसकी परिकल्पना सरकार के लिए एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में की गई है। CDS के माध्यम से सेना के साथ राजनीतिक नेतृत्व का संस्थागत प्रत्यक्ष संपर्क वस्तुतः नागरिकों और सेना के मध्य विद्यमान विसंगतियों का निराकरण करेगा।
- **बेहतर नियोजन और रणनीतियां:** परिचालन के दृष्टिकोण से सैन्य संघर्ष की अवधारणा वर्तमान में अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना के क्षेत्र में भूमि, वायु व समुद्र से परे विस्तृत है। प्रभावी रक्षा तैयारियों हेतु सशस्त्र बलों की 'संयुक्तता (jointness)' की आवश्यकता होती है। CDS का तात्पर्य बहु-क्षेत्रीय सैन्य रणनीतियों को विकसित करना, त्रि-सेवा सामंजस्य को सुदृढ़ करना और परिप्रेक्ष्य नियोजन को सक्षम बनाना है।
- **बेहतर संसाधन उपयोग**: यह अंतर-सेवा प्राथमिकताओं के निर्धारण और संसाधन आवंटन के साथ-साथ अनावश्यक भार से बचने के लिए सामान्य संरचनाओं के समेकन हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।

VISION IAS

- **बेहतर रक्षा अधिग्रहण:** CDS तर्कसंगत रक्षा अधिग्रहण संबंधी निर्णयों में योगदान दे सकता है।
- **थिएटर कमांड (युद्ध क्षेत्र कमान) का विकास:** CDS की नियुक्ति से भविष्य में व्यापक और समग्र थिएटर कमांड को विकसित किया जा सकता है।

CDS के विरोध के कारण

- राजनीतिक दल, CDS के पद में अत्यधिक सैन्य शक्ति को केंद्रित करने के विचार के विरुद्ध हैं।
- एक फाइव स्टार रैंकिंग युक्त जनरल रक्षा संबंधी निर्णय लेने में असैनिक नौकरशाही की उपेक्षा कर सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि वायु सेना और नौसेना का यह विचार है कि इस कदम से थल सेना का वर्चस्व स्थापित हो सकता है और एक सहायक के रूप में इनकी भूमिका का ह्रास हो सकता है।

आगे की राह

- बेहतर योजना और रक्षा अधिग्रहण हेतु समग्र रक्षा बजट आबंटन संबंधी निर्णयन प्रक्रिया में CDS को शामिल किया जाना चाहिए।
- परिचालन प्रक्रिया में CDS को शामिल किए जाने की प्रक्रिया को एकीकृत कमान की स्थापना के पश्चात् आरंभ किया जा सकता है। सरकार को एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की शुरुआत करनी चाहिए।
- यदि यह कार्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाता है तथा यह अधिकार क्षेत्र संबंधी विचारों से अप्रभावी है, तो दीर्घकाल से प्रतीक्षित यह सुधार असैनिक-सैन्य संबंधों में विरोधों को कम करेगा तथा रक्षा मामलों पर निर्णय निर्माण में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का सृजन करेगा।

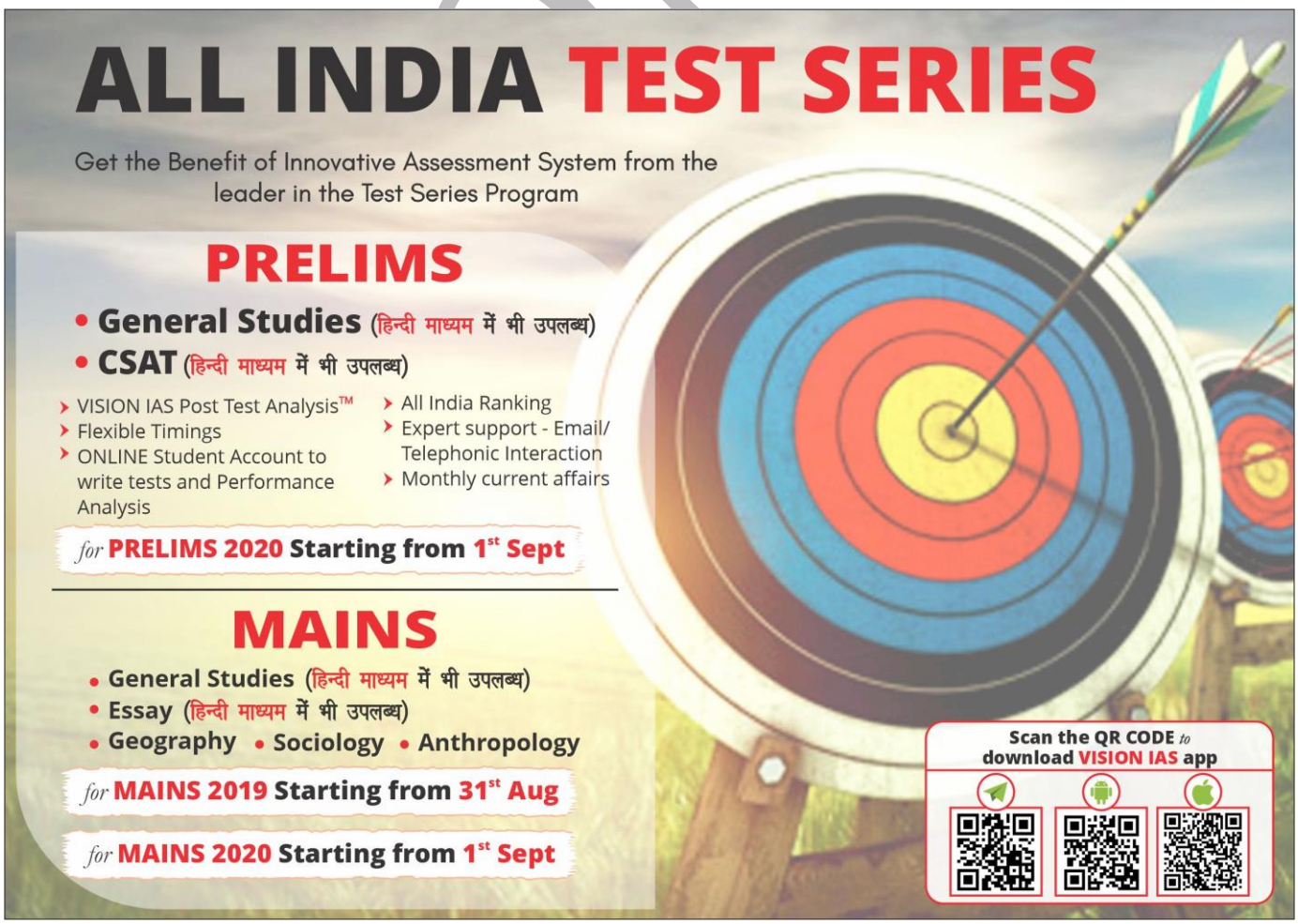

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जलवायु परिवर्तन और भूमि

(Climate Change and Land)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) ने **जलवायु परिवर्तन और भूमि** पर अपनी विशेष रिपोर्ट (Special Report on Climate Change and Land: **SRCCL**) जारी की है।

विवरण

- यह रिपोर्ट इस तथ्य पर नवीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि वन, कृषि तथा शहरीकरण जैसे भूमि के विभिन्न उपयोग जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और किस प्रकार जलवायु परिवर्तन इन्हें प्रभावित कर रहा है।
  - रिपोर्ट का पूरा नाम जलवायु परिवर्तन और भूमि (CLIMATE CHANGE AND LAND) है, जो **जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण, संधारणीय भूमि प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीनहाउस गैस के प्रवाह** के संबंध में IPCC की एक विशिष्ट रिपोर्ट है।
  - यह **पहली बार** है जब IPCC ने अपना संपूर्ण ध्यान **भूमि क्षेत्र** पर केंद्रित किया है।
  - यह **विशेष रिपोर्टों की एक श्रृंखला** का हिस्सा है। इन विशेष रिपोर्टों का उद्देश्य **"किसी विशेष मुद्दे के संबंध में एक आकलन"** प्रस्तुत करना है। ये मुख्य **"आकलन रिपोर्ट"** की पूरक हैं, जिन्हें IPCC प्रत्येक पांच या छह वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित करता है।
  - **महासागरों और हिमांक-मंडल (क्रायोस्फीयर)** से संबंधित द्वितीय विशेष रिपोर्ट को इस वर्ष सितंबर में प्रकाशित किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि IPCC ने अक्टूबर 2018 में 1.5 डिग्री के तापन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।
  - सरकारों द्वारा इन रिपोर्ट्स की मांग जलवायु परिवर्तन के **विशिष्ट पहलुओं के संदर्भ में स्पष्ट विवरण** प्राप्त करने हेतु की गई थीं।
- सामान्यतया, जलवायु परिवर्तन पर चर्चाओं ने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन को रोकने पर अधिक बल दिया है। IPCC की रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि केवल स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और उत्सर्जन में कटौती मात्र से ही वैश्विक उत्सर्जन में इतनी पर्याप्त कटौती नहीं हो सकेगी, जिससे खतरनाक तापन में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि को रोका जा सके।

फोकस क्षेत्र	अवलोकन
जलवायु परिवर्तन और भूमि	
जलवायु परिवर्तन भूमि निम्नीकरण को कैसे प्रभावित करता है?	**नकारात्मक प्रभाव** • जलवायु परिवर्तन **तापमान** और **वर्षा के पैटर्न** में क्रमिक परिवर्तनों के साथ-साथ **"चरम मौसमी घटनाओं के वितरण और तीव्रता"** में परिवर्तन के माध्यम से भी भूमि को प्रभावित कर सकती है। • **निम्नलिखित तीन मुख्य प्रक्रियाएँ** जहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भूमि पर पड़ता है यथा- ○ समुद्री जल स्तर के बढ़ने और तूफान की आवृत्ति/तीव्रता में वृद्धि के परिणामस्वरूप **तटीय अपरदन**। ○ तापन के परिणामस्वरूप **स्थायी तुषार भूमि (पर्माफ्रॉस्ट)** का पिघलना। ○ तापन की प्रतिक्रिया स्वरुप **वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं** और परिवर्तित वर्षा पैटर्न। • जलवायु परिवर्तन **प्रजातियों के आक्रमण** और उनके द्वारा होने वाले निम्नीकरण को भी प्रभावित कर रहा है। • जब वर्षा पैटर्न में परिवर्तन होता है, तो **वनस्पति आवरण और संरचना** में भी बदलाव दृष्टिगत होने लगता है। ○ उदाहरणार्थ, मध्य भारत में, वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के दौरान चरम वर्षा की घटनाओं में तीन गुना वृद्धि हुई है, जिसने मृदा अपरदन से कहीं अधिक अनेक भूमि निम्नीकरण प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है।

	• वर्धित हीट वेव्स के कारण पहले से ही सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए खतरा है। अत्यधिक गर्मी की घटनाएं वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर सकती हैं, पत्तियों की विकास दर को बाधित कर सकती हैं और सम्पूर्ण वृक्ष के विकास को अवरुद्ध कर सकती हैं। • वैश्विक तापन **हीट स्ट्रेस में वृद्धि करेगा,** जिससे मृदा नमी में अत्यधिक कमी हो जाएगी। **सकारात्मक प्रभाव** • CO_2 फर्टिलाइज़ेशन - जहाँ वातावरण में CO_2 के उच्च स्तरों के कारण पौधे का विकास और भूमि में सुधार होता है। • वसंत और पतझड़ मौसमों के पहले से अधिक उष्ण होने के कारण उच्च अक्षांशों में मौसम परिस्थितियों का दीर्घावधिक तक बने रहना।
भूमि जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान करती है?	**नकारात्मक प्रभाव** • वर्ष 2007 से वर्ष 2016 के दौरान लगभग 23% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किया गया। • **CO_2 उत्सर्जन के स्रोत**- निर्वनीकरण और अन्य प्रकार की वनस्पति हानि। • **मीथेन के स्रोत-** पशुधन, धान की कृषि और अन्य लघु स्रोत जैसे पशु खाद, अपशिष्ट दहन तथा उत्तरी गोलार्ध स्थित पीट भूमियां। • **नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत-** लगभग दो-तिहाई का उत्सर्जन कृषि के कारण होता है और इसमें से अधिकांशत: नाइट्रोजन उर्वरक के अनुप्रयोग से होता है। **सकारात्मक प्रभाव** • वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक, भूमि द्वारा विश्व के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 30% अवशोषित किया गया। ऐसा तब होता है जब- • वृक्ष और अन्य प्रकार की वनस्पतियों द्वारा **प्रकाश संश्लेषण**। • मृदा द्वारा पादप सामग्री, फसल अवशेष और पशु खाद के माध्यम से कार्बन प्राप्त किया जाता है। • वर्तमान में ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने की भूमि की क्षमता में "वायुमंडल में CO_2 की बढ़ती सांद्रता और शीत पर्यावरणों में दीर्घस्थायी मौसम" के द्वारा सहायता की जा रही है।
मरुस्थलीकरण	• न्यून और परिवर्तनशील वर्षण के साथ-साथ मृदा की निम्न उर्वरता के कारण शुष्क भूमियाँ विशेष रूप से भूमि निम्नीकरण के प्रति सुभेद्य हैं। • इन शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग **सुभेद्य** हैं क्योंकि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है; जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। • **वैश्विक तापन** शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन को कम करता है। • इस प्रकार यह इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा अन्य स्थानों पर प्रवास करने का एक कारण बन सकता है। इससे **श्रम-गहन संधारणीय भूमि प्रबंधन (SLM) प्रथाओं** की लागत में वृद्धि हो सकती है।
अन्य प्रभाव	• संपूर्ण विश्व के **लोगों**, विशेष रूप से सुभेद्य और निर्धनता वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों **की आजीविका** प्रभावित होगी। • विश्व में सर्वाधिक निर्धनता से ग्रस्त हिस्सों में **निर्धनता, भूमि निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन से संबद्ध चरम घटनाओं के प्रति सुभेद्यता** परस्पर संबद्ध हैं। • जलवायु से संबंधित भूमि निम्नीकरण, **प्रवासन और संघर्ष** के मध्य स्पष्ट संबंध होता है। जैसे रवांडा और सूडान के मध्य संघर्ष।
जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा	
जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?	• जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में खाद्य आपूर्ति के समक्ष जोखिम बढ़ रहा है। • **अत्यधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण** पहले से ही स्थिर खाद्य उत्पादन में तीव्र गति से कमी होगी, जिससे सबसे पहले निर्धन जनसंख्या प्रभावित होगी। • इस तथ्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण **कीटों और रोगों** में वृद्धि हो सकती है।

	• मरुस्थलीकरण उन प्रक्षेत्रों (rangelands) को प्रभावित कर सकता है जहाँ **पशुपालन किया जाता है।** • कुछ क्षेत्रों में **फसल उत्पादन** में पहले से ही गिरावट जारी है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और पौधों की विविधता में कमी हो रही है। • जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक **खाद्यान्नों की कीमतों** में 1-29% तक वृद्धि हो सकती है। • कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण **प्रमुख खाद्यान्न फसलों** की पोषण गुणवत्ता में कमी। ○ 546-586 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) के CO2 के स्तर पर उपजाए गए गेहूँ में 5.9-12.7 प्रतिशत कम प्रोटीन, 3.7-6.5 प्रतिशत कम जस्ता और 5.2-7.5 प्रतिशत कम आयरन होता है। रिपोर्ट में चावल की किस्मों के लिए भी इसी प्रकार के संकेत दिए गए हैं। ○ इससे निम्न आय वाले देशों में (विशेषकर एशिया) निवास करने वाले लगभग 600 मिलियन लोगों के समक्ष अल्पपोषण का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
खाद्य प्रणाली जलवायु परिवर्तन में कैसे वृद्धि कर रही है?	• **फसलों और काष्ठ का उत्पादन करने के लिए विश्व की भूमि का अधिक उपयोग** करने का प्रयास, प्राकृतिक आर्द्रभूमि के समापन तथा ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने वाले वनों में कमी करके जलवायु परिवर्तन में योगदान कर रहा है। • फसल और पशुधन दोनों से संबंधित वर्तमान कृषि पद्धतियां संधारणीय नहीं हैं तथा ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (GHG) की एक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं तथा जलवायु परिवर्तन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। • वैश्विक खाद्य प्रणाली विश्व के GHG उत्सर्जन के 21 से 37 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। इसमें कृषि (10-12 प्रतिशत), भूमि उपयोग (8-10 प्रतिशत) और भंडारण, परिवहन तथा प्रसंस्करण (5-10 प्रतिशत) शामिल हैं। • खाद्य अपव्यय (कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण) भी GHG उत्सर्जन में 8-10 प्रतिशत का योगदान करता है। वैश्विक खाद्य क्षति और अपशिष्ट वर्ष 1961 के लगभग 540 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2011 में 1630 मीट्रिक टन हो गया था। • कृषि के त्वरित विस्तार के कारण वनों, आर्द्रभूमियों और घासभूमियों तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्रों से मृदा अपरदन, मृदा निर्माण की दर से 10 से 100 गुना अधिक है।

'ऋणात्मक उत्सर्जन' भूमि, भोजन और वन्य जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है?

'ऋणात्मक उत्सर्जन उन पद्धतियों का एक समूह है जिनका उद्देश्य वायुमंडल से CO2 का निष्कासन और इसे भूमि या महासागर में संग्रहित करना है।	• उदाहरणार्थ, वन रोपण जैसी प्राकृतिक प्रणालियों से लेकर तकनीकी रूप से उन्नत प्रणालियों तक जैसे वायु से CO2 के अवशोषण हेतु मशीनों का उपयोग करना (डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) के रूप में ज्ञात) • वैश्विक तापन को 1.5C तक सीमित रखने हेतु निर्मित अनेक मॉडल **"कार्बन अभिग्रहण और भण्डारण के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS)** नामक प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। ○ इस तकनीक में फसलों को उपजाना और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग करना और तत्पश्चात भूमि या समुद्र में भंडारण करने से पूर्व परिणामी CO2 उत्सर्जन का अभिग्रहण करना शामिल है। ○ यदि BECCS के स्तर का अनुसरण करना है "तो प्रति वर्ष कई

	बिलियन टन CO_2 के स्तर तक वायुमंडल से CO_2 का निष्कासन करना अनिवार्य होगा।"

सतत विकास, लैंगिक समानता और स्वदेशी समुदायों की भूमिका

- ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और इसके संभावित भूमि-आधारित समाधानों के लिए **उच्च सुभेद्यता** का सामना करना पड़ता है।
  - जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में खेतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने की आवश्यकता महिलाओं के कार्यभार को असमान रूप से प्रभावित करता है। जबकि इथियोपिया में, एक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि महिला प्रधान परिवारों की तुलना में पुरुष प्रधान परिवारों की अनुकूलन उपायों के व्यापक समुच्चय तक अधिक पहुंच थी।
- दीर्घावधि के इन्स्ट्रूमेंटल डेटा रिकॉर्ड के बिना क्षेत्रों में भूमि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में स्वदेशी ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नीति निर्माताओं के लिए अनुशंसाओं का सारांश

- मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अनेक गतिविधियाँ शमन सह-लाभों (co-benefits) के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और साथ ही समाज हेतु सतत विकास सह-लाभों के साथ जैव विविधता क्षति को रोकने में योगदान कर सकती हैं।
- सतत वन प्रबंधन सहित **सतत भूमि प्रबंधन**, भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित और कम कर सकता है, भूमि उत्पादकता को बनाए रख सकता है तथा कभी-कभी भूमि निम्नीकरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पूर्णत परिवर्तित (रिवर्स) कर सकता है।
- सम्पूर्ण खाद्य प्रणाली से संबंधित नीतियाँ, जिनमें भोजन की कमी और बर्बादी में कमी करना और आहार विकल्पों को प्रभावित करना शामिल है, वे अधिक संधारणीय भूमि-उपयोग प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि तथा निम्न उत्सर्जन प्रक्षेप पथों (उच्च विश्वास) को सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार की नीतियां जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में योगदान कर सकती हैं, भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण तथा निर्धनता को कम कर सकती हैं एवं साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं।
- भूमि और खाद्य नीतियों को अभिकल्पित करते समय सह-लाभ और दुविधाओं को स्वीकार करना, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकता है।
- विविध क्षेत्रों में जलवायु शमन और अनुकूलन प्रतिक्रियाओं में विलंब से भूमि पर निरंतर नकारात्मक प्रभावों में वृद्धि और सतत विकास की संभावना कम होगी।

5.2. जल शक्ति अभियान

(Jal Shakti Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **जल शक्ति अभियान** का शुभारंभ किया गया है। यह जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा से संबंधित एक अभियान है।

भारत में जल की स्थिति से संबंधित कुछ तथ्य:

- **नीति आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 600 मिलियन भारतीय "अत्यधिक से अत्यंत गंभीर जल-संकट" (high to extreme water stress) की समस्या का सामना कर रहे हैं और 75% घरों के परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- भारत में **जल की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता** वर्ष 2001 के 1,820 क्यूबिक मीटर से घटकर वर्ष 2011 में 1,545 क्यूबिक मीटर रह गई। इसके वर्ष 2025 तक 1,341 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है।
  - यह स्थिति देश में जल की बढ़ती मांग के विपरीत है, जिसके 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।
- कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ है कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 शहरों में वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
- भारत सर्वाधिक मात्रा में जल का उपयोग करता है।
  - भारत, भूजल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक (जल गहन उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में) भी है।
- लगभग 70% पेयजल संदूषित हो चुके हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में **बढ़ते जल-संकट** को ध्यान में रखते हुए, सरकार का लक्ष्य जल संरक्षण एवं भविष्य को सुरक्षित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के समान एक **जन-आंदोलन** की शुरुआत करना है।
  - सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को प्राथमिकता और संधारणीय तरीके से पेयजल उपलब्ध कराना है।
- **नागरिक भागीदारी** के माध्यम से **जल शक्ति अभियान** को दो चरणों में प्रारम्भ किया जाएगा:
  - **चरण I :** 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक (सभी राज्यो में); और
  - **चरण II :** 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक (मानसून निवर्तन वाले राज्यों में)।
- अभियान का मुख्य फोकस **जल-संकट वाले जिलों और ब्लॉकों** (चित्र में प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियों सहित) पर होगा जैसा कि आंकड़े प्रदर्शित करते हैं।
- इस अभियान के तहत प्राप्त करने योग्य **कोई अतिरिक्त वित्तपोषण या विशिष्ट लक्ष्य** नहीं होंगे।

जल शक्ति अभियान के तहत क्रियान्वयन की योजना

- **पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा** समन्वय के साथ यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक **सामूहिक प्रयास** होगा।
- महत्वपूर्ण जल संरक्षण गतिविधियों को सुनिश्चित करने हेतु, केंद्र सरकार के **अधिकारियों की टीमों** द्वारा 256 जिलों के जल संकट वाले ब्लॉकों का दौरा किया जाएगा और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।
  - केंद्र ने केंद्रीय नोडल अधिकारियों/केंद्रीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों के लिए एक **18-सूत्री क्रियान्वयन सूची (टू-डू लिस्ट)** जारी की है।
  - 'बाधा रहित वार्ता' हेतु सभी केंद्रीय और जिला टीमों को सम्मिलित करते हुए तुरंत एक **व्हाट्सएप ग्रुप** बनाया जाना है।
- सिंचाई और बेहतर फसल विकल्पों के लिए जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु **ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजनाओं** व **'कृषि विज्ञान केंद्र मेलों'** को विकसित करने जैसी पहलों के माध्यम से जल संरक्षण प्रयासों को पूरकता प्रदान की जाएगी।
- जल शक्ति अभियान (JSA) के साथ विभिन्न समूहों, जैसे- स्कूली छात्रों, स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अन्य लोगों सहित व्यापक जन भागीदारी के साथ **वृहत पैमाने पर संचार अभियान** का संचालन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग हेतु समयबद्ध लक्ष्यों के साथ योजनाओं का विकास किया जाएगा।
  - ब्लॉक या शहर में भूजल पुनर्भरण हेतु कम से कम एक शहरी जल निकाय के लिए योजनाएं विकसित की जाएंगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर टीमों की सहायता करने हेतु वैज्ञानिकों एवं IITs का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- **3D विलेज कंटूर मानचित्र** तैयार किया जा सकता है तथा हस्तक्षेपों से संबंधित कुशल योजना के लिए इसे सुलभ बनाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ अभिसरण

- ग्रामीण क्षेत्र में जुलाई और सितंबर के मध्य इस अभियान के प्रथम चरण में 15,000 करोड़ रुपये की लागत सहित मनरेगा (MGNREGA) के तहत जल शक्ति अभियान (JSA) का संचालन किया जाएगा।

- लगभग 1,100 जल संकट वाले जिलों में जल संरक्षण हेतु किए जाने वाले **2,00,000 से अधिक** कार्यों की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
    - मनरेगा (MGNREGA) के तहत, यह नियम अधिदेशित है कि इसका 60 प्रतिशत व्यय **राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन** पर किया जाएगा और इसी के अनुसार इसमें जल संरक्षण हेतु खेतों में तालाबों का निर्माण, वर्षा जल संचयन, जल का पुनरुपयोग, जलसंभर विकास और गहन वनीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है।
    - इंजीनियरों की एक टीम द्वारा मनरेगा के तहत निर्मित इस प्रकार की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए गाँवों का दौरा किया जाएगा तथा इसके द्वारा संरचनाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे।
- सभी जल संकट क्षेत्रों के गांवों द्वारा जल की समस्याओं के समाधान की पहचान करने तथा उसका समाधान खोजने के लिए **एक विशेष पानी पंचायत** का भी आयोजन किया जाएगा।

अभियान की प्रगति

हाल ही में, कैबिनेट सचिव द्वारा JSA की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि-

- इस अभियान में 1.54 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपाए, 1.23 लाख जलसंभर विकास परियोजनाओं, 65,000 से अधिक पुनरुपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं तथा 20,000 पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण करना शामिल हैं।
- एक अनुमान के अनुसार इसमें 2.64 करोड़ लोगों द्वारा भागीदारी की गई।
- इसके द्वारा भूजल स्तर, सतही जल भंडारण क्षमता, खेतों में मृदा की नमी के साथ-साथ वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है।
- इसके प्रयासों के तहत लगभग 4.25 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

भारत में जल संरक्षण से संबंधित मुद्दे:

- **नागरिकों के मध्य जागरूकता का अभाव:** जिसने जल संरक्षण की आवश्यकताओं पर अत्यधिक ध्यान दिए बिना जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है।
- **अक्षम सरकारी नीतियां:** मुख्य रूप से, सरकारें निवासियों पर जल शुल्क को तर्कसंगत बनाने के संबंध में आशंकित रहती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में जल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कृषि के लिए विद्युत के मूल्य निर्धारण को युक्तिकरण बनाने संबंधी संशय विद्यमान है।
- **जल प्रदूषण में वृद्धि:** नदियों, नालों और तालाबों में रसायनों एवं बहि:स्रावों को निर्मुक्त किया जाना, जैसा कि गंगा नदी के मामले में देखा गया है, जिसकी सफाई करने में सरकार को पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
- **अवैज्ञानिक कृषि:** देश के वार्षिक घरेलू जल उपभोग का लगभग 90% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। हालांकि, जल गहन फसलों, जैसे- चावल, गेहूं और गन्ने की अत्यधिक कृषि ने जल की कमी को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, भारत के सीमित सिंचाई अवसंरचना के माध्यम से वितरित 70% जल कुछ राज्यों में गन्ने की कृषि में प्रयुक्त होता है। इसके परिणामस्वरूप 2002 से 2016 के मध्य प्रति वर्ष 10-25 मिमी की दर से भूजल का ह्रास हुआ है।
- **जल का पुन: उपयोग न किया जाना:** बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार हेतु **अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं का अभाव**।

जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- केंद्र सरकार द्वारा जल संबंधी विभिन्न मुद्दों की निगरानी करने हेतु एक **'जल शक्ति मंत्रालय'** नामक समर्पित मंत्रालय का गठन किया गया है।
    - **जल जीवन मिशन** के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जल सुनिश्चित करने हेतु यह राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
    - यह **'नल से जल योजना'** की भी निगरानी करेगा जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर को पाइप आधारित जलापूर्ति प्रदान करना है।
- नीति (NITI) आयोग द्वारा जारी **समग्र जल सूचकांक (Composite Water Index)** द्वारा राज्यों की जल उपयोग क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority: CGWA) द्वारा **भूजल निष्कर्षण हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया,** जिन्हें 1 जून 2019 से प्रभावी किया गया है।

VISION IAS

- राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के संग्रह (repository) हेतु **राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र** की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा पब्लिक डोमेन में GIS प्लेटफॉर्म पर वेब-आधारित भारत-**जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-WRIS)** के माध्यम से नवीनतम और विश्वसनीय जल संबंधी आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, मेघालय एक **जल नीति के प्रारूप** को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। मेघालय द्वारा **एकीकृत राज्य जल नीति** तैयार की गयी है, जिसके तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मेघालय के जल संसाधनों के संधारणीय विकास, प्रबंधन और उपयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संरक्षण संबंधी सफल केस स्टडीज

- **समुदाय प्रबंधित जल आपूर्ति कार्यक्रम (गुजरात):** इसका उद्देश्य पिछड़े समुदायों के परिवारों सहित ग्रामीण समुदाय को पारिवारिक स्तर पर नल आधारित जल कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्याप्त, नियमित और सुरक्षित जल आपूर्ति करना है।
- **मध्य प्रदेश का 'भागीरथ कृषक अभियान':** इसके परिणामस्वरूप स्थानीय किसानों, सरकारी अधिकारियों और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए खेतों के स्तर पर हजारों तालाबों का निर्माण किया गया है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- जमीनी स्तर पर अपनाए गए जल संरक्षण प्रयासों का उपयोग अन्य भागों में भी किया जाना चाहिए, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित **डोंग बंध सिस्टम**, जिसके माध्यम से पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु, स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे **वैज्ञानिक तरीके से फसलों का चयन** करने वाले किसानों को **उच्च कीमत प्रदान करना** तथा कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण से संबंधित विधियों को प्रदर्शित करना।
  - सिंचाई के लिए जल और विद्युत की बचत के लिए सरकार किसानों को मौद्रिक प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है।
- सरकारों को बड़े किसानों (जो भुगतान करने में सक्षम हैं) के **विद्युत उपभोग पर व्यावसायिक दरों के आधार पर शुल्क आरोपित** करने की आवश्यकता है। चूँकि इन किसानों द्वारा जितनी अधिक विद्युत का उपभोग किया जाएगा, उन्हें उतना ही अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा, अत: इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है।
- इजरायल और सिंगापुर के समान अन्य देशों को भी जल उपचार और पुनरुपयोग अभ्यासों को अपनाया जाना चाहिए।
  - इज़राइल द्वारा अपने 90% सीवेज से प्राप्त जल को शोधित जल में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सिंचाई में प्रयोग हेतु स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ग्रामीण-स्तर पर लोगों को जल संरक्षण के महत्व, उनके समक्ष प्रभावी तरीकों एवं तकनीकों का प्रदर्शन तथा वे किस प्रकार इस पहल (जल संरक्षण) को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं इत्यादि के संबंध में शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- नगरपालिकाओं द्वारा किए जा रहे ख़राब जल प्रबंधन की समस्या के समाधान हेतु सरकार अवसंरचना के रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य निजी भागीदारों को आउटसोर्स कर सकती है, जिनके शुल्क का भुगतान सेवा मानकों और उपभोक्ता रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।
- व्यक्तिगत सीमा की तुलना में अधिक जल का उपयोग करने वाले परिवारों को अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु कम से कम चार गुना अधिक भुगतान आरोपित किया जाना चाहिए। ऐसे परिवार जो आवंटित मात्रा से कम जल का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने अप्रयुक्त जल को पुन: नगरपालिका को बेचने संबंधी अधिकारों की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए या ऐसे अवसरों (जिसमें छुट्टियों के दौरान मेहमानों के आने से लेकर विशेष अवसर या आपात स्थिति सम्मिलित हैं) के लिए इसे बचाकर रखा जाना चाहिए जब उन्हें इस अतिरिक्त जल की आवश्यकता हो सकती है।
- सरकार द्वारा बड़े आवासीय ब्लॉकों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों पर हरित कर (ग्रीन टैक्स) के आरोपण को प्रस्तावित किया जा सकता है, जिनके द्वारा बगीचों, शौचालयों एवं अन्य सुविधाओं (जिनमें गैर-पीने योग्य जल की आवश्यकता होती है) के उपयोग हेतु नवाचारी उपायों या अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के माध्यम से इसके उपयोग में कमी की जा रही है।

5.3. बाढ़

(Flood)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के विभिन्न हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

VISION IAS

इन राज्यों में हालिया बाढ़ के कारण

- **जलवायु परिवर्तन:** इसके कारण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि ने लंबे समय तक वर्षा न होने और फिर अकस्मात अत्यधिक वर्षा होने जैसी चिंताजनक प्रवृत्ति को उत्पन्न किया है। देश में 3,290 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के प्रति प्रवण हैं।
  - **निरंतर वर्षा:** इन सभी क्षेत्रों में निरंतर वर्षा का होना।
  - **नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह:** उदाहरण के लिए केरल की पेरियार, मणिमाला, मुवत्तुपुझा, चालियार और पम्बा नदियों में जल का प्रवाह अत्यधिक हो गया था।
- **गहन अवदाब (Deep Depression):** सामान्यतया इनका निर्माण बंगाल की खाड़ी में होता है। ये ओडिशा के तट को पार करते हैं और इनके परिणामस्वरूप अत्यधिक वर्षा होती है।
- **पश्चजलीय बाढ़ (Backwater flooding):** इसके कारण कर्नाटक में कृष्णा नदी का जल स्तर सामान्य से 4 से 5 फीट अधिक हो जाता है।
- **बांधों का कुप्रबंधन:** अत्यधिक वर्षा के कारण बांध से जल को तुरंत छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वर्षा आरंभ होने से पूर्व बांध के जलाशयों को खाली नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्रों में अपेक्षा से अधिक तीव्र बाढ़ आ गई।
- **नदी बेसिन का अतिक्रमण:** कई बस्तियां जल निकायों एवं लगभग नदी तटों के सन्निकट अवस्थित हैं।
- **समन्वय का अभाव:** उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने दोनों राज्यों की सीमाओं के पार प्रवाहित होने वाले बाढ़ के जल पर प्रबंधन शुल्क अधिरोपित किया है।

बाढ़ के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश

- बाढ़ प्रबंधन योजनाओं (Flood Management Plans:FMPs) का क्रियान्वयन कर पूर्व-तैयारियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- विभिन्न संरचनाओं की प्रभावशीलता एवं संधारणीयता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना तथा उनके नवीनीकरण और सुदृढ़ता के लिए उचित उपाय करना।
- बाढ़ के पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय-समर्थन प्रणाली का निरंतर आधुनिकीकरण।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नई संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में बाढ़ प्रतिरोधी सुविधाओं के समावेशन को सुनिश्चित करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रणनीतिक और सार्वजनिक उपयोगिता वाली संरचनाओं की फ्लड प्रूफिंग के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सभी हितधारकों की जागरूकता एवं पूर्व-तैयारियों में सुधार करना।
- प्रभावी बाढ़ प्रबंधन (शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, और प्रलेखीकरण सहित) के लिए उपयुक्त क्षमता विकास समाधान प्रस्तुत करना।
- यथोचित उपायों के माध्यम से अनुपालन व्यवस्था में सुधार करना।

बाढ़ का प्रभाव

- **मानव और मवेशियों के जीवन की हानि:** उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के सांगली में 12 लोगों की मृत्यु हो गई।
- भारी वर्षा के कारण **भूसर्पण (Landslips) / भू-स्खलन (Landfalls)** की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है।
- **विस्थापन और अन्य हानियां:**
  - फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचता है।
  - इन राज्यों के अधिकांश भाग जलमग्न हो जाते हैं।
  - स्कूल, अस्पताल बंद हो जाते हैं।
  - बिजली और टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
  - सड़क मार्ग और ट्रेन सेवाएं बाधित हो जाती है। इसके कारण कोच्चि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था।
- **मृदा की उर्वरता में कमी:** बाढ़ के कारण सतही मृदा को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, जिससे इसकी प्राकृतिक स्थिति की पुनर्बहाली में अत्यधिक समय लगता है।
- **आपदा पश्चात् के प्रभाव:** जैसे स्वच्छता की कमी के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पोस्ट ट्रॉमाटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) आदि।

VISION IAS

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

- यह विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** की अध्यक्षता एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो अतिरिक्त सचिव के स्तर का हो। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- राज्य बांध सुरक्षा समितियों का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।
- **निर्दिष्ट बांधों के मालिकों** को प्रत्येक बांध के लिए एक बांध सुरक्षा इकाई उपलब्ध करने की आवश्यकता होती है।
- विधेयक में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध **अपराध और दंड** का भी प्रावधान किया गया है।

विभिन्न सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

- **सुरक्षा बलों एवं सहायता कार्मिकों की तैनाती:** राज्य आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), SDRF, सेना एवं नौसेना बलों की तैनाती।
- **ड्राफ्ट रिवर रेगुलेशन जोन रूल्स:** इन्हें स्वतंत्र विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया है तथा इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा सक्रिय बाढ़ के मैदानों के सीमांकन, उच्च बाढ़ स्तर और उच्च से निम्न प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए परिचालित किया गया था और इनके निर्धारण के पश्चात् इन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को सीमित किया गया था।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों को लागू करना।**

आगे की राह

- आपदा के शमन हेतु क्षमता निर्माण के उद्देश्य से **अल्पकालिक निवारक उपायों** को अपनाया जा सकता है:
  - **संरचनात्मक उपाय**
    - तटबंधों, बाढ़ रोकने हेतु अवरोधों (floodwalls), बाढ़ तटबंधों आदि का निर्माण करना।
    - प्राकृतिक अवरोध बेसिनों का निर्माण।
    - ड्रेजिंग (तलकर्षण) और चैनलों को गहरा करने संबंधी अन्य उपायों के माध्यम से नदी चैनल की गहराई में सुधार करना।
    - स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाढ़ के जल की दिशा परिवर्तित करना।
    - जलग्रहण क्षेत्र में वनीकरण, विशेष रूप से नदी के अपस्ट्रीम वाले भाग में, जो मृदा अपरदन और भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण हैं।
  - **गैर-संरचनात्मक उपाय**
    - **बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली:** कैग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 60% टेलीमेट्री स्टेशन गैर-परिचालन अवस्था में हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेंसर आधारित उपकरणों, उपग्रह निगरानी आदि का उपयोग करके इसे आधुनिक बनाना चाहिए।
    - **फ्लड हैजर्ड जोनिंग:** यह बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने और बाढ़ नियंत्रण प्रक्रिया को प्राथमिकता देने में सहायता करेगा। NDRF और CWC द्वारा किए गए अध्ययन के अनुभव को आंकड़ों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
    - जलाशयों का विनियमन।
    - बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि कई देशों द्वारा अपनाया गया है।
    - ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण विभागों जैसे नियोजन प्राधिकरणों में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की नियुक्ति करके इन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **निम्नलिखित उपाय के माध्यम से सुनम्यता (resilience) का निर्माण करना**
  - जोखिम-रहित स्वास्थ्य अवसंरचना तथा शुष्क खाद्य वस्तुएं और दवाओं के भंडार का निर्माण करना।
  - उत्तरी बिहार और उत्तर-पूर्व के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, ऊँचे शौचालयों, इको-सैनिटेशन यूनिट, लोहे के फिल्टर युक्त ऊँचे डगवेल्स या ट्यूबवेलों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना।
  - राज्यों के साथ मिलकर आपदा राहत कोष का कुशलता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। केंद्र द्वारा उन्हें राहत पहुँचाने के दौरान नए दावे करते समय अप्रयुक्त भाग को उपयोग करने हेतु निर्देश दिया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। NDMP आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

VISION IAS

- **आपदा के पश्चात् त्वरित राहत एवं पुनर्वास कार्य, जैसे-**
  - जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना: अल्पकालिक आवास, भोजन, सुरक्षित जल।
  - मानसिक स्तर पर आपदा से निपटने हेतु स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श सेवाओं तक पहुंच।
  - विकासात्मक गतिविधियों तक पहुँच बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में नौकाएं उपलब्ध कराना।

5.3.1. शहरी बाढ़

(Urban Flooding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मूसलाधार वर्षा के कारण मुंबई में जन-जीवन अत्यधिक प्रभावित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत में शहरी बाढ़ पर चर्चा पुनः तेज हो गई है।

पृष्ठभूमि

- शहरी बाढ़ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लंबी अवधि तक तीव्र वर्षा होती है, जिसके कारण अपवाह प्रणाली की क्षमता पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है।
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से काफी भिन्न होती है, क्योंकि शहरीकरण ने जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में विकास गतिविधियों में वृद्धि की है। इसके कारण बाढ़ की चरम सीमा (flood peaks) में 1.8 से 8 गुना तथा बाढ़ की मात्रा में 6 गुना तक वृद्धि हुई है। परिणामतः, तीव्र प्रवाह समय के कारण बाढ़ की घटनाएं बहुत तेजी (कभी-कभी कुछ ही मिनटों में) से घटित हो जाती हैं।
- हाल के वर्षों में भारत में शहरी बाढ़ संबंधी आपदाओं में वृद्धि हुई है जिससे मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौसम प्रतिरूपों में परिवर्तन हुआ है और अल्पावधि में होने वाली उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसे शहरी बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति के पीछे प्रमुख कारण माना गया है।

शहरी बाढ़ पर NDMA के दिशा-निर्देश

- शहरी बाढ़ की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी शहरी केंद्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने हेतु एक **राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क (National Hydro-meteorological Network)** का निर्माण करना।
- देश में सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए **डॉप्लर मौसम रडार** का उपयोग करना।
- **मौजूदा स्टॉर्म जल निकासी प्रणाली से संबंधित एक सूची तैयार** की जानी चाहिए। यह सूची वाटरशेड और वॉर्ड दोनों पर आधारित होगी।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में स्टॉर्म जल निकासी प्रणाली की योजना और डिजाइन करने का आधार **जलग्रहण (कैटचमेंट)** क्षेत्र होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भवन में भवन उपयोगिता (बिल्डिंग यूटिलिटी) के एक अभिन्न अंग के रूप में **वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग)** की सुविधा होनी चाहिए।
- शहरों के **निम्न भू-क्षेत्रों** को पार्कों एवं अन्य निम्न प्रभाव वाली मानवीय गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
- जल निकासी प्रणालियों का **अतिक्रमण** करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- सभी प्रमुख जल निकासी प्रणालियों की **मानसून पूर्व डिसीलिंटिंग** (गाद निकालने की क्रिया) करने की प्रक्रिया को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूर्ण किया जाना चाहिए।
- **शहरी बाढ़** को नदी बाढ़ (जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है) से पृथक करते हुए, इससे एक भिन्न आपदा के रूप में निपटा जाना चाहिए।
- स्टॉर्म सीवर में प्रवाहित होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए **जल निकासी** प्रणाली के अंदर जाली (ट्रैप्स), ट्रैश रैक जैसी उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती हैं।
- सड़क किनारे निर्मित नालियों में जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु सड़कों पर **इन्लेट्स** की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इन्हें वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक पार्कों के नियोजन के तहत **रेन गार्डन** की संकल्पना को सम्मिलित करना और वृहत कॉलोनियों और अन्य स्थलों (जिन्हें विकसित किया जाना है) पर स्व-स्थाने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट को शामिल करना।
- वर्षा की तीव्रता और अवधि तथा बदलते भूमि उपयोग के अनुमानित भावी परिदृश्यों के आधार पर **बाढ़ के खतरों का आकलन** किया जाना चाहिए।

VISION IAS

शहरी बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण

- **पर्यावरणीय कारक**
  - अत्यधिक एवं अप्रत्याशित वर्षा, उदाहरण के लिए, श्रीनगर की बाढ़।
  - जल संभरण क्षेत्र (वाटरशेड) के विभिन्न भागों से अपवाहित जल का एक स्थान पर एकत्रीकरण (सिंक्रनाइज़ेशन)।
  - हिमनद झीलों का टूटना, उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनद।
  - छोटे स्तर के झंझावात (स्टॉर्म)।
- **मानवजनित कारक**
  - **निम्नस्तरीय शहरी नियोजन:** क्षेत्रीकरण (zoning) को अधिनियमित करने संबंधी राज्यों की अनिच्छा ने बाढ़ के मैदानों में अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है तथा कभी-कभी इन्हें नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत और विधिवत अनुमोदित कर दिया जाता है।
    - **बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण:** उदाहरणार्थ, मुंबई के अधिकांश बाह्य नगरीय क्षेत्र (exurban) का विकास उल्हास नदी के फ्लड-प्लेंस में टाउनशिप के रूप में हुआ है। इस क्रम में उल्हास नदी प्रणाली पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
    - **महाराष्ट्र द्वारा 2015 में अपनी नदी क्षेत्र विनियमन नीति (रिवर रेगुलेशन जोन पॉलिसी)** को समाप्त कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि अब इस निर्णय का उल्हास नदी के आसपास निवास करने वाले लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नवी मुंबई की निम्न भूमि क्षेत्र पर एक नए विमानपत्तन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
      - **धार्मिक उत्सवों का सक्षम रूप से प्रबंधन न किया** जाना, उदाहरणार्थ, नासिक का कुंभ मेला। इससे नदियों में लोगों का अत्यधिक संकेंद्रण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नदी प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।
      - शहरीकरण के कारण बढ़ता **कंक्रीटीकरण** (जो जल प्रवाह में वृद्धि करता है)।
  - **वनोन्मूलन:** मार्च 2015 में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) के लिए तैयार किए गए एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का कुल वनाच्छादित क्षेत्र वर्ष 1987 के एक तिहाई से घटकर वर्ष 2015 में लगभग 21% तक हो गया था।
  - **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect):** जिसके कारण शहरी क्षेत्रों और इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है।
  - **ठोस अपशिष्टों का अपर्याप्त प्रबंधन** तथा स्रोत पर इसका पृथक्करण न किया जाना, जिसके कारण नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं।
  - **बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं का मंद क्रियान्वयन**, जैसे- नर्मदा नदी परियोजना, जिसका कार्य पूर्ण होने में 56 वर्षों का समय लगा।

आगे की राह

- बाढ़ शमन अवसंरचना के नियोजन और निर्णयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर संधारणीय शहरी नियोजन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, उदाहरण के लिए, वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु MMRDA का वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF)। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने शहरों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्थानीय और वैश्विक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- अतिक्रमण विरोधी विधियों को सुदृढ़ करना।
- संधारणीय स्लम प्रबंधन।
- इज़राइल और सिंगापुर मॉडल का अनुसरण करते हुए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 के अनुरूप कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज लाइनों की व्यवस्था करना।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM) के दृष्टिकोण के अनुरूप **बाढ़-जल निकासी नेटवर्क**।
- **शहरी नियोजन:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - स्टॉर्म ड्रेन (storm drains) का निर्माण और अन्य जल निकासी प्रणाली को बनाए रखना।
  - बांधों और जलाशयों से होने वाले प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु **राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल की समीक्षा करना।** उदाहरण के लिए, इस वर्ष राजस्थान में या वर्ष 2015 में चेन्नई में जल की वृद्धि का कारण, बांध को जल के अत्यधिक दबाव को कम करने हेतु खोला जाना था।
  - **अंतरराज्यीय सहयोग या वार्ता:** उदाहरणार्थ, अरुणाचल प्रदेश के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में स्थित बाँधों को खोलने से जल के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, जो विगत सात वर्षों से असम के लिए समस्या का कारण बना हुआ है।
  - जल के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु नदी बेसिन और प्राकृतिक झीलों पर **अतिक्रमण को प्रतिबंधित करना।**

VISION IAS

5.4. नदियों का अंतर्योजन

(Interlinking of Rivers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **कोसी-मेची नदी अंतर्योजन परियोजना** को स्वीकृति प्रदान की है।

कोसी-मेची नदी अंतर्योजन परियोजना से संबंधित तथ्य

- यह **मध्यप्रदेश की केन-बेतवा परियोजना** के पश्चात् देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी अंतर्योजन परियोजना है।
- इसे नदी जोड़ों परियोजना के तहत कोसी नदी के अधिशेष जल के भाग को मौजूदा हनुमान नगर बैराज से महानंदा बेसिन तक ले जाने की परिकल्पना की गई है।
- मेची नदी, महानंदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हालांकि, इसके बेसिन में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल का प्रायः अभाव रहता है।
- यह एक **हरित परियोजना** है, क्योंकि इसके द्वारा जनसंख्या का विस्थापन नहीं किया गया है साथ ही किसी वनभूमि का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है।
    - इस परियोजना के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र आदि अवस्थित नहीं हैं।

राष्ट्रीय नदी अंतर्योजन परियोजना (NRLP) के बारे में

- **नदियों के अंतर्योजन (इंटरलिंकिंग) में निहित मूल विचार के अंतर्गत**, एक **"अधिशेष"** जल वाले बेसिन से दूसरे "**जलाभाव**" वाले बेसिन में जल का स्थानांतरण किया जाता है।
- NRLP को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) के तहत भारत के **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA)** द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
- नदी अंतर्योजन परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है:
    - **उत्तरी** हिमालयी नदियों का अंतर्योजन घटक,
    - **दक्षिणी** प्रायद्वीपीय घटक तथा
    - **अंतःराज्यीय** नदियों के अंतर्योजन घटक
- जल संसाधन (जल शक्ति) मंत्रालय द्वारा तैयार **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के तहत, NWDA ने क्षेत्र सर्वेक्षण एवं जांच तथा विस्तृत अध्ययन के आधार पर जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण के लिए पहले से ही हिमालयी नदियों के घटक के तहत **14 नदी अंतर्योजनों** तथा प्रायद्वीपीय नदियों के घटक के तहत **16 नदी अंतर्योजनों** की पहचान की है।
- सरकार ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए निम्नलिखित **चार प्राथमिकता प्राप्त नदी अंतर्योजन परियोजनाओं** की पहचान की है:
    - **केन-बेतवा अंतर्योजन परियोजना** (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश),
    - **दमनगंगा-पिंजल अंतर्योजन परियोजना** (महाराष्ट्र और गुजरात),
    - **पार-तापी-नर्मदा अंतर्योजन परियोजना** (महाराष्ट्र और गुजरात)
    - **गोदावरी-कावेरी अंतर्योजन परियोजना** (आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु)।

नदी अंतर्योजन परियोजना के पक्ष में तर्क

- **जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग-** सूखा-प्रवण एवं वर्षा-आधारित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को बढ़ाकर इसके वितरण में अत्यधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
    - इससे समुद्र में नदी के ताजे जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए, **गोदावरी-कृष्णा परियोजना** के तहत लिफ्ट प्रक्रिया द्वारा समुद्र में प्रवाहित होने वाले गोदावरी नदी के जल को संग्रहीत किया जाएगा।
- **जल संकट (Water Stress) संबंधी मुद्दों का समाधान-** नीति (NITI) आयोग के अनुसार, भारत द्वारा इतिहास में अब तक के सर्वाधिक **'गंभीर' जल संकट** का सामना किया जा रहा है और यदि इससे संबंधित कदम नहीं उठाए गए तो पेयजल की मांग वर्ष 2030 तक और अधिक बढ़ जाएगी।

VISION IAS

- **सिंचाई के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र में सुधार कर सकती है-** जैसे यह परियोजना उत्तर बिहार के जिलों में विस्तृत कमान क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।
  - राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत अंतिम रूप से सिंचाई क्षमता को 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 175 मिलियन हेक्टेयर करते हुए सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई और भूजल के उपयोग में वृद्धि कर इससे 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
  - इसके अंतर्गत मानसूनी अनिश्चित वर्षा पर किसानों की निर्भरता को कम करने तथा लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के तहत लाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
  - यह **द्वितीय हरित क्रांति** की उपलब्धि में भी सहायता करेगी।
- **विद्युत् उत्पादन-** इससे विद्युत् उत्पादन में 34 मिलियन किलोवाट तक की वृद्धि हो सकती है।
- **आपदा प्रबंधन-** क्योंकि इससे बाढ़ और सूखे दोनों में जल के उचित उपयोग एवं प्रबंधन में सहायता प्राप्त हो सकती है।

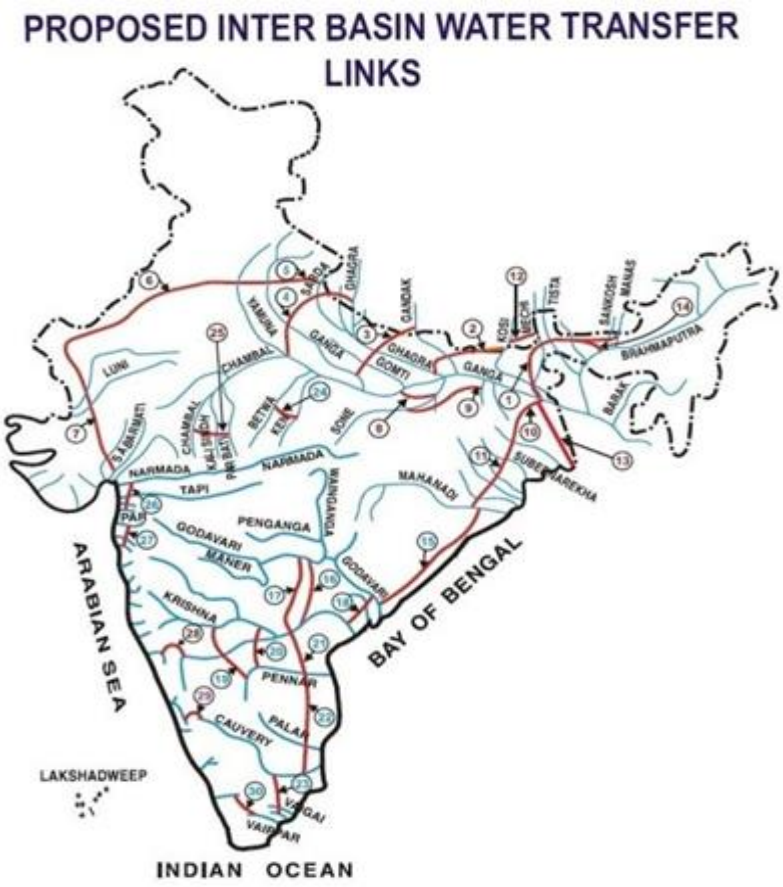

नदी अंतर्योजन परियोजना के विपक्ष में तर्क

- **नदी मार्ग का कृत्रिम परिवर्तन-** इससे सैकड़ों-हजारों वर्षों में विकसित नदियों के अपवाह मार्ग संबंधी पारितंत्र में कृत्रिम परिवर्तन होगा। सड़कों एवं विद्युत् लाइनों की भांति इनके मार्ग में परिवर्तन के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।
  - केवल **"न्यूनतम प्रवाह आवश्यकताओं"** को बनाए रखकर ही नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सकता है।
- **महत्वपूर्ण शुष्कभूमि क्षेत्रों की उपेक्षा-** ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि निर्दिष्ट परियोजनाएं मध्य और पश्चिमी भारत के मुख्य शुष्क क्षेत्रों की उपेक्षा कर सकती हैं, जो औसत समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव-** इससे वृहद् पैमाने पर वनों के जलमग्न होने के साथ ही वन्यजीवों के पर्यावासों का भी विनाश हो सकता है जैसा कि केन-बेतवा नदी अंतर्योजन परियोजना में घटित हुआ था।
- **नदियों पर प्रभाव-** 29 में से 23 नदियों का जल विसर्जन स्तर काफी कम हो जाएगा, उदाहरण के लिए- गंगा नदी के प्रवाह में 24% की कमी हो सकती है और इसकी सहायक नदियाँ गंडक (-68%) और घाघरा (-55%) सबसे अधिक प्रभावित होंगी।
- **तटरेखा (shoreline) की क्षति -** एक अध्ययन के अनुसार, इसके कारण नदियों के डेल्टाओं में निक्षेपित होने वाली तलछट में पर्याप्त रूप से कमी आएगी। उपजाऊ डेल्टा के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा तथा तटीय अपरदन के कारण भूमि एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने की संभावना है, जिस पर 160 मिलियन लोगों की आजीविका निर्भर है।
- **मानसून पर प्रभाव-** समुद्र में नदी के ताजे जल का निरंतर प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ऊपरी जल परतों में कम घनत्व के साथ-साथ जल की निम्न लवणता को बनाए रखने में सहायता करता है। यह समुद्री सतह के उच्च तापमान (28 डिग्री सेल्सियस से अधिक) के बने रहने का भी एक कारण है, जिससे निम्न दाब वाले क्षेत्र का सृजन होता है तथा जिससे मानसून की सक्रियता तीव्र हो जाती है।
- **सुभेद्यता में वृद्धि-** दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्र और महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र तूफ़ान महोर्मि (surges), नदी बाढ़ और अत्यधिक लवणता के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाएंगे।
- **संघीय प्रतिस्पर्धा-** चूँकि जल एक राज्य सूची का विषय है अत: ऐसे राज्य जिनके पास जल अधिशेष है, वे इसे अन्य राज्यों को आपूर्ति करने हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। इससे व्यापक स्तर पर कठिनाई उत्पन्न होती है तथा राज्यों की ऐसी मनोवृत्ति के कारण ऐसी कठिनाइयों की पुनरावृत्ति होती रहती है।

निष्कर्ष

भविष्य की परियोजनाएं इस **हरित अंतर्योजन परियोजना** के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

5.5. राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति

(National Resource Efficiency Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (NREP) 2019 के प्रारूप** को पब्लिक डोमेन में रखा है।

पृष्ठभूमि

- विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत में संसाधनों के उपभोग में छह गुना (वर्ष 1970 के 1.18 बिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2015 में 7 बिलियन टन) तक की वृद्धि हुई है।
    - बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण एवं वर्धित आकांक्षाओं के कारण इसमें और अधिक वृद्धि की अपेक्षा है।
    - इस संदर्भ में, **संसाधन दक्षता का संवर्धन** और **द्वितीयक कच्चे माल** (secondary raw materials) के उपयोग को प्रोत्साहित करना संधारणीय विकास सुनिश्चित करने की एक रणनीति के रूप में उभरा है।
- **संसाधन दक्षता (Resource efficiency: RE)** से तात्पर्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए सतत मानव कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु पृथ्वी के सीमित संसाधनों का न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना है।
    - यह **अपशिष्ट** को कम करता है, अधिक संसाधन उत्पादकता को प्रेरित करता है, **अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी** बनाता है, संसाधनों के अभाव के उभरते मुद्दों का समाधान करता है तथा उत्पादन एवं उपभोग दोनों से संबद्ध **पर्यावरणीय प्रभावों** को कम करने में सहायता करता है।
- **6Rs सिद्धांत** संसाधन दक्षता के परिचालन हेतु महत्वपूर्ण है। यह **कटौती (reduce), पुनरुपयोग (reuse), पुनर्चक्रण (recycle), नवीकरण (refurbish), पुन: अभिकल्पन (redesign) और पुनर्निर्माण (remanufacture)** को संदर्भित करता है।
- **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (NREP)** का प्रारूप पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और समतामूलक आर्थिक विकास, संसाधन सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण (वायु, जल व भूमि) तथा समृद्ध पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधता के साथ पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन के साथ भविष्यगामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह निम्नलिखित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है:
    - सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रहीय सीमाओं के भीतर रहते हुए प्राथमिक संसाधनों के उपभोग को 'संधारणीय' स्तरों तक कम करना।
    - संसाधन दक्षता और संसाधनों के निरंतर उपयोग उपागमों के माध्यम से न्यून पदार्थों के साथ उच्च मूल्य का सृजन करना।
    - अपशिष्ट न्यूनीकरण।
    - पर्यावरण संरक्षण तथा पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए पदार्थों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर एवं व्यावसायिक प्रतिमानों का सृजन करना लाभप्रद है।

संसाधन दक्षता की संभाव्यता

- **आर्थिक संभाव्यता**
    - केवल विनिर्माण क्षेत्र में 60.8 बिलियन रूपये के संसाधनों की बचत करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
    - देश के व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने हेतु महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम कर सकती है।
    - उद्योगों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता में सुधार कर सकती है।
- **सामाजिक संभाव्यता**
    - खनन क्षेत्रों में संघर्ष और विस्थापन को कम कर सकती है, साथ ही निष्कर्षण (extraction) दबाव को न्यून करके स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार कर सकती है।
    - निर्धनता में कमी लाने हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों उदाहरणार्थ पुनर्चक्रित सामग्री एवं अन्य द्वितीयक कच्चे माल तक पहुंच और वहनीयता में सुधार कर सकती है।
    - भावी पीढ़ियों हेतु संसाधनों के संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकती है।

VISION IAS

- **पर्यावरणीय संभाव्यता**
    - निष्कर्षण (extraction) दबाव को कम करके खनन से संबद्ध पारिस्थितिकीय निम्नीकरण और प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
    - निष्कर्षण, विनिर्माण और उपयोग चरण में ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में कटौती कर सकती है।
    - भू-परिदृश्य और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अवसर प्रदान कर सकती है।

NREP 2019 की मुख्य विशेषताएं

- लाइफ-साईकल के दौरान **प्राथमिक संसाधनों, पदार्थों और क्षेत्रों** को निम्नलिखित तरीके से शामिल करने का लक्ष्य है, जैसे-
    - **संसाधन और पदार्थ**: धातु, अधात्विक खनिज, वायु, जल, भूमि, बायोमास, जीवाश्म ईंधन आदि।
    - **क्षेत्रक (Sectors)**: निर्माण, परिवहन, प्लास्टिक, पैकेजिंग, विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कृषि, धातु उद्योग (इस्पात, एल्यूमीनियम आदि), वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य क्षेत्रक आदि।
    - **अपशिष्ट**: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि।
- संसाधन दक्षता की प्रगति को ट्रैक करने हेतु **संकेतक-**
    - **संसाधन उत्पादकता**- संसाधन आगतों के साथ मौद्रिक निर्गतों का अनुपात।
    - **घरेलू सामग्री का उपभोग**- अर्थव्यवस्था द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्रियों की कुल मात्रा।
    - **घरेलू सामग्री निष्कर्षण**- अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त आगत का उपयोग किया जाना।
    - **प्रत्यक्ष सामग्री आगत**- अर्थव्यवस्था में प्रयोग हेतु सामग्री की प्रत्यक्ष आगत।
    - **अपशिष्ट पुनर्चक्रण संबंधी संकेतक-** उदाहरण के लिए पुनः प्राप्त द्वितीयक कच्चा माल, पुनः प्राप्ति की दर आदि।
- **संस्थागत व्यवस्था**
    - **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता प्राधिकरण (National Resource Efficiency Authority: NREA)**- इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा, जिसे देश भर में संसाधन दक्षता के एजेंडे को संचालित करने हेतु अधिदेशित किया जाएगा। इसमें एक मुख्य कार्यकारी समूह (कोर वर्किंग ग्रुप) और अन्य हितधारकों के सदस्य समूह के साथ एक **सहयोगात्मक संरचना** विद्यमान होगी।
    - **हितधारकों का साझा उत्तरदायित्व-** जैसे कि-
        - **सरकार की भूमिका-** संसाधन दक्षता रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने, डाटा संकलन की सुविधा प्रदान करने, अवसंरचना (जैसे सामग्री पुनर्चक्रण क्षेत्र) की स्थापना करने में इत्यादि।
        - **निर्माता और सेवा प्रदाताओं की भूमिका**- उत्पाद की पुनःप्राप्ति (रिकवरी) और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादों के डिज़ाइन को एकीकृत करने और उत्पादों की एंड-ऑफ-लाइफ (end-of-life: EOL) की प्रबंधन नीति तैयार करने में।
        - **उपभोक्ताओं की भूमिका-** संसाधन दक्ष उत्पादों और सेवाओं की मांग सृजित करने, उत्पादों के साझे उपयोग में संलग्न होने तथा एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) के पश्चात उत्पादों की पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
        - **नागरिक समाज संगठनों की भूमिका-** जागरूकता उत्पन्न करने में (विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों के मध्य) और द्वितीयक पदार्थों के उपयोग का समर्थन करने में।
        - **पुनर्चक्रणकर्ताओं की भूमिका-** परिसर में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण हेतु आवश्यक सांविधिक मानदंडों और मानकों को बनाए रखने में। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक व्यवस्था का भाग बनने का अवसर प्रदान करना।
        - **शैक्षणिक समुदाय की भूमिका-** स्कूलों और कॉलेजों में **'चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)'** और **'संसाधन दक्षता (Resource Efficiency)'** जैसी संकल्पनाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों को आरंभ करना। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए जा सकते है।
- **नीतिगत उपकरण**
    - **विनियामकीय अंतरालो को कम करना**- ताकि लाइफ-साईकल चरणों में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जा सके। इसके लिए उचित दिशा-निर्देश, अनिवार्य गुणवत्ता और डिजाइन मानकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय दायित्व जैसी नई अवधारणाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

VISION IAS

- **नवाचारी बाजार आधारित उपकरणों को डिजाइन करना-** जैसे करों को बाह्यताओं (externalities) की लागतों पर अनिवार्यतः अधिरोपित करना, पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग करने वाले घटकों के लिए कर छूट, इको-लेबल वाले उत्पादों हेतु कर रियायतें और द्वितीयक कच्चे माल की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना।
- **हरित सार्वजनिक खरीद (Green Public Procurement)-** उदाहरण के लिए ऐसी सार्वजनिक निविदाओं को डिजाइन किया जा सकता है जिनमें स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों के लिए कोटा शामिल होता है। एक व्यापक और भलीभांति डिज़ाइन की गई राष्ट्रीय स्तरीय **सतत सार्वजनिक खरीद (SSP)** नीति को कार्यान्वित किया जा सकता है।
- **पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति संरचनाओं का समर्थन करना-** उदाहरण के लिए **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र (Material Recovery Facilities: MRF)** को सक्षम **उपयोग/प्रचलन अवधि उपरांत उत्पादों के एकत्रण** हेतु उपलब्ध बेहतर प्रौद्योगिकी प्रणालियों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।
- **उत्पाद संबंधी उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करना-** विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR) प्रणालियों को रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र से युक्त प्रणाली द्वारा लागू किया जाना चाहिए और इसे अधिक **निर्माता उत्तरदायित्व संगठनों** (Producer Responsibility Organizations: PROs) के निर्माण और मान्यता के द्वारा समर्थित किया जा सकता है।
- **संसाधन कुशल व्यावसायिक मॉडल का निर्माण-** व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) के माध्यम से, चक्रण व्यवसाय मॉडल के लिए आरंभिक वित्तपोषण, समर्पित हरित निधि की व्यवस्था करना आदि।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधन किसी भी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। संसाधन न केवल हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं, बल्कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता, रहन-सहन के उच्च मानकों के लिए मानव आकांक्षाओं की पूर्ति भी करते हैं। यदि इस नीतिगत ढांचे को अक्षरशः लागू किया जाता है तो इससे व्यापक लाभांश प्राप्त हो सकते हैं।

5.6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क

(Environmental and Social Management Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पब्लिक डोमेन में **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF)** जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- प्रारूप पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) **ENCORE (तटीय और महासागर संसाधन दक्षता कार्यक्रम का संवर्धन)** नामक **विश्व बैंक** द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना का भाग है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
- ESMF को ENCORE की विभिन्न उप-परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण और परिचालन के उपयुक्त उपायों के माध्यम से **सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन** के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  - यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर उप-परियोजनाओं को वर्गीकृत करने हेतु उनकी जांच करने के लिए **ENCORE प्रोग्राम हेतु एक उपकरण** है तथा पूर्ण ESIAs **(पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन)** और ESMPs **(पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना)** का उपयोग करके इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए अथवा कुछ सामान्य प्रयासों की आवश्यकता को निर्धारित करता है।
- **इसका उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:**
  - उप-परियोजनाओं के सभी चरणों के दौरान **निर्णय लेने की प्रक्रिया** में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का एकीकरण करना।
  - उप-परियोजनाओं के संवेदनशील नियोजन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन के माध्यम से **सतत पर्यावरणीय तथा सामाजिक परिणामों में वृद्धि करना**।
  - सावधानीपूर्वक नियोजन एवं सुरक्षा उपायों के माध्यम से सांस्कृतिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यावासों पर **प्रभावों को कम करना अथवा रोकना**।
  - उप-परियोजनाओं से **प्रभावित लोगों की आजीविका और जीवन स्तर की पुनर्बहाली** तथा आजीविका अथवा संपत्ति की किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करना।
  - व्यावसायिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के **उच्च कार्य-सुरक्षा मानकों** को अपनाना।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत **एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी** (SICOM), एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP) और ENCORE कार्यक्रमों की एक **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (NPMU)** है।

ESMF की आवश्यकता:

- प्रकृति एवं अवस्थिति के आधार पर परियोजना संबंधी पहलों जैसे कि तटीय संरक्षण के उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका समर्थन के लिए अवसंरचना की सुविधा का विकास आदि के निर्माण और परिचालन एवं रखरखाव चरणों के दौरान परियोजना स्थल के **सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।**
- जब परियोजना स्थल **संवेदनशील क्षेत्रों के निकट होते हैं, तब** ये प्रभाव **महत्वपूर्ण हो जाते हैं।**
  - उदाहरण के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)** में तटीय सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी है, जो कि दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के मध्य एक वैकल्पिक त्वरित संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए निर्मित किए जाने वाले **पूर्वी फ्रीवे (Eastern Freeway)** का भाग है।
- इसलिए, जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व-परिभाषित ढांचे के साथ **व्यवस्थित रक्षोपायों** की आवश्यकता होती है।
- चूंकि सभी परियोजना स्थलों और गतिविधियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए संबंधित **पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान तथा उनका प्रबंधन करने** के लिए, परियोजना हेतु ESMF तैयार करना आवश्यक है।
- ESMF एक नियमावली के माध्यम से संभावित प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करता है, जिसमें परियोजना से संबंधित कार्यों के बारे में पर्याप्त **पर्यावरणीय प्रबंधन** (जोखिम प्रबंधन व प्रभावों) की सुविधा के लिए **कार्यप्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं उपायों** का एक समुच्चय होता है और जिनकी विशिष्ट अवस्थिति अज्ञात होती है अथवा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तित हो सकते हैं।

ESMF की मुख्य विशेषताएं

- **ESMF अंगीकरण फ्रेमवर्क-** इसमें विभिन्न चरण शामिल हैं जैसे: जांच (स्क्रीनिंग) तथा प्रारंभिक पर्यावरणीय व सामाजिक परीक्षण, पर्यावरणीय एवं सामाजिक समीक्षा, पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों का कार्यान्वयन आदि।
- **पुनर्वास संबंधी नीतिगत फ्रेमवर्क-** प्रत्येक परियोजना प्राधिकरण द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण का आयोजन किया जायेगा।
  - सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण अथवा शमन के लिए एक कार्य योजना तैयार जाएगी।
  - पुनर्वास कार्य योजना (RAP) के रूप में प्रारूप शमन योजना को पुनः प्रभावित व्यक्तियों / समुदाय के मध्य प्रसारित किया जाएगा।
- **इंडिजेनस पीपुल्स प्लानिंग फ्रेमवर्क (IPPF)-** परियोजना के लिए जनजातियों के व्यापक सामुदायिक समर्थन के लिए एक सामाजिक मूल्यांकन और निःशुल्क, अग्रिम एवं सूचित परामर्श प्रक्रिया तथा एक जनजातीय योजना (TPP) के रूप में स्वदेशी लोगों के लिए एक साधन का विकास करना।
- **जेंडर एक्शन प्लान-** उप-परियोजना और डिजाइन हस्तक्षेपों की तैयारी के चरण में लैंगिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए जेंडर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
  - किसी भी परियोजना को परियोजना के डिजाइन, निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में महिलाओं की भागीदारी के समक्ष आने वाले अवरोधों का निराकरण करना होगा।
  - परियोजनाओं के अंतर्गत जेंडर और निर्धनता के मध्य संबंध को पहचान कर, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, महिला की मुख्य भूमिका वाले परिवार तथा उन परिवारों की विशेष आवश्यकताओं पर।
- **श्रमिक प्रबंधन फ्रेमवर्क-** चूंकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न हस्तक्षेपों की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, **श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है।** इस फ्रेमवर्क द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि-
  - मेजबान जनसंख्या और संबंधित पर्यावरण पर श्रमिकों के अंतःप्रवास से संबंधित संभावित प्रभावों को न्यूनतम किया जाए।
  - सुरक्षित और स्वस्थ कार्यचालन परिस्थितियों का प्रावधान तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अनुकूल परिवेश उपलब्ध करवाया जाए।
  - राष्ट्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- **शिकायत निवारण तंत्र-** ENCORE कार्यक्रम के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU)** में आवश्यक अधिकारियों, पदाधिकारियों और प्रणालियों सहित **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (GRCs)** के साथ एक एकीकृत प्रणाली को शामिल किया गया है।

VISION IAS

निष्कर्ष

- इसे एक **जीवंत दस्तावेज** की भांति कार्य करना चाहिए तथा इसे परिवर्तित परिदृश्यों और चुनौतियों के अनुसार आवश्यक होने पर अद्यतन किया जाना चाहिए। इसे "एकल (one-off)" निवेश कार्रवाई की बजाय एक **निरंतर प्रक्रिया** होना चाहिए।
- अब तक **तीन तटीय राज्यों** (गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) ने विश्व बैंक के समर्थन से स्थायी तटीय प्रबंधन के लिए ऐसी योजनाएँ तैयार की हैं। इस प्रकार की योजनाओं को अन्य राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के चयनित तटीय भागों के लिए भी निर्मित किया जाना चाहिए।

5.7. कुसुम

(Kusum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) योजना के **कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) के भाग के रूप में, भारत **गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों** से प्राप्त होने वाली विद्युत को **2030 तक 40% तक** करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने** हेतु विस्तृत पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
- इसमें **विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों (जिनमें 2 मेगावाट तक की क्षमता है) को एक-साथ विकसित करने की योजना भी निर्मित की गई है।** इन संयंत्रों को प्रत्यक्षत: वितरण कंपनी के मौजूदा सब-स्टेशनों से जोड़ा जा सकता है।
- ऐसे संयत्रों को उन उप-स्टेशनों के निकट विकसित किया जा सकता है, **जो किसानों को सौर अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं।**
- इसके अतिरिक्त, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने हेतु **कृषि में सिंचाई डीजल पंपों के स्थान पर सोलर ऊर्जा संचालित पंपों और सोलराइज ग्रिड से जुड़े कृषि सिंचाई पंपों का उपयोग करने की योजना है।**
- सौरकरण (Solarisation) के पश्चात् इन पंपों हेतु **डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है** और इस प्रकार विद्युत के कृषिगत उपभोग पर सब्सिडी के भार को भी कम किया जा सकता है।
- यद्यपि **KUSUM योजना को इस वर्ष फरवरी में आरंभ किया गया था,** तथापि इसमें विकेंद्रीकृत ग्रिड्स को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों के सौरकरण (Solarisation) का प्रावधान है।

योजना के लाभ

- इस योजना का **कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन को कम करने** के संदर्भ में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होगा।
- योजना के घटक-B के अंतर्गत सौर उर्जा चालित **कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के आयात पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।**
- इस योजना में कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु **प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की भी क्षमता विद्यमान है।**
- यह उन **किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत भी प्रदान करती है,** जो DISCOM को अधिशेष विद्युत् का विक्रय करने की स्थिति में होंगे।

कुसुम योजना के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य **किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करना** है।
- यह योजना **किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने** और अपने डीजल सिंचाई पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- यह **वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का** लक्ष्य रखती है।

प्रस्तावित योजना में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

घटक	विवरण
घटक-A: इसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।	**घटक A-** • **अधिदेश-** इस घटक के अंतर्गत, **नवीकरणीय विद्युत उत्पादक (RPG) के रूप में संदर्भित किए जाने वाले** अलग-अलग किसानों / किसान-समूहों / सहकारी समितियों / पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के समूह द्वारा 500 किलोवाट से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा या अन्य **नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों (REPP)** की स्थापना की जाएगी। • **विद्युत पारेषण-** RPGs वस्तुतः **पारेषण लाइनों** को बिछाने और ग्रिड कनेक्टिविटी तथा अन्य विनियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। • **विद्युत खरीद समझौता-** यह समझौता विद्युत वितरण कम्पनियों और RPG के बीच सभी आवश्यक शर्तों के साथ निष्पादित किया जाएगा। **RPG** विद्युत वितरण कम्पनियों को **बैंक गारंटी** भी देगा। यदि **RPG** न्यूनतम ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो यह क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। • विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) को **पांच वर्षों की अवधि हेतु 0.40 रुपये की दर से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।** • **सर्वप्रथम इसे 1,000 मेगावाट क्षमता के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा।**
घटक-B: ऑफ-ग्रिड सौर पंप	• **अधिदेश-** इस घटक के अंतर्गत, किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में मौजूदा डीजल कृषि पंपों के प्रतिस्थापन के लिए 7.5 अश्व शक्ति (HP) तक की क्षमता वाले स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से समर्थन प्रदान किया जाएगा। • **सोलर पंपों की आवश्यकताएं-** स्वदेशी सौर सेलों और मॉड्यूलों वाले देश में विनिर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। • **केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत भाग साझा करेंगे** तथा शेष 40 प्रतिशत (जिसमें 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है) व्यय का वहन किसानों को करना होगा।
घटक-C: ग्रिड से जुड़े विद्युत संचालित पंपों का सौरकरण	• **अधिदेश -** इस घटक के अंतर्गत, ग्रिड से संबद्ध कृषि पंप वाले किसानों के (कृषि) पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। किसान अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को विद्युत वितरण कम्पनियों को विक्रय कर दिया जाएगा। • **गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन तंत्र-** इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित प्रणालियों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) तथा MNRE द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों को पूरा करना पड़ेगा। • **सौर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता को किलोवाट (kW) में पंप क्षमता से दोगुना करके** डिस्कॉम्स को अतिरिक्त विद्युत के विक्रय हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। • अधिशेष विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉम्स को 0.60 रुपये प्रति यूनिट का **खरीद आधारित प्रोत्साहन** प्रदान करना।

VISION IAS

	• नेट-मीटरिंग और ऑन-वे ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर दोनों की अनुमति प्रदान की गई है। • केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत भाग साझा करेंगे तथा शेष 40 प्रतिशत (जिसमें 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है) व्यय का वहन किसानों को करना होगा।

चुनौतियां

- **भूजल दोहन में वृद्धि:** हालाँकि, सिंचाई हेतु भूजल पर निर्भरता बढ़ने के कारण कृषि उपज में सुधार हुआ है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप भूजल संसाधनों का तीव्र दर से ह्रास भी हुआ है।
  - यह योजना विशेष रूप से तीव्र दर से घटते जलस्तर वाले राज्यों/क्षेत्रों में, पंप उपयोग और भूजल निकासी की परोक्ष निगरानी को अनिवार्य बनाने अथवा यहां तक कि इस प्रकार का सुझाव देने में भी विफल रही है।
  - अधिसंख्यक सौर पंपों के माध्यम से नि:शुल्क विद्युत से जल के अत्यधिक दोहन के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा सुरक्षित क्षेत्रों (पर्याप्त भूजल वाले क्षेत्रों) में भी जल स्तर के जोखिमग्रस्त होने की संभावना उत्पन्न होगी।
- **कुशल डिस्कॉम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपायों का अभाव:** यह योजना कुशल डिस्कॉम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम को पाँच वर्ष के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट (या 6.6 लाख रुपये प्रति मेगावाट) खरीद-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। हालांकि, **ऑन-ग्रिड पंप (ग्रिड संबद्ध पंप) के संदर्भ में** इस प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।
- **सब्सिडी भार में वृद्धि:** हालाँकि कुसुम का उद्देश्य राज्य डिस्कॉम के सब्सिडी भार को कम करना है, किन्तु सब्सिडी में कटौती को सुनिश्चित करने हेतु इसमें कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा प्रावधान निर्धारित नहीं किए गए हैं। सब्सिडीकृत सौर पंपों को कृषि आपूर्ति में कटौती किए बिना अथवा सब्सिडी में कमी किए बिना अधिष्ठापित किया जा रहा है। इसलिए, राज्यों के कुल सब्सिडी भार में वृद्धि हो सकती है।
- **लक्षित लाभार्थी की अनुपस्थिति:** अब तक सौर पंप योजनाएं प्रायः लक्षित समूह (छोटे किसानों) को लाभ पहुंचाने में विफल रही हैं। अधिकांश सब्सिडीकृत सौर पंप बड़े किसानों द्वारा अधिष्ठापित किए गए हैं। कुसुम योजना में कृषि भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विकल्प के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी जिससे छोटे किसान इस योजना से लाभान्वित होने में असक्षम होंगे।
- **वित्तपोषण तंत्र का अभाव:** इस योजना में 40 प्रतिशत तक वित्तपोषण किसान द्वारा किया जाना है, जिसमें से 30 प्रतिशत बैंकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक कुशल वित्तीय प्रणाली का विकास आवश्यक है, जो वर्तमान में ग्रामीण भारत में अनुपस्थित है। इस प्रकार के कार्यों को किस प्रकार सम्पादित किया जाएगा, ये दिशा-निर्देश इस संबंध में सुझाव प्रदान करने में विफल सिद्ध हुए हैं।
- **लाभार्थी का अस्पष्ट चयन:** कुसुम योजना के ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड घटक लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, हालांकि लाभार्थियों के चयन के लिए उद्देश्य मानदंडों को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभार्थियों का चयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा।

आगे की राह

- **भूजल निष्कर्षण की निगरानी:** सौर पंप योजनाओं में भूजल निष्कर्षण के प्रबंधन के लिए निगरानी एवं नियंत्रण संबंधी सुस्पष्ट और कठोर उपायों को अपनाया जाना चाहिए। केवल ऐसे उपायों को करने के इच्छुक राज्य को ही सौर सिंचाई पंप योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **कृषि प्रशुल्क में वृद्धि:** फीडरों का सौरकरण करना सबसे किफायती समाधान हो सकता है, किन्तु इसके साथ-साथ कृषि प्रशुल्कों में क्रमिक वृद्धि और विद्युत आपूर्ति की समयावधि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मिनी ग्रिड मॉडल:** ऑफ-ग्रिड पंपों को केवल विशेष मामलों अर्थात् अपेक्षाकृत उच्च भूजल स्तर वाले विद्युत् आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में अधिष्ठापित किया जाना चाहिए तथा मिनी-ग्रिड मॉडल के माध्यम से इनके उपयोग में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे अतिरिक्त विद्युत का उपयोग घरों में अथवा अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सके।
- **लघु एवं सीमांत किसानों को लक्षित और प्रोत्साहित करना:** लघु एवं सीमांत किसानों को सौर पंप प्रदान करने हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इन्हें वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करने हेतु इस खंड को एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- **विनियामकीय उपाय:** कुशल डिस्कॉम परिचालनों को पंप के अधिष्ठापन, परिचालन, निकासी, बिलिंग और किसानों को भुगतान के संबंध में नियमित रिपोर्टिंग हेतु नियामक अधिदेश के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- ऑन-ग्रिड पंप अत्यधिक किसान असंतोष वाले जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक विकल्प हो सकता है, किन्तु जल की निकासी को सीमित करने के लिए **पर्याप्त और एक-तरफा विद्युत प्रवाह (नेट मीटर के विपरीत)** आवश्यक है।
- **राज्यों के मध्य असमानता संबंधी मुद्दों का समाधान करना:** कुसुम (KUSUM) का लक्ष्य सौर पंप अधिष्ठापन और सिंचाई तक पहुँच के संदर्भ में राज्यों के मध्य विद्यमान असमानता को कम करना होना चाहिए। यह असमानता निर्धन राज्यों द्वारा सौर पंप के लिए अल्प बजट आवंटन एवं राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा पहल की कमी को प्रदर्शित करती है।
    - वर्ष 2022 तक 17.5 लाख ग्रिड पंपों की अधिक न्यायसंगत स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र को संबद्ध वित्तीय सहायता को लक्षित करने के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सहकर्मी अधिगम (पीयर लर्निंग) हेतु मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

5.8. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान

(Payment for Ecosystem Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के पहले **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (Payment for Ecosystem Services: PES) समझौते** के परिणाम भारत में दिखाई देने लगे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- हिमाचल प्रदेश की ग्राम वन विकास समिति (Village Forest Development Society: VFDS) और पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल (PMC) के मध्य पहले PES समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते को अक्टूबर 2010 में ही औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया था। यह जल की सतत आपूर्ति और जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक ग्रामीण-शहरी अनुबंध मॉडल (rural-urban engagment model) है।
- उल्लेखनीय है कि, देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रकों (यथा-कृषि और वानिकी) पर निर्भर है। ऐसे में जल की उपलब्धता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर संकट के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बनाए रखने वाली प्रजातियों सहित प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए भी ख़तरे का कारण बन सकता है।
- पालमपुर का यह PES मॉडल वस्तुतः जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देश के विभिन्न भागों में अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

PES समझौता

- इसमें **निर्दिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान** के प्रतिफल में भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधकों का भुगतान (जो अन्यथा भुगतान के अभाव में प्रदान किया जाएगा) शामिल है।
    - **पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं (Ecosystem services)** वस्तुतः वे लाभ हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, जैसे- भोजन, जल, टिम्बर (इमारती लकड़ी) और फाइबर (रेशे); मृदा निर्माण और पोषण चक्र जैसे कार्य भी इसमें अंतर्निहित होते हैं।
- विभिन्न हितधारक, स्वैच्छिक आधार पर PES समझौतों में शामिल होते हैं और ऐसा करने के लिए वे किसी भी तरह से बाध्य नहीं होते हैं।
- इस प्रकार, PES जलवायु विनियमन, जल गुणवत्ता विनियमन व वन्यजीवों के लिए आवास के प्रावधान जैसे **पहले से कीमत रहित (un-priced) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर मूल्य आरोपित करने का अवसर प्रदान करता है** और ऐसा कर, यह उन्हें व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करता है।
- PES की यह विलक्षणता वस्तुतः 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (polluter pays principle) के विपरीत 'लाभार्थी भुगतान सिद्धांत' (beneficiary pays principle) पर केंद्रित होने से उत्पन्न होती है।

- यदि वांछित सेवा को प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला भुगतान किसी अन्य वैकल्पिक साधन से कम है, तो खरीदार के दृष्टिकोण से PES सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त जल उपचार के लिए भुगतान करने की तुलना में बेहतर जलग्रहण प्रबंधन के लिए भूमि प्रबंधकों को भुगतान करना, जल की उपयोगिता के लिए यह कम महंगा हो सकता है।
- PES योजनाएं विक्रेता के दृष्टिकोण से सकारात्मक हो सकती हैं, यदि प्राप्त भुगतानों का स्तर सहमत हस्तक्षेपों को लागू करने के परिणामस्वरूप कवर न किए गए किसी भी रिटर्न के मूल्य को कवर करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान संवर्धित जल भंडारण हेतु तालाब का निर्माण कराने हेतु तैयार हो सकता है, यदि उसे प्राप्त भुगतान में कम से कम ऐसा करने की लागत के साथ बर्बाद हुए कृषि उत्पादन से जुड़ी लागत भी शामिल हो।

5.9. डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने की केंद्र की योजना

(Centre to Launch Deep Ocean Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अक्टूबर 2019 में महत्वाकांक्षी **'डीप ओशन मिशन'** का शुभारंभ करेगा। इस मिशन का उद्देश्य विशाल समुद्री संसाधनों का दोहन करना है। उल्लेखनीय है कि भारत से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय जल (international waters) में अभी तक लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र का उपयुक्त दोहन नहीं किया जा सका है।

पॉली-मेटालिक नोड्यूल (Poly-Metallic Nodules)

- पॉलीमेटालिक नोड्यूल को मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है। ये नोड्यूल एक कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की संकेंद्रित परतों से निर्मित चट्टानीय पिंड (rock concretions) होते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, केंद्रीय हिंद महासागर के समुद्र तल में 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉली-मेटालिक नोड्यूल उपलब्ध हैं।
- भारत वर्ष 1987 में पॉलीमेटालिक नोड्यूल का अन्वेषण और उपयोग करने हेतु एक अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश था। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा भारत को **मध्य हिंद महासागर बेसिन** में नोड्यूल का अन्वेषण और उपयोग करने हेतु एक अनन्य क्षेत्र भी आवंटित किया गया।
- 26 जनवरी 1981 को प्रथम रिसर्च वेसल **गवेषनी (Gaveshani)** द्वारा अरब सागर से प्रथम नोड्यूल नमूना एकत्र करने के साथ ही CSIR-NIO में पॉली मेटैलिक नोड्यूल्स से संबंधित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

डीप ओशन मिशन (DOM) के बारे में

- इसका उद्देश्य गहरे महासागरों में गहन समुद्री खनन संबंधी संभावनाओं का अन्वेषण करना है।
- इस मिशन का लक्ष्य इसरो द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व आरंभ किए गए अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के समान गहरे समुद्र का अन्वेषण करना है।
    - यह एक एकीकृत कार्यक्रम होगा, जहां सरकार के कई वैज्ञानिक विभाग जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), जैव प्रद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग (DST), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) महासागरीय संसाधनों के संधारणीय दोहन के लिए एक साथ कार्य करेंगे।
- इस मिशन का फोकस गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा जैसे कि अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर रोबोटिक्स तथा ओसियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज इत्यादि।
- DOM के तहत योजनाबद्ध दो प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं;
    - **ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विलवणीकरण संयंत्र; और**
    - **एक पनडुब्बी यान, जो लगभग 6,000 मीटर की गहराई तक अन्वेषण संबंधी कार्य करेगा।**
- **इस क्षेत्र में हुई प्रगति**
    - इसमें 18,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ प्रथम पीढ़ी खनन-स्थल (First Generation Mine-site: FGM) की पहचान की गई है।
    - दूरस्थ रूप से संचालित पनडुब्बी **(ROSUB 6000):** यह 6,000 मीटर की गहराई पर संचालन करने में सक्षम है। ज्ञातव्य है कि इसे पूर्व में ही विकसित किया जा चुका है और इसका 5,289 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन (Central Indian Ocean Basin: CIOB) में खनन क्षेत्र के विस्तृत भू-तकनीकी लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक सुदूर संचालन योग्य **इन-सीटू साइल टेस्टिंग इक्विपमेंट** भी विकसित किया गया है।
- **'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (O-SMART)'** नामक सरकार की एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत इन तकनीकी विकासों का वित्तपोषण किया गया।

भारत के लिए DOM का महत्व

- भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। EEZ वस्तुतः UNCLOS द्वारा निर्धारित समुद्री क्षेत्र की वह सीमा है, जो समुद्री संसाधनों के अन्वेषण एवं उनके उपयोग के संदर्भ में किसी राष्ट्र को विशेष अधिकार प्रदान करती है।
- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल (PMN) के दोहन हेतु 'UN इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी' द्वारा CIOB में भारत को 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया है। यहाँ अनुमानित पॉलीमेटेलिक संसाधन क्षमता लगभग 380 मिलियन टन है।
- इस आरक्षित भंडार के केवल 10% संसाधनों का दोहन करने से अगले 100 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।
- महासागरीय अधस्तर के संबंध में शोध और अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
- इसके द्वारा अंडर वाटर व्हीकल्स एवं अंडर वाटर रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकियों के नवाचार में सहायता प्राप्त होगी तथा महासागरीय अनुसंधान क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार होगा।
- इससे महासागर विज्ञान के क्षेत्र में वृहद रोज़गार एवं व्यावसायिक अवसरों का सृजन होगा।
- इस मिशन द्वारा देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी का लाभ उठाने में सहयोग प्राप्त होगी।

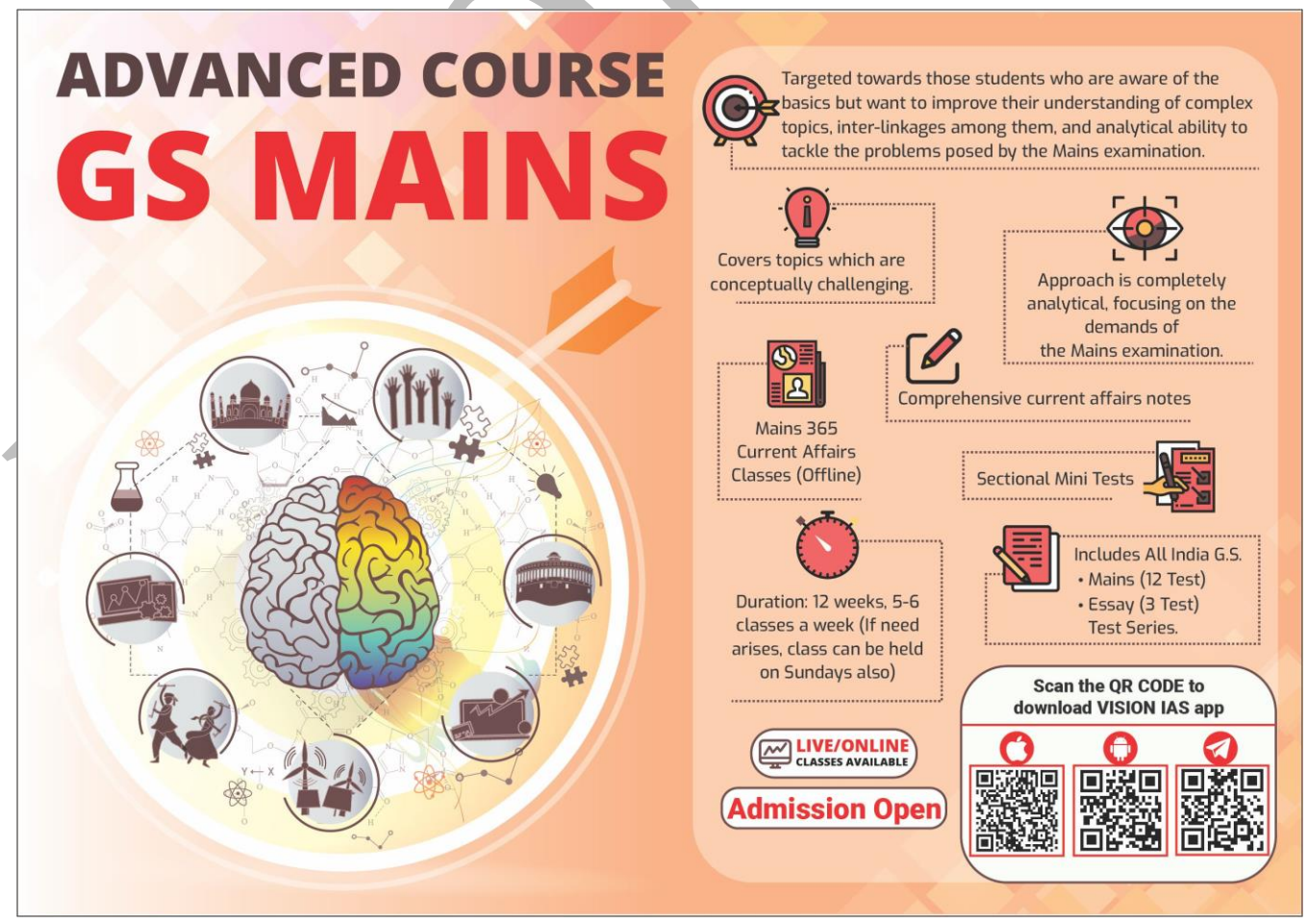

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

{The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019** को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह शाह बानो वाद के पश्चात् अधिनियमित **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986** {Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986} को प्रतिस्थापित करेगा।

2019 के इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **यह तत्काल तीन तलाक व्यवस्था (तलाक-ए-बिद्दत) को निरर्थक एवं गैर-कानूनी घोषित करता है।**
- यह अधिनियम **तत्काल तीन तलाक प्रथा** को **एक दंडनीय अपराध** घोषित कर, इस संबंध में **तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है।
- इसे (तालक देने अथवा कहने को) **संज्ञेय अपराध** के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो उक्त स्थिति में इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ज्ञातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हों तो यह अधिनियम **निकाह हलाला** की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी **सुलह हेतु अवसर** प्रदान करता है।
- **भत्ता:** जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि **मजिस्ट्रेट** द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- **अभिरक्षा (कस्टडी):** जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है, वह अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीकों का निर्धारण **मजिस्ट्रेट** द्वारा किया जाएगा।

शाह बानो वाद के बारे में

- शाह बानो वाद वस्तुतः मुस्लिम महिलाओं हेतु न्याय की प्राप्ति की दिशा मे **एक महत्वपूर्ण उपलब्धि** तथा **व्यैक्तिक कानून पर राजनीतिक संघर्ष** की शुरुआत थी।
- इस वाद में एक 60 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति (तलाक दिए जाने के बाद) से जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु न्यायालय में याचिका दायर की दी गई थी। जिसमें न्यायालय ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया था। शाह बानो को **आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत** अपने पूर्व पति से **जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु अधिकृत** किया गया था।
- हालांकि, तत्कालीन सरकार द्वारा **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986** को अधिनियमित किया गया। इसके तहत मुस्लिम महिला को तलाक के पश्चात् **इद्दत (लगभग तीन माह) की अवधि के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार** प्रदान किया गया और उसके भविष्यगामी जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर स्थानान्तरित कर दिया गया।
- इस अधिनियम को **भेदभावपूर्ण** माना गया, क्योंकि इसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आवश्यक जीवन निर्वाह के अधिकार से वंचित कर दिया था, जो धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत अन्य धर्मों की महिलाओं को प्राप्त था।

2017 के मूल विधेयक में किए गए परिवर्तन

- प्रथम, यह अधिनियम केवल तब ऐसे **अपराध को संज्ञेय के** रूप में वर्णित करता है, जब किसी महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है;
- द्वितीय, **इस अपराध को समाधेय (compoundable) स्वीकार किया गया है**, अर्थात् संबंधित पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते हैं; और
- तृतीय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि **मजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत** दे सकता है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

ये संशोधन न केवल पत्नी को तत्काल तीन बार तलाक अभिव्यक्त करने वाले **एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कानून के प्रवर्तन से तृतीय पक्ष को रोकने के द्वारा अधिनियम के दुरुप्रयोग की संभावनाओं को निरुद्ध करेगा** बल्कि जमानत और समझौते की अनुमति प्रदान करते हुए **विवाह को आगे जारी रखने की संभावनाओं** हेतु मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

अधिनियम के पक्ष में तर्क

- **कठोर कानून की आवश्यकता:** वर्ष 2017 के अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को **भेदभावपूर्ण प्रकृति** का माना था। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 **मुस्लिम महिलाओं को मनमाने तत्काल तलाक देने की प्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान** करता है।
  - एक कठोर कानून के बिना **मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय (जेंडर जस्टिस)** को वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।
- अपराध के रूप में घोषित किए जाने से, तीन तलाक के प्रयोग कम होंगे और **दोषी पति को दण्डित करवाने के अतिरिक्त पर्याप्त निर्वाह भत्ता व बच्चों की अभिरक्षा** प्राप्त करने में यह अधिनियम महिलाओं की सहायता करेगा।
- **भारत में इस कानून को पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अन्य मुस्लिम बहुल देशों के कानूनों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है।** धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले देश में यह दीर्घकाल से ही अपेक्षित था।
  - **इस्लामी धर्मग्रंथों में भी तीन तलाक को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।** अत्यधिक मुस्लिम आबादी वाले प्रदेशों से अस्वीकृत तथा इस तथ्य के बावजूद कि **शरिया कानूनों** का पालन करने वाले **कई मुस्लिम देशों** ने भी इसमें किसी न किसी तरीके से सुधार करने की बात की है, जैसे कि कई मामलों में इसे दंडात्मक घोषित किया गया है।
- **अन्य धार्मिक समुदायों (हिंदुओं और ईसाइयों) के व्यैक्तिक कानूनों** द्वारा उत्तराधिकार एवं बहुविवाह के मामलों में लैंगिक समानता से संबंधित कुछ चिंताओं का निवारण किया गया है। इसलिए, यह कानून **सभी धर्म और स्त्री-पुरुषों** के मध्य **समान नागरिक संहिता** स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।

तलाक/अलगाव के विभिन्न रूप

- **तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)** को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार में, फोन या लिखित संदेश या तलाकनामा में उल्लेख के माध्यम से तीन तलाक का उच्चारण करता है, या लिखता है, तो तलाक को तत्काल प्रभावी या अटल (irrevocable) माना जाता है, भले ही वह व्यक्ति बाद में पुन: सुलह करने का इच्छुक हो।
  - ऐसे दंपत्ति के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में वापस आने का एकमात्र तरीका **निकाह हलाला** है। इसके उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग पुन: जीवनयापन कर सकती है।
  - धर्म-ग्रंथों में **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा को घृणित माना गया है, परन्तु विधि द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गयी थी।
- **तलाक-उल-सुन्नत:** इसके अंतर्गत, पति द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात् पत्नी को तीन माह की इद्दत अवधि का पालन करना होता है तथा इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान, दंपति के मध्य सहवास की स्थिति में तलाक अमान्य हो जाता है।
  - हालांकि, इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने और पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम होता है।
  - इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन का आदर्श रूप माना जाता है।
- **निकाह हलाला:** इस प्रथा के तहत तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाली मुस्लिम महिला को अन्य पुरुष से निकाह करना होता है और निकाह पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व पति से तलाक लेना होता है। केवल तभी वह अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने की पात्र हो सकती है।

अधिनियम के विपक्ष में तर्क

- **दीवानी चूक को आपराधिक घोषित करता है (Criminalising a civil wrong):** यह अधिनियम स्वतंत्र भारत का ऐसा प्रथम मामला बन गया है जहां विवाह और तलाक जैसे **दीवानी मामलों** हेतु आपराधिक प्रावधान किये गए हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या वैवाहिक त्रुटि की स्थिति में मुकदमा और कारावास के प्रावधान तर्कसंगत हैं।
- **आनुपातिकता का मुद्दा (Issue of proportionality):** अर्थदंड के अतिरिक्त, तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान, **आनुपातिकता के मुद्दे** को प्रदर्शित करता है। यह **अधिनियम** संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह **दोषी मुस्लिम पुरुषों हेतु तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है, जबकि गैर-मुस्लिम पुरुषों के लिए ऐसे ही अपराध हेतु केवल एक वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है।

- **जवाबदेही का मुद्दा:** ऐसे मामलों में तीन तलाक कानून विफल हो जाएगा, जब पति द्वारा दिए गए मौखिक तीन तलाक के समय उक्त दंपत्ति के अतिरिक्त वहाँ कोई और उपस्थित न हो। ऐसे में साक्ष्य संबंधी तथ्यों को प्रस्तुत कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए एक कठिन कार्य होगा।
- ऐसी चिंताएँ बनी हुई हैं कि यह अधिनियम **तलाक और परित्याग** जैसी गतिविधियों में वृद्धि कर सकता है। यह चिंता का मुद्दा बना रहेगा क्योंकि ऐसे मामलों में जेल से वापस आने पर पति द्वारा पत्नी (जिसकी शिकायत पर वह जेल गया था) को अपनाए जाने की अत्यल्प संभावना होगी।

निष्कर्ष

- तीन तलाक को आपराधिक मामले के रूप में वर्णित करने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 का पारित होना, लैंगिक समानता और न्याय तथा भारत के विधायी इतिहास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- हालांकि, **तत्काल तलाक से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के निपटान हेतु सुदृढ़ विधिक ढांचे पर** सामाजिक प्रतिक्रिया संबंधी परिणामों के आधार पर पुन: चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।
- दीवानी और व्यैक्तिक कानूनों में विद्यमान लैंगिक असमानताओं के निवारण हेतु सरकार को विधि आयोग से बोर्ड में **सभी दीवानी कानूनों की समीक्षा करने हेतु कहा जाना चाहिए** क्योंकि, **जीवनसाथी के परित्याग से संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु भारत में एक धर्म-निरपेक्ष व लैंगिक रूप से तटस्थ कानून की आवश्यकता है।**

6.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

{Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा द्वारा **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019** पारित किया गया है।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा: यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति** को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग के अनुरूप नहीं होता है। इसमें ट्रांस-मैन और ट्रांस-वुमन (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसे ही अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं), मध्यलिंगी (इंटरसेक्स) भिन्नताओं वाले व्यक्ति, जेंडर क्वियर और किन्नर तथा हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- **पहचान संबंधी चयन का अधिकार:** व्यक्ति को यह चयन करने का अधिकार होगा कि वह लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा या हार्मोन थेरेपी पर ध्यान दिए बिना **पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर** के **रूप में पहचाना जाए।** यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु ट्रांस-पर्सन्स के रूप में प्रमाणित होने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणन आवश्यक बनाता है।
- **भेदभाव के विरूद्ध प्रतिबंध:** यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध भेदभाव को निषिद्ध करता है।
  - **कोई भी सरकारी या निजी संस्था** भर्ती और पदोन्नति सहित रोजगार के मामलों में **ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती।** प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए इस अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने हेतु एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के तौर पर पदस्थापित करना आवश्यक है।
- **निवास का अधिकार: प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में रहने और अपने परिवार में सम्मिलित होने का अधिकार है।** यदि निकटतम परिवार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।
- **कल्याणकारी उपाय:** विधेयक में कहा गया है कि संबंधित सरकार **उनकी सुरक्षा और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार सुनिश्चित करने, ट्रांसजेंडर संवेदनशील योजनाएँ** निर्मित करने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उपाय करेगी।
- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी:
  - एक पृथक HIV निगरानी केंद्र;
  - चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करना, जिसमें लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा और हार्मोनल थेरेपी; पूर्व एवं पश्चात् लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा तथा हार्मोनल थेरेपी परामर्श सम्मिलित है;
  - अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुविधाजनक बनाना; एवं
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएँ उपलब्ध कराना।

VISION IAS

- **जुर्माना और दंड:** इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों या यौन उत्पीड़न के मामले में जुर्माने और दंड का भी प्रावधान है, जो छह माह से लेकर दो वर्ष तक हो सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - बलात या बंधुआ मजदूरी (सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवाओं को छोड़कर);
  - सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित करना;
  - परिवार और गांव से निष्कासन; एवं
  - शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (National Council for Transgenders: NCT):** यह विधेयक केंद्र सरकार को NCT का गठन करने का निर्देश देती है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा की जाएगी।
  - यह परिषद केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कानूनों और परियोजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी भी करेगी। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा भीख मांगने को अपराध बनाने वाला विवादास्पद प्रावधान विधेयक से हटा दिया गया है।** यह प्रावधान विगत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का भाग था।

इस विधेयक से संबंधित मुद्दे

- इस विधेयक में **स्व-पहचान संबंधी अधिकार प्रदान नहीं** किया गया है, जैसा कि वर्ष 2014 के NALSA निर्णय में वादा किया गया था। **जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध** में प्रावधान किए गए हैं।
  - यह **लिंग मान्यता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों के भी विपरीत** है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पुनर्निर्धारण की कानूनी और चिकित्सा प्रक्रियाओं को पृथक करने की व्यवस्था करता है।
- यह विधेयक **जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के "सही होने" का मूल्यांकन करने** और यह निर्णय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या लिंग प्रमाण-पत्र में परिवर्तन जारी करना है या नहीं, परन्तु यह इस संबंध में दिशा-निर्देश नहीं देता है कि यह निर्णय कैसे किया जाएगा। यह विधेयक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए निर्णय की अपील या समीक्षा के प्रावधानों का भी उल्लेख नहीं करता है।
- जैसा कि NALSA निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, यह विधेयक रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में **किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।**
- यह विधेयक इस तथ्य पर कोई विचार नहीं करता है कि क्या पुरुष या महिला लिंग प्रमाण-पत्र रखने वाले ट्रांस-पर्सन्स की, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लाई गयी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच होगी या नहीं।
- वर्तमान में लागू कुछ आपराधिक और व्यक्तिगत कानून केवल 'पुरुष' और 'महिला' लिंग को ही मान्यता प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर कैसे लागू होंगे, जिनकी दोनों में से किसी लिंग से पहचान नहीं की जा सकती है।
- इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों तथा ट्रांसजेंडर्स अधिकार न्यायालयों जैसे संस्थानों के निर्माण संबंधी प्रावधान सम्मिलित नहीं है, जो पूर्व प्रारूप विधेयक में शामिल थे।

ट्रांसजेंडर की स्थिति पर हालिया निर्णय

- वर्ष 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने **NALSA बनाम भारत संघ वाद** में निर्णय दिया था कि - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें सभी मूल अधिकारों का उपभोग करना चाहिए, साथ ही उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशिष्ट लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
- वर्ष 2018 में, LGBT व्यक्तियों की गोपनीयता और गैर-भेदभाव को बनाए रखने वाले ऐतिहासिक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय द्वारा औपनिवेशिक-युग के उस कानून को रद्द कर दिया गया, जो सहमतिपूर्ण समान-लिंग संबंधों को आपराधिक बनाता था।
- हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत "दुल्हन" शब्द में ट्रांस-महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पुरुष व ट्रांसजेंडर महिला के मध्य संपन्न विवाह का पंजीकरण करने का निर्देश भी दिया है।

VISION IAS

आगे की राह

- ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों के संबंध में **ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों और समाज के अन्य सदस्यों को संवेदनशील बनाना** आवश्यक है।
- जहां विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योजनाएँ तैयार की हैं, वहीं नीति निर्माण और कार्यक्रम विकास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है।
  - तमिलनाडु सरकार शिक्षा, पहचान-पत्र, रियायती भोजन और नि:शुल्क आवास प्रदान करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विकास हेतु उपाय कर रही है।
  - केरल सरकार ने "आत्म-सम्मान के साथ जीवनयापन का अधिकार" प्रदान करने के लिए "केरल में ट्रांसजेंडर्स के लिए राज्य नीति, 2015" का निर्माण किया है।
- विधिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों पर सशक्त और संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। उनकी सुरक्षा के लिए सभी पुलिस थानों में विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए।
- सरकार को महिलाओं के अतिरिक्त पुरुषों एवं ट्रांसजेंडर्स को भी सम्मिलित करते हुए लैंगिक अपराधों को लैंगिक तटस्थ बनाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन करना चाहिए।

6.3. सरोगेसी विधेयक

(Surrogacy bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019** पारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **सरोगेसी** ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत एक महिला बच्चे की इच्छा रखने वाली किसी अन्य महिला के लिए इस आशय से गर्भ धारण करती है कि जन्म के पश्चात् बच्चे को उस महिला को सपुर्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सरोगेसी व्यवस्था की प्रकृति **परोपकारी** या **व्यावसायिक** हो सकती है।
- सरकार ने संसद में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया था, जिसकी स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी।
- पिछली लोकसभा के विघटन के पश्चात्, उक्त विधेयक व्यपगत हो गया और अब इसे प्रस्थापित करने हेतु यह विधेयक लाया गया था।

सरोगेसी के बारे में अधिक जानकारी

- **परोपकारी सरोगेसी (Altruistic Surrogacy):** इसके अंतर्गत दंपत्ति, सरोगेट माता को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सीय और बीमा व्ययों के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करते हैं।
- **कॉमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसी:** इसमें सरोगेट माता को क्षतिपूर्ति (नकद या वस्तु में) प्रदान की जाती है, जो गर्भावस्था से संबद्ध उचित चिकित्सा व्यय से अधिक होता है।
- भारत अन्य देशों के दंपत्तियों के लिए सरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा है, परन्तु अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से जन्मे बच्चों के परित्याग तथा मानव भ्रूण एवं युग्मकों का आयात करने वाले बिचौलियों से जुड़े रैकेटों के संबंध में रिपोर्टें सामने आई हैं।
- जुलाई 2012 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सम्पूर्ण देश में 3000 से अधिक प्रजनन क्लीनिकों के साथ सरोगेसी व्यवसाय 400 मिलियन डॉलर से अधिक का है।
- विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करने और उपयुक्त कानून के प्रवर्तन के द्वारा परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी।
- सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (CSR) के अनुसार, माताओं को सरोगेसी के लिए प्रेरित करने का कारण सामान्यत: निर्धनता और शिक्षा का अभाव है, जो आगे शोषण को चुनौती देने की उनकी अक्षमता को सुनिश्चित करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **कॉमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसी का निषेध:** जिसमें मौद्रिक लाभ या पुरस्कार (नकद या वस्तु के रूप में) के लिए सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं तथा ये लाभ मौलिक चिकित्सा व्ययों और बीमा कवरेज से अधिक होते हैं।
  - यह बच्चों की बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए भी सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

- परन्तु यह विधेयक **परोपकारी सरोगेसी** की अनुमति देता है, जहां सरोगेट माता को इस प्रकार की कोई अन्य मौद्रिक क्षितपूर्ति प्रदान नहीं की जाती है।
- **अन्य उद्देश्य, जहां सरोगेसी की अनुमति दी गयी है:** इसमें उन दंपत्तियों को सम्मिलित किया गया है, जो बंध्यता (infertility) की समस्या से ग्रस्त हैं।

- **विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित करता है:**
  - **इच्छुक दंपत्ति के लिए-** जिनके पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाण-पत्र' (certificate of essentiality) और 'पात्रता प्रमाण-पत्र' (certificate of eligibility) होना चाहिए।
    - अनिवार्यता प्रमाण-पत्र माता-पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की सिद्ध बंध्यता, (मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित बच्चे के माता-पिता होने के आदेश और बीमा कवरेज) जैसे आधारों पर जारी किया जाएगा।
    - दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
      - दंपत्ति भारतीय नागरिक हों और कम से कम पांच वर्षों से विवाहित हों;
      - पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के मध्य हो;
      - उनका कोई जीवित बच्चा (जैविक, गोद लिया गया या सरोगेट) न हो; और
      - इसमें मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त या किसी प्राणघातक विकार या रोग से पीड़ित बच्चा शामिल नहीं होगा।
- **सरोगेट माता के लिए,** यह अनिवार्य है कि वह -
  - इच्छुक दंपत्ति की निकट संबंधी हो;
  - विवाहित महिला हो, जिसकी स्वयं की संतान हो;
  - 25 से 35 वर्ष की आयु की हो;
  - अपने जीवन में केवल एक बार ही सरोगेट माता बने; तथा
  - सरोगेसी के लिए चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र धारक हो।
- **प्राधिकरणों की स्थापना:** विधेयक के अधिनियम बनने के 90 दिनों के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, **राष्ट्रीय या राज्य सरोगेसी बोर्ड सहित एक या एक से अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों का गठन** करेंगी। सरोगेसी क्लीनिकों के विनियमन के अतिरिक्त, वे मानकों को लागू करेंगी, विधेयक के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की जांच करेंगी और नियमों एवं विनियमों में संशोधन की अनुशंसा करेंगी।
- **सरोगेट बच्चे के माता-पिता होने का अधिकार और गर्भपात:** सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान स्वीकार किया जाएगा। सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माता की लिखित सहमति और उचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। यह अनुज्ञप्ति गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971) के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरोगेट माता के पास भ्रूण के गर्भ में प्रत्यारोपित करने से पूर्व सरोगेसी अस्वीकृत करने का विकल्प होगा।
- यह विधेयक इसके प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों के विषय में कई प्रकार के **अपराध और दंड** निर्दिष्ट करता है।

विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **अनेक हितधारकों को शामिल नहीं किया गया है:** जैसे कि सरोगेसी के माध्यम से बच्चे की इच्छा रखने वाले अविवाहित दंपत्ति, समलैंगिक युगल और एकल पुरुष एवं महिला।
  - लिव-इन पार्टनर्स को विधेयक के दायरे से बाहर रखने का निर्णय इस तथ्य का द्योतक है कि यह विधेयक वर्तमान आधुनिक सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिव-इन संबंधों को विधायी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- **परोपकारी सरोगेसी पर स्पष्टता का अभाव:**
  - यह केवल विवाहित दंपत्ति के "निकट संबंधी" को "परोपकारी सरोगेसी" की अनुमति प्रदान करता है, परन्तु यह "निकट संबंधी" शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
  - संसदीय स्थायी समिति ने यह अवलोकन किया है कि, 'परोपकारी' सरोगेसी की परिभाषा पितृसत्तात्मक संरचना हेतु उपयुक्त नहीं हो सकती है। सरोगेट के अवपीड़ित होने की संभावना है और इस व्यवस्था से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो इस विचार को दृढ़ करता है कि महिला का शरीर उसका स्वयं का नहीं होता।

VISION IAS

- इसने भारतीय समाज की गतिशील संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति कदाचित ही महिलाओं में निहित होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुनः, आर्थिक रूप से असक्षम संबंधी को सरोगेट माता बनने के लिए विवश किया जा सकता है। परिवार के दबाव के कारण निकट संबंधियों के मामले में अवपीड़न व शोषण की संभावनाएं भी अधिक होती हैं।
- अन्य देशों में परोपकारी सरोगेसी विफल रही है और इसका परिणाम सहायता दिए जाने के कई अन्य रूपों में सामने आया है, हालांकि धन का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

- **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं हो सकता है:**
  - व्यावसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध से इस उद्यम को क्षति पहुंच सकती है और यह सरोगेट माताओं को और भी अधिक सुभेद्य बना सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, प्रयासों को शोषण संबंधी चिंताओं का निवारण करने पर, न कि कई निर्धन महिलाओं के आजीविका स्रोत को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित होना चाहिए था। अत: उनकी कामकाज की स्थितियों में सुधार, उनके लिए प्रक्रिया को सुरक्षित और संरक्षित बनाने तथा उनके लिए उनकी अनुबंध की शर्तों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए था।

निष्कर्ष

भारत विश्व में सरोगेसी के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जिसके लिए सरोगेट माता, इस प्रकार जन्म लेने वाले बच्चे और साथ ही सम्मिलित माता-पिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली सुपरिभाषित कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है।

- **विधेयक के प्रावधान** सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों के **शोषण की रोकथाम करेंगे**। व्यापक संख्या में सरोगेट माताएं वे निर्धन या निरक्षर महिलाएं हैं, जिनकी अपने संविदात्मक अधिकारों पर कमजोर पकड़ हो सकती है।
- अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही सरोगेसी की सीमा आरोपित करके विधेयक **माता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है,** क्योंकि निर्धनता के कारण सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं के लिए यह निर्धनता उन्मूलन का कोई मार्ग नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

6.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019

(National Medical Commission Act 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।

पृष्ठभूमि

- **प्रो. रंजीत रॉय चौधरी समिति (2015)** द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India:MCI) के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की गई थी और **एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** के गठन का सुझाव दिया था।
- इसके पूर्व विभिन्न अन्य समितियों जैसे **लोढ़ा पैनल (2016)** और **अरविंद पनगढ़िया** ने भी MCI को समाप्त करने का सुझाव दिया था।
- सरकार ने पहले भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के माध्यम से MCI को अधिक्रमित करने (superseded) का निर्णय लिया था। इसके साथ ही MCI की शक्तियों को भी निर्वाचित परिषद निकाय से स्थानांतरित करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया गया।
- हाल ही में, सरकार ने अध्यादेश के अंतरिम प्रावधानों को जारी रखने हेतु **भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019** को भी पारित किया है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 के माध्यम से MCI को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जायेगा।
- हालांकि, अधिनियम में कुछ विस्तृत प्रावधान हैं, जिसके कारण चिकित्सकों द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)

- यह एक **सांविधिक** निकाय है, इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है।
- यह निम्नलिखित को विनियमित करती है :

VISION IAS

- चिकित्सा शिक्षा के मानक।
- महाविद्यालयों या पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने अथवा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना।
- चिकित्सकों के पेशेवर आचरण मानकों जैसे चिकित्सकों का पंजीकरण आदि का निर्धारण।

भारत में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मुद्दे

- **सीटों की कमी:** अभी भी छात्रों और उपलब्ध मेडिकल सीटों की संख्या के मध्य एक विषम अनुपात विद्यमान है।
- **मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र और असमान वृद्धि:** विगत 25 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अधिकांश वृद्धि नए निजी मेडिकल कॉलेजों की हुई हैं, जिससे उच्च शिक्षा शुल्क के साथ चिकित्सा शिक्षा की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- **प्रत्यायन मानक:** MCI द्वारा प्रत्यायन कराना अनिवार्य है, लेकिन मांगी गयी सूचना चिकित्सा शिक्षा और परिणामों की गुणवत्ता के उपायों पर बल देने के बजाय अवसंरचना और मानव संसाधनों (संख्या बल) के प्रलेखन पर बल देती है।
- **चिकित्सा शिक्षकों की कमी:** चिकित्सा शिक्षकों की 30-40% कमी है। विगत 3 वर्षों में, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 38 हो गई है, पहले से ही चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु 4000 से अधिक चिकित्सा शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता है।
- कट ऑफ (Cut off) की उच्च दर, चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता और निवेश पर निम्न प्रतिफल (Return on Investment :ROI) आदि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जो देश में चिकित्सा शिक्षा को निरंतर विकृत कर रही हैं।

इस अधिनियम को पारित किए जाने के कारण

- **निम्न चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात:** WHO के चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात के मानक 1:1000 की तुलना में भारत में यह अनुपात 1: 1456 है।
- **चिकित्सकों का निम्न वितरण:** इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के वितरण में अत्यधिक विषमता पायी जाती है, शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सको के घनत्व का अनुपात 3.8:1 है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय स्थिति:** इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश ग्रामीण और गरीब आबादी बेहतर गुणवत्तापूर्ण देखभाल से वंचित हो जाती है, जिससे वे नीमहकीमों के चंगुल में फंस जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास उपयुक्त चिकित्सा योग्यता ही नहीं है।
- **MCI से संबंधित मुद्दे**
  - यह परिषद पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही है।
  - मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का निम्नस्तरीय विनियमन।
  - जवाबदेही की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप एवं प्रदत्त उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन में विफलता।
  - यह अधिनियम भारत में **चिकित्सा शिक्षा के समक्ष उत्पन्न मुद्दों** का समाधान करने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करता है।
- ऐसी **चिकित्सा शिक्षा प्रणाली** का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करती है:
  - भारतीय चिकित्सा प्रणाली के उच्च स्तरीय चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हों।
  - चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाया जाए।
  - चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के कार्य

- चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना।
- स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मानव संसाधन व अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
- अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
- निजी चिकित्सा संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों की फीस के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना, जो अधिनियम के तहत विनियमित हैं।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का गठन:** यह अधिनियम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के गठन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के पारित होने के तीन वर्षों के भीतर, राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य स्तर पर राज्य चिकित्सा परिषदों की स्थापना की जाएगी।
  - **NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे**, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित एक चयन समिति द्वारा केंद्र सरकार को आयोग के अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के पद के लिए नामों का सुझाव दिया जायेगा।
  - NMC के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - अध्यक्ष (अनिवार्य रूप से मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए)
    - स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष
    - जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
    - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक,
    - पांच सदस्य (अंशकालिक) दो वर्ष की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीकृत चिकित्सकों में से चुने जायेंगे।
- **चिकित्सा परामर्श परिषद्:** अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार एक चिकित्सा परामर्श परिषद का गठन करेगी।
  - यह परिषद् राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NMC के समक्ष अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने हेतु प्राथमिक मंच प्रदान करेगी।
  - यह परिषद्, NMC को **चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखने के संबंध में सुझाव देगी**।
- **स्वायत्त बोर्ड:** इस अधिनियम के द्वारा NMC की निगरानी में स्वायत्त बोर्ड की स्थापना की गयी है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बोर्ड निम्नलिखित हैं :
  - **अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) एवं पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB)-** ये मानकों, पाठ्यक्रमों तथा दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही, ये क्रमश: स्नातक एवं परास्नातक स्तरों पर प्राप्त चिकित्सा शिक्षा को मान्यता प्रदान करेंगे।
  - चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण और रेटिंग के लिए **मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB)** और
  - पेशेवरों के आचरण और चिकित्सा नैतिकता को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (Ethics and Medical Registration Board: EMRB)** तथा (i) लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों और (ii) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHPs) के राष्ट्रीय रजिस्टरों को भी बनाए रखेगा।
- **सीमित लाइसेंसिंग:** अधिनियम के तहत, NMC चिकित्सा क्षेत्र के लिए आधुनिक चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को एक सीमित लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु निर्दिष्ट दवाएं प्रिस्क्राईब कर सकते हैं।
- **प्रवेश परीक्षा:** अधिनियम के अंतर्गत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में, स्नातक और स्नातकोत्तर सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। NMC ऐसे सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।
- **नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT):** अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि MBBS के पश्चात प्रक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट, स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा।
- **फीस का विनियमन:** इस अधिनियम के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के "फीस और अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए" NMC को दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - वर्तमान में, ऐसी संस्थानों में 85% सीटों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष का निर्धारण प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।

अधिनियम के लाभ

- **बेहतर चिकित्सा शिक्षा प्रणाली:** अधिनियम का उद्देश्य ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करती हो तथा देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके।

VISION IAS

- **चिकित्सकों की कमी को दूर करना:** थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, चीन और यहां तक कि न्यूयॉर्क जैसे देशों ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं / नर्स प्रैक्टिशनर को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों का अभाव है, इसलिए मध्यम-स्तरीय सेवा प्रदाता को कार्यों को स्थानांतरित करने से विशेषज्ञों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव से राहत मिलेगी।
    - छत्तीसगढ़ और असम ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरह का प्रयोग किया है। जहाँ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है तथा यह भी स्पष्ट हुआ है कि यदि कर्मियों की गुणवत्ता को दृढ़ता से विनियमित किया जाता है तो इस प्रकार समस्या के उत्पन्न होने की संभावना न्यूनतम होगी।
- **फीस का विनियमन:** भारतीय चिकित्सा परिषद (IMC) अधिनियम, 1956 में फीस के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कुछ राज्य निजी कॉलेजों में कुछ सीटों की फीस का विनियमन कॉलेज प्रबंधन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से करते हैं।
    - देश की कुल MBBS सीटों में से लगभग 50% सरकारी कॉलेजों में हैं, जिसके लिए नाममात्र की फीस वसूली जाती है। शेष सीटों में से 50% को NMC द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अब देश में कुल सीटों की लगभग 75% सीटें उचित फीस पर उपलब्ध होगी।
    - संघवाद की भावना के अनुरूप, राज्य सरकारों के पास अभी भी पस्पर समझौते के आधार पर कॉलेजों के साथ व्यक्तिगत MoUs के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेजों में शेष सीटों की फीस का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी।
- **पारदर्शिता:** यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा NMC के माध्यम से नियंत्रण करने में सहायता करेगा।

इसका विरोध क्यों किया गया?

- **शक्ति का केंद्रीकरण:** यह अधिनियम NMC के गठन का प्रावधान करता है, जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान तथा चिकित्सकों के लिए एक अतिव्यापी निकाय होगा। यह संघवाद और चिकित्सा शिक्षा की स्वायत्तता का पूर्ण अवहेलना करता है।
- **नौकरशाही का हस्तक्षेप:** सभी महत्वपूर्ण निकायों में नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, क्योंकि नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाएँगी।
- **अपारदर्शी चयन प्रक्रिया:** इन बहु निकायों के सभी प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है।
- **राज्यों का कम नियंत्रण:** राज्यों की भूमिका को शासन प्रबंधन से हटाकर केवल परामर्श तक सीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, NMC द्वारा फीस नियमन के कारण राज्यों के पास निजी मेडिकल कॉलेजों हेतु प्रतिबंध आरोपित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- **अत्यधिक सदस्यों वाला निकाय:** आयोग की विस्तृत संरचना, मामलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। परामर्श परिषद में आयोग के 24 सदस्यों सहित 100 से अधिक सदस्य शामिल होंगे। ऐसे में आम सहमति निर्मित करना कठिन होगा।
- **NEXT परीक्षा के संबंध में अस्पष्टता:** इस परीक्षा को उत्तीर्ण नही करने वालों को मेडिकल प्रक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिनकी संख्या अत्यधिक है। विगत वर्ष, 1.15 लाख छात्रों ने PG प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, किन्तु उनमें से केवल 80,000 ही सफल हुए थे। अन्य अभी भी MBBS चिकित्सको के रूप में कार्यरत हैं। यह अधिनियम उन्हें पूरी तरह से रोक देगा। इससे हमारे देश में पहले से ही विद्यमान चिकित्सकों की अत्यधिक कमी में और अधिक वृद्धि होगी।
- **निरीक्षण / भ्रष्टाचार में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप:** अधिनियम के अनुसार, न केवल बोर्ड के सदस्य निरीक्षण कर सकते हैं, बल्कि निरीक्षण कार्य हेतु किसी अन्य तृतीय पक्ष एजेंसी या व्यक्तियों को भी नियुक्त एवं अधिकृत किया जा सकता है। अब तक, मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण केवल MCI द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ही किया जाता था, किन्तु अब यह उत्तरदायित्व '**मेडिकल एसेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड**' को सौंपा गया है। यह उसी प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ावा देगा, जिसके लिए MCI पर आरोप लगाये गए थे।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHP) के संबंध में अस्पष्ट प्रावधान:** सरकार यह परिभाषित करने में विफल रही है कि CHP कौन होंगे। IMA ने इस कदम का कड़ा विरोध किया क्योंकि यह नीमहकीमों को वैधता प्रदान करेगा।

आगे की राह

- **स्वैच्छिक और ग्रेड आधारित NEXT परीक्षा:** यदि, एक एक्जिट परीक्षा का ही प्रावधान करना था, तो इसे स्वैच्छिक और ग्रेड-आधारित बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, यदि कोई MBBS पेशेवर ग्रेड-मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसमें भाग ले सकता है, जैसा कि कुछ देशों में प्रावधान है।

VISION IAS

- **लेखा परीक्षकों की प्रशिक्षित टीम:** भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चिकित्सकों के नामित निकायों के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **अधिक हितधारकों की भागीदारी:** निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को महत्व दिया जाना चाहिए और साथ ही राज्य की भूमिका में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए अन्य सुझाव:**
  - चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए, हमारा लक्ष्य प्रत्येक पहलू का पुनर्मूल्यांकन करना होना चाहिए;
  - एक दक्ष प्रत्यायन प्रणाली का सृजन करना;
  - संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना,
  - कठोर क्रियान्वयन और बेहतर मूल्यांकन के तरीकों के साथ पाठ्यक्रम को पुनः डिज़ाइन करना।

6.5. मॉब लिंचिंग

(Mob Lynching)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान विधानसभा द्वारा एंटी-मॉब लिंचिंग विधेयक पारित किया गया।

भारत में मॉब लिंचिंग

- मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा का तात्पर्य, **वास्तविक अथवा कथित अपराधों के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भीड़ द्वारा सज़ा के रूप में किसी को जान से मारना या उसे हिंसक दंड देना है।**
- सितंबर 2017 में उच्चतम न्यायालय ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश दिए थे परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
- हाल ही में **उच्चतम न्यायालय** ने मॉबोक्रेसी **(भीड़तंत्र) द्वारा किए जाने वाले ऐसे भयावह कृत्यों** की निंदा की है और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।
  - राज्यों द्वारा जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
  - कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
  - इन क्षेत्रों में राजमार्गों पर अधिक कुशलतापूर्वक गश्त करना।
  - तत्काल FIR दर्ज़ करना।
  - पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं।
  - ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण।
  - वैसे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहते हैं।
  - संसद द्वारा **एक विशेष कानून** तैयार किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत लिंचिंग को एक अलग अपराध माना जाए।
- राजस्थान के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार भी मॉब लिंचिंग संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।

एक अलग कानून की आवश्यकता

- **कोई मौजूदा कानून नहीं:** वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भीड़ द्वारा की गई हत्या को एक अलग अपराध मानता हो।
- **निवारक के रूप में:** इससे सम्बंधित विशेष कानून इस तरह के गंभीर अपराध के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- **शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना :** भीड़ द्वारा अपने न्याय के प्रवर्तन किसी की हत्या कर देने की घटनाएँ, लोकतांत्रिक समाज और राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं। अतः ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को दंडित करना आवश्यक है।
- **बहुआयामी चुनौतियों से निपटना:** जैसे समाज और संस्कृति के स्व-घोषित रक्षकों द्वारा कानून हाथ में लेना, अफवाह को सच मानकर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा आदि।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा करने वाली भीड़ कानून और व्यवस्था से सम्बंधित चुनौती है तथा IPC में इससे सम्बंधित पर्याप्त प्रावधान हैं। ये प्रावधान हत्या, हत्या के प्रयास, एक साझा इरादे के अंतर्गत कई लोगों द्वारा किए गए कृत्यों आदि से सम्बंधित हैं। इनके दृढ़तापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू होने पर इस तरह के जोखिमों से निपटा जा सकता है।

VISION IAS

मॉब लिंचिंग से संबंधित मुद्दे

- **विधि के शासन के विरुद्ध:** निर्णय की प्रक्रिया न्यायालयों में होनी चाहिए सड़कों पर नहीं।
- **मानवाधिकार के विरुद्ध:** मॉब लिंचिंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ मनुष्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा वाक्, अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूचि की स्वतंत्रता तथा बहुलता एवं विविधता को अस्वीकृत कर दिया जाता है।
- **सांप्रदायिकता और जातिवाद को उकसाना:** अधिकांश मामलों में पीड़ित समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं - जिनमें घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, निम्न जातियां आदि शामिल हैं।
- **रुझानों का विश्लेषण करने हेतु कोई डेटाबेस नहीं:** गृह मंत्रालय के अनुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा से संबंधित कोई रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालना तथा समस्या का संभावित समाधान खोजना कठिन हो गया है।
- **ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारणों में वृद्धि**
  - विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के शासन की **न्यायिक / लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास में कमी**। इसलिए वे अपने तरीके से तत्काल न्याय देने का प्रयास करने लगे हैं।
  - **सामाजिक-राजनीतिक ढांचा:** इसमें सम्मिलित हैं-ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा नाममात्र की है या बिलकुल नहीं है, गहरी दरारें और अविश्वास, संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संरक्षण, बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ता ध्रुवीकरण इत्यादि।
  - **फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से गलत सूचना और प्रचार :** उदाहरण के लिए हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों ने सम्पूर्ण देश में हिंसा के कई आवेगपूर्ण और अनियोजित कृत्यों को भड़काया हैं।
  - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अक्षमता / अनिच्छा** से भीड़ द्वारा किए जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने की उनकी अक्षमता के कारण कानून को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में लोगों का मनोबल बढ़ा है। पूर्णतः सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरोप लगाने की अपेक्षा सार्वजनिक अधिकारियों और पुलिस विभागों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
  - जहाँ व्यक्तिगत कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर होता है, वहीं ऐसी घटनाओं में अपराधबोध तथा उत्तरदायित्व बंट जाता है और कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता।

आगे की राह

- **अभियोजन और दंड सुनिश्चित कर उदाहरण प्रस्तुत करना:** भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या न्याय वितरण में राज्य की क्षमताओं के प्रति विश्वास में कमी को दर्शाती है। अतः, बार-बार होने वाली ऐसी क्रूरताओं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकारों पर होने वाले हमलों का दमन करने और इसके उत्तरदायी लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है। इससे अपराधियों में यह भावना आएगी कि वे ऐसे कार्यों को करने के बाद बच नहीं सकते।
- **सामाजिक/अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना:** शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों तक पहुंच स्थापित करना, अराजक तत्वों को अफवाह फैलाने से रोकना, तथा सिविल सोसाइटी की सहायता से बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विषय में जागरूकता का प्रसार करना।
- **राज्य संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, तीव्रगामी पुलिस प्रतिक्रिया, अफवाहों के प्रति सजग रहना आदि।
- **सोशल मीडिया प्लेटफार्म को जवाबदेह बनाना:** व्हाट्सएप को दो व्यक्तियों के मध्य भेजे गए संदेशों में गोपनीयता को बनाये रखने और व्हाट्सऐप ग्रुपों में सार्वजनिक किये गए अग्रेषित (फ़ॉरवर्डेड) संदेशों के मूल स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने प्लेटफार्म में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।
- **विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गयी उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाना जैसे:**
  - **तेलंगाना पुलिस** ने फ़ेक न्यूज़ के जोखिम से निपटने हेतु 500 पुलिस अधिकारियों की एक टीम को प्रशिक्षित किया है। ये अधिकारी सामाजिक मुद्दों के विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए गांव जाते हैं। पुलिस कर्मियों को स्थानीय व्हाट्सएप समूहों में भी जोड़ा गया है ताकी ऐसी अफवाहों को चिन्हित किया जा सके जो हिंसा भड़काने में सक्षम हों।
  - **पश्चिम बंगाल पुलिस ने** ट्विटर पर फैली उन अफवाहों पर त्वरित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए उसका खंडन किया जिनमें ईद के अवसर पर सरकार द्वारा पांच दिन की छुट्टी को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गयी थी। इस प्रकार सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले प्रयासों को विफल कर दिया गया।

6.6. जनसंख्या नीति

(Population Policy)

हाल ही में, देश में एक **नई जनसंख्या नीति** के अंगीकरण की मांग की गई है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- हाल ही में, विश्व जनसंख्या दिवस **(11 जुलाई)** पर,**"जनसंख्या विस्फोट"** से सम्बंधित कुछ चिंताओं को व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित उपायों को लागू करने की मांग भी लोकप्रिय हुई है जैसेः
  - जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करना।
  - दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के मतदान संबंधी अधिकार को रद्द करना।
- हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इन अवलोकनों का खंडन किया गया है। इसके अनुसार, **आगामी दो दशकों में भारत की "जनसंख्या वृद्धि में तीव्र गिरावट"** होगी।
- तथ्य यह है कि 2030 के दशक तक, **"जनसांख्यिकीय संक्रमण"** को प्रदर्शित करते हुए कुछ राज्यों में **ऐजिंग सोसाइटी** की संक्रमण होने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी, जो यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्र धीरे-धीरे एक **स्थिर आबादी** की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि समय के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांकों में सुधारों के साथ प्रजनन दर में गिरावट आएगी।
  - चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण **(NFHS-4)** से यह स्पष्ट हुआ है कि देश के 24 राज्यों ने पहले ही ही प्रजनन दर द्वारा प्रतिस्थापन स्तर (2.1) के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
  - भारत की घटती प्रजनन दर के लिए मुख्य रूप से कुछ प्रमुख निर्धारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा पर बल देना और श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी में वृद्धि होना।
- इस पृष्ठभूमि में, यह कहा जा सकता है कि केवल जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए जनसंख्या नीति के अन्य घटकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की जनसंख्या नीति

- विगत कुछ वर्षों में, भारत ने अपनी प्रजनन दर में निरंतर गिरावट और जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति को प्राप्त कर लिया है।
- भारत को ऐसे **राष्ट्रीय कार्यक्रम** प्रारम्भ करने के लिए विश्व का **प्रथम राष्ट्र** होने का गौरव प्राप्त है, जो **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने** हेतु जन्म दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन पर बल देता है।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 (NPP 2000)** प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने हुए और परिवार नियोजन सेवाओं को संचालित करने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण (target free approach) को जारी रखने के लिए स्वैच्छिक और सूचना विकल्प तथा नागरिकों की सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
- इस नीति के अंतर्गत विभिन्न **अल्प विकसित राज्यों** जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के मापदंडों में सुधार देखा गया है।
  - उनके जनसांख्यिकीय संकेतकों पर निरंतर **निगरानी** रखी जा रही है।
  - पहली बार इन राज्यों की **दशकीय वृद्धि दर में गिरावट** आई है।
  - **विवाह की आयु में वृद्धि** होने से हजारों माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु होने एवं मृत जन्म लेने वाले शिशुओं को नियंत्रित किया जा सका है।
  - विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के कारण कुछ राज्यों में **अस्पताल आधारित प्रसव** बढ़कर दोगुना हो गया है, साथ ही मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में इसमें लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

भारत के लिए नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता

- **गलत धारणा का सृजन-** जनसंख्या वृद्धि को देश के क्षयकारी (carious) मुद्दों के साथ संबद्ध करने एवं अत्यधिक लोगों द्वारा अल्प संसाधनों की प्राप्ति हेतु प्रयास करना।
- **विवादों को बढ़ावा-** चूँकि यह धारणा निर्धन, कमजोर, दलितों एवं अल्पसंख्यकों और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मध्य विभिन्न वर्गीय एवं धार्मिक विवादों को तीव्र कर सकता है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के निम्नलिखित **विभिन्न मापदंडों को प्राप्त नहीं किया जा सका है-**
  - प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म पर **शिशु मृत्यु-दर (IMR)** को 30 से कम करना, प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर **मातृत्व मृत्यु-दर (MMR)** को 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु 2015 में, 15 वर्षों के पश्चात् भी भारत द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है।
- **महिला और बाल लिंगानुपात में विषमता-** यह शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक बढ़ रही है।
  - भूमि एवं सम्पति पर महिलाओं के स्वामित्व अधिकार की अनुपस्थिति जैसी विभेदकारी सामाजिक बाधाएं पुत्र की वरीयता को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

VISION IAS

- **प्रवासन-** अवसंरचना, आवास एवं जल की उपलब्धता पर तनाव उत्पन्न करने के साथ **भूमि पुत्र** की अवधारणा (आंतरिक बनाम बाह्य लोगों के मध्य संघर्ष) को बढ़ावा दे सकता है।
- **आयु में वृद्धि (Ageing) -** वृद्ध जनों की बढ़ती जनसंख्या और चिरकालिक रोगों के साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में वृद्धि करने संबंधी प्राथमिक कार्यों के लिए नियोजित संसाधनों के विक्षेपित होने की संभावना होती है।
  - आगामी 10 वर्षों में, देश की कुल जनसंख्या में 12% भाग वृद्धजनों का होगा।
  - वृद्धाश्रम (old-age homes) और सुरक्षात्मक कानूनों का लाभ उठाने में वृद्धों के द्वारा अनेक समस्याओं का सामना किया जाता है।
  - संयुक्त परिवार प्रणाली के विखंडित होने से आश्रितता अनुपात में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।
  - वर्तमान में देखभाल कर्ताओं से संबंधित व्यवस्था गैर-विनियमित, खर्चीली और अविश्वसनीय है।

देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

चल रहे कार्यक्रम

- जिला एवं राज्य स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन समितियों की स्थापना द्वारा **परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना।**
- परिधीय सुविधाओं तक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति प्रबंधन में सुधार।
- विभिन्न सुविधाओं में पोस्टरों, सूचना-पट्टों एवं अन्य ऑडियो तथा वीडियो सामग्री के प्रदर्शन के रूप में **मांग उत्पन्न करने वाली गतिविधियां।**
- **राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना (NFPIS)** जिसके तहत बन्ध्याकरण के पश्चात होने वाली मृत्युओं, जटिलताओं और विफलताओं की संभावित घटनाओं हेतु बीमा किया जाता है और प्रदायक/ प्रत्यायित संस्थान उन संभावित घटनाओं में अभियोग के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं।
- **बन्ध्याकरण स्वीकारने वालों के लिए मुआवजा योजना-** इस योजना के तहत MoHFW लाभार्थी को होने वाली पारिश्रमिक हानि और बन्ध्याकरण करने हेतु सेवा प्रदायक (और टीम) को मुआवजा प्रदान करता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नए हस्तक्षेप

- लाभार्थियों को घर पर ही गर्भ निरोधकों की आपूर्ति हेतु आशा (ASHAs) कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु नई योजना प्रारंभ की गई है।
- बच्चों के जन्म में अंतर को सुनिश्चित करने हेतु आशाओं के लिए योजना।
- नए उपकरण और विधियों का विकास किया गया है जो अधिक प्रभावी होने के साथ बच्चों के जन्मों में अंतर को बढ़ावा देगी।
- **जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष)** द्वारा जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया गया है।
  - **प्रेरणा रणनीति-** किशोर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के हित में बच्चों के जन्म के दृष्टिकोण से लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना और प्रथम बच्चे के जन्म में विलंब करना तथा दूसरे बच्चे के जन्म के समय अंतराल को बढ़ाना।
  - **संतुष्टि रणनीति-** इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा बन्ध्याकरण ऑपरेशन करने हेतु निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं पुरुष नसबंदी करने वाले सर्जन को आमंत्रित किया जाता है।

आगे की राह

- **नई जनसंख्या नीति** ऐसी होनी चाहिए, जो अंतर-क्षेत्रीय प्रतिमानों पर आधारित होकर उपर्युक्त मुद्दों का समाधान कर सके।
- युवा जनसंख्या (35 वर्ष से कम आयु) पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले वर्षों में राष्ट्र के लिए वृहत सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणाम में सहभागी बन सकते हैं।
  - इसमें शिक्षा एवं आजीविका के अवसरों तक युवा जनसंख्या की व्यापक पहुँच और इनकी प्रजनन आवश्यकताओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना सम्मिलित है।
- **स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना** तथा **जनसंख्या नियंत्रण**, ये दो प्रमुख दृष्टिकोण बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो कार्य कर सकते हैं, किन्तु अन्य राज्यों (जो प्रजनन की प्रतिस्थापन क्षमता को प्राप्त कर चुके है या उसके निकट हैं) हेतु **स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने** और **मुख्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं** जैसे गैर-संचारी रोग, दवाओं की उपलब्धता और मानव संसाधन का परिनियोजन आदि हेतु संसाधनों को अधिक स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- इसके साथ ही छोटे राज्यों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए **नमूना पंजीकरण प्रणाली,** जिसके द्वारा गांवों और शहरी ब्लॉकों में मृत्यु और जन्म संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसे **छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (UT)** के लिए भी **मातृत्व मृत्यु दर (MMR)** संबंधी आकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि यह वर्तमान में केवल बड़े राज्यों में आकड़ों को एकत्रित करता है।
- सभी राजनीतिक दलों को सम्मिलित करते हुए बहु-हितधारकों की सर्वसम्मति के आधार पर एक **साझा न्यूनतम कार्यक्रम** पर सहमति व्यक्त करना एक अग्रगामी कदम सिद्ध हो सकता है। यह केंद्र और राज्य के मध्य असामंजस्य (misalignment) और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से **विलंब एवं बाधाओं** का प्रभावी रूप से समाधान कर सकता है।

6.7. भारत में बाल श्रम

(Child Labour in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश में बाल श्रम की निरंतर विद्यमानता यह दर्शाती है कि राज्य और जिला स्तरों पर कानूनों के क्रियान्वयन में कमियां रही हैं।

बाल श्रम से निपटने हेतु किए गए संरक्षण और उपाय

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **अनुच्छेद 24** के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा साथ ही किसी भी अन्य खतरनाक कार्यों में भी नियोजित नहीं किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)**: बाल श्रमिकों की पहचान एवं पुनर्वास करने हेतु इस योजना को 1988 में शुरू किया गया था। यह योजना जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाती है।
- **पेंसिल पोर्टल**: बाल मजदूरी निषेध पोर्टल के कारगर कार्यान्वयन हेतु मंच (Platform for Effective Enforcement of No Child Labour: PENCIL) एक ऑनलाइन मंच है। इसका उद्देश्य बाल श्रम एवं तस्करी की रोकथाम करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार, जिलों और सभी परियोजना समितियों से सम्बद्ध करता है।
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016**
  - केंद्र सरकार द्वारा 1986 में **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम** को पारित किया गया था।
  - यह अधिनियम बच्चों को कुछ निर्दिष्ट खतरनाक व्यवसायों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है और उसी समय अन्य गैर- खतरनाक व्यवसायों एवं सम्बद्ध गतिविधियों में उनकी कार्य परिस्थितियों को विनियमित करता है।
  - बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम को वर्ष 2016 में लाया गया था।

- यह सभी व्यवसायों और सम्बद्ध गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है तथा खतरनाक व्यवसायों एवं सम्बद्ध गतिविधियों में किशोरों (14-18 वर्ष आयु) के नियोजन को भी प्रतिबंधित करता है।
- इसके तहत इन प्रावधानों के उल्लंघन पर अत्यधिक कठोर कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिसमे छह महीने से लेकर दो वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ Act: Juvenile Justice act):** इसके तहत, कामगार बच्चों को भी उन बालकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया हैं जिन्हें बिना किसी सीमा के (आयु और व्यवसाय के प्रकार) देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है।
  - धारा 75 (किशोर के प्रति क्रूरता) और धारा 79 (किशोर कामगार का शोषण) बाल श्रम के अतर्गत विशेष रूप से उन बालकों (जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती हैं) के संरक्षण हेतु प्रावधान करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन**: भारत द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य 8.7** की प्राप्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन संख्या **138** (रोजगार हेतु न्यूनतम आयु) और कन्वेंशन संख्या **182** (बाल श्रम का सर्वाधिक निकृष्ट रूप) की अभिपुष्टि की गयी है।
- बाल श्रम को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई और सम्बन्धित प्रयासों पर वैश्विक क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा वर्ष 2002 में **विश्व बाल श्रम निषेध दिवस** (**World Day Against Child Labour**) का शुभारंभ किया गया था।

अभी भी बाल श्रम की समस्या क्यों बनी हुई है?

- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में कमियां** :
  - पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने हेतु अपवाद की व्यवस्था के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की गई है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि श्रम मंत्रालय के इस प्रावधान में "कमियां" विद्यमान थी और यह आकलन करना कठिन होगा कि क्या बच्चे वास्तव में परिवार की "सहायता" कर रहे हैं या परिवार की पूरक आय हेतु कार्य कर रहे हैं।
  - यह कारखाना अधिनियम,1948 के उपखंड में निर्दिष्ट केवल खान गतिविधियों, ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक प्रक्रियाओं में बाल श्रम को निषेधित करता है। इस प्रकार, यह वास्तविक रूप में अन्य सभी क्षेत्रों में किशोर बच्चों के रोजगार हेतु एक विधिक स्वीकृति प्रदान करता है।
    - इसके अतिरिक्त, यहां तक कि किसी उद्योग को खतरनाक के रूप में सूचीबद्ध होने के पश्चात उसे सरकारी अधिकारियों के विवेक से हटाया जा सकता है न कि संसद द्वारा।
    - अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों के साथ भी इसकी स्थिति विवादास्पद है जिनमें प्रायः 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के गैर-नियोजन सम्बन्धी उपबंध शामिल हैं।
  - यह **कार्य के घंटों को भी परिभाषित नहीं करता है**; साधारणतया इसमें उल्लिखित है कि बच्चे स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान ही कार्य कर सकते हैं।
- **निधियों का अनुचित उपयोग:** 2016 के अधिनियम में एक **पुनर्वास कोष** की स्थापना की मांग की गयी थी तथा इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे, बाल श्रम के दुष्चक्र में पुनः संलग्न न हो जाए। हालांकि, वित्त के वितरण के संबंध में कानून में अस्पष्टता के कारण पुनर्वास की राशि प्रायः बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है।
- **निम्न दोषसिद्धि दर (conviction rate)**: यद्यपि बाल श्रम पर विद्यमान कानून कुछ अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करते है, किन्तु दोषसिद्धि की दर अत्यंत निम्न है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में एक वर्ष की अवधि के दौरान 61 बाल श्रमिकों को बचाया गया था, किन्तु केवल नौ नियोक्ताओं को ही दोषी ठहराया गया।
- **अंतर-क्षेत्रीय विषमता और निरंतर प्रवासन**: बिहार, झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगारों की कमी के कारण, अत्यधिक संख्या में श्रमिक बड़े महानगरों एवं अन्य स्थानों की ओर निरंतर पलायन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में बाल मजदूर भी शामिल हैं जो चूड़ी, बर्तन आदि बनाने वाले कारखानों में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं।
- **अविनियमित नियंत्रण**: बाल श्रम कानून में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिष्ठानों द्वारा किशोरों के नियोजन से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रदान करना आवश्यक होगा, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि किशोर एक दिन में केवल छह घंटे ही कार्य कर सकते हैं तथा प्रति सप्ताह एक दिन का अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं जहां कानून में विद्यमान कमियों के कारण बालकों और किशोरों के नियोजन को विनियमित नहीं किया जा सका है।
- भारत में बाल श्रम के **मुख्य कारण निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी और निम्न आय** हैं। ऐसी स्थिति जहां 40% से अधिक लोग निर्धनता से ग्रसित हैं, बच्चे प्रायः अपने बाल्यावस्था के दौरान स्वयं के लिए तथा अपने माता-पिता के लिए आजीविका जुटाने का कार्य करते हैं। भारत में, आबादी का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है और यहां आय अर्जन को शिक्षा प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः इससे भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है।

VISION IAS

आगे की राह

- **शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है**
  - विद्यालय अवधि को लचीला बनाने, सांयकालीन कक्षाओं की उपलब्धता और किशोरों को उन उद्योगों (जिनमें कार्य करना सुरक्षित है) के बारे मे सूचनाएं प्रदान करने हेतु परामर्श देने के प्रावधान आदि के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
  - सामुदायिक स्तर पर बच्चों की नियमित निगरानी एवं नियमित रूप से स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ समुदाय-आधारित बाल संरक्षण तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
  - **भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A** (जिसके तहत शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है) के साथ **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**, भारत में बाल श्रम से निपटने हेतु समय पर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करता है।
- **परिवार की भूमिका और जागरूकता**
  - परिवार की आर्थिक परिस्थिति के कारण बच्चो को कार्य करने हेतु मजबूर किए गए मामलें में, यथोचित विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत परिवार को सभी लाभ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।
  - माता-पिता और समुदायों के उन लोगों के माध्यम से जो बाल श्रम के दुष्प्रभावों को समझ सकते हैं, बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
- **सुदृढ़ कानून एवं उसका कार्यान्वयन**
  - विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय शासन वाले संस्थाओं को बाल श्रम के निषेध के प्रति संवेदनशील और सशक्त बनाया जाना चाहिए, साथ ही पूर्व बाल श्रमिकों का पुनर्वास में भी सहयोग प्रदान करना चाहिए।
  - बाल श्रम कानून के उचित क्रियान्वयन हेतु वित्तीय और मानव संसाधनों से संबंधित निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- बच्चों को जोखिमपूर्ण गतिविधियों में नियोजन से संरक्षण प्रदान करने, नियोजन संबंधी परिस्थितियों में सुधार लाने तथा जोखिमपूर्ण परिवेश से बाल श्रमिकों को गैर नियोजित करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

6.8. क्या भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तत्पर है?

(Is India ready to meet Sustainable Development Goals?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में विभिन्न चिंताओं को रेखांकित किया है।

पृष्ठभूमि

- सतत विकास के **2030 के एजेंडे** में 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 संबद्ध ध्येय (associated targets) सम्मिलित हैं।
  - प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर **अपने स्वयं के राष्ट्रीय लक्ष्य** निर्धारित करना आवश्यक है और यह तय करना है कि वैश्विक लक्ष्यों को कैसे राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रियाओं, नीतियों तथा रणनीतियों में सम्मिलित किया जाए।
  - भारत ने भी इसके लिए विभिन्न उपाय किए हैं-

संस्थागत ढांचा	• नीति आयोग (NITI Aayog) को SDGs के कार्यान्वयन के समन्वय और पर्यवेक्षण कार्य के लिए अधिदेशित किया गया है। • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) राष्ट्रीय संकेतक ढांचा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने में सम्मिलित हैं।
विकास एजेंडा के साथ SDGs का क्रमवेशन (Dovetailing SDGs with	• नीति आयोग ने मंत्रालयों, केंद्रीय योजनाओं और संबंधित हस्तक्षेपों के साथ सभी 17 लक्ष्यों एवं 169 ध्येयों की रूपरेखा निर्मित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। • नीति आयोग ने एक 'तीन वर्षीय कार्रवाई एजेंडा', जिसमें वर्ष 2017-20 की अवधि सम्मिलित है

Development Agenda)	और 'नया भारत @75 के लिए कार्यनीति' (Strategy for New India@75) जिसमें वर्ष 2022-23 की अवधि शामिल है, तैयार किया है। • राज्य अपने विज़न और रणनीतिक दस्तावेजों की तैयारी तथा लक्ष्यों/ध्येयों के प्रतिचित्रण के विभिन्न चरणों पर हैं।
हितधारक जागरूकता और संलिप्तता	• विचारों/अनुभवों के आदान-प्रदान और हितधारकों के मध्य SDGs पर जागरूकता सृजित करने हेतु आयोजित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कार्यशालाएं/परामर्श गोष्ठियां। • भारतीय संसद ने सासंदों को SDGs से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 'अध्यक्ष की अनुसंधान पहल'2 ('Speaker's Research Initiative'2) का शुभारंभ किया है।
नीतिगत सामंजस्य	• क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अभिसरण दोनों के लिए संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है। • 27 राज्यों के 112 पिछड़े जिलों में **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम'** का शुभारंभ, जो "समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु देश के पिछड़े जिलों में SDGs में सुधार के मूल सिद्धांत पर आधारित" है। यह स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं जल प्रबंधन तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है।
संसाधनों का संग्रहण	• भारत सरकार घरेलू संसाधन संग्रहण इष्टतम करने के लिए राष्ट्रव्यापी वस्तु और सेवा कर सुधार लागू कर रही है। • अनुमान योग्य और संधारणीय बजटिंग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कार्यान्वित किया जा रहा है। • कार्यान्वित व्यय सुधार।
निगरानी और रिपोर्टिंग	• जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 3 (Voluntary National Review: VNR) रिपोर्ट। • SDGs के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्रमशः नवंबर 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित **राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (National Indicator Framework: NIF)** तथा आधाररेखा डेटा। • समय-समय पर NIF की समीक्षा और परिष्करण हेतु उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन (जनवरी 2019)। • राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर SDGs की प्रगति की निगरानी करने के लिए जारी (दिसंबर 2018) डैशबोर्ड के साथ 62 प्राथमिकता प्राप्त संकेतकों पर आधारित "SDGs भारत सूचकांक: आधाररेखा रिपोर्ट 2018" (SDG India Index: Baseline Report 2018)। • समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक और स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जैसे सूचकांकों का विकास।

- CAG ने निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने वाले **SDGs के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तत्परता'** अभिनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से लेखा-परीक्षण कार्य सम्पन्न किया था।
  - जिस सीमा तक 2030 एजेंडा राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया गया है;
  - संसाधनों एवं क्षमताओं की पहचान और संघटन; तथा
  - प्रगति की निगरानी और सूचना देने की क्रियाविधि का निर्माण।
- राज्य स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए, **सात राज्यों,** यथा- असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विस्तृत तत्परता परीक्षण के लिए **'लक्ष्य 3- बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण'** (Goal 3- Good Health and Well-Being) का चयन किया गया था।

VISION IAS

भारत में SDGs के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अध्ययन-

- **'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण के अनुसरण पर (On following 'whole-of-government' approach):** SDGs से संरेखित **विजन दस्तावेज** की तैयारी ने उप-राष्ट्रीय सरकारों को नियोजन में 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण अंत:स्थापित करने में सक्षम बनाया है।
  - नियोजन से आगे बजटिंग, कार्यान्वयन और निगरानी तक इस योजना का विस्तार करने से SDGs की प्रगति में पर्याप्त लाभ हो सकता है।
- **निगरानी (On monitoring):** NIF की तैयारी उस प्रणाली तक पहुंचने हेतु एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो न केवल प्रगति की निगरानी करती है, अपितु आंकड़ा अंतरालों की पहचान करने में भी सहायता करती है।
  - यह सुनिश्चित करने हेतु कि निर्णय व्यापक आंकड़ों पर आधारित और फलस्वरूप प्रभावी भी हों, विकास आंकड़ों का उपयोग करने तथा उन्हें एकीकृत करने के प्रयास भी किए जाने आवश्यक हैं।
- **बजटिंग (On budgeting):** SDGs के संबंध में बजटीय प्राथमिकताओं के प्रतिचित्रण से स्वचालित रूप से अधिक सुसंगत प्रबंधन या संसाधनों के पुनरोन्मुखीकरण (reorientation) का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि SDGs को एकीकृत करने हेतु लेखांकन और बजटिंग ढांचे को संरेखित करने की आवश्यकता है।
  - केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर SDGs का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन आवश्यक है।
- **संचार, जागरूकता सृजन और पक्षपोषण (On communication, awareness generation and advocacy):** SDGs को स्थानीयकृत करने की गति बनाए रखने के लिए निरंतर पक्षपोषण में संलग्न होना अनिवार्य है।
  - यह महत्वपूर्ण है कि SDGs के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि करने हेतु पहलों को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही, व्यवहार परिवर्तन संचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समाज सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाली पद्धतियां अपना सके।
- **SDGs के साथ स्थानीय योजनाओं को संरेखित करने पर (On aligning Local Plans with SDGs):** स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं का सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर **SDGs** के एकीकरण की एक सर्वाधिक प्रभावी रणनीति है, क्योंकि स्वशासन संस्थाओं के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं तथा वे समुदाय के साथ परामर्श में योजनाओं के संचालन हेतु अधिदेशित होते हैं।
- **क्षमता विकास पर (On capacity development): SDGs** पर प्रशिक्षण **17** लक्ष्यों और ध्येयों से आगे जाना चाहिए तथा इन्हें आवश्यक मूलभूत कौशलों एवं दक्षताओं के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए जो वर्ष **2030** तक लक्ष्य प्रदाय के लिए आवश्यक हैं।
- **जो दूर हैं, उन तक पहले पहुंचना (On reaching the Furthest Behind First):** किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए (Leave No One Behind) का एजेंडा हाशिए पर रहने वाले लोगों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक बनाता है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा अपनी हकदारियों से लाभान्वित हो सकें।
- **साझेदारियों पर (On partnerships):** यहां ऐसे वातावरण का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जहां सार्वजनिक और निजी साझेदार सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने संसाधनों और क्षमताओं को संग्रहित कर सकें।

राज्यों की सफलता की कुछ कहानियाँ

- **असम:** सरकार ने बाल, मातृत्व और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी में **'जिला बहु-क्षेत्रीय परिणाम आधारित पोषण योजना'** आरंभ की है। यह सामान्य लक्ष्य हेतु विभिन्न विभागों के अभिसरण का एक प्रमुख उदाहरण है।
- **हरियाणा:** सरकार ने प्रासंगिक **SDGs** के साथ सभी योजनाओं की रूपरेखा निर्मित की है और वित्तीय वर्ष **2018-19** और **2019-20** के लिए **SDGs** आधारित राज्य बजट तैयार किया है।

VISION IAS

लेखा परीक्षा की मुख्य टिप्पणियां

- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, SDGs के संदर्भ में नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अभी भी परिचालन अवस्था में हैं।
- वर्ष 2020, 2025 और 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के SDGs लक्ष्य के साथ संरेखित परिभाषित उपलब्धियों के साथ रोडमैप अभी तैयार किया जाना शेष है। समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु SDGs को स्थानीयकृत करने और प्रचारित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास भी आवश्यक प्रतीत हुए हैं।
- SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में, अभी तक वित्तीय अंतराल विश्लेषण आरंभ नहीं किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, लेखांकन और बजटिंग ढांचे में SDGs का अभी भी केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में एकीकरण किया जाना शेष है।
- निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में, NIF के प्रकाशन में विलंब ने राज्यों में संकेतकों व निगरानी ढांचे का विकास तथा आधारेखा आंकड़ों एवं उपलब्धियों की पहचान जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को अवरुद्ध किया था।

VISION IAS

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता

(Artificial Intelligence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** और मौसम प्रौद्योगिकी समाधान (Weather Technology Solutions) का उपयोग करने हेतु एक पायलट अध्ययन करने के उद्देश्य से IBM इंडिया के साथ समझौता किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पायलट अध्ययन **मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों** के क्रमशः तीन जिलों - भोपाल, राजकोट और नांदेड़ में वर्ष 2019 की खरीफ फसल अवधि में किया जाएगा।
- किसानों को बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए जल और फसल प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने में सहायता करने तथा ग्रामीण/कृषि स्तर पर निःशुल्क आधार पर **मौसम का पूर्वानुमान और मृदा आर्द्रता की जानकारी प्रदान करने के लिए** AI और मौसम प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में IBM समाधान प्रदान करेगा।

कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- ऐसा अनुमान है कि AI और इससे संबद्ध कृषि सेवाएँ वर्ष **2020 तक 70 मिलियन भारतीय किसानों को प्रभावित कर सकती हैं,** जिससे किसानों की आय में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी।
- वर्ष 2017 में, **वैश्विक AI की कृषि बाजार में हिस्सेदारी 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी,** और वर्ष 2025 तक 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- **कृषि बाजार में AI की वृद्धि को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं:**
  - बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन की मांग में वृद्धि ;
  - फसल उत्पादकता में सुधार के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली और नई उन्नत तकनीकों को अपनाना;
  - डीप लर्निंग तकनीक को लागू करके फसल उत्पादकता को बढ़ाना;
  - आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए विश्व भर में सरकारों द्वारा आरम्भ की गई अनेक पहलें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) के बारे में

- इसका आशय मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण जैसे **संज्ञानात्मक कार्यों** तथा निरंतर पर्यवेक्षण के बिना **वास्तविक समय (रियल टाइम) स्थितियों में कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता** से है।
- इसे **विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने, कनेक्टिविटी को सक्षम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए परिनियोजित** किया जा सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीनें **मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्य** कर सकती हैं।
- यह **मशीन लर्निंग** को शामिल करता है, जहां मशीनें अनुभव से सीख सकती हैं और मानव भागीदारी के बिना कौशल प्राप्त कर सकती हैं।
- नीति आयोग का दस्तावेज, भारत को **AI गैराज (समाधान गृह)** अथवा AI के क्षेत्र में विश्व के 40% भाग हेतु समाधान प्रदाता बनने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

AI को आगे बढ़ाने हेतु सहायक कारक

- स्वचालित प्रणालियों में विश्वास और मशीनों के प्रति एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण।
- अपने डेटा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डेटा साक्षरता।
- एक परिवेश (डिजिटल डेटा मार्केटप्लेस, एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर) जो डेटा और सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।

VISION IAS

- नीति और विनियामक ढांचे को सक्षम बनाना।
- आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल की उपलब्धता।
- डेटा विनिमय और सुरक्षा के लिए मानकों की स्थापना।
- सरकार, सिविल सोसाइटी, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय और अनुसंधान एवं विकास के मध्य सहक्रिया।
- डेटा संग्रहीत करने के लिए लागत में अत्यधिक कमी।

भारत में AI के कार्यान्वयन संबंधित चुनौतियां

- **प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी:** केवल 4% भारतीय AI पेशेवरों को डीप लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित हैं।
- **जागरूकता की कमी:** अभी भी विश्व के अधिकांश भागों में खेतों/फार्मिंग में उपयोग किए जा सकने वाले उच्च तकनीक मशीन लर्निंग समाधान के बारे में जानकारी का अभाव है।
- **डाटा से संबंधित मुद्दे:** मानकों की कमी, डाटा उपयोग और स्वामित्व के संबंध में कथित निम्न पारदर्शिता तथा डाटा संग्रहित करने और साझा करने की कठिनाई ने ऐसी स्थिति उत्पन्न किया है, जहां कृषि में AI एल्गोरिदम डेवलपर्स को अभी भी डेटा की अधिक आवश्यकता हैं।
- **वित्तपोषण का अभाव:** AI संचालित समाधान विकसित करने हेतु वित्तपोषण की प्राप्ति एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है जो वर्तमान में प्रत्येक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान है।
- **समर्थकारी अवसंरचना का अभाव:** भारत में, AI संचालित समाधानों के सफल और सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना संबंधी पूर्व-आवश्यकताएं अभी तक विकसित नहीं हुई हैं।
- **गोपनीयता और सुरक्षा:** एकत्रित और उपयोग किए गए डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा एक चिंता का विषय बना हुआ है जो कृत्रिम बुद्धिमता के दायरे को सिमित करते हैं। AI अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यह उन विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार व्यक्ति ऑनलाइन सूचनाओं को प्राप्त करता है।
- AI विशेषज्ञता, जनशक्ति और कौशल अवसरों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- व्यावसायिक प्रक्रियाओं में AI को अपनाने के लिए उच्च संसाधन लागत का होना ।
- AI को अपनाने और उससे संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-आकर्षक बौद्धिक संपदा व्यवस्था।
- विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोगात्मक प्रयास की अनुपस्थिति।

AI किस प्रकार भारत में शासन में सुधार कर सकती है?

- **कानून प्रवर्तन में:** AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत फेशियल रेकग्निशन, स्पीच रेकग्निशन, ड्रोन, रोबो कॉप्स, ऑटोनॉमस पेट्रोल कार और प्रेडिक्टिव एनालिसिस शामिल हैं।
- **रक्षा:** AI का उपयोग मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी और टोही (reconnaissance), रोबोट सैनिकों, साइबर रक्षा, जोखिम वाले क्षेत्रों का विश्लेषण और उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए किया जा सकता है।
- **सरकारी कार्यों में शामिल:** सरकार ने नागरिक-सरकारी इंटरफेस को बढ़ाने, दस्तावेजों का वर्गीकरण और व्यवस्थित करने आदि जैसी सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाने के लिए पहले ही AI का लाभ उठाना आरम्भ कर दिया है।
- **कल्याणकारी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग:** इसका उपयोग प्रभावी रूप से निर्धनता को कम करने, किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और दिव्यांग जनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए किया जा सकता है।

AI के अनुप्रयोग: AI में **पूंजी और श्रम की भौतिक सीमाओं को समाप्त** करने तथा मूल्यों एवं विकास के नए स्रोतों को उपलब्ध कराने की क्षमता है। AI में निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से विकास को तीव्रता प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है:

- **इंटेलिजेंट ऑटोमेशन** अर्थात् जटिल भौतिक वैश्विक कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता। उदाहरण के लिए: एक हालिया अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि एक गूगल न्यूरल नेटवर्क ने त्वचा विशेषज्ञों (डर्मेटोलॉजिस्ट) की तुलना में प्रायः कैंसर के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले त्वचीय भागों (cancerous skin lesions) की अधिक सटीकता से पहचान की है।
- **नवाचार का प्रसार** अर्थात अर्थव्यवस्था के माध्यम से नवाचारों को प्रेरित करना।

VISION IAS

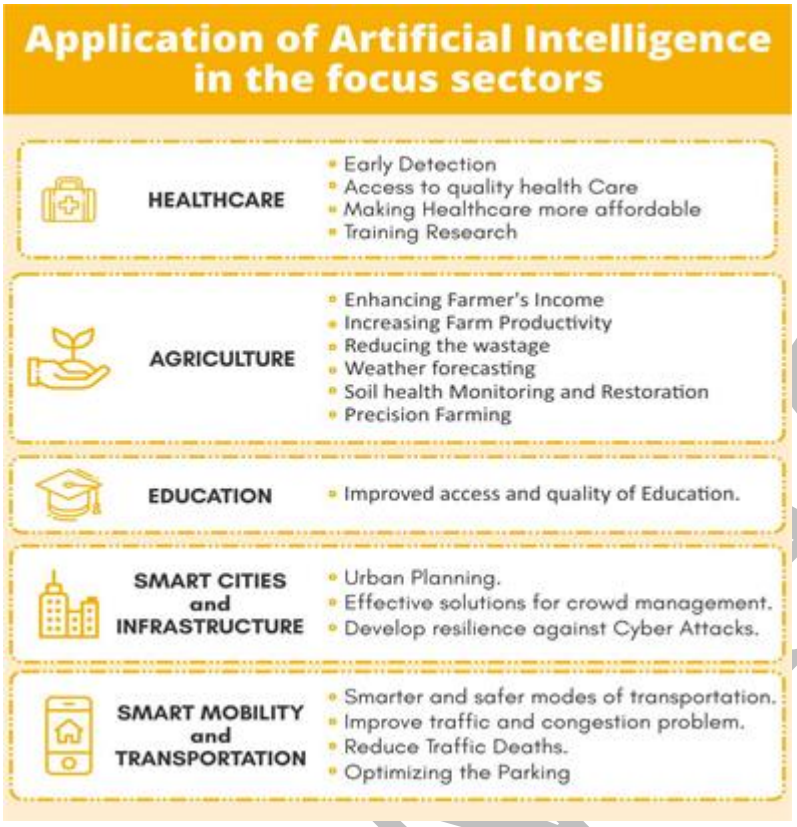

आगे की राह

- **सुदृढ़ डेटा अवसंरचना:** बड़े पैमाने पर कृषि में AI के सफल परिनियोजन से पूर्व कृषिगत डाटा अवसंरचना को अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती हुई समझ और क्षमता में सुधार:** सभी क्षेत्रों में, AI संचालित समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार के भीतर क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- **ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म:** एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म समाधानों को अधिक वहनीय बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा तीव्रता से अपनाया जाएगा और उनके मध्य अत्यधिक पहुँच स्थापित होगी।
- **किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना:** सरकार को AI को अपनाने के लिए कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा इसे किसानों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण और निवेश सुनिश्चित करना:** AI से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। AI के क्षेत्र में शोध को अधिक बेहतर बनाने के लिए AI में उत्कृष्टता केंद्र (COE) पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों के मध्य सहयोग:** उद्योग, सरकार और अन्य सभी हितधारकों को कृषि क्षेत्र में व्यावहारिक समाधान के लिए सहयोग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन** को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा स्थापित **'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CoE in AI)'** AI क्षेत्र में नए प्रगतिशील समाधानों के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर NIC की परियोजनाओं के लिए समाधानों का परीक्षण और विकास किया जा सकता है।
- **नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (N-AIM):** एक अंतर-मंत्रालयी N-AIM की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। तथा इस हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

N-AIM की प्रमुख विशेषताएँ

- अकादमिक सेवा उद्योग (एकेडेमिया सर्विस इंडस्ट्री), उत्पाद उद्योग, स्टार्ट-अप और सरकारी मंत्रालयों के मध्य **साझेदारी** नेटवर्क की

स्थापना के लिए वित्त प्रदान करना;

- **नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज फंड** की स्थापना तथा उसे प्रशासित करना;
- AI-यात्रा के माध्यम से AI के बारे में जागरूकता में वृद्धि करना;
- **राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के मध्य समन्वय:** PPP मॉडल तथा स्टार्ट-अप के माध्यम से AI आधारित उत्पादों तथा प्रौद्योगिकी के विकास एवं व्यावसायीकरण में तीव्रता लाना,
- अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **उत्कृष्टता केंद्रों (सेंटर फॉर एक्सीलेंस) की स्थापना** करना,
- AI आधारित उत्पादों के प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए एक जेनेरिक **AI टेस्ट बेड** को स्थापित करना,
- एक अंतर-अनुशासनिक तथा समर्पित वृहत **डेटा एकीकरण केंद्र** को वित्त पोषित करना।

भारत की AI संबंधी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वि-स्तरीय अनुसंधान संरचना

सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस (CORE)	इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ICTAI)
यह विद्यमान मूलभूत (कोर) अनुसंधान की बेहतर समझ विकसित करने और **नए ज्ञान के सृजन** के माध्यम से प्रौद्योगिकी की सीमाओं का विस्तार करने पर केंद्रित है।	यह **अनुप्रयोग-आधारित अनुसंधान के विकास और प्रसार** हेतु अधिदेशित है। **निजी क्षेत्र** की सहभागिता को ICTAIs का एक प्रमुख आयाम माना जाता है।

- आकांक्षी जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि विकसित करने हेतु **नीति अयोग और IBM** के मध्य एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई और उपज के आकलन के लिए पायलट आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना आरंभ किया है।
- माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा कृषि और स्वास्थ्य सेवा को स्मार्ट बनाने के लिए AI सेंसर का उपयोग किया जा रहा है।

7.2. बिग डेटा

(Big Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में IIT-दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा रोगों का पता लगाने और पैथोलॉजी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए बिग डेटा का प्रयोग किया गया।

बिग डेटा के बारे में

- **बिग डेटा** से आशय डेटा सेट के अनुप्रयोग से है जिसका आकार या प्रकार ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस (traditional relational databases) की क्षमता से अधिक होता है तथा जो लो-लेटेंसी के साथ डेटा को अधिग्रहित, प्रबंधित और प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं।
- **बिग डेटा एनालिटिक्स**, अत्यधिक व्यापक एवं विविध डेटा सेट के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकी अनुप्रयोग हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संरचित, अर्ध-संरचित और असंरचित डेटा (structured, semi-structured and unstructured data) शामिल हैं। यह आकार में टेराबाइट्स से लेकर ज़ेटाबाइट्स तक हो सकते हैं।

बिग डेटा के लाभ

- **निर्णय निर्माण में सुधार करता है:** बिग डेटा व्यवसायों को त्वरित सूचना का विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करता है। केवल लाभ और हानि पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, यह सूचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करता है तथा इस प्रक्रिया में प्रत्येक कारक को शामिल किया जाता है जो संभवतः व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं।
- **कंपनी और ग्राहक की जानकारी को सुरक्षित रखता है:** चूंकि बिग डेटा द्वारा किसी भी व्यापार नेटवर्क में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाया जा सकता है, इसके साथ ही यह साइबर अपराध से संरक्षण और नेटवर्क की समग्र सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

- **प्रभावी विपणन में समर्थ बनाता है:** बिग डेटा हमें विपणन संबंधी प्रवृतियों के बारे में सूचित करता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि आवश्यकताओं और उद्देश्यों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विपणन पद्धति का चयन किया जाए। यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।
- **लागत और समय में कमी लाता है:** बिग डेटा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और परिचालन दक्षता में सुधार कर लागतों को कम करने में सहायता करता है। इसका उपयोग व्यय लागतों (incurring costs) की प्रवृत्तियों, प्रतिमानों और संभावनाओं की पहचान करने में किया जा सकता है।
- **बेहतर उत्पाद डिजाइनिंग:** यह डेटा की बेहतर जानकारी और विश्लेषण के साथ उत्पादों को बेहतर तरीके से डिजाइन करने में सहायता करता है।

विभिन्न क्षेत्रों में बिग डेटा के अनुप्रयोग

- **बैंकिंग:** अनगिनत स्रोतों से बड़ी मात्रा में सूचनाओं की स्ट्रीमिंग होती है जिसके मद्देनजर बैंकों को बिग डेटा के प्रबंधन के लिए नए एवं नवाचारी तरीकों को खोज करनी पड़ती है। बिग डेटा वृहद् अंतर्दृष्टि (insights) प्रदान करने में सहायता करता है, किन्तु इसके लिए वित्तीय संस्थानों को उन्नत एनालिटिक्स के प्रयोग के रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है।
- **शिक्षा:** बिग डेटा का विश्लेषण कर, शिक्षक छात्रों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की पहचान कर सकते हैं, छात्रों की पर्याप्त प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं तथा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के मूल्यांकन और समर्थन हेतु एक बेहतर प्रणाली के रूप में लागू की जा सकती है।
- **शासन:** जब सरकारी एजेंसियां अपने बिग डेटा का विश्लेषण करने और उनका बेहतर प्रयोग करने में सक्षम होती हैं, तब वे अनेक मामलों जैसे सरकारी सेवाओं का प्रबंधन करने, एजेंसियों को संचालित करने, ट्रैफिक की समस्या से निपटने अथवा अपराध को रोकने आदि में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करती हैं।
- सरकार द्वारा कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए वर्ष 2017 में **प्रोजेक्ट इनसाइट** नामक एक परियोजना का शुभारम्भ किया गया था। इस परियोजना में डेटा माइनिंग तकनीकों की सहायता ली गई और भ्रष्टाचार मुक्त देश के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण भी किया गया था।
- आंध्र प्रदेश अपनी सरकार द्वारा प्रत्येक विभागों के निष्पादन की निगरानी हेतु एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली आरंभ करने के लिए बिग डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है।
- ओडिशा सरकार द्वारा डेटा एनालिटिक्स तकनीक को अपनाया जा रहा है ताकि लाभ से वंचित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित किया जा सकें।

- **स्वास्थ्य देखभाल:** जब बिग डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है, तब स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ऐसी स्वास्थ्य संभावनाओं का पता लगा सकते हैं जो रोगी की देखभाल में सुधार करते हों।
- **विनिर्माण:** बिग डेटा अपशिष्ट को कम करते हुए (ऐसी प्रक्रियाएं जो वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजार में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं) विनिर्माता गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **कृषि:** फसल दक्षता को अधिकतम करने के लिए सेंसर डेटा का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षण फसलों के रोपण और सिमुलेशन को संचालित (planting test crops and running simulations) करके इसे विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन के प्रति पादपों की अनुक्रिया का मापन करने के लिए किया जाता है।

चुनौतियां

- **डेटा की बढ़ती हुई मात्रा के साथ समन्वय स्थापित करना:** यद्यपि डेटा को संग्रहीत करने के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया है, प्रत्येक दो वर्ष में डेटा वॉल्यूम दोगुना हो रहा है। संगठन अभी भी अपने डेटा के साथ समन्वय बनाए रखने और इसे प्रभावी ढंग से संग्रहीत करने के तरीकों की खोज हेतु संघर्षरत हैं।
- **डेटा वैज्ञानिकों की कमी:** भारत के पास वैश्विक स्तर पर उपलब्ध डेटा वैज्ञानिकों की संख्या का 10% से भी कम है, जबकि अमेरिका में बिग डेटा और एनालिटिक्स डोमेन में लगभग 40% से अधिक कुशल पेशेवर उपलब्ध हैं।

- **गोपनीयता संबंधी समस्या:** ग्राहक डेटा के उपयोग के संदर्भ में गोपनीयता एक व्यापक चिंता की विषय बन गई है। बिग डेटा एनालिटिक्स के तहत असंबंधित प्रतीत होने वाले विभिन्न डेटा के मध्य निहित अंतर्संबंध को प्रकट कर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाओं को सार्वजनिक करने की संभावनाएं बनी हुई है।
- **आउटसोर्सिंग के कारण सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** डेटा विश्लेषण की आउटसोर्सिंग केवल सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि करती है क्योंकि ग्राहकों की आय, गिरवी संपत्ति (mortgages), बचत और बीमा पॉलिसियों जैसी सूचनाओं को कुछ उद्देश्यों के लिए साझा किया जाना आवश्यक होता है।
- **गुणवत्तापूर्ण डेटा की उपलब्धता:** बिग डेटा के उपयोग को सक्षम बनाने हेतु इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में से एक गुणवत्तापूर्ण डेटा की उपलब्धता है। विकास क्षेत्रक से संबंधित अधिकांश आंकड़ों का डिजिटलीकरण होना अभी शेष है।
- **तकनीकी समस्या:** बिग डेटा को प्रायः वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण और विभेदकारी डेटा सेट का निर्माण हो सकता है। इसलिए, डेटा की मात्रा को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि डेटा की गुणवत्ता और विश्लेषण की विधि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसमें विशेषज्ञता प्राप्त कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों का अभी भी अभाव है।
- **बिग डेटा में नैतिकता:** इसमें नैतिक आधार को बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में निजी डेटा शामिल होते हैं तथा इस संबंध में प्रश्न उठाए जाते हैं कि इसे किस प्रकार और कहां उपयोग किया जाना चाहिए ।
- **डेटा स्रोतों में सिंक्रनाइज़ेशन की आवश्यकता:** जैसे-जैसे डेटा सेट अधिक विविध होते जाते हैं, उन्हें एक एनालिटिकल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है, तो यह अंतराल उत्पन्न कर सकता है और गलत जानकारी और संदेश प्रदान कर सकता है।

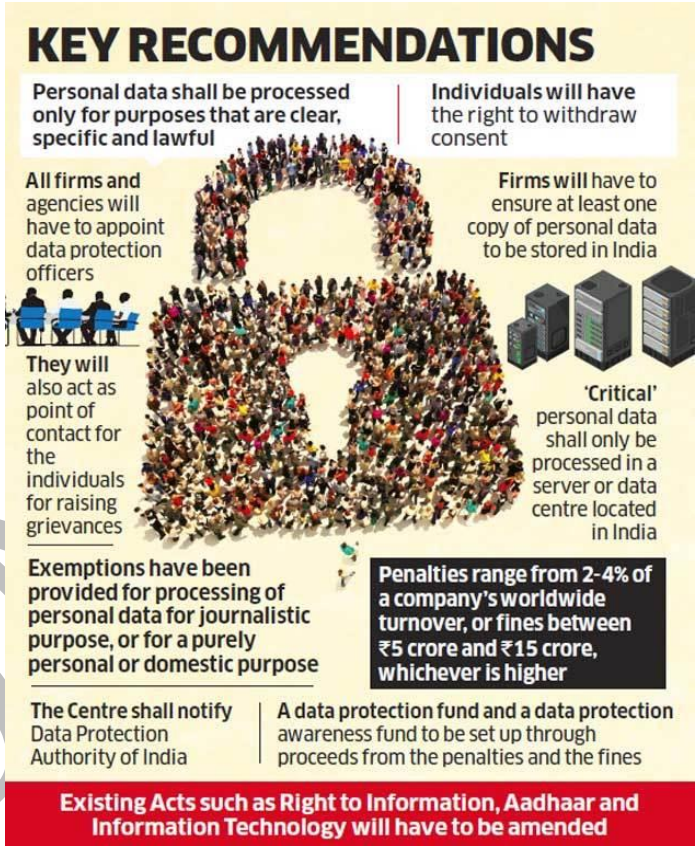

आगे की राह

- **बिग डेटा की व्यापक स्वीकृति:** सभी सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को बिग डेटा के उपयोग के बारे में जागरूक होना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा:** डेटा को सुरक्षित बनाने और साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **गोपनीयता:** डेटा प्रबंधन द्वारा बिग डेटा एनालिटिक्स के संबंध में नैतिक मुद्दों को चिन्हित किया जाना चाहिए। साथ ही डेटा गोपनीयता के संबंध में नीति तैयार की जानी चाहिए। डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा वित्त पोषण में वृद्धि:** अनुसंधान और अन्य संस्थान को बिग डेटा के अनुप्रयोगों के बेहतर उपयोग करने हेतु सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के संबंध में समझ विकसित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **डेटा सेंटर की स्थापना:** डेटा के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और विश्लेषण हेतु सरकार को डेटा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **प्रशिक्षण:** बिग डेटा के बेहतर प्रबंधन संबंधी समझ हेतु डेटा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

बिग डेटा एनालिटिक्स में शामिल कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां

- **मशीन लर्निंग:** यह AI का एक विशिष्ट उप-समूह है। इसका कार्य एक मशीन को सीखने के लिए प्रशिक्षित करना है, यह शीघ्र और स्वचालित रूप से उन मॉडलों के उत्पादन को संभव बनाता है जो बड़े, अधिक जटिल डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और यहां तक कि वृहद पैमाने पर भी त्वरित गति से अधिक सटीक परिणाम दे सकते हैं।
- **डेटा माइनिंग:** डेटा माइनिंग तकनीक डेटा में पैटर्न की खोज करने हेतु बड़ी मात्रा में डेटा की जांच करने में सहायता प्रदान करता है तथा पैटर्न द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग जटिल व्यावसायिक प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।
- **प्रिडिक्टिव एनालिसिस:** यह ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भावी परिणामों की संभावना की पहचान करने हेतु डेटा, सांख्यिकीय एल्गोरिदम और मशीन-लर्निंग तकनीकों का उपयोग करती है।

बिग डेटा की क्षमता

- **वैश्विक बिग डेटा बाजार** तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है और वर्ष 2022 तक इसके 118.52 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- वर्तमान में **भारत में एनालिटिक्स, डेटा साइंस और बिग डेटा इंडस्ट्री** का मूल्य राजस्व के रूप में 17,615 करोड़ रुपये (FY18) होने की संभावना है, जो 33.5% CAGR की उचित दर से वृद्धि कर रही है। वर्ष 2025 तक भारत में यह 1,30,000 करोड़ रुपये वाले उद्योग के रूप में उभरने का अनुमान है।
- **नई तकनीकों के उद्भव** के कारण नौकरियां IT क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- **सतत विकास लक्ष्य:** वर्ष 2030 का एजेंडा स्पष्ट रूप से सतत विकास के लिए डेटा क्रांति की मांग करता है।
- **केप टाउन ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट डाटा**: यह सतत विकास के लिए डेटा के छह रणनीतिक क्षेत्रों के तहत महत्वपूर्ण कार्रवाइयों के लिए सरकारों, नीति नेतृत्वकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रतिबद्धता की मांग करता है। डेटा के **ये छह रणनीतिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं**:
  - इसका प्रसार और उपयोग करना।
  - समन्वय और रणनीतिक नेतृत्व।
  - राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों का आधुनिकीकरण और नवाचार।
  - आधारभूत सांख्यिकीय गतिविधियों और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
  - बहुपक्षीय-हितधारक साझेदारी।
  - क्षमता निर्माण के लिए संसाधनों को संगठित एवं प्रयासों को समन्वयित करना।

बिग डेटा के लिए भारत सरकार की पहलें

- **बिग डेटा प्रबंधन नीति, 2016:** इसका शुभारम्भ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया था। इसने डेटा एनालिटिक्स सेंटर (देश में अपनी तरह का प्रथम) का मार्ग प्रशस्त किया। इसका उद्देश्य भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में क्षमता निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में डेटा समृद्ध परिवेश का लाभ उठाना है।
- **नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, 2018:** NITI आयोग निजी तकनीकी कंपनियों के सहयोग से इसे विकसित करने की योजना बना रहा है।
- भारत सरकार विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए **ओपन डेटा पॉलिसी** पर भी कार्य कर रही है।
- **राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (NDSAP), 2012:** इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों की अग्रसक्रिय और मुक्त पहुंच के लिए एक मंच तथा सक्षमकारी प्रावधान उपलब्ध कराना है।
- **ओपन गवर्नमेंट डेटा (OGD) प्लेटफार्म इंडिया - data.gov.in -** यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में सरकारी डेटा के कई और अभिनव उपयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है।
- नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी (NASSCOM) द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम के अद्यतन (curriculum upgradation) का प्रस्ताव रखा गया है।

7.3. क्रिप्टोकरेंसी

(Cryptocurrency)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, 'आभासी मुद्राओं (Virtual Currencies) के संबंध में की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों के प्रस्ताव हेतु गठित समिति की रिपोर्ट' वित्त मंत्रालय को सौंपी गई।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने आभासी मुद्राओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस मामले में विशिष्ट कार्रवाई का प्रस्ताव करने के लिए एक **अंतर-मंत्रालयी समिति** का गठन किया है।
- समिति ने **क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का नियमन, 2019**' के प्रारूप के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

VISION IAS

क्रिप्टोकरेंसी के बारे में

- यह **आभासी प्रकार की एक गैर-वैधानिक मुद्रा (non-legal tender)** है जिसका उपयोग वैधानिक मुद्रा के स्थान पर किया जा सकता है तथा यह ऑनलाइन / क्रिप्टोकरेंसी सदस्य समुदायों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल रूप में उपयोग की जाती है। आभासी मुद्राएँ क्रिप्टोकरेंसी की एक प्रकार होती हैं।
- लोगों के मध्य सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाली पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) थी, जिसे वर्ष 2009 में सातोशी नाकामोतो के छद्मनाम से व्यक्ति या समूह द्वारा लांच किया गया था।
- बिटकॉइन के अतिरिक्त, एथेरियम (Ethereum), रिपल (Ripple) और कार्डानो (Cardano) सहित कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी प्रचलित हैं।
- अब तक लगभग 2116 क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में हैं, जिनकी बाजार पूंजीकरण 119.46 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019' का प्रारूप:

- यह विधेयक इस विषय से संबद्ध विभिन्न शब्दों जैसे क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल रुपया, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आदि को परिभाषित करता है।
- **पूर्ण प्रतिबंध-** उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति भारत के क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी को माइन, सृजन, धारण, बिक्री, समझौता, जारी, स्थानांतरण, निपटान अथवा उपयोग नहीं करेगा।
- **डिजिटल रुपया और विदेशी डिजिटल मुद्रा का विनियमन-** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- इसके तहत **विधेयक से संबंधित अपराध एवं दंड को परिभाषित** किया गया है।
- **जांच प्राधिकरण की शक्तियां**- जिसे केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

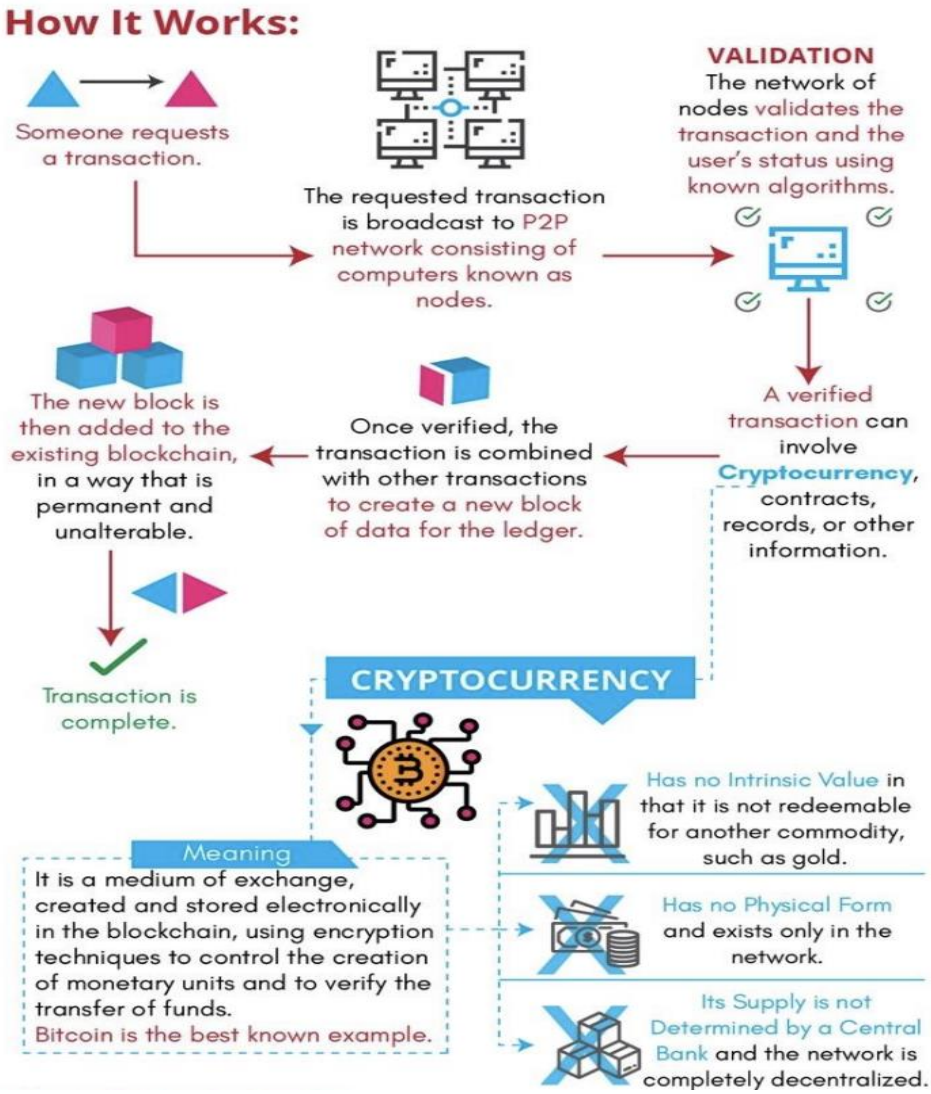

डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (Distributed Ledger Technology): डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र अपने संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेज़र (एक पारंपरिक लेज़र की तरह डेटा को केंद्रीकृत रखने के बजाय) में ट्रांसजेकशन के रिकॉर्ड रखने, शेयर और सिंक्रोनाइज़ करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यरत कंप्यूटर (नोड्स के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर का एक प्रकार है।

ब्लॉकचेन (Blockchain)

- यह इलेक्ट्रॉनिक लेजर (बहीखाता) है जो क्रिप्टोकरेंसी की प्रथम इकाई के निर्गमन के समय से सभी लेनदेन (ट्रांसजेकशन) का रिकॉर्ड रखता है।
- यह किसी भी निर्दिष्ट समय पर मुद्रा की सभी इकाइयों (यूनिट्स) की समग्रता को वैधता प्रदान कर सकता है।
- यह एक साथ संबद्ध डेटा की एक श्रृंखला होती है। क्रिप्टोग्राफ़िक सिद्धांतों का उपयोग करने वाले समूह (batches) में प्रत्येक लेनदेन श्रृंखला से संबद्ध होता है, जिससे ब्लॉक्स (blocks) का निर्माण होता है।
    - ब्लॉक्स एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके पास विशिष्ट पहचानकर्ता कोड (जिसे हैशेज कहा जाता है) होते हैं जो उन्हें पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती ब्लॉक से जोड़ता है।
    - सामान्यत: लेन-देन के निरंतर लेज़र के रूप में यह एक ब्लॉकचेन का निर्माण करता है।
    - यह किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होता है।
    - यह श्रृंखला कई कंप्यूटर प्रणालियों में प्रबंधित और संग्रहीत की जाती है।
    - प्रत्येक लेज़र को सिस्टम से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर पर साझा, प्रतिलिपित और भंडारित किया जाता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- ब्लॉकचेन तकनीक, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए अत्यावाशक है।
- इस तकनीक द्वारा प्रदत्त पारदर्शिता और सुरक्षा, कुछ प्रमुख कारणों में से हैं, जिनके कारण क्रिप्टोकरेंसी सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है।
- इस तकनीक को मध्यस्थों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रदान करने, भ्रष्टाचार को कम करने तथा सेवा वितरण की गति में सुधार करने जैसे इसके लाभों के कारण रिटेल (खुदरा क्षेत्र), विनिर्माण और बैंकिंग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है।
- यह सार्वजनिक लेनदेन से संबंधित सरकारी आंकड़ों को बनाए रखने में विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, यदि सभी भूमि रिकॉर्ड को प्रत्येक संपत्ति की उत्तरोत्तर खरीद एवं बिक्री को एक ब्लॉक के रूप में दर्ज करने के साथ ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित किया जाता है जहां इसके लिए सार्वजनिक रूप से पहुंच स्थापित हो सकती है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, जिससे शासन प्रणाली और अधिक आसान हो जाएगी।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी

- वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी आदान-प्रदानों को विनियमित नहीं किया जाता है।
- वित्त मंत्री ने वर्ष 2017 के बजट भाषण में **क्रिप्टोकरेंसी को पोंजी स्कीम के रूप में** संदर्भित करते हुए यह वक्तव्य दिया कि "पोंजी स्कीमों में निवेश संबंधी जोखिम वास्तविक है जिनमें उच्च वृद्धि देखी गई है"।
- भारत में एक स्व-नियामक निकाय, जिसे **डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचैन फाउंडेशन इंडिया** के रूप में जाना जाता है, को डिजिटल संपतियों से संबद्ध व्यवसायों के बेहतर कार्यप्रणाली का प्रचार करने हेतु स्थापित किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं से संबद्ध जोखिमों के बारे में लोगों को चेतावनी दी है तथा भारत के मौजूदा विधिक ढांचे के तहत आभासी मुद्राओं के परीक्षण करने का सुझाव भी दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लाभ

- **निजता की सुरक्षा:** छद्म नामों का उपयोग लेनदेन करने वाले पक्षकारों की पहचान, जानकारी और विवरण को सुरक्षित रखता है।
- **लागत-प्रभावशीलता:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन (लेनदेन) पर अत्यधिक शुल्क और प्रभार लगाए जाते हैं, जब लेन-देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तब मुद्राओं के रूपांतरण (currency conversion) भी होती है, जिससे इनकी लागत और भी उच्च हो जाती है। इन पर बैंकों, थर्ड पार्टी क्लीयरेंस हाउसेस अथवा पेमेंट गेटवे के द्वारा भी शुल्क लगाया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उनका मान समान होता है, इसके साथ ही इनमें लेनदेन शुल्क भी काफी कम होता है जो लेनदेन की राशि का मात्र 1% तक हो सकता है।
- **प्रवेश संबंधी बाधाओं में कमी**: क्रिप्टोकरेंसी प्रवेश संबंधी बाधाओं में कमी करते हैं, इनके उपयोगकर्ताओं में सम्मिलित होना निशुल्क होता है तथा उनकी उपयोगिता उच्च होती है। इसके उपयोगकर्ताओं को आय, पते या पहचान के लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती है।

VISION IAS

- **बैंकिंग प्रणाली एवं वैध मुद्राओं (फ़िएट करेंसी) का विकल्प**: सरकारों का बैंकिंग प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण और अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं अथवा मौद्रिक नीतियों पर कठोर नियंत्रण एवं विनियमन होता है। क्रिप्टोकरेंसी राष्ट्रीय अथवा निजी बैंकिंग प्रणाली के प्रत्यक्ष नियंत्रण से पृथक उपयोगकर्ता को धन के विनिमय का एक विश्वसनीय और सुरक्षित साधन प्रदान करती है।
- **ओपन सोर्स पद्धति और सार्वजनिक भागीदारी**: फ्रेमवर्क, कार्य पद्धति, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु इनके पास आम सहमति आधारित निर्णय निर्माण, अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण और सेल्फ-पुलिसिंग तंत्र विद्यमान है।
- **सरकार के नेतृत्व में वित्तीय प्रतिकार से उन्मुक्ति**: दमनकारी देशों में नागरिकों के लिए, जहां सरकारें आसानी से उनके बैंक खातों को बंद (freeze) या जब्त (seize) कर सकती हैं, क्रिप्टोकरेंसी, राज्य द्वारा इस प्रकार के किसी भी जब्ती से उन्मुक्ति प्रदान करती हैं।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मुद्दे

- **डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) से संबद्ध जोखिम**: DLT के वर्तमान संस्करण, (जिनमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है) में लेनदेन की दर सीमित है। इससे इसका विस्तार भी कठिन हो जाता है। यदि DLT को बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रणाली में लागू किया जाता है, तो DLT प्रणाली के विभिन्न संस्करणों को एक-दूसरे के साथ **परस्पर संचालित** किए जाने की आवश्यकता है।
- **निगरानी क्षमता (ट्रैसेबिलिटी) का अभाव:** इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण का प्रयोग करके क्रिप्टो-असेट को संग्रहित और स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि कोई केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म नहीं हैं, तो क्रिप्टो-असेट्स में लेनदेन करने वाले व्यक्ति ऐसा बिना किसी नो-योर कस्टमर (KYC) के पीयर-टू-पीयर स्तर पर कर सकते हैं।
- **अत्यधिक मूल्य अस्थिरता:** क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आता रहता है जिसके कारण बाजार एवं अर्थव्यवस्था में पुनः अस्थिरता आरंभ हो जाती हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण और विवाद निपटान तंत्र के संबंध में अनिश्चितता:** क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत होती हैं, इसका तात्पर्य है कि मध्यस्थता या विवाद निवारण के लिए कोई एकल प्राधिकरण नहीं है। पक्षकारो के मध्य विवादों की स्थिति में माइनर उसके निपटन के उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके विनिमय भी अपरिवर्तनीय होते हैं।
- **एक सुपरिभाषित विधिक ढांचे का अभाव:** अधिकांश देशों में, देश के भीतर और बाहर क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य और प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक उचित विधिक ढांचे का अभाव है जो एक विकेंद्रीकृत मुद्रा को नियंत्रित करने हेतु बाधा उत्पन्न करता है।
- **कराधान:** कराधान का मामला क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुख्य चिंताओं में से एक है। उनकी छद्म अनामिकता के कारण यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो उन्हें संपत्ति छिपाने के साधनों द्वारा कर अपवंचन के उद्देश्य के लिए आसानी से नियोजित किया जा सकता है।
- **सुरक्षा की कमी:** क्रिप्टोकरेंसी प्रणाली मैलवेयर हमलें, हैकिंग अथवा काउंटरसाइन की क्षति के लिए उत्तरदायी है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम**: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप क्रिप्टो-एसेट्स के लिए संपूर्ण बाजार को एक अंडरग्राउंड बाजार बनाया जा सकता है, जहां व्यापार या तो नकद अथवा पता न लगाए जाने सकने वाले साधनों का उपयोग करते हुए होगा।
- **स्वीकृति संबंधी मुद्दे:** कुछ व्यक्ति इसे नकद के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और क्रिप्टोकरेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करने का विरोध करते हैं।

आगे की राह

- **क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने से संबंधित समिति की अनुसंशाएं**
  - सरकार द्वारा जारी की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
  - भारत में डिजिटल मुद्रा के एक उपयुक्त मॉडल की जांच एवं विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) की भागीदारी के साथ आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक विशिष्ट समूह का गठन किया जा सकता है।
  - जब एक **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा** को अधिसूचित किया जाता है, तो रिज़र्व बैंक उसका उपयुक्त नियामक होना चाहिए।
  - **आर्थिक मामलों के विभाग** द्वारा डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (DLT) के अनुप्रयोग की पहचान की जानी चाहिए तथा संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में DLT के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
- **इस संबंध में कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं:**
  - धोखाधड़ी और डेटा लीक के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों को अपग्रेड करना।

- असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों और शत्रु देशों द्वारा नई मुद्रा के दुरुपयोग से बचाव हेतु कुछ प्रकार के वैश्विक निरीक्षण की व्यवस्था करना।
- भविष्य में इन मुद्राओं के प्रयोग को आरंभ करने के लिए वृहत इंटरफ़ेस के साथ कर अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना।
- इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा प्रदान करना।

7.4. गगनयान

(Gaganyaan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद** का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों और उद्योगों के सदस्य सम्मिलित हैं।

गगनयान सलाहकार परिषद के बारे में

- इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अंतरिक्ष विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, प्रमुख अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, विभिन्न भारतीय उद्योगों के प्रमुख आदि सम्मिलित हैं।
- इसके द्वारा **गगनयान की समग्र परियोजना स्थिति** (तकनीकी विवरणों को शामिल करते हुए) **पर चर्चा की गई** साथ ही, विभिन्न राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित किया गया है।
- **इसके द्वारा गगनयान मिशन को पूरा करने हेतु उद्योगों सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताएँ निर्धारित किए जाने की आवश्यकता** पर बल दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत द्वारा **पहली बार 2004 में** अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त मिशन भेजने की परिकल्पना की गयी थी।
- भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्वदेशी मिशन गगनयान परियोजना की **घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी।**
- विगत कुछ वर्षों में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा ऐसी अनेक तकनीकों का विकास एवं परीक्षण किया गया है जो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत **स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (SRE-2007), क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट (CARE-2014), GSLV Mk-III (2014), रियूजेबल लॉन्च व्हीकल- टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (RLV-TD), क्रू एस्केप सिस्टम और पैड एबॉर्ट टेस्ट** सम्मिलित हैं। हाल ही में, ISRO ने एक स्पेस कैप्सूल (क्रू मॉड्यूल) और स्पेस सूट प्रोटोटाइप का भी अनावरण किया है।
- देश की गगनयान परियोजना के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु इसरो ने **रूसी कंपनी ग्लावकॉस्मॉस** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - इसरो द्वारा **फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES** के साथ अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी, विकिरण सुरक्षा और लाइफ सपोर्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता के मामलों में सहयोग स्थापित किया जाएगा।

गगनयान मिशन के बारे में

- यह **एक क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट** है जिसके द्वारा तीन लोगों को (सात दिनों तक) अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है।
- इसके साथ ही रूस, अमेरिका एवं चीन के पश्चात् **किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा।**
- इस कार्यक्रम के **वर्ष 2022 से पहले ही पूरा होने की संभावना है।**
- ISRO द्वारा दिसंबर 2021 तक मानव मिशन प्रारम्भ करने से पूर्व **दो मानव रहित गगनयान मिशन** (दिसंबर 2020 तथा जुलाई 2021 में) की भी योजना बनाई गई है।
- **गगनयान को प्रक्षेपित करने हेतु GSLV Mk III** (तीन-चरण वाला हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल) का उपयोग किया जाएगा, जिसके पास इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता उपलब्ध है।
- इस अंतरिक्ष यान को **300-400 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा (low earth orbit)** में स्थापित किया जाएगा। अपने प्रक्षेपण के 16 मिनट के भीतर ही चालक दल अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे, जहां चालक दल **पांच से सात दिनों तक रहेंगे।** इस यान की वापसी में लगभग 36 मिनट का समय लगने का अनुमान है।
- मौजूदा रूसी सोयुज, चीनी शेनझोउ, नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान की तुलना में **गगनयान का आकार छोटा होगा।**

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- यद्यपि औपचारिक समझौते अभी तक नहीं किए गए हैं, किंतु अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **इसरो द्वारा भारतीय वायु सेना और इसके बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन** के साथ सहयोग किया जाएगा।
    - मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के **अंतरिक्ष यात्री अधिकांशत: पायलट होंगे।**

गगनयान भारत के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है?

- **देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में संवर्धन:** गगनयान के लगभग 60 प्रतिशत उपकरणों की प्राप्ति भारतीय निजी क्षेत्र से की जाएगी, अतः यह एक प्रकार का निवेश हैं जिसके माध्यम से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
    - **उदाहरण के लिए:** यह कार्यक्रम परीक्षणों का संचालन करने तथा भावी प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण स्थल (टेस्ट बेड) के लिए अंतरिक्ष में एक विशिष्ट माइक्रो ग्रेविटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।
- **विभिन्न एजेंसियों का समावेशन:** गगनयान कार्यक्रम के तहत इसरो, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों के मध्य सहयोग हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित किया जाएगा।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** इस कार्यक्रम द्वारा देश में रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा प्राप्त होगा।
- **युवाओं के लिए प्रेरणादायी:** यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास हेतु बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- **सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास:** चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, जल तथा खाद्य संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उपोत्पाद (spinoffs) हेतु अपार क्षमता विद्यमान है।
- **अंतरिक्ष कूटनीति:** यह नवीन अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्पेस टू स्पेस डिप्लोमेसी को बढ़ावा प्रदान करेगा।
- **औद्योगिक विकास में सुधार:** इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमताओं को एकत्रित करके शोध अवसरों तथा तकनीकी विकास में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।

इस कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियां

- **अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण:** भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, हालांकि ISRO ने 2000 के दशक से ही अपने अंतरिक्ष यात्री के लिए स्वदेशी प्रशिक्षण केंद्रों की मांग की थी परन्तु अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
- **अत्यधिक निवेश की आवश्यकता:** इस कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अत्यधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है।
- **बायोसाइंस के क्षेत्र में:** ISRO ने मिशन के इंजीनियरिंग पहलुओं को पूरा कर लिया है, जबकि बायोसाइंस ISRO के लिए एक नया क्षेत्र है जिसके लिए अधिक तकनीकी ज्ञान, सहयोग और अन्य संगठनों से समर्थन की आवश्यकता है।
    - आवास योग्य अंतरिक्ष परिमंडल (habitable space ecospheres) सृजित करने के लिए एक्सोटिक मटेरियल और फर्स्ट क्लास रीसाइक्लिंग सिस्टम के विकास सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की भी आवश्यकता होती है।
- **विकिरण:** अंतरिक्ष स्टेशनों में, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तुलना में दस गुना अधिक विकिरण की प्राप्ति होती है। विकिरण से अत्यधिक संपर्क होने से कैंसर संबंधी खतरों में वृद्धि हो सकती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकता है।
- **तकनीकी चुनौतियां**
    - **गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र:** एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पारगमन जटिल होता है। भारत में ऐसे गहन एवं केंद्रित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कि गुरुत्वीय बल का अनुभव करने के लिए अपकेन्द्रण यंत्र के साथ ही ऐसी विमान प्रणालियों का भी अभाव है जो शून्य गुरुत्व परिस्थितियों का अनुरूपण कर सकें।
    - **प्रतिकूल वातावरण:** अंतरिक्ष का वातावरण प्रतिकूल होता है। गुरुत्वाकर्षण का अभाव और विकिरण के खतरे के अतिरिक्त, वहां किसी भी प्रकार का वायुमंडल विद्यमान नहीं है। अत: वायुदाब की अनुपस्थिति में मानव के रक्तदाब में अत्यधिक वृद्धि होगी।
        - 'गगनयान' मिशन के अंतर्गत एक छोटे क्षेत्र के भीतर पृथ्वी जैसे वायुमंडल सदृश्य परिस्थितियों का सृजन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपूर्ण मिशन के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तथा अनुकूल तापमान और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखा जाए।

VISION IAS

- **GSLV Mk III का उन्नयन करना:** गगनयान हेतु एक ऐसे वृहत रॉकेट की आवश्यकता होगी जो भारी कैप्सूल का प्रक्षेपण करने में सक्षम हो। बड़े उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने हेतु जियो-सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) मार्क III को डिज़ाइन किया गया तथा अब इस प्रक्षेपण यान (लांचर) के माध्यम से मानव को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा।
- **परिशुद्ध प्रौद्योगिकी:** एक प्रणाली की विश्वसनीयता इतनी अधिक होनी चाहिए कि 500 प्रक्षेपणों में से केवल एक ही प्रक्षेपण के विफल होने की सम्भावना हो। उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराने हेतु अत्यधिक सटीक गति एवं कोण की आवश्यकता होती है और इसमें अति सूक्ष्म विचलन भी इसे दुर्घटना में परिवर्तित कर सकता है।

निष्कर्ष

यह मिशन संपूर्ण अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा प्रदान करेगी, साथ ही यह पेलोड (एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इसे पहले से ही उत्कृष्टता प्राप्त है) की निम्न लागत वाले प्रक्षेपण के परे विद्यमान चुनौतियों का सामना करने हेतु बल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ मिशनों में रोबोटों की तुलना में मनुष्यों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। इससे संबंधित संभावनाएं भविष्य पर निर्भर करती हैं, किन्तु अंतरिक्ष क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं का विकास, उद्योग क्षेत्र को पूर्व में ही बेहतर रूप से उन्नत बनाने में सहायक होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में उत्पन्न तकनीकी ज्ञान को भविष्य में उपयोग किया जाएगा, चाहे वर्तमान में संभवतः ये अधिक स्पष्ट न हो।

7.5. चन्द्रयान 2

(Chandrayaan 2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन को प्रक्षेपित किया है।

पृष्ठभूमि

- चंद्रयान -2, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित मिशन है, यह भारत का **द्वितीय चंद्र अन्वेषण मिशन** है। इसके निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:
  - **ऑर्बिटर:** चंद्रमा की सतह का अवलोकन और पृथ्वी एवं चंद्रयान 2 के लैंडर (विक्रम) के मध्य सूचनाओं के संचार में सहायता प्रदान करेगा।
  - **लैंडर (जिसे 'विक्रम' कहा जाता है)** - लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की प्रथम नियंत्रित लैंडिंग (soft landing) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **रोवर (जिसे 'प्रज्ञान' कहा जाता है)** - रोवर, एक AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारा संचालित 6-पहिया वाहन है, जो चंद्रमा की सतह पर संचलन करेगा तथा रासायनिक विश्लेषण संबंधी सूचनाएं प्रदान करेगा।
- **प्रक्षेपण यान (Launcher):** इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk-III-M1 द्वारा लॉन्च किया गया। यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है तथा इसे पूर्ण रूप से देश में ही निर्मित और डिज़ाइन किया गया है।
- **चंद्रयान 2 मिशन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
  - चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है।
  - स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नियंत्रित लैंडिंग करने वाला प्रथम भारतीय अभियान है।
  - देश में विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा चंद्रमा की सतह से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय अभियान है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात् चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** चन्द्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन और उसकी सतह पर एक रोबोटिक रोवर का संचालन करना। इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - अन्वेषण के एक नए युग को प्रोत्साहन प्रदान करना,
  - अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ को विकसित करना,
  - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को प्रोत्साहित करना,
  - वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाना,
  - खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करना।

चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य

- चंद्रमा पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में **बेहतर जानकारी प्रदान करने में सहायता करता** है।
  - यह सौर मंडल के आंतरिक वातावरण की अज्ञात ऐतिहासिक सूचनाएं प्रदान कर सकता है।

- हालांकि कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- यह विस्तृत स्थलाकृतिक अध्ययन, व्यापक खनिजीय विश्लेषण और चन्द्रमा की सतह पर अन्य परीक्षणों को संचालित करेगा।

- चंद्रयान 1 की सहायता से चंद्रमा पर जल अणुओं के साक्ष्यों की पूर्व में ही खोज की जा चुकी है, हालाँकि इस संदर्भ में चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के वितरण का पता लगाने हेतु और अतिरिक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।
- यह विशिष्ट रासायनिक संरचना वाली नई प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करेगा।

चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के अध्ययन की आवश्यकता क्यों?

- चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सामान्यतः छायांकित (प्रकाश रहित) रहता है। उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव का छायांकित क्षेत्र अधिक है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों में जल के उपस्थित होने की संभावना हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में क्रेटर्स (गड्ढे) पाए जाते हैं जहां अत्यधिक निम्न तापमान हैं तथा इनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म संबंधी साक्ष्य विद्यमान हैं।
- इसके रेगोलिथ में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी और सिल्वर के साक्ष्य विद्यमान हैं, जो इसे आवश्यक संसाधनों का अब तक अप्रयुक्त स्रोत बनाता है।
- इसके तात्विक और स्थितिकीय लाभ इसे भावी अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु एक आदर्श स्थल (pit stop) बनाते हैं।

चंद्रयान-1 से संबंधित तथ्य

- भारत द्वारा अक्टूबर, 2009 में PSLV-C11 की सहायता से चंद्रयान -1 को प्रक्षेपित किया गया।
- **मुख्य उद्देश्य:** चंद्रमा का निकट एवं दूरस्थ दृश्यों का त्रि-आयामी एटलस तैयार करना तथा चंद्रमा का रासायनिक, खनिज संगठन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण (photo-geological mapping) करना था।

चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोज

- **जल की खोज -** प्रमुख खोज चंद्रमा की सतह पर जल (H_2O) और हाइड्रॉक्सिल (OH) का पता लगाना था। आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि ध्रुवीय क्षेत्र के निकट प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है।
- **मैग्मा ओशन हाइपोथीसिस (Magma Ocean Hypothesis)-** इसने मैग्मा महासागर परिकल्पना की पुष्टि की है अर्थात् किसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से पिघली हुई अवस्था में था।
- **न्यू स्पिनेल-रिच रॉक-** चंद्रयान-1 के आंकड़ों से चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र में न्यू स्पिन-रिच रॉक के प्रकार का पता चला है।
- **एक्स-रे संकेतों का पता चलना-** इसने क्षीण सोलर फ्लेर्स के दौरान एक्स-रे संकेतों का पता लगाया है, इस प्रकार चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति के संकेत प्राप्त हुए हैं।

मिशन के पेलोड

ऑर्बिटर पेलोड:

- टेरेन मैपिंग कैमरा -2 (TMC-2),
- चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (CLASS),
- सोलर एक्स-रे मॉनिटर (XSM),
- ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा (OHRC)
- ड्यूल फ्रीक्वेंसी एल और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (DFSAR),
- इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS),
- चंद्रयान -2 एटमोस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 (ChACE-2),
- ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस (DFRS) एक्सपेरिमेंट।

विक्रम पेलोड

- रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फियर एंड एटमॉस्फियर (RAMBHA),
- चन्द्र सरफेस थर्मो-फिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE),
- इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी (ILSA)

VISION IAS

प्रज्ञान पेलोड

- अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप (APXS),
- लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS)

अप्रत्यक्ष परीक्षण - लेजर रिट्रॉफ्लेक्टर एरे (LRA)

7.6. DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019

{DNA Technology (Use & Application) Regulation Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में **DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019** को पुर: स्थापित किया गया। इस विधेयक के तहत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने हेतु DNA प्रौद्योगिकी के उपयोग के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान-

- **DNA डेटा का प्रयोग:** विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संदर्भ में ही DNA परीक्षण की अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसे-
  - भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आने वाले अपराध।
  - पितृत्व संबंधी मुकदमे (paternity suits) जैसे सिविल वाद।
  - व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करने से संबंधी मामलें।
- **DNA का संग्रहण:** जांच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों (bodily substances) को एकत्रित किया जा सकता है।
  - कुछ स्थितियों में सैंपल एकत्रित करने के लिए **सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी-**
    - गिरफ्तार व्यक्तियों हेतु: **सात वर्ष तक** की सजा पाने वाले अपराधी व्यक्तियों से **लिखित सहमति** प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु ऐसे अपराध के मामले में उक्त **सहमति की आवश्यकता नहीं है,** जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान है।
    - यदि व्यक्ति, कोई पीड़ित या लापता व्यक्ति का संबंधी अथवा नाबालिक या दिव्यांग जन है तो ऐसे व्यक्तियों के सैंपल एकत्रित करने के लिए अधिकारियों को ऐसे पीड़ित व्यक्ति, संबंधी अथवा नाबालिक या दिव्यांग जन के माता-पिता या अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी मामले में सहमति प्राप्त नहीं होती है तो अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं जो उन व्यक्तियों के सैंपल को एकत्रित करने के संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
- **DNA डेटा बैंक- राष्ट्रीय DNA डेटाबैंक और क्षेत्रीय DNA डेटा बैंकों** द्वारा निर्धारित प्रारूप के तहत DNA प्रयोगशाला से DNA प्रोफाइल का संग्रहण किया जायेगा। प्रत्येक डेटा बैंक द्वारा **विभिन्न श्रेणियों से संबंधित डेटा को** संग्रहीत किया जायेगा: जैसे- क्राइम सीन इंडेक्स, सस्पैक्ट इंडेक्स (संदिग्ध व्यक्ति) आदि।
- **DNA प्रोफाइल को हटाना:**
  - DNA प्रोफाइल की प्रविष्टि (entry), प्रतिधारण (retention) अथवा हटाने (removal) संबंधी मानदंडों को विनियम द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
  - हालाँकि, विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के DNA डेटा को हटाने के प्रावधान हैं:
    - संदिग्ध व्यक्ति: पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने अथवा न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर,
    - अभियोगाधीन व्यक्ति: यदि न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है,
    - लिखित अनुरोध के आधार पर, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोफाइल जो संदिग्ध, अपराधी या अभियोगाधीन नहीं है, लेकिन क्राइम सीन इंडेक्स या मिसिंग पर्सन इंडेक्स में उसके DNA प्रोफाइल को प्रविष्ट कर दिया गया हो।
- **DNA रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना:** इसके द्वारा DNA डेटा बैंक और DNA प्रयोगशालाओं की निगरानी की जाएगी।
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, इस **बोर्ड के पदेन अध्यक्ष** होंगे। बोर्ड के **अतिरिक्त सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:** (i) जीव विज्ञान (बायोलॉजिकल साइंसेज़) क्षेत्र के विशेषज्ञ और (ii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **बोर्ड के कार्य:** बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है: (i) DNA प्रयोगशालाओं या डेटा बैंकों की स्थापना से संबंधित सभी विषयों पर सरकारों को सलाह देना और (ii) DNA प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन (एक्रेडेशन) प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा बैंक, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के DNA प्रोफाइल्स से संबंधित सभी सूचनाओं को **गोपनीय रखा जायेगा।**

- **विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है**, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) DNA सूचना का प्रकटीकरण करना, या (ii) बिना प्राधिकार के DNA सैंपल का उपयोग करना।

विधेयक से संबंधित चिंताएं

- विधेयक के अंतर्गत DNA प्रोफ़ाइल का **दायरा सीमित है** क्योंकि इसका उपयोग केवल अभियोजन अथवा बचाव के उद्देश्य के लिए साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों के अनुसार आपराधिक मामलों में व्यक्ति की पहचान के उद्देश्य से किया जाएगा। **चिकित्सा अनुसंधान जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।**
  - इस विधेयक में पितृत्व/मातृत्व, सहायक प्रजनन तकनीक, अंग प्रत्यारोपण तथा आप्रवासन से संबंधित मामलों जैसे संवेदनशील **सिविल मामलों में सहमति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है।**
- **पूर्णतः सत्यापित नहीं है -** यद्यपि DNA तकनीक पहचान के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विधि है, लेकिन अभी भी यह विधि संभाव्यता पर आधारित है। यह संभावना व्यक्त की गयी है कि एक प्रोफाइल के गलत मिलान से किसी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है।
- **यह विधेयक DNA के व्यावसायिक उपयोग में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है** जैसे कि वंशावली संबंधी परीक्षण या रोगों की प्रकृति की खोज करने हेतु चिकित्सा परीक्षण अथवा DNA एडिटिंग।
- **विधेयक इस संबंध में भी प्रावधान नहीं किया गया है कि सिविल मामलों से संबंधित DNA सूचनाओं को डेटा बैंक में संग्रहीत किया जायेगा अथवा नहीं -** यदि सिविल मामलों से संबंधित DNA सूचनाओं को डेटा बैंक में संग्रहीत किया जाता है, तो इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- **सभी DNAs की मैचिंग संभव नहीं -** व्यक्ति की पहचान को उपर्युक्त वर्णित विभिन्न सूचियों के तहत संग्रहीत किया जायेगा। यदि व्यक्ति अपराधी, संदिग्ध या अभियुक्त नहीं है, तो उसके DNA की मैचिंग नहीं की जा सकती है।
- **दोषसिद्धि की दर में सुधार नहीं -** विगत 25 वर्षों में; अधिकांश देशों ने DNA फिंगरप्रिंटिंग कानून को अपनाया है और मुख्य रूप से आपराधिक जांच, आपदा की पहचान और फोरेंसिक साइंस में उपयोग के लिए डेटाबेस विकसित किए हैं। हालांकि, जिन देशों में पहले से ही इनका अनुपालन किया जा रहा है वहां DNA परीक्षणों से दोषसिद्धि की दर (conviction rates) में सुधार नहीं हुआ है।

आगे की राह

- डेटा के सम्मिश्रण (contamination), जालसाजी (forgery), गुमराह करना (mislabelling) और अन्य त्रुटियों को रोकने हेतु सैंपल की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों, अग्निशमन विभागों आदि को व्यापक स्तर पर पुनः कौशल (reskilling) प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- उल्लंघनों को प्रतिबंधित करने हेतु DNA बैंकों के लिए सुदृढ़ साइबर सुरक्षा मानदंडों की भी आवश्यकता होगी।
- कानून या नियमों की तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु नियमित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी।
- गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएँ भी विद्यमान हैं। यह देखते हुए कि DNA किसी भी जैविक इकाई की सर्वाधिक अंतर्भूत सामग्री होती है, इसके लिए गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सावधानीपूर्वक परिभाषित करने के लिए उद्देश्य-आधारित सैंपल के संग्रह की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

DNA अथवा डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic acid) क्या है?

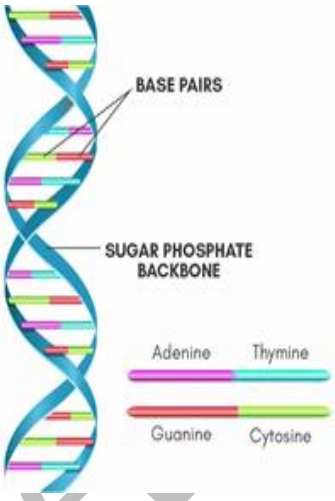

- DNA मानव एवं लगभग सभी अन्य जीवों का एक आनुवांशिक पदार्थ होता है।
- अधिकांश DNA **कोशिका के केन्द्रक** में पाए जाते है (जिन्हें केन्द्रकीय DNA कहा जाता है) लेकिन कुछ मात्रा में DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जा सकते है (जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियन DNA कहा जाता है)।
- यह दो श्रृंखलाओं से निर्मित एक द्वि-कुंडलित वक्राकार संरचना है। यह विकास हेतु आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है।
- यह 23 जोड़े गुणसूत्रों से निर्मित होता है तथा संपूर्ण जीव और प्रोटीनों के निर्माण के लिए निर्देश प्रदान करता है।
- DNA में निहित सूचना चार रासायनिक क्षारों से निर्मित एक कोड के रूप में संग्रहित होती है, ये एडेनिन (A), ग्वानिन (G), साइटोसिन (C) और थायमिन (T) हैं। मानव DNA में लगभग 3 बिलियन क्षार होते हैं और इनमें से 99% से अधिक क्षार सभी लोगों में एक समान होते हैं।
- DNA की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रतिलिपि अथवा स्वयं की प्रतियां बना सकता है। द्वि-कुंडली में DNA प्रत्येक स्ट्रैंड क्षार के अनुक्रम की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए एक प्रारूप के रूप में कार्य कर सकता है।

महत्व

- यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी तथा DNA प्रौद्योगिकियों का उपयोग और दुरुपयोग करने वाले उद्योगों के विनियमन हेतु एक रूपरेखा तैयार करता है।
- इससे किसी व्यक्ति की पहचान का सही पता लगाया जा सकता है, व्यक्तियों के मध्य जैविक संबंधों को स्थापित किया जा सकता है आदि। इस प्रकार, यह अपराध की जांच, अज्ञात शवों की पहचान करने अथवा पितृत्व के निर्धारण में उपयोगी है।
- यह एक कानूनी प्रावधानों के अभाव में कार्यरत निजी प्रयोगशालाओं और चिकित्सा सुविधाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करेगा।

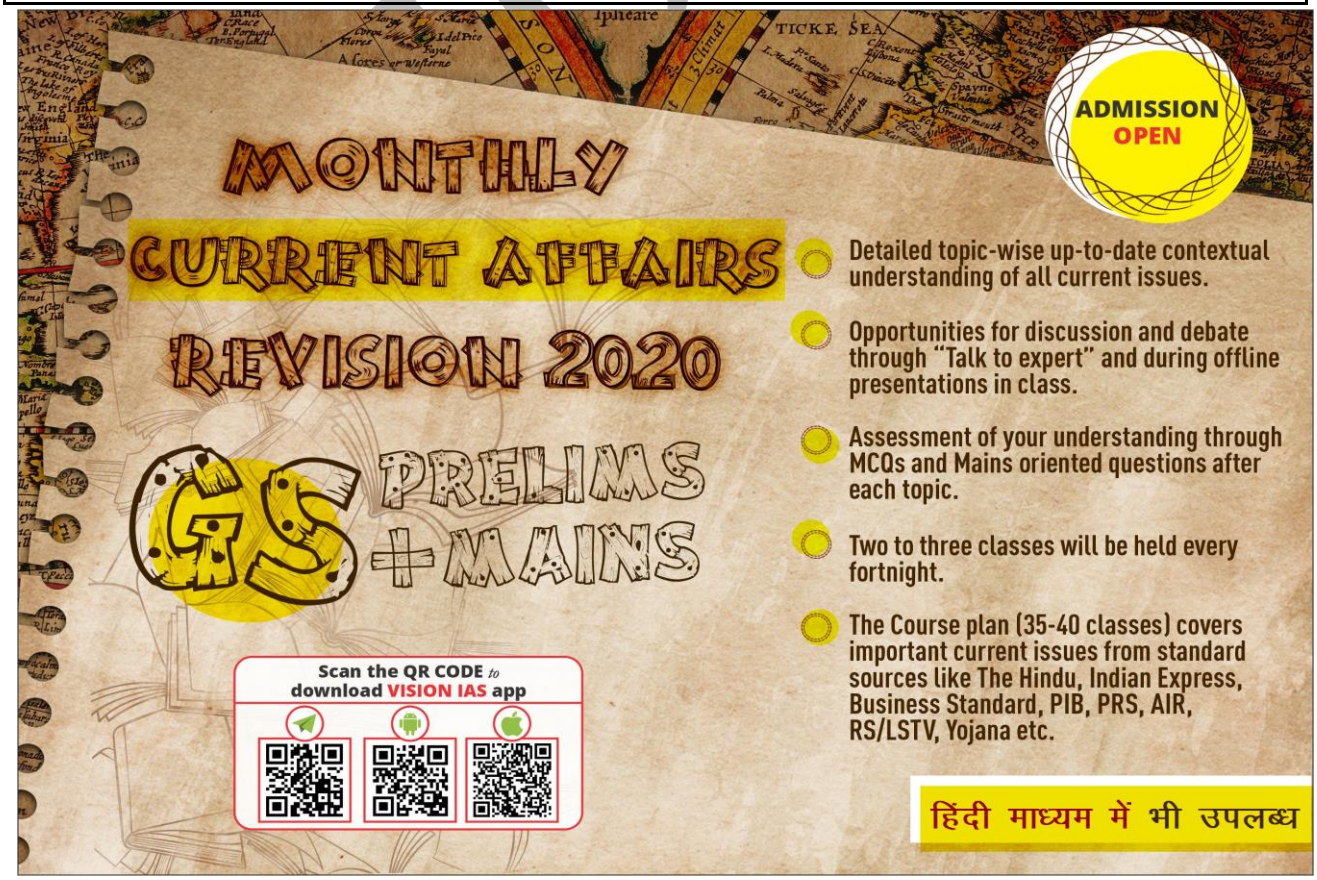

7.7. नवाचार पारितंत्र

(Innovation Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **वैश्विक नवाचार सूचकांक** में अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार करते हुए विगत वर्ष के 57वें स्थान की तुलना में वर्ष 2019 में 52वां स्थान प्राप्त किया है।

पृष्ठभूमि

- **नवाचार** को नव उत्पादों या प्रक्रियाओं के प्रस्तुतिकरण अथवा मौजूदा उत्पादों या प्रक्रियाओं में सुधार के द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों, विचारों अथवा विधियों के वाणिज्यिक रूप से सफल उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)** को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD आदि जैसे शीर्ष वैश्विक व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के सहयोग से **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** द्वारा विकसित किया गया है।
  - यह अनुसंधान एवं विकास निवेशों और पेटेंट व ट्रेडमार्क आवेदनों जैसे मानक परिमापों से मोबाइल फ़ोन ऐप निर्माण तथा उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यातों तक विस्तारित **80 संकेतकों** का उपयोग करते हुए 129 अर्थव्यवस्थाओं की **नवाचार क्षमता और निर्गतों** का मापन करता है।
  - इस वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के 2019 संस्करण को भारत की मेजबानी में जारी किया गया है।
  - इस वर्ष के GII का विषय **'स्वस्थ जीवन का सृजन-चिकित्सा नवाचार का भविष्य' (Creating Healthy Lives: The Future of Medical Innovation) है,** जो भारत के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है, क्योंकि सभी भारतीयों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लक्ष्य की ओर चिकित्सा नवाचार पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारत जमीनी स्तर पर नवाचार और मितव्ययी नवाचार सहित सभी स्तरों पर विकास हेतु नवाचार के लिए एक सक्षम परिवेश उपलब्ध कराने हेतु अपनी बौद्धिक संपदा प्रणाली को विकसित करने पर निरंतर कार्यरत है।

नवाचार रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन

- GII के अनुसार, भारत वर्ष 2011 के पश्चात् से मध्य एवं दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नवाचारी देश रहा है तथा विगत 9 वर्षों से अपनी प्रति व्यक्ति GDP के सापेक्ष नवाचार के संबंध में निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- भारत ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यातों, विज्ञान व अभियांत्रिकी में स्नातकों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक प्रकाशनों, अर्थव्यवस्था-व्यापी निवेश तथा रचनात्मक वस्तुओं के निर्यातों जैसे नवाचार चालकों के संबंध में विश्व के शीर्ष देशों में निरंतर अपना स्थान बनाए हुए है।
- वैज्ञानिक प्रकाशनों, विश्वविद्यालयों और पेटेंट श्रेणियों की गुणवत्ता में नवाचार की गुणवत्ता पर भारत को विश्व स्तर पर मध्य-आय अर्थव्यवस्था के रूप में द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि भारत ने विश्व के शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकुलों पर GII रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि विश्व के शीर्ष 100 संकुलों में बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली को शामिल किया गया है।
- समग्र रूप से, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है जो वर्ष 2015 में 81वें स्थान से वर्ष 2018 में 57वें स्थान पर पहुंच गई है।

नवाचार के संदर्भ में भारत की स्थिति के कुछ संकेतक

क्षमताएं	कमियां
• विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में अधिक स्नातक। • उच्च सकल पूँजी निर्माण। • छोटे निवेशकों के संरक्षण को सुगम बनाना। • भारत पेटेंट आवेदन के मामले में विश्व में सातवें स्थान पर है। • उच्च सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात।	• भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय विगत दो दशकों से भी अधिक समय से GDP के केवल 0.6-0.7% पर स्थिर है। • व्यावसायिक मनोवृति का अभाव। • अपर्याप्त विनियामकीय परिवेश। • अध्ययन, गणित और विज्ञान में मूल्यांकन के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित मुद्दे। • शिक्षण एवं अनुसंधान उद्यम के मध्य असंबद्धता, क्योंकि अनुसंधान केवल विशेषीकृत शोध संस्थानों में ही सकेंद्रित है। • औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव।

VISION IAS

• वृहत सृजनात्मक वस्तुओं का निर्यात।	• अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।

नवाचार परितंत्र के लिए उठाए गए कदम

- **विभिन्न योजनाएं-** रामानुजन फ़ेलोशिप योजना, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च **(INSPIRE)** फैकल्टी योजना तथा रामालिंगास्वामी री-एंट्री फ़ेलोशिप योजना, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी योजना **(VAJRA),** नॉलेज इन्वोल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग **(KIRAN)** आदि।
- **अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM)-** यह भारत के लिए विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों तथा ग्रैंड चैलेंज के एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - **सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट युटिलाइज़ेशन (SETU)-** यह विशेषतया प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों के सभी पहलुओं को समर्थन प्रदान करने हेतु एक प्रौद्योगिकी-वित्तीयन, इन्क्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होगा।
  - **विभिन्न नवाचार चुनौतियाँ-** जैसे कि भारतीय रेलवे के लिए, डिजिटल इंडिया चैलेंज 2.0, नीति आयोग द्वारा ग्रांड इनोवेशन चैलेंज, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन आदि।
- **इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम (IIGP) 2.0** भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), लॉकहीड मार्टिन तथा टाटा ट्रस्ट का एक विशिष्ट त्रिपक्षीय कार्यक्रम है। इस पहल का उद्देश्य भावी प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को विकसित करने के लिए नवाचार और त्वरण के चरणों के माध्यम से नवोन्मेषकों और उद्यमियों की क्षमताओं में वृद्धि करना है।
- **इनोवेट इंडिया** संपूर्ण देश में सम्पन्न नवाचारी गतिविधियों को प्रदर्शित करने, प्रोत्साहित करने तथा मान्यता प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट मंच है। इसे अटल नवप्रवर्तन मिशन-नीति आयोग (AIM-NITI Aayog) तथा मेरी सरकार (MyGov) के सहयोग में लांच किया गया है। देश के सभी भागों के नागरिक इस मंच पर नवाचार विचारों को साझा करने हेतु पात्र हैं।
- **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** ने भारतीय उद्योग के मध्य नवाचारों के सृजन और बढ़ावा देने तथा उद्यमशील उपक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु पहलों को संचालित किया है।
- वर्तमान में भारत द्वारा देश में WIPO समर्थित **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र (TISCs)** स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र स्थानीय नवोन्मेषकों तथा सृजकों को अनुसंधान और उनके उत्पादों का विपणन करने में सहायता प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2018 में **प्रथम भारत नवाचार सूचकांक** को WIPO के सहयोग से जारी किया गया, जो नवाचार के संदर्भ में भारतीय राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है।

नवाचार परितंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- भारतीय नवाचार **निरपवाद रूप से वृद्धिशील हैं और न कि गतिहीन -** वे प्राय: "पहले भारत के लिए न कि पहले विश्व के लिए" होते हैं। वे 'प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं' का ही अनुकरण करते हैं, परन्तु 'नवीन प्रथाओं' का सृजन नहीं करते हैं।
- गति, पैमाने और संधारणीयता के साथ **प्रतिस्पर्धी विपणन-योग्य उत्पादों** के सृजन हेतु **मापनीयता का अभाव।**
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) प्रतिभा पूल की गुणवत्ता-** भारत में तृतीयक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात अत्यल्प (26%) है, जिसका तात्पर्य यह है कि संभावित अनुसंधान प्रतिभा का एक बड़ा भाग लुप्त हो गया है।
- **अन्य देशों के साथ तुलना-** यद्यपि भारत विश्व के शीर्ष 50 देशों में स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, परन्तु यह चीन से अभी भी बहुत पीछे है। उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में चीन ने WIPO में 53,345 पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए हैं जबकि भारत के पेटेंट आवेदनों की संख्या केवल 2,013 है।
- **विषम परिणाम-** भारत में चंद्रयान और डिजिटल भुगतान जैसी उत्कृष्ट सफलताओं तथा बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातकों व संस्थाओं (जिनके पास वस्तुतः किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं है) की अधिक संख्या की एक असंगत स्थिति (odd juxtaposition) विद्यमान है। हालांकि, भारत के शीर्ष विश्विद्यालय एवं संस्थान (IITs दिल्ली व मुंबई और IISc) क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, परन्तु वे विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होने में निरंतर विफल रहे हैं।

आगे की राह

- नवाचार, स्टार्ट-अप्स, कंपनियों के समूह और सरकार की सेवा आपूर्ति एवं प्रदर्शन में सुधार संबंधी सहायता के द्वारा उनकी समृद्धि का एक प्रमुख चालक है। यह अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में भी योगदान करता है।

VISION IAS

- भारत को एक आकर्षक एवं नवोन्मेषी केंद्र के रूप में रूपांतरित करने हेतु सरकार, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय और समाज जैसे विभिन्न हितधारकों के मध्य परस्पर संबंधों के विकास के द्वारा नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- विश्विद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के मध्य सहक्रियता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विश्विद्यालयों के साथ संबद्ध करने की आवश्यकता है। इससे संकाय समर्थन और युवा प्रतिभाओं के मध्य विद्यमान अंतराल का समाधान होगा तथा उत्कृष्टता हेतु गहन प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।
- सरकार नव अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण अवसरों के सृजन हेतु निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी कर सकती है, जैसे कि उच्चतर आविष्कार योजना (UAY) के तहत उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान हेतु विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB) के साथ 50:50 की साझेदारी।
- इसके अतिरिक्त शिक्षाविद जो केवल 'निरंतर प्रकाशन' (publish or perish) में ही नहीं बल्कि **'पेटेंट प्रकाशन और समृद्धि'** में भी विश्वास करते हैं, उन्हें इस परिवेश में एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका (a crucial cog in the machine) का सृजन करना चाहिए। वैज्ञानिक जिनमें 'तकनीकी उद्यमी' और उत्साही नवोन्मेषी नेतृत्वकर्ता बनने की प्रबल इच्छा विद्यमान है उन्हें इन नवाचारों की मापनीयता (scalability) हेतु आगे आने की आवश्यकता है।

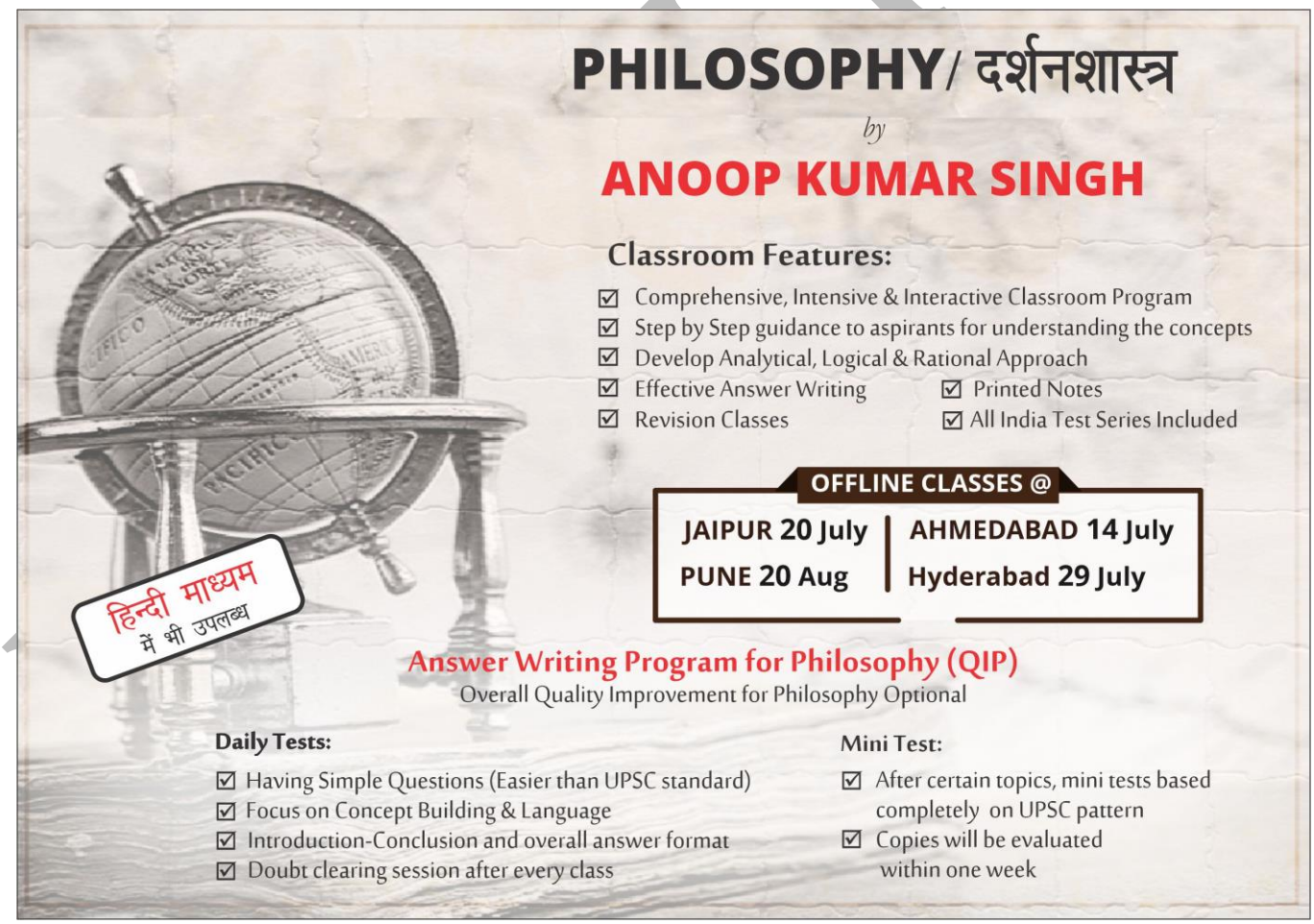

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.